(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

बुधवार

दिनांक 30 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या 182

श्री ज्ञानसिंह ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती कमला !

(अनुपस्थित)

श्री हरिदेव जोशी : (बांसवाड़ा) अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दे दें तो इस प्रश्न को मैं पूछ लूं ।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री जी ।

183. श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) [श्रीमती कमला (सागवाड़ा) की अनुपस्थिति में] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लोक सभा चुनाव, 1980 में बांसवाड़ा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार श्री पूंजा की हत्या कर दी गई ?

(2) इस प्रकरण में एफ. आई. आर. में किस किस के विरुद्ध आरोप लगाया गया है तथा पुलिस ने अब तक किस किसको गिरफ्तार किया है, जांच किस स्तर पर है तथा स्व. श्री पूंजा भाई के परिवार को राज्य सरकार ने क्या राहत प्रदान की है ?

उप मंत्री, गृह (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां।

(2) प्रथम सूचना में 21 अभियुक्त धीद, मोतीसिंह, नादिया, पूना, लख्जी, बलदेव, बहादुर, जीतमल, कालिया, एतरा, काहजी, सुरसिंह, तोतसिंह, पारसिंह, धूलजी, भला, पारविन, श्रीमती मेमा, श्रीमती देवा, श्रीमती हारूपी, श्रीमती शर्मीला के विरुद्ध आरोप लगाया गया था जिसमें से सुरसिंह के अलावा बाकी सभी 20 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है । अभियोग का अनुसन्धान सी.आई.डी. (अपराध शाखा) द्वारा किया जा रहा है । सहायता नहीं दी गई है।

(2)

श्री हरिदेव जोशी: यह मर्डर कब हुआ ?

श्री रामपाल उपाध्याय : यह मर्डर 16-6-80 को सायंकाल साढ़े छः बजे हुआ।

श्री हरिदेव जोशी : एफ. आई. आर. कब दर्ज हुई ?

श्री रामपाल उपाध्याय : 16-6-80 को पुलिस अधीक्षक के यहां इसकी सूचना दी गई 302, 304, 346, 347, 349 और उसके बाद 18-6-80 को एफ.आई.आर. दर्ज हुई।

श्री हरिदेव जोशी : इसका चालान कब पेश किया गया ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अभी तक इसका चालान पेश नहीं किया गया है। सी. आई. डी. के अधीक्षक महोदय आज ही वहां से लौटे हैं। इसमें तीन लेडीज़ भी हैं उनका 21-7-80 को सेशन ......

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने नहीं पूछा है माननीय मंत्री महोदय से।

श्री रामपाल उपाध्याय : अभी इसका चालान नहीं हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : चालान क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अभी तफतीश की जा रही है। सूरसिंह की गिरफ्तारी बाकी है, उसको ढूंढा जा रहा है। वह अभी मिल नहीं रहा है। सी.आई.डी. के इन्सपेक्टर के द्वारा मौके पर जांच की जा रही है। इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. को जांच दी गई है। अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, सी. आई. डी. से जांच में इस तरह अनड्यूज़ुअल डिले हो जायगी।

श्री रामपाल उपाध्याय : जांच अभी नहीं हो पाई है। जब तक जांच पूरी न हो पाय तब तक पुलिस कस्टडी में प्रावधान के अनुसार रखा गया है। सेशन जज ने 21-7-80 को ... ...

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मर्डर का सवाल है, मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसमें देर नहीं लगायेंगे।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि कोर्ट के हिसाब से कितने दिनों तक पुलिस चालान न करे तो जमानत अपने आप हो जायगी और मर्डर का केस टूट जायगा ?

श्री रामपाल उपाध्याय : 90 डेज।

श्री हरिदेव जोशी : अब क्या राज्य सरकार सावधान है कि 90 डेज पूरे होने से पहले ही चालान पेश कर देगी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : राज्य सरकार सम्पूर्ण रूप से सावधान है। निश्चित् रूप से सभी प्रयत्न किये जायेंगे जो एक मर्डर के केस में किये जाते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : क्या किसी अभियुक्त ने कोर्ट में बेल की अपील की है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : ऐसी बात नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : बेल होने पर क्या उन्हें वापस गिरफ्तार किया जायगा ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य, इसका पूरा पता लगाया जायेगा-सरकार उसको पकड़ने की जरूरी कोशिश भी करेगी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : एन्टीसिपेटरी बेल होने के बाद रिलीज हुए हैं या गिरफ्तार होने के बाद रिलीज हुए हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : गिरफ्तार होने के बाद हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : ग्रध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का जो परमानेन्ट वर्कर था, उस वर्कर का खून कर दिया गया। उसके दोनों पांव काट डाले गये, उसके दोनों हाथ काट डाले गये। ग्रांखें निकाल ली गईं। पेड़ के सहारे खड़ा करके बान्ध दिया गया ग्रौर फिर ढोल लेकर नाचा गया, इस प्रकार का मर्डर बांसवाड़ा-डूंगरपुर जिले में पिछले 100 वर्षों में नहीं सुना गया है। मैं समझता हूं इस मर्डर की अहमियत को सरकार समझे क्योंकि इस भयंकर मर्डर से सारे इलाके में बहुत ग्रधिक ग्रातंक फैला हुग्रा है। मेरा निवेदन करना यही है कि इसका चालान जल्दी से जल्दी पेश किया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं चालान पेश करने में क्या दिक्कत ग्रा रही है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं माननीय सदस्य को सरकार की ग्रोर से इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वास्तव में ग्रपने तरीके का यह भयंकर मर्डर है, सरकार जो भी ग्रावश्यक कार्यवाही होगी, सम्पूर्ण कार्यवाही करेगी जो एक मर्डर केस में करनी चाहिए। जैसी आपकी मंशा है, उससे सरकार सहमत है।

श्री हरिदेव जोशी : क्या राज्य सरकार की यह भी जानकारी में है कि जो मर्डर हुग्रा है वह किसी पॉलिटिकल पार्टी से सम्बन्धित है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : जैसी मेरे पास इत्तला है वह मर्डर पॉलिटिकल रंजिश से नहीं हुग्रा। किसी खेत की फसल के बारे में झगड़ा हुग्रा था। सी. ग्राई. डी. के द्वारा जो जांच की गई है उससे जो तथ्य सामने ग्राये हैं, उनमें यह है कि जो जमीन छुड़ाई हुई थी, उसमें फसल बो दी, इसलिए मर्डर हुग्रा है। ग्रापसी रंजिश के कारण हैं, राजनैतिक कारण इसमें नहीं बताये गये हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री (ग्रजमेर पश्चिम) : क्या यह सही है कि पुलिस विभाग घातक को फरार घोषित करेगी या किया है ? चूंकि ग्रभी तक पकड़ा नहीं गया है तो क्या सरकार ग्रौर तेजी से पकड़ने की कोशिश करेगी ? ग्रगर समय रहते गिरफ्तार नहीं हुग्रा तो उचित कार्यवाही करेगी सरकार ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पकड़ने के बाद फरार घोषित करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : ग्रध्यक्ष महोदय, श्री पूंजा ने कुछ दिनों पहले चुनाव लड़ा था उसके बारे में यह सर्व विदित है कि वह कांग्रेस का कार्यकर्ता था। ग्रपने जिले में वह ग्रसेम्बली इलेक्शन में भी उतना ही एक्टिव था। उसने कांग्रेस का काम किया था। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिये नहीं कहता कि उसके लोगों ने किया है, मेरा यह

(श्री हरिदेव जोशी)

इल्जाम भी नहीं है लेकिन मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि जिस कांग्रेस वर्कर का मर्डर किया गया है उसके परिवार को सन्तोष देने के लिये और उस जिले में विश्वास क्रियेट करने के लिये जल्दी से जल्दी चालान पेश कर दिया जाय।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1977 और 1980 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। वे इन चुनावों में अधिकृत कांग्रेसी उम्मीदवार के विरोध में खड़े हुए थे। मैं माननीय सदस्य को बहुत ही गम्भीरता से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता है चाहे वे किसी भी दल के हों, अगर उनके साथ इस प्रकार की कार्यवाही की गई है तो उसके लिये समस्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिदेव जोशी: मैं सूचना देना चाहता हूं जो अन-यूजुअल डिले हो रही है चालान पेश करने में; उससे आम लोगों में विश्वास डिग रहा है।

श्री रामपाल उपाध्याय: आम लोगों के विश्वास के लिये पूरी कोशिश की जायगी कि वह विश्वास नहीं गिरे।

प्रश्न संख्या 184

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बन्शीलाल पटवा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री माधवसिंह दीवान!

दिवंगत सेवारत कर्मचारी के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति

185. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने नई नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो कब से कब तक के लिए?

(2) क्या सरकार के ऐसे नियम हैं कि यदि कोई कर्मचारी सेवा में रहते मर जाये तो उसके परिवार के आश्रितों में से किसी एक को जो उस पद के लिए निर्धारित योग्यता रखता हो, तो उसे उस विभाग में प्रार्थना-पत्र देने पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाय?

(3) क्या भाग (2) में वर्णित स्थिति में भी नियुक्ति पर रोक लगी हुई है? यदि हां, तो उसे हटाने पर क्या सरकार विचार करेगी?

उप मन्त्री, कार्मिक विभाग (श्री रामपाल उपाध्याय): (1) जी हां; वर्ष 1980-81 में आयोजना/आयोजना-भिन्न पदों के भरने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। परन्तु वर्तमान कर्मचारीगणों में से स्थानान्तरण अथवा पदोन्नति से तथा लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति से पद भरे जाने पर रोक नहीं है। किन्तु सीधी भर्ती से अथवा पदोन्नति से तदर्थ नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। इसके पूर्व भी तदर्थ नियुक्तियों पर दिनांक 11-8-1977 से कार्मिक विभाग द्वारा प्रतिबन्ध लगा हुआ था।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने ऐसे नियम "राजस्थान रिक्रूटमेन्ट ऑफ

(श्री रामपाल उपाध्याय)
डिपेन्डेन्ट्स ऑफ गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स डाइंग ड्यूरिंग इन सर्विस रूल्स, 1975" दिनांक 29-9-1975 को प्रख्यापित किये थे।

(3) जी नहीं। उक्त नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति पर रोक नहीं है।

श्री माधवसिंह दीवान: अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि कोई केस सैटलमेन्ट हेतु पैन्डिंग है उसके लिए कोई नियम या आर्डर इश्यू करेंगे ?

श्री रामपाल उपाध्याय : इस समय मेरे ध्यान में नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए आवश्यक कार्यवाही होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार के पास इस समय कितने केस, किस समय से पैन्डिंग हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्ति, जिनके माता या पिता मर जाते हैं सेवा के समय, के कितने केस इस समय विचाराधीन हैं ? तो क्या ऐसी नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ? ऐसे आदमियों की कितनी संख्या है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि जो इस प्रकार के कर्मचारी हैं उनके सम्बन्ध में आप कितने समय में निर्णय ले लेंगे ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य महोदय, जैसा मैंने पहले ही स्पष्ट निवेदन किया था यह अलग से प्रश्न है, इसकी जानकारी अलग से आप मांगियें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : सरकार इसका तो निर्णय लेगी या नहीं…

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : …कि कितनी एप्लीकेशन पैन्डिंग हैं और उन पर कितने समय में निर्णय हो जायेगा एक महिने में, दो महीने में, चार महीने में या कितने दिनों में ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट निवेदन किया था कि नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस समय मेरे पास पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी जल्दी निर्णय लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय यह तो निर्णय का सवाल है। स्पष्ट कहना चाहिए समय के बारे में कि इतने समय में हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि उसमें जल्दी निर्णय हो जायेगा।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

ऑर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

आप जो पूछ रहे हैं कि कितने लोगों का केस पैण्डिग है, कितने अर्से से पैण्डिग है, कितने समय में निर्णय लिया जायेगा। प्रथम दो सूचनाएं जो आपने मांगी हैं वह मन्त्री महोदय के पास उपलब्ध नहीं हैं। जहां तक कितने समय में निर्णय लेने का प्रश्न है इन्होंने कहा है कि निश्चित नहीं है। इनका उत्तर पर्याप्त है।

कई माननीय सदस्य : यह बिल्कुल अपर्याप्त है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

आप इस पर अलग से नया प्रश्न पूछ लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर ठीक हो गया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक मामला है 1970 का जिसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। एक व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गयी और उसका लड़का बी. ए. सैकिण्ड डिवीजन में पास है। उसको आपने, श्रीमान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाया। आप 1970 का केस कहते हैं। यह एक स्पेसिफिक केस है यह आज का, एक दिन, दो दिन का नहीं। यह 1967 का केस है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें और स्थान ग्रहण करें।

श्री छोगा राम बाकोलिया (रेवदर): माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर सही दिया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसी अन्य माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मिल गया है। उसको विवाद का विषय आप मत बनाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह फाइल विशेष तौर पर इसी प्रश्न के लिए अलग से लेकर आया था। इसी के लिए...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक वैधानिकता का प्रश्न उठाना है। अगर ठीक समझें। इस प्रश्न के भाग (2) का उत्तर दिया गया है 'हां' में।

(श्री राज बहादुर)
मैं यह चाहता हूं कि वैधानिकता के आधार पर क्या इस उत्तर का परीक्षण कर लिया गया है या नहीं, क्योंकि विधान के अनुसार इसका कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न संख्या 186

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य, श्री हरसहाय मीणा !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी ओर से इस प्रश्न को पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुलिस के कर्मचारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं, अपहरण कर लेते हैं। ऐसे प्रश्न को आप पूछने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। सरकारी पक्ष के सदस्यों को तो इजाजत आप दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बाब खां !

श्री भंवरलाल शर्मा : एक प्रश्न के पुकारने पर जब प्रश्नकर्ता नहीं थे तो आपने माननीय जोशी जी को अनुमति दी है। यह डिस्क्रिशन हमारे फेवर में भी उपयोग करें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता को जान बूझकर सदन से अनुपस्थित रखा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको पूछने की अनुमति दे देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह जो प्रश्न है इस बारे में ऐसी रियायत देने की आवश्यकता नहीं है। यह रियायत विशेष अवसर पर ही दी जाती है। जब अवसर आयेगा तो आपको भी दी जायेगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, थाना इंचार्ज द्वारा लड़कियों को भगाया जा रहा है .....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं निवेदन करूंगी कि मंत्री महोदय के पास उत्तर है, उनके पास जानकारी उपलब्ध है, आप उत्तर दिलवा दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए मैं जिसको ठीक समझता हूं उसका उत्तर दिला सकता हूं। नियमों में यह व्यवस्था है कि प्रश्नकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हो सकते हों तो वे किसी को अपनी ओर से अधिकृत कर सकते हैं। चूंकि उन्होंने किसी को अधिकृत नहीं किया है इसलिए मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। आगे भी ऐसे बहुत से अवसर आयेंगे तब माननीय सदस्य जो इस ओर के हैं, को भी अवसर

(8)

(श्री अध्यक्ष)
हम दे देंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको अवसर दे दें और आपको अवसर नहीं दें...

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो हो गया है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय सदस्य को जान-बूझ कर अनुपस्थित किया गया है। मैं यह साबित कर सकता हूं कि उनको जान-बूझ कर अनुपस्थित किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह अहम प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : एक माननीय सदस्य को आपने अलाउ कर दिया जिनका प्रश्न ही नहीं था और जिनको कोई अथोरिटी नहीं थी तो दूसरे सदस्य को क्यों अलाउ नहीं कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवधान उपस्थित नहीं करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह व्यवधान का प्रश्न नहीं है। माननीय जोशी जी को आपने अलाउ किस आधार पर कर दिया बिना किसी अथोरिटी के।

श्री अध्यक्ष : यह मेरा अधिकार है, उसको आप चेलेंज नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : XXX

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के खिलाफ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम आपके अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहे हैं। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें उसके लिए निवेदन कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग करें। और भी बहुत से प्रश्न हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम तो पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपकी सेवा में निवेदन कर रहे हैं कि थाना इंचार्ज अगर इस तरह से लड़कियों का अपहरण करेंगे तो इस राज्य का क्या बनेगा ? थाना इंचार्ज इस तरह से...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, किसी अन्य तरीके से आप इस प्रश्न को उठा सकते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजबहादुर : महिलाओं के खिलाफ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं। अगर आप इस प्रश्न को पूछने की इजाजत दे देंगे तो लोगों में विश्वास पैदा होगा। अगर आपने इसको दबाया तो यह महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने में सहायक नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने जो रूलिंग दी है वह तो शिरोधार्य है लेकिन कोटा जिले में पिछले चार-पांच दिनों से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि एक के बाद एक इस तरह के केसेज आ रहे हैं और वहां पर साम्प्रदायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को आपने जिस प्रकार से अवसर दिया है उसी प्रकार से अवसर दे देते हैं तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आसन का यह इरादा कभी नहीं होगा कि किसी मसले को किसी कारण से दबा कर रखना चाहे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमें सहयोग दीजिए। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है अब आपको इतना आग्रह नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द्र कटारिया : यह सदन के सामने है और आपको यह निर्णय करना है कि पूर्व प्रश्न को आपने अलाउ किया तो उसकी प्रेविटी तो बहुत ज्यादा थी और यह प्रश्न ऐसा है कि इसकी प्रेविटी नहीं है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह जवाबदारी मुझे सदन की ओर से मिली है कि मैं किसको अलाउ करूं और किसको नहीं करूं। इसके बारे में मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह आपका दुराग्रह है। जब मैंने डिसीजन दे दिया तो हो सकता है कि उसमें किसी तरह से कोई खामी भी रही हो

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : किसी तरह की खामी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तो भी मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप इसमें मुझे सहयोग करें।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कुछ कृपा हो जावे। ऐसा महत्वपूर्ण सवाल है, इसके लिए इजाजत हो जावे।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, जन-हित में ही सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के ऊपर इस तरह से अत्याचार हो ...

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आप कृपा करके इसकी इजाजत दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आज प्रातःकाल ही बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को, प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य के अनुपस्थित होते हुए भी अपने अधिकारों का उपयोग करके अवसर दिया तो आपको इस बारे में भी विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 187

श्री अध्यक्ष : श्री चाव खां !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 188

सुश्री पुष्पा जैन !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हरिसिंह !

विधायक नगर, जयपुर में विधायकों के लिए चिकित्सा सुविधा

189. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधायक नगर जयपुर में विधायकों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा दिये जाने हेतु प्रत्येक दिन एक निश्चित समय पर किसी चिकित्सक को उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ?

(2) यदि हां, तो कब से ? नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (1) जी हां।

(2) यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हरिसिंह : यह मामला कब से विचाराधीन है और अब कब तक चिकित्सक की व्यवस्था करवा देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत जल्दी करवा देंगे।

श्री हरिसिंह : जल्दी से मतलब ?

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : यह कांग्रेसियों की आत्मा पुकार रही है।

श्री हरिसिंह : यह बतावें कि कब तक व्यवस्था करवा देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि जल्दी ही करवा देंगे। अभी डिस्पेंसरियां मंजूर हुई हैं।

श्री हरिसिंह : कितने समय में यह सुविधा उपलब्ध करा देंगे, कुछ समय तो होगा ? एक घन्टे, दो घन्टे के लिए भी रोज डॉक्टर भेजें, यह मेरा निवेदन है आपसे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी ही भेजेंगे।

श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा मालानी): यह विधायकों के जीवन का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या 190

अगला प्रश्न। श्री गोविन्दसिंह !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री हरेन्द्र मिर्धा !

मूंडवा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में जल प्रदाय

191. श्री हरेन्द्र मिर्धा (मूण्डवा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने मूंडवा निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में जल प्रदाय के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट में किन-किन ग्रामों को सम्मिलित किया गया है ?

(2) प्रस्तावित योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जावेगी ?

उप मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां, राज्य सरकार ने मूंडवा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 49 गांवों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर प्रारम्भिक योजनाएं बनायी हैं। विस्तृत सर्वेक्षण होने पर इन योजनाओं में परिवर्तन संभव है। इनके अतिरिक्त चार गांवों का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाकर इस वर्ष पम्प व टैंक योजनाएं विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं। यह ग्राम हैं, रूण, खजवाना, संखवास व कडलू।

(2) ग्राम खजवाना एवं संखवास की जल प्रदाय योजनाओं का कार्य वर्ष 1982-83 तक तथा ग्राम रूण एवं कडलू की योजनाओं का कार्य वर्ष 1983-84 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

श्री हरेन्द्र मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इसके पहले भी कोई सर्वे हुआ था ?

श्री रामपाल उपाध्याय : इससे पहले सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया है।

जालौर दुर्ग एवं सूंधा माता स्थलों का पर्यटन केन्द्रों के रूप मे विकास

192. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पर्यटन विभाग ने जालौर दुर्ग एवं सूंधा माता को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो कृपया योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इन दोनों स्थानों की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं जब कि यह दोनों स्थान ऐतिहासिक, धार्मिक एवं कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं ?

उप मंत्री, पर्यटन (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : जी नहीं, पर्यटन विभाग ने कोई सिफारिश नहीं की। जालौर दुर्ग एवं सूंधा माता के स्थान क्षेत्रीय दृष्टि से ही महत्वपूर्ण हैं, अन्य राज्यों व विदेशों से आने

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)
वाले पर्यटकों की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने सामने देख लिया था । आप विराजे रहें ।

श्री सूरजपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय खड़े थे, इसलिये....

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछ कीजिये, 192 का ।

श्री सूरजपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, यह आप अगर कहते हैं तो यह तो कोई जबाब नहीं है । इसको आप विकसित करने के लिये कुछ सोच रहे हैं, या नहीं ? गुजरात से, अन्य प्रदेशों से वहां आने जाने की सुविधा किसी प्रकार से उपलब्ध करा सकें तो यह अच्छा स्थान हमारे प्रदेश के अन्दर है । इसको डवलप किया जाये । इसको डवलप करने के लिये सिफारिश की गई थी तो क्या राज्य सरकार इसको विकसित करने के लिये कुछ योजना बनायेगी या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ......

श्री अध्यक्ष : पहले उत्तर आने दीजिये ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पर्यटन के हिसाब से ऐसे और भी अनेक स्थान हैं माननीय सदस्य, जिनका डवलपमेंट पहले होना आवश्यक है । प्रायोरिटी में जालौर दुर्ग का अभी तक नम्बर नहीं आया है । क्योंकि पर्यटन विभाग के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिये हम प्रायोरिटी के हिसाब से लेंगे ।

श्री सूरजपाल सिंह : इसके लिये पर्यटन विभाग ने कुछ प्रायोरिटी बनायी है, और क्या क्राइटेरिया निश्चित किया है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जहां तक प्रायोरिटी का सवाल है, आपने बजट देखा होगा एक करोड़ और कुछ लाख रुपये व्यय होंगे । कम से कम आज की तारीख में आपने देखा होगा कि जालौर दुर्ग तक पहुंचने के लिये कम से कम तीन-चार लाख रुपये तो सड़क पर खर्च होंगे । उस सड़क को बनायें तो दूसरे स्थान जैसे उदयपुर की हल्दी घाटी स्कीम है, जो इससे भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां टूरिस्ट ज्यादा जाते हैं, उसको हम डवलप नहीं कर पायेंगे । जालौर दुर्ग के लिये मैंने पुरातत्व विभाग से पूछा था, उन्होंने कहा कि सूंधा माता के मन्दिर को डवलप करने के लिये कुछ खर्चा करेंगे । उन्होंने स्कीम पेश की है । स्कीम पास होगी तो आपको बतलायेंगे ।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने इनको क्षेत्रीय स्तर पर डवलप करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया है । वहां एक ट्रस्ट भी बना है । क्या आपका विभाग भी उस ओर ध्यान देगा ? क्या आपकी नीति है कि जो स्थान है उनको ही आप डवलप कर रहे हैं, और अन्य स्थानों को महत्व नहीं देंगे ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं। लेकिन प्रायोरिटी से हमको देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जालोर दुर्ग का प्रायोरिटी में कहां नम्बर आता है ?

श्री सूरजपाल सिंह : वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि प्रायोरिटी में हमारा नम्बर कौनसा है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पर्यटन इण्डस्ट्री के रूप में होता है। हम इसके डवलपमेंट को टेकल कर रहे हैं, राजस्थान में ऐसे बहुत से एरिया हैं। राजस्थान टूरिज्म के हिसाब से देश में, इन्टर नेशनली बड़ा फेमस है। लेकिन जितनी हमें सुविधा देनी चाहिये, वह दे पाये हैं। जालोर दुर्ग को बाद में देख लेंगे।

श्री सूरजपाल सिंह : प्रायोरिटी क्या है ? उसकी पुरातत्व विभाग भी पूर्ण रूप से देखरेख नहीं कर रहा है। जो प्रायोरिटी बनायी गयी है, वह क्या है ? किस तरह से है यह हमारी समझ में नहीं आता वरना आप कहते हैं, देश का इतिहास बदल जाये तो बात दूसरी है। जो भी ऐतिहासिक चीजें हैं, उनकी पुरातत्व विभाग भी पूर्ण रूप से देखरेख नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर ध्यान देकर व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण !

श्री रामनारायण (बिलाड़ा) : जोधपुर संभाग को प्रायोरिटी में किस स्थान पर लिया है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय सदस्य, मैं जोधपुर डिविजन के लिये अर्ज करना चाहूंगा कि कम से कम 10 स्थान ऐसे होंगे, जिनको हमने प्रायोरिटी लिस्ट में लिया है, डवलप करने के लिये जैसा कि आपके पास माननीय सदस्य विराजे हैं, मण्डोर को हमने लिया है, ओसियां को लिया, जोधपुर को लिया है। बाड़मेर को भी हम उस दृष्टि से देख रहे हैं। जैसलमेर के लिये एक स्कीम बनायी है।

श्री अध्यक्ष : श्री छोगालाल बाकोलिया।

श्री छोगालाल बाकोलिया (रेवदर) : जहां तक मान्यता का सवाल है, सूंधा माता के मन्दिर की मान्यता कोई वैष्णव देवी मन्दिर काश्मीर की मान्यता से कम नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको टूरिस्ट पाइन्ट से बनाया जाये, यह वैष्णव देवी से कम नहीं है। इसके लिये कोई आश्वासन दें।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि टूरिज्म एक इण्डस्ट्री है। हरियाणा ने भी कई स्थानों का बढ़िया तरीके से डवलपमेंट किया है। माननीय मन्त्री महोदय, क्या राजस्थान के अन्दर ऐसे स्थानों को टूरिज्म के हिसाब से डवलप करेंगे ? आज जयपुर शहर में 150 ....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ....विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। क्या इस प्रकार राजस्थान के जो समस्त टूरिज्म स्थल हैं, उनको विकसित करने के लिये सरकार इस सम्बन्ध में वृहद् योजना बनाने जा रही है ?

(14)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस टूरिज्म इण्डस्ट्री के सिलसिले में हम आई. टी डी. सी. से बात कर रहे हैं। नये चेयरमैन की नियुक्ति होगी। उनको भी कहेंगे कि राजस्थान पर ज्यादा ध्यान देवें। जहां तक जालौर का सवाल है, माननीय सदस्य को पता होगा कि जयपुर में गलता जी भी इससे अधिक महत्वपूर्ण है लेकिन उसको भी हम उस हद तक डवलप नहीं कर पाये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। आपस में बात नहीं करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पर्यटन स्थलों के विकास के लिए आपने मापदण्ड निर्धारित किया है उसके आधार पर जो स्थान उपयुक्त होंगे उनका आप विकास करेंगे ? कृपया बताइये, वह मापदण्ड क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सबसे बड़ा मापदण्ड पैसे की अवेलेबिलिटी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछ लिया गया है। ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है रणकपुर। उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

माननीय सदस्य, यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे। प्रश्नकाल का समय महत्वपूर्ण होता है। एक घन्टे का समय होता है उसमें कई सवाल पूछे जा सकते हैं लेकिन 5-5, 6-6 माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं तो प्रश्न पूछे नहीं जा सकते। इस पर काफी चर्चा हो गई है।

अगला प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा !

मातृ शिशु कल्याण केन्द्र खोलने के मापदण्ड

193. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र खोले जाने के क्या मापदण्ड हैं ?

(2) क्या जमवा-रामगढ़ कस्बे में मातृशिशु केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (1) मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र खोले जाने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है :-

1. जन सहयोग से भवन, साजे-सामान एवं स्टाफ के लिए आवश्यकतानुसार दो वर्ष का खर्चा।

2. प्रस्तावित स्थान पर केन्द्र की आवश्यकता।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा शहरी डिस्पेन्सरी के साथ उपयुक्त भवन बनवाने का प्रस्ताव हो तो प्राथमिकता दी जाती है।

(2) अभी कोई विचार नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को बताना चाहती हूं कि वहां भवन भी है, वहां पर स्वास्थ्य इकाई है, वहां पर अच्छा चिकित्सालय है। इसके साथ-साथ स्टाफ के लिए आप दो वर्ष का खर्चा क्यों चाहते हैं यह मैं समझ नहीं पाई हूं। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि टूटू क्षेत्र में कोई भी मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र नहीं है इस कारण प्रसूताएं प्रसव के बीच में ही मर जाती हैं। वहां केन्द्र नहीं खोला गया तो, मंत्री महोदय, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह प्रश्न क्यों नहीं उठता। इसका उत्तर देने की कृपा करें, यह प्रश्न कब उठेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी यह मामला विचाराधीन नहीं है। हो सकता है कि फिर विचार हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा अभी मामला विचाराधीन नहीं है, यह आपने शायद फाइल नहीं देखी है। यह मामला बहुत दिनों से विचाराधीन था। अब आपको निर्णय लेना है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यह मामला बहुत जरूरी है। आपको विचार करके इसे खोलना चाहिये क्योंकि 48 माइल के एरिया में कोई भी प्रसूती केन्द्र नहीं है जहां प्रसूताओं को सुविधा दी जा सके। इसलिए आप इस पर विचार करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास विभाग से उत्तर आया है वह यही कहता है कि अभी विचाराधीन नहीं है फिर भी आप कहती हैं कि फाइल पेंडिंग है तो मैं देखूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने जो क्राइटेरिया तय किया है उसमें जन सहयोग की बात कही तो राजस्थान में जहां अत्यन्त गरीब लोग रहते हैं वहां पैसा जनता से तो मिलेगा नहीं आपको तो क्या वहां के लोग इससे वंचित रहेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोई अनिवार्य बात नहीं है। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान के नहरी क्षेत्र में यह सुविधा प्राप्त है। इसके अलावा हमारे रूरल एरियाज हैं वहां पर 225 प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स हैं वहां सुविधा प्राप्त है। इसके अलावा और भी जगह जहां मकान की सुविधा होती है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आवश्यकता हो तो विचार ही नहीं किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपका यह फर्माना था कि यह क्राइटेरिया जरूरी है। यह हमारा मापदण्ड है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस बात पर ध्यान रखा जाता है लेकिन इसका कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बार फिर बता दीजिये कि वह मापदण्ड क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है।

(व्यवधान)

(16)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जन सहयोग जहां भवन की निर्मिति हो तो जन सहयोग से जिन स्थानों पर भवन बने हुए हैं, जन सहयोग के ऊपर भवन तैयार हैं वहां इन तीन क्राइटेरिया में क्या आप प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि रूरल एरियाज में जहां पर प्राइमरी हैल्थ सेंटर हैं वहां सुविधा प्राप्त है। इसके अलावा जहां नहीं है जहां डिमाण्ड आती है, उस पर विचार किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जीतमल जैन !

सिंचाई विभाग द्वारा क्रय रोड़ी की उपादेयता

194. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छापरवाड़ा रेस्ट हाउस के पास पिछले 2 वर्ष के लगभग 2 लाख रुपये की रोड़ी सिंचाई विभाग के द्वारा खरीद कर रखी गई ? यदि हां, तो किस प्रयोजन से ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष महालेखाकार द्वारा ऑडिट के समय इस खरीद पर आपत्ति की गई है ? यदि हां, तो खरीदने वाले संबंधित अधिकारी के विरुद्ध राजकीय कोष का दुरुपयोग करने के अपराध में क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) छापरवाड़ा बांध की नहरों की लाइनिंग के लिए रोड़ी मार्च, अप्रेल, 78 में खरीदी गई है।

(2) जी हां। राजकीय कोष का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का कहना है कि 79 के अन्दर रोड़ी खरीदी गई। एक वर्ष के करीब हुआ, रोड़ी का उपयोग अब तक क्यों नहीं किया गया ? मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसमें अब तक 200 टन रोड़ी काम में आ चुकी है बाकी सीमेंट की कमी की वजह से काम नहीं आई।

श्री जीतमल जैन : इसका किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : बांध की लाइनिंग के लिए।

(व्यवधान)

श्री **श्रीराम गोटेवाला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 78-79 के अन्दर रोड़ी खरीदी गई उसमें से जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि 200 टन रोड़ी काम में आ चुकी है। बाकी नहीं आई। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन चाहता हूं कि वे जांच करवायें कि भूतपूर्व सरकार ने इतना निकम्मापन क्यों किया जिससे डेढ़ साल तक रोड़ी काम में नहीं आई। आप इसकी जांच करवाने का आश्वासन दीजिये। क्यों इस प्रकार की हरकतें हुई ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : इसकी जांच की जायेगी कि यह आज तक क्यों काम में नहीं ली गई।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया !

भूतपूर्व महाराणा उदयपुर के नियन्त्रणाधीन रहे कर्मचारियों को पेन्शन

195. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या महाराणा, उदयपुर के यहां कार्यरत भूतपूर्व कर्मचारियों को राज्य सरकार पेन्शन देती है ? यदि हां, तो किन-किन को एवं कितनी कितनी ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारी इससे वंचित रह गये थे ? यदि हां, तो सरकार का उनके बारे में क्या विचार है ?

उप-मंत्री (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां, राज्य सरकार ने कुल 1043 व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत की थी जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि आपने पेन्शन स्वीकृत की है यह किस तारीख से की है ? बीच में कहीं आपने पेन्शन बढ़ाने का अमेन्डमेन्ट किया है, राशि बढ़ायी है ? दूसरे क्या आपके पास ऐसे लोगों की एप्लीकेशन नहीं आई जो वे पेन्शन से वंचित रह गये क्योंकि वे ऑफिस के कागजातों की पूर्ति नहीं कर पाये और पिछले 10-15 वर्षों से वे लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं ? महाराणा उदयपुर ने भी पत्र व्यवहार किया है। इसके बारे में मन्त्री महोदय उत्तर दें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व मैं इसकी पृष्ठ-भूमि बता देना आवश्यक समझता हूं। भूतपूर्व महाराणा स्वर्गीय भूपालसिंह के समय भारत सरकार से पांच लाख रुपया प्रति वर्ष उनको ऐसे कामों के लिए मिलता था। तत्पश्चात् 5-7-55 से 5 वर्ष के लिये वर्तमान महाराणा भगवतसिंह के अनुरोध पर भारत सरकार ने दो लाख रुपया वार्षिक मन्जूर किया। अब तक 1043 लोगों को पेन्शन मिलती आई है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जिससे स्पष्ट हो जाता है। जिन जिन लोगों को तत्कालीन मेवाड़ गवर्नमेन्ट या स्वर्गीय महाराणा भूपालसिंह द्वारा पेन्शन दी जाती थी ऐसे 1043 व्यक्तियों को पेन्शन दी जा रही है। अब आपका जो प्रश्न रहता है कि 1971 में मास्टर ऑफ हिज हाइनेस हाउस होल्ड ने 277 कर्मचारियों को पेन्शन दिये जाने के लिये लिखा कि इनको भी पेन्शन दी जाए। इसके बारे में विस्तार से जांच करने पर मालूम हुआ कि तत्कालीन मेवाड़ सरकार ने इनको किसी भी प्रकार की पेन्शन नहीं दी थी। यद्यपि यह दयनीय स्थिति थी कि किसी की 60 वर्ष की अवस्था थी, कोई 50 वर्ष का था और कोई इससे कम आयु का था, मेरा निवेदन है कि इनके बारे में 19 सितम्बर,

(18)

(श्री रामपाल उपाध्याय)
1978 को भूतपूर्व जनता सरकार द्वारा विचार किया गया और इनको भत्ता नहीं देने के बारे में एक निर्णय लिया गया। उस निर्णय के आधार पर इन 277 व्यक्तियों को परवरिश भत्ता स्वीकार नहीं किया गया। मैं यह निवेदन कर रहा हूं-यह स्पष्ट हो गया है कि 277 व्यक्तियों के बारे में भूतपूर्व जनता सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि इनको अब किसी प्रकार का भत्ता देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है......

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरे पहले प्रश्न के......

श्री प्रद्युम्नसिंह : क्यों अपनी सरकार की काली करतूतें खुलवा रहे हैं।

(व्यवधान)

दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं किया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह मानवीय प्रश्न है। इसको राजनीति में न उलझावें। जो लोग आप की सूची में हैं उनको 5, 6, 10, 12 रुपया पेन्शन मिल रही है। क्या राज्य सरकार यह मंशा रखती है कि इस पेन्शन की राशि को बढ़ा कर 60/- रुपया कर दिया जाए? क्या राज्य सरकार इसको बढ़ाने की इच्छा रखती है?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य के इस मानवीय प्रश्न के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि 3-4-70 के आदेश के द्वारा भत्ते की दर बढ़ा कर 40/ रुपया 1-4-70 से कर दी गई है परन्तु कुछ कठिनाई के कारण इन व्यक्तियों को इन दरों पर अभी तक भुगतान नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में तात्कालिक कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार का निर्णय लिया है तो उनको उनकी देय राशि दी जाए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है। अधिक पूछने पर और खराब हो जाएगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो उत्तर आया है उससे प्राप्ति ही हुई है। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि जो 277 व्यक्ति रह गये हैं क्या उनके आप कागजों को मंगवा कर देखेंगे और इस पर पुर्नविचार करेंगे?

श्री रामपाल उपाध्याय : भूतपूर्व सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का यह सरकार आदर करती है...

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास। (प्रश्न संख्या 196)

राजस्थान कैनाल से सम्बद्ध गजनेर, कोलायत व बीकानेर माइनर

196. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या राजस्थान कैनाल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल से संबंधित गजनेर, कोलायत व बीकानेर माइनर को पिछले वर्ष बंद कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों?

(3) सरकार इन योजनाओं को पुनः कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

उप मंत्री, राजस्थान कैनाल (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) राजस्थान कैनाल परियोजना में गजनेर व कोलायत नाम की कोई माइनर नहीं है । बीकानेर माइनर का काम माह मई, 76 में प्रारम्भ किया गया था जो जून, 76 में बंद कर दिया गया था क्योंकि बीकानेर व उसके आस पास के क्षेत्र में पीने के पानी व उद्योगों के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, इसका निर्णय होना है ।

(2) बीकानेर माइनर का कार्य मई, 1976 में प्रारम्भ किया गया था किन्तु इसके तत्काल बाद बीकानेर शहर व आस पास के क्षेत्र में पीने का पानी, प्रस्तावित पलाना थरमल पावर प्लान्ट एवं अन्य उद्योगों के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, पर निर्णय होने तक यह कार्य जून, 1976 में बंद कर दिया गया । उपरोक्त बातों पर निर्णय होने पर ही कार्य पुनः चालू करने का निर्णय लिया जा सकेगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर परियोजना है जिस पर राजस्थान का भाग्य आधारित है और सारा भारतवर्ष इसकी ओर आंख उठा कर देख रहा है । मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष लगभग 9 करोड़ रुपया प्रस्तावित योजना के ऊपर खर्च किये जाने को था परन्तु वह राजस्थान नहर परियोजना पर व्यय नहीं किया जा सका जिसके कारण इसकी प्रगति में रुकावट आयी है । इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है और भविष्य में क्या सरकार इस नहर की प्रगति के बारे में प्रतिवेदन इस सदन में पेश करेगी ।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है उससे सरकार भी चिन्तित है । राजस्थान नहर परियोजना एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है । यह सही है कि गत वर्ष साढ़े आठ करोड़ रुपया लेप्स हो गया । सदस्य महोदय को आज के दिन यही निवेदन करना चाहूंगा कि अब सरकार पूर्णतया सजग है और समय समय पर इस योजना के प्रतिवेदन या माननीय सदस्यों को वैयक्तिक रूप से जैसा भी चाहेंगे उससे अवगत करना अपना कर्तव्य समझूंगा । इस राष्ट्रीय महत्व की योजना को कम से कम समय में पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह बजट क्यों लेप्स हो गया ? इसका क्या कारण है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): क्या राज्य सरकार की जानकारी में है, इसके लेप्स होने के रीजन्स क्या हैं यह तो मैं आपको बता दूंगा परन्तु इस योजना के जो फिजीकल टार्गेट्स थे वह सरकार ने पूरे अचीव कर लिये ?

(व्यवधान)

जितने रुपये में अचीवमेंट करना चाहिए था उससे कम रुपये में फिजीकल अचीवमेंट हो गये । यह सरकार के लिए तारीफ की बात है ।

श्री माणकलाल मेहता (पाली) : Why do you lapse the amount ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए छाया परिशिष्ट 1 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

मोतीराम कमीशन की सिफारिशों की क्रियान्विति

182. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मोतीराम कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है ? यदि हां, तो कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या इस कमीशन की सिफारिशों की क्रियान्विति से भाखड़ा, राजस्थान नहर तथा गंगनहर सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में सिंचन सघनता समान रूप से 80 प्रतिशत कर दी जायेगी ?

(3) भाखरा तथा गंगनहर परियोजनाओं पर कमीशन की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर कितनी धनराशि व्यय करने की आवश्यकता होगी ?

(4) अब कब तक कमीशन की सिफारिशों का क्रियान्वयन शुरू कर दिया जायेगा और कितने समय में काम पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, मोतीराम कमेटी की सिफारिशों के अनुसार गंग व भाखरा कमाण्ड से कुछ क्षेत्र राजस्थान नहर को स्थानान्तर करने थे। इसमें से कुछ क्षेत्र स्थानान्तरित किये जा चुके हैं बाकी क्षेत्र कुछ तकनिकी तथा वैधानिक कठिनाइयों के कारण स्थानान्तरित नहीं किये जा सके। अब इन क्षेत्रों को स्थानान्तर करने के स्थान पर इन नहर प्रणालियों को पक्का करके इन पर अधिक पानी देने के प्रस्ताव बनाये गये हैं जिनसे सिंचन सघनता 80% हो जावेगी।

(2) जी हां।

(3) गंग व भाखड़ा परियोजनाओं के आधुनिकरण की अनुमानित लागत क्रमशः 87.05 करोड़ व 44.80 करोड़ रुपये होगी।

इन दोनों परियोजनाओं के आकलन केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग को प्रस्तुत किए हुये हैं। उनकी सहमति प्राप्त होने तथा राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद धनराशि की उपलब्धि के अनुसार इन पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स, भीलवाड़ा में हड़ताल

184. श्री बन्सीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भीलवाड़ा स्थित मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स फोल्डिग खाते के लगभग 75 श्रमिकों ने गत 3 माह से हड़ताल कर रखी है ? यदि हां, तो श्रमिकों की क्या मांगें हैं और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

जी हां, श्रमिकों की मांगें निम्न हैं:—

(1) फोल्डिंग खाते की स्ट्रेन्थ जो 31-3-80 के पूर्व थी उसी के अनुसार श्रमिकों को रखा जावे।

(2) जिन ट्रेड अप्रेंटिसों को 31-12-79 तक कार्य करते हुए 240 दिन हो गये हैं, उन्हें 1-1-80 से वदली डायरी दिलाई जावे तथा 1-1-80 से उन्हीं के अनुसार वेतन का भुगतान कराया जावे।

(3) फोल्डिंग खाते के 4 और श्रमिकों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार स्थाई किया जावे।

राज्य सरकार ने असफल वार्ता प्रतिवेदन पर विचार कर श्रमिकों की मांगों को न्याय निर्णय हेतु औद्योगिक न्यायालय, उदयपुर को रेफर कर दिया है। रेफर करने के आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(आदेश के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

कोटा जिलान्तर्गत थाना कुवाई के थाना प्रभारी द्वारा लड़की का अपहरण

186. श्री हरसहाय मीणा (किशनगंज): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या कुछ समय पूर्व कोटा से प्रकाशित जननायक पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि कोटा जिला थाना कुवाई के थाना प्रभारी श्री अब्दुल शकूर द्वारा किसी लड़की का अपहरण किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह समाचार सत्य है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

इन आरोपों पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच की जा रही है तथा श्री अब्दुल शकूर को निलम्बित कर दिया गया है।

अलवर-भरतपुर के मेव मुसलमानों को जमीनों के दावों का निपटारा

187. श्री चाव खां (कामां): क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर-भरतपुर के मेव मुसलमानों की जमीनों के क्लेम अभी तक शेष हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर-भरतपुर के मुसलमानों से सम्वत् 2003 के खुद काश्त के क्लेमों के बदले में आवंटित किये गये रकबों पर सरकार 400 रु. प्रति बीघा कीमत वसूल कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस कीमत को समाप्त करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) सरकार अलवर-भरतपुर के मेव मुसलमानों के क्लेमों का भुगतान कब तक कर देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार से पूल लैण्ड के पेटे जो धनराशि उपलब्ध होनी है उसकी प्राप्ति में देरी होने के कारण ही क्लेम बाकी हैं।

(पुनर्वास मन्त्री)

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) भारत सरकार से स्वीकृति आने पर ही बकाया क्लेमों का भुगतान किया जावेगा।

राज्य लघु उद्योग नियम द्वारा आवंटित कोयला

188. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा पिछले 5 वर्षों में आवंटित कोयले के कोटे में से कितने व्यक्तियों को कितना कितना कोयला सीधा ही मूल स्थान से उठाने की अनुमति दी गई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अनुमति किन किन शर्तों के आधार पर दी गई? क्या यह सही है कि अधिकांश व्यक्तियों ने इन शर्तों का पालन नहीं किया? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) लघु उद्योग निगम द्वारा किसी भी इकाई को मूल स्थान से सीधा ही रेल द्वारा कोयला उठाने की अनुमति नहीं दी गई।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम भांवड़ा (नीम का थाना) में रावला की खान पर श्रमिकों की मृत्यु

190. श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गत मई माह में नीम का थाना कस्बे के निकट ग्राम भांवड़ा में श्री नन्दलाल रावला की खान पर सात श्रमिक कार्य करते समय खान में दब कर मर गये?

(2) क्या इस मामले की जांच की गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(3) नीम का थाना व उसके निकट क्षेत्र में अवस्थित पत्थर की खानों पर मजदूरों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था खान मालिकों द्वारा की गई है?

उत्तर

(1) जी नहीं। भांवड़ा में श्री नन्दलाल रावला की खान पर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति नहीं मरा।

(2) जी नहीं। जांच का प्रश्न ही नहीं रह जाता है।

(3) खानों पर मजदूरों की सुरक्षा के लिए खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत बनाये गये रेगूलेशन व नियमों के अनुसार खान मालिकों द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। खान मालिकों द्वारा व्यवस्था नहीं किये जाने पर भारत सरकार के खान सुरक्षा विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टोंक में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना

165. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या टोंक में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की योजना स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो उपरोक्त योजना कब से शुरू हुई? यदि नहीं, तो कब से चालू होगी? कृपया सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टोंक में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की योजना अभी विचाराधीन है।

नागौर जिले में दुग्ध उत्पादन व विक्रय की योजना

166 श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में दुग्ध उत्पादन व विक्रय के लिये सरकार की क्या योजना है ?

(2) नागौर तहसील के कौन-कौन से गांवों में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन हो गया है और कितना-कितना दुग्ध कहां-कहां जाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दुग्ध अवशीतन केन्द्र, नागौर मुख्यालय पर स्थापित कर प्रारम्भ करने की क्या कोई योजना विचाराधीन है ? यदि है, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्य जैसे पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, उन्नत चारा-उत्पादन एवं दुग्ध विक्रय हेतु मेड़ता सिटी स्थित अवशीतन केन्द्र की क्षमता बढ़ाई जा रही है तथा नागौर में एक नया अवशीतन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

(2) नागौर तहसील के 12 गांवों में नयादेरा, सावन्तीया, भीमसरा, मेड़, अलाय, सेकरण, जाखरिया, नीम की ढाणी कुचेरा, बन्धाना, डूंडवा, सिनोद में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन हो गया है। कितना कितना दूध और कहां-कहां जाता है की सूची सलंग्न है।

(3) जी हां। नागौर में अवशीतन केन्द्र स्थापित करने की योजना प्रारम्भ कर दी गई है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अजमेर डेयरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के संचालक मण्डल के चुनाव

167. श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद): क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अजमेर डेयरी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के संचालक मंडल के चुनाव हुए हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या वर्तमान संचालक मण्डल की कोई बैठक आज तक हुई है ?

(3) क्या डेयरी का वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर मण्डल की स्वीकृति ली गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी समितियां (संशोधित) नियम 1969 के नियम 32 (2) के अन्तर्गत चुनाव सम्पन्न नहीं कराये गये हैं।

(2) दि. 14-3-80 को आयोजित वर्तमान संचालक मण्डल की बैठक कोरम के अभाव में नहीं हो सकी।

(3) बैठक स्थगित होने के फलस्वरूप वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

चौमू स्थित न्यायिक अदालत के अधीन पुलिस स्टेशन रेनवाल एवं चन्दवाजी को लिया जाना

168. श्री तेजपाल (चौमू) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चौमू नगर में नव स्थापित मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में चौमू व गोविन्दगढ़ पुलिस स्टेशनों के कितने मुकदमे विचाराधीन हैं ?

(2) मुंसिफ मजिस्ट्रेट चौमू की अदालत में ऐसे कितने मुकदमे हैं जो दीर्घावधि से विचाराधीन चल रहे हैं ?

(3) क्या पुलिस स्टेशन रेनवाल किशनगढ़ व चन्दवाजी के अधीनस्थ ग्राम वासियों को सांभर व जयपुर की अदालत में उपस्थित होने पर अधिक आर्थिक भार उठाना पड़ता है ? क्या सरकार जनहित में चौमू अदालत के अधीन पुलिस स्टेशन रेनवाल एवं चन्दवाजी को देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1)	थाना चौमू	थाना गोविन्द-गढ़	योग
फौजदारी	519	218	737
दीवानी	150	37	187
(2) फौजदारी	350	133	483
दीवानी	129	24	153

(3) यह सही है कि किशनगढ़ रेनवाल के कुछ गांव सांभर से अपेक्षाकृत चौमू के नजदीक हैं परन्तु अन्य बातों को दृष्टिगत रखते हुए किशनगढ़ रेनवाल पुलिस स्टेशन सांभर के क्षेत्राधिकार में रखे गये हैं। चन्दवाजी पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आने वाले गांव चौमू के अपेक्षाकृत जयपुर के नजदीक हैं और आवागमन के सीधे साधन जयपुर से ही उपलब्ध हैं तथा चौमू न्यायालय में कार्य भी अधिक है। पुलिस स्टेशन का का वितरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सभी प्रकार की सुविधाओं को दृष्टिगत रख कर करते हैं जिसमें मुकदमों की संख्या, आवागमन के साधन आदि सम्मिलित हैं। बिन्दु संख्या (1) में दिये गये विवरण से स्पष्ट है कि चौमू न्यायालय में 900 से ऊपर मुकदमे विचाराधीन हैं। फिर भी इस संबंध में उच्च न्यायालय से परामर्श किया जाकर अपेक्षित कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत समिति गोविन्दगढ़ की सड़कें

170. श्री तेजपाल (चौमू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ के क्षेत्र में कितनी सड़कें अधूरी हैं, कितनी निर्माणाधीन हैं ? सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) चौमू से रेनवाल मार्ग पर मंडा-भिन्डा लिंकरोड, गोविन्दगढ़ से धोवलाई, सिंगोद, खेजरोली सड़क, सामोद से बांसा सड़क, बांसा से चोंथवाड़ी सड़क, बांसा से जाटावाली सड़क, इटावा भोपजी से चारणवास, अमरपुरा सड़क, चोंथवाड़ी से बिलोंची सड़क, चोंथवाड़ी से चोंप सड़क का मामला कितने समय से विचाराधीन है ? सरकार इनको कब पूरा करा देगी ?

उत्तर

(1) पंचायत, समिति गोन्विदगढ़ क्षेत्र में केवल दो सड़क अधूरी हैं एवं दोनों ही निर्माणाधीन हैं। यह सड़कें निम्न हैं:—

1. चौमू-रेनवाल सड़क से गिनोई (4 कि.मी.)

2. तिगरिया-धानोता सड़क (7 कि. मी.)

(2) छठी पंचवर्षीय योजना में निम्न सड़कें प्रस्तावित हैं :—

1. चोथवाड़ी लिंक रोड

2. चोथवाड़ी से चोंप सड़क गोविन्दगढ़ से धोबलाई सिन्गोद खंजरोली सड़क का केवल सिंगोद लिंक रोड प्रस्तावित है। शेष पांच सड़कें प्रस्तावित नहीं हैं।

ग्राम निम्बी जोधा से सुरपालिया तक डामर सड़क का निर्माण

171. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील लाडनूं, जिला नागौर के ग्राम निम्बी जोधा से सुरपालिया तक डामर की सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ?

(2) यदि हां, तो निर्माण कार्य की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) तहसील लाडनूं, जिला नागौर से ग्राम निम्बी जोधा में सुरपालिया तक डामर की सड़क स्वीकृत नहीं हुई। केवल नागौर देह से सुरपालिया सड़क छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(2) स्वीकृति न होने के कारण कोई प्रगति नहीं है।

नये उद्योग धंधों को दिए गए लाइसेंस

172. श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सन् 1977, 1978 व 1979 में कितने नये उद्योग धन्धों को 10 लाख की लागत पूंजी से ज्यादा के लाइसेन्स दिये गये ?

(2) राजस्थान उद्योग विकास एवं पूंजी विनियोजन निगम के सहयोग से निजी क्षेत्र में लगाये जाने वाले लाइसेन्सेज की क्या संख्या है ?

(3) इन दिये गये लाइसेन्सेज में से कितने उद्योग धन्धे स्थापित हुए ? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 10 लाख रुपये की लागत से अधिक के सन् 1977 में 40, 1978 में 19, व 1979 में 75 उद्योग धन्धों को लाइसेन्स/परमिट दिये गये।

(2) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम द्वारा निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना नहीं की जाती है। निगम द्वारा उद्योगों की स्थापना संयुक्त क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में की

(उद्योग मन्त्री)

जाती है। वर्ष 1977, 1978 व 1979 में निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र में लगाये जाने वाले लाइसेन्सों/परमिटों की संख्या 26 है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में निगम द्वारा 6 लाइसेन्स/परमिट धारियों को दीर्घावधि ऋण व 3 लाइसेन्स/परमिट धारियों को अंश पूंजी अभिदान उपलब्ध कराया गया।

(3) मद संख्या (1) में वर्णित लाइसेन्सों/परमिटों में से 22 लाइसेन्सों/परमिटों की क्रियान्विति हो चुकी है। बकाया लाइसेन्सों/परमिटों के क्रियान्वित न होने के मुख्य कारण ऋण स्वीकृति में देरी, आयातित मशीनों में विलम्ब, समय समय पर पावर की कटौति एवं निर्माण कार्य हेतु सीमेंट की कमी रहे हैं।

ग्राम अटरू (कोटा) में असामाजिक तत्वों द्वारा गणेशजी की प्रतिमा का खण्डन

173. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील अटरू, ग्राम अटरू के श्री गणेश की मूर्ति को किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा खण्डित कर दिया गया है जिसकी सूचना अटरू के ग्रामवासियों ने पुलिस व संबंधित जिला प्रशासन अधिकारियों को भी दे दी है?

(2) यदि हां, तो अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस सम्बन्ध में मुकदमा नं. 53 धारा 295 ता. हि. दिनांक 13-6-80 थाना अटरू, जिला कोटा में दर्ज कर 4 पुजारियों को गिरफ्तार किया गया है जो अदालत से जमानत पर हैं। मुकदमा जेर तफतीश है।

जैसलमेर जिले में ट्यूब वैल्स पर कार्य

174. श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : क्या भू-जल विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जैसलमेर जिले में कितने नये ट्यूब वैल्स पर कार्य शुरू किये गये हैं तथा कितने कुओं पर कार्य पूर्ण होकर उनकी रसायनिक जांच की गयी है।

उत्तर

जैसलमेर जिले में वर्ष 1978-79 से 1980-81 (जून, 80) तक कुल 15 नलकूप एवं 6 पीजोमीटर का निर्माण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

(क) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के लिए निर्मित नलकूप	10
(ख) विस्तृत सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूप	3
(ग) अन्य विभागों के लिये निर्मित नलकूप	2
योग नलकूप....	15
(घ) विस्तृत सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत निर्मित पीजोमीटर	6

इनमें से विस्तृत सर्वेक्षण हेतु निर्मित 3 नलकूपों तथा 2 पीजोमीटर के पानी के नमूनों की रसायनिक जांच की गई।

जयपुर जिले की सिंचाई व्यवस्था

175. श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुआ रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक जयपुर जिले में कितनी वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनायें क्रियान्वित की गई हैं ? तहसीलवार ब्यौरा व उन पर खर्च की गई धन राशि का विवरण देने का कष्ट करें। जिले में इस राशि का प्रति व्यक्ति औसत क्या आता है ?

(2) क्या जयपुर जिले की सिंचाई, जिसका मूल आधार कुआ है, के निरन्तर गिरते जा रहे जल स्तर की ओर सरकार का ध्यान गया है ? कुओं के जल स्तर को बनाये रखने के लिए क्या जिले के प्रत्येक नदी नालों पर हर तीन किलोमीटर पर एनीकट बनाये जाने वांछनीय हैं जिससे पानी के जमाव से भूमि का जल स्तर ऊंचा उठ सके ? क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है ? यदि हां, तो ऐसे कितने एनीकट बनाये गये हैं ?

(3) क्या विभिन्न सर्वेक्षणों व प्राविधिक समितियों द्वारा संकलित जलाभाव के संभावित खतरे के प्रति सरकार जागरूक है ? क्या आगामी बीस वर्षों में जयपुर जिले की कुओं से किया जाने वाला कृषि-उत्पादन पानी की कमी से बन्द हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं में कोई नई योजना क्रियान्वित नहीं की गई। लघु सिंचाई योजनाएं, जो क्रियान्वित की गईं, की सूची संलग्न है। जिले में इस राशि पर प्रति व्यक्ति 2.63 रु. खर्च आता है।

(2 भू-जल सर्वेक्षण के दौरान यह पता चला है कि जिले के कुओं का जल स्तर निरन्तर गिर रहा है। एनीकट बनाने की योजना राज्य सरकार के पास अभी कोई विचाराधीन नहीं है।

(3) जिले के भू-जल सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला है कि जिले में निरन्तर जल स्तर घट रहा है जिससे कृषि उत्पादन में पानी की कमी आ सकती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

सीकर जिले में हुई हत्यायें, राहजनी, बलात्कार आदि की घटनायें

177. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में 12 फरवरी, 1980 से लेकर 30 जून, 1980 तक कितनी हत्यायें हुईं, कितने डाके पड़े, कितनी आत्म हत्यायें की गईं, इसी प्रकार राहजनी, बलात्कार की कितनी घटनायें हुईं ?

(2) इनमें कितने केस दर्ज हुये, कितने अपराधी पकड़े गये तथा कितने लोगों का चालान किया गया, कितने केस इस समय विचाराधीन है ?

(3) डकैती एवं चोरी कितने रुपये की हुई एवं कितना माल बरामद किया गया ? सम्पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वाञ्छित सूचना संलग्न है।

(2) वाञ्छित सूचना संलग्न है।

(गृह मन्त्री)

(3) चोरी रुपये 5,50,458/- की हुई उसमें से 2,31,316/- का माल बरामद किया। कोई डकैती नहीं हुई।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

माही परियोजना के डूब में आये ग्राम

178. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या माही परियोजना के डूब में 56 गांव आ गये हैं ? यदि हां, तो उन सभी के नाम आबादी, कृषि भूमि का क्षेत्र, विद्यालय, औषधालय की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डूब में आये गांवों में से केवल खादू को पुनः बसाया जा रहा है, अन्य को नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, इस वर्ष (1980-81) के मानसून में माही बांध की डूब से केवल 34 ग्राम पूर्ण रूप से तथा 20 गांव आंशिक रूप से प्रभावित होने की सम्भावना है। प्रभावित होने वाले गांवों की सूची परिशिष्ट (क) तथा परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है जिसमें आबादी, कृषि भूमि, विद्यालय एवं औषधालयों, जो प्रभावित होंगे, अंकित किये गये हैं।

(2) नहीं। यह सत्य नहीं है। डूब से प्रभावित होने वाले समस्त ग्रामों के विस्थापितों को बसाने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस वर्ष मानसून में प्रभावित होने वाले 34 ग्रामों के समस्त विस्थापितों को कृषि भूमि का आवंटन कर दिया गया है। आंशिक रूप से प्रभावित होने वाले 20 ग्रामों के भी अधिकांश विस्थापितों को कृषि भूमि का आवंटन किया जा चुका है। शेष को इसी माह में किये जाने की सम्भावना है। प्रभावित निजी सम्पत्ति का मुआवजा भुगतान भी किया जा चुका है। जहां विस्थापित जाकर बस गये है वहां आवश्यक नागरिक सुविधाओं का निर्माण भी किया जा चुका है /किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

बनास नदी पर लिफ्ट सिंचाई योजना

179. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सवाई माधोपुर में चरण का दह (बनास नदी) पर लिफ्ट सिंचाई योजना राज्य सरकार के कई वर्षों से विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अब तक स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं और अब कब तक स्वीकार की जायगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना से तहसील बोंली व सवाई माधोपुर के कई ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा ढील बन्ध एवं भगवतगढ़ बन्ध से जिन गांवों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, वह कमी भी दूर होगी ?

उत्तर

(1) कई वर्षों से इस योजना के बारे में सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, इस योजना के

(सिंचाई मन्त्री)
अब तक स्वीकार नहीं होने के यह कारण हैं:—

1. इसमें 60 से 80 फीट तक पानी को लिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

2. नदी के किनारे बहुत कटे हुए हैं, तथा इस पानी का उपयोग करना बहुत कठिन एवं महंगा है ।

3. नदी के दोनों ओर के क्षेत्र में ढील और भावतगढ़ बांध की नहरें आती हैं ।

4. इन परिस्थितियों के कारण इस योजना के भविष्य में स्वीकार होने के सन्दर्भ में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(2) विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान के बाद ही इस विषय में कुछ कहना सम्भव होगा ।

कोटा नगर स्थित उद्योगों को चम्बल की सिंचाई नहर से जल प्रदाय

180. श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर में स्थित किन किन बड़े उद्योगों को चम्बल की सिंचाई नहर से पानी दिया जा रहा है ? यह पानी किस भाव से व किन शर्तों पर दिया जा रहा है ?

(2) क्या पानी देते समय कोई एग्रीमेंट इन उद्योगों से हुआ था ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि इन उद्योगों ने एग्रीमेंट के बावजूद उस दर से रकम कई सालों से राज्य कोष में जमा नहीं करवाई ? यदि हां, तो अब तक यह रकम जमा न करवाने पर कौन व्यक्ति दोषी है ? राज्य सरकार ने उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) इस क्षेत्र के किसान को चम्बल नहर से जो पानी दिया जाता है उसकी क्या दर है व उद्योगों की क्या दर है ? क्या दोनों की असमानता में भी अंतर नहीं ? विस्तृत जानकारी सदन में पेश करें ।

उत्तर

(1) कोटा नगर में स्थित निम्न उद्योगों को चम्बल सिंचाई नहर से पानी दिया जा रहा है जिसकी दर उनके सामने अंकित है तथा जिन उद्योगों से अनुबन्ध किया जा चुका है वह भी प्रत्येक के साथ अंकित किया गया है:—

क्र. सं.	उद्योगों के नाम	अनुबन्ध की स्थिति	मूल दरें
1	2	3	4
1.	मै. श्रीराम विनायल एण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्री, कोटा	अनुबन्धित	25 पैसे प्रति हजार घनफुट

(सिंचाई मन्त्री)

1	2	3	4
2.	मं. श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स	अनुबन्धित	25 पैसे प्रति हजार घनफुट
3.	मैसर्स श्रीराम रेयन्स, कोटा	अनुबन्धित	25 पैसे प्रति हजार घनफुट
4.	मैं. जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा लि.	अनुबन्ध स्वीकृति राज्य सरकार से अपेक्षित	25 पैसे प्रति हजार घनफुट
5.	मैं. जे. के. स्टेपल्स एण्ड टोइज, कोटा	,,	25 पैसा प्रति हजार घनफुट
6.	मैं. मल्टीमेटल्स लिमिटेड, कोटा	,,	25 पैसे प्रति हजार घनफुट
7.	मैं. प्रिमीयर पेपर एण्ड बोर्ड्स मिल्स, कोटा	,,	25 पैसे प्रति हजार घनफुट

(अनुबन्ध की प्रति संलग्न है)

(2) पानी देते समय उपरोक्त उद्योगों में से केवल देहली क्लोथ मिल्स के तीन उद्योगों से अनुबन्धित किया गया था, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। शेष का अनुबन्ध राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है और जो अपेक्षित है। देहली क्लॉथ मिल्स के उद्योगों के अलावा शेष सभी उद्योगों को नहर से पानी दिये जाने की दर एवं शर्तें इसी अनुबन्ध के अनुसार थीं। उपरोक्त दरों के अनुसार प्रत्येक उद्योग ने सिचाई दर का पूर्ण भुगतान कर दिया है। परन्तु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् सिंचाई की दर में 25 प्रतिशत तक वृद्धि होने का प्रावधान रखा गया था जिसके अन्तर्गत सिचाई दर संशोधित दर, प्रत्येक उद्योग के निम्न रूप से निर्धारित की गई जिसको कि मार्च, 1979 से लागू किया जाना निश्चित किया। परन्तु उद्योगों ने इस अनुमोदित दरों को स्वीकार नहीं किया और बढ़ी हुई दरों से आंकी हुई

(सिचाई मन्त्री)

राशि राज्य सरकार को भुगतान नहीं की जिसके फलस्वरूप उन पर निम्न बकाया निकाला जाता है :—

क्र. सं.	उद्योगों के नाम	अधीक्षण अभि. द्वारा बढ़ायी हुई दरें	फैक्टरियों द्वारा भुगतान की दरें	मार्च, 1979 से 31 मार्च, 80 तक बकाया राशि
1.	मै. श्रीराम विनायल एण्ड कैमिकल्स, कोटा	0.49	0.25	1,92,480.81
2.	मै. फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, कोटा	0.49	0.25	1,43,738.18
3.	मै. श्रीराम रेयन्स, कोटा	0.49	0.25	66,248.11
4.	मै. जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड, कोटा	1.00	0.31	90.583.71
5.	मै. जे. के. स्टेपल्स टोइज, कोटा	1.00	0.31	55,932.92
6.	मै. मल्टी मैटल्स लिमिटेड, कोटा	1.00	1.00	—
7.	मै. प्रिमीयर पेपर एण्ड बोर्ड्स मिल्स, कोटा	1.00	(अन्डर प्रोटेस्ट) भुगतान बकाया	2,910.48
	मार्च, 79 से अप्रेल 80, तक कुल योग :-			5,51,894.21

चूंकि अभी तक राज्य सरकार से संशोधित दरों का अनुमोदन अपेक्षित है अतः राज्य सरकार से इस विषय में प्रत्युत्तर प्राप्त होने के पश्चात् ही उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही संभव हो सकेगी क्योंकि यह नीति निर्धारण का मामला है। इस संबंध में किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(3) दाईं नहर खण्ड प्रथम, चम्बल परियोजना कोटा क्षेत्र के कृषकों को चम्बल नहर से जो पानी दिया जाता है उसकी नहर से पानी देने की राजस्थान सरकार द्वारा संलग्न तालिका में स्वीकृत दर से पिलाई वसूल की जाती है तथा जो कृषक लिफ्ट द्वारा चम्बल नहर का पानी लेता है उससे उक्त तालिका में वर्णित दर से आधी पिलाई ली जाती है तथा जो कृषक प्राकृतिक स्रोतों से पानी लेता है उससे किसी प्रकार की पिलाई नहीं ली जाती है।

कृषकों एवं उद्योगों को चम्बल नहर से जो पानी दिया जाता है, उन दोनों की पानी की दरों में भिन्नता है। आदेश की प्रति संलग्न है।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के गांवों का विद्युतीकरण

181. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने व कौन से गांव हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंची है ? उनमें से कितनों का सर्वेक्षण हो चुका है व शेष कितनों का सर्वेक्षण अभी होना है ?

(2) अब इन गांवों को सरकार कब तक बिजली उपलब्ध करवा देगी ?

उत्तर

(1) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र के अभी 99 ग्रामों में बिजली पहुंचाना शेष है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से 91 ग्रामों का सर्वेक्षण समय-समय पर किया जा चुका है। 8 ग्रामों का सर्वेक्षण किया जाना शेष है।

(2) उपरोक्त ग्रामों में से 62 ग्रामों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया जा चुका है तथा विद्युतीकरण का कार्य योजनानुसार प्रगति पर है। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में स्वीकृति से पूर्व कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ग्राम दुर्गापुरा (झालावाड़) में सड़क निर्माण कार्य

182. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

ग्राम दुर्गापुरा पंचायत समिति झालरापाटन, जिला झालावाड़ में 6 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गई है क्या निकट ही कोटड़ा खान अवस्थित है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य चालू किया जावेगा ?

उत्तर

कोटड़ा खान के निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं है। इस समय लुहाड़ियों की ढाणी सड़क की दो कि.मी. लम्बाई सड़क स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत 1 कि.मी. डामर हो चुकी है व दूसरा कि.मी. डामर प्राप्त होते ही वर्ष 1980-81 में पूर्ण होने की संभावना है।

हिन्डौन तहसील में 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन भूमि का आवंटन

183. श्री भरोसी लाल (हिण्डोन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि हिन्डौन तहसील में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो किन किन ग्रामों में किन किन व्यक्तियों को आवंटित की गई, किन किन व्यक्तियों को कब्जे दिये गये और कौन कौन से व्यक्तियों को नहीं ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

हां, यह सही है कि हिण्डोन तहसील में बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति के 1073 व्यक्तियों तथा अनुसूचित जन जाति के 40 व्यक्तियों को कुल 1113 व्यक्तियों को भूमि अलॉट की गई थी। ग्राम वार एवं व्यक्ति वार सूची संलग्न है।

(श्री भरोसीलाल)

इन समस्द आवंटियों को कब्जे दे दिये गये थे, एवं कोई भी व्यक्ति कब्जा देने से शेष नहीं रहा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जवाजा पंचायत क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण

184. श्री विष्णुप्रकाश बजारी (ब्यावर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जवाजा पंचायत के अन्तर्गत बड़ा खेड़ा, बरार, बन्ड, तारागढ़ पंचायतों के ग्रामों में बिजली पहुंचाने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

जी नहीं । इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

भाभाई जी की हवेली में नवनिर्मित पानी की टंकी

185. श्री कुन्जी लाल (वामनवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या धाभाई जी की हवेली में एक बड़ी पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो कब और उसमें कितना व्यय हुआ है ?

(2) क्या उस टंकी से सभी क्वार्टर्स में पानी के कनेक्शन दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन में और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्य से इस विभाग द्वारा करवाया गया है ।

(2) चूंकि यह कार्य जलदाय विभाग द्वारा किया गया है इसलिए इसकी जानकारी जलदाय विभाग से प्राप्त की जा रही है ।

प्रान्त में विद्युत् का उत्पादन व खपत

186. श्री केसरी चन्द चौधरी (किशनगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सन् 1976-77 में राजस्थान में विद्युत् का उत्पादन व खपत कितने मेगावाट या किलोवाट थी, तथा सन् 1977,78,79 में विद्युत् का उत्पादन व खपत कितने मेगावाट या किलोवाट थी ?

(2) क्या सन् 1977,78,79 में विद्युत् उत्पादन की कोई नई व्यवस्था की गई ? यदि हां, तो कितने मेगावाट या किलोवाट की ?

(3) सन् 1977,78,79 में कितने मेगावाट या किलोवाट की खपत 1976 के मुकाबले बढ़ाई गई, इसमें कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र व घरेलू विद्युत् की अलग अलग मेगावाट या किलोवाट की जानकारी दी जाये ।

(4) क्या सन् 19 7,78,79 में सरकार की विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई नई योजना प्रस्तावित थी ? यदि हां, तो इन योजनाओं की क्रियान्विति की क्या स्थिति है ?

(विद्युत् मन्त्री)

उत्तर

(1) उत्पादन क्षमता व खपत वर्ष 1976-77 से 78-79 तक निम्न तालिका में दिखाई गई है:—

वर्ष	उपलब्धि		खपत	
	स्थापित क्षमता मेगावाट	किलोवाट आवर मिलियन यूनिट	मेगावाट	किलोवाट आवर मिलियन यूनिट
1976-77	882.58	2457.24	570	3220.74
1977-78	952.86	2816.86	560	2268.00
1978-79	1022.00	3604.75	706	2600.72

(2) जी हां। प्रत्येक वर्ष में निम्न प्रकार से मेगावाट उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई:—

वर्ष	मेगावाट उत्पादन क्षमता
1977-78	136.2
1978-79	70
1979-80	66

(3) खपत मेगावाट अथवा किलोवाट में नहीं अपितु किलोवाट घन्टे (यूनिट) में मापी जाती है। वर्ष 1976-77 के मुकाबले वर्ष 1977-78 एवं 1978-79 में खपत निम्न प्रकार रही: —

	खपत (मिलियन यूनिट में)			वर्ष (1976-77 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	
	1976-77	1977-78	1978-79	1977-78	1978-79
1. कुल ऊर्जा खपत/विक्रय (राज्य के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को)	2107.396	2267.980	2600.719	7.62	23.41
2. कृषि क्षेत्र	429.882	448.447	511.675	4.31	19.02
3. औद्योगिक क्षेत्र	1239.235	1337.065	1556.992	7.89	25.69
4. घरेलू	134.600	158.433	1[illegible]7.978	17.79	32.32

(विद्युत मन्त्री)

(4) वर्तमान में दो नयी योजनाओं पर कार्य चल रहा है जिसमें से एक कोटा ताप विद्युत गृह जिसकी क्षमता 110 मेगावाट है व दूसरी माही पन विद्युत गृह योजना है। कोटा ताप विद्युत गृह की प्रथम इकाई सम्भवत अप्रैल, 82 में तथा दूसरी इकाई अक्टूबर, 82 में उत्पादन प्रारम्भ कर देगी। माही परियोजना के अन्तर्गत दो पावर हाउसों का निर्माण किया जा रहा है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार दोनों पावर हाउस वर्ष 1982-83 में उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे।

तहसील चौहटन व शिव में किसानों के कब्जों का नियमितिकरण

187. श्री अहमदबख्श सिन्धी (जोधपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील चौहटन व शिव में कितने किसानों के कब्जे नियमन योग्य थे ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे किसानों के कब्जे नियमित नहीं किये गये और कागजी तौर पर पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को ऐसी जमीनों का आवंटन कर पुलिस द्वारा जबरन कब्जा दिलवाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे पुराने काश्तकारों की जमीन पर कब्जा होने पर भी भूतपूर्व सरकार ने पिछले वर्ष उन लोगों का कब्जा रेकार्ड में नहीं बतलाया और उनकी काश्त उन शरणार्थियों के नाम लिखी गई ?

(4) क्या सरकार उनकी बेदखलियां कर व गैर कानूनी कार्यवाहियों को रोकने का तुरन्त कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) प्रचलित राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला बाड़मेर की तहसील चौहटन एवं शिव तथा सभी डी. पी. ए. पी. जिलों में सामान्य आवंटन पर प्रतिबंध है। इससे पूर्व के कब्जे 1-1-71 तक के तहसील चौहटन में नियमन योग्य 352 थे एवं तहसील शिव में दो मामले थे। तहसील चौहटन के 352 मामलों में से 291 मामलों का नियमन किया जा चुका है तथा तहसील शिव के दोनों ही मामले नियमन किये जा चुके हैं। शेष रहे 61 मामलों में से 38 मामलों में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने से नियमन की कार्यवाही रुकी हुई है। 23 मामलों में शरणार्थियों को आवंटन हो जाने से उनकी कार्यवाही तहसील स्तर पर भूमि तब्दील करने हेतु विचाराधीन है।

(2) जी नहीं, उपरोक्त प्रश्न सं. 1 अनुसार दिनांक 1-1-71 तक के ऐसे किसानों के कब्जे नियमन कर दिये गये हैं। पाक से आये शरणार्थियों में सभी धर्म के व्यक्ति हैं और जिला पुनर्वास अधिकारी बाड़मेर के रिकार्ड के अनुसार जो शरणार्थी है। उनको राजकीय भूमि का आवंटन किया गया है यह आवंटन नियम 17 के तहत किये गये हैं।

(3) जी नहीं, यह सही नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुशलगढ़ के ग्रामों व कुओं का विद्युतीकरण

188. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र के कितने गांवों में विद्युतीकरण का काम चल रहा है और आगामी वर्ष तक कितने अन्य गांवों तक बिजली पहुँच जावेगी ?

(2) इस क्षेत्र के कितने कुओं पर बिजली का कनेक्शन दिया गया था तथा कितने कुओं पर बिजली का कनेक्शन चालू है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे कुओं पर भी कनेक्शन दे दिये गये जहां पानी नहीं होने के कारण तुरन्त बाद में कनेक्शन बन्द करने पड़े लेकिन आसपास के गांवों में चालू कुओं पर आज तक भी कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ तहसील क्षेत्र के लिये सज्जन पंचायत समिति के 86 गांवों के विद्युतीकरण की एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना स्वीकृत की गई है, जिसके फेजिंग के अनुसार वर्ष 1980-81 में 38 तथा वर्ष 1981-82 में 24 गांवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

(2) कुशलगढ़ तहसील क्षेत्र में 196 कुओं पर कृषि हेतु विद्युत् कनेक्शन दिये गये थे जिनमें से 155 के कनेक्शन चालू हैं।

(3) कुओं के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिये जाते है तथा जो कनेक्शन काटे गये हैं वे विद्युत् बिलों का भुगतान प्राप्त न होने के कारण काटे गये हैं। जिन कुओं के बिजली कनेक्शन के लिये प्रार्थना - पत्र प्राप्त हुए हैं, उन पर कनेक्शन देने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

मण्डावा से वाया कुहाड़ कुलड़ियों की ढाणी सड़क का निर्माण

189. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मण्डावा विधान सभा क्षेत्र में मण्डावा से बिसाऊ वाया कुहाड़ कुलड़ियों की ढाणी सड़क लम्बे अर्से से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो अब तक यह सड़क क्यों नहीं पूरी की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि तीन किलोमीटर में डामर डाली हुई है और बाकी सड़क कार्य अर्से से बन्द है ? यदि हां, तो अब तक राज्य सरकार ने इस सड़क का निर्माण क्यों रोक रखा है और इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) मण्डावा से बिसाऊ सड़क निर्माणाधीन नहीं है।

(2) हां यह सही है कि 3½ कि. मी. की दूरी मण्डावा से बिसाऊ में डामर डाली हुई है और आगे वित्तीय स्वीकृति के अभाव में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।

बाली स्थित सरकारी डाक बंगला

190. **श्री असलम खां** (बाली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाली स्थित सरकारी डाक बंगले में गत 1977 से 79 तक कितने विजिटर्स ने प्रवास किया ? वर्ष वार बताया जावे ?

(2) उपरोक्त तीन वर्षों में डाक बंगले से कुल कितनी आय हुई तथा रख रखाव पर कितना व्यय हुआ ?

(3) उक्त डाक बंगला जो कि नगर से 1½-2 किलोमीटर दूर है, तक पाइप लाइन कब और किस के आदेश से बिछाई गई ? इस पर कुल कितना व्यय हुआ ? क्या यह पाइप लाइन डाक बंगले के लिए बिछाई गई है ?

उत्तर

(1) बाली में डाक बंगला नहीं है। वहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का रेस्ट हाउस है। रेस्ट हाउस शहर से करीबन 3-3½ कि. मी. दूर है व वहां पर बिजली व पानी के अभाव के कारण विजिटर्स प्रवास नहीं करता। गत 1977-79 तक किसी विजिटर्स ने प्रवास नहीं किया।

(2) उपरोक्त तीन वर्षों में किसी ने प्रवास नहीं किया इसलिए आय शून्य रही। इसकी निगरानी हेतु एक चौकिदार रखा हुआ है व रेस्ट हाउस एवं सार्वजनिक विभाग की स्टोर की निगरानी रखता है। स्टोर रेस्ट हाउस के अहाते में आया हुआ है। जिसका सालाना व्यय 3,600/- रुपया है।

(3) इस विभाग द्वारा कोई पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है, और न ही उक्त रेस्ट हाउस में पानी व बिजली की व्यवस्था है।

अजमेर नगर में घटित अपराध

191. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जनवरी, 1977 से जनवरी, 1980 तक अजमेर नगर में कितने अपराध दर्ज किये गये ? संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जनवरी, 1979 से जनवरी, 1980 तक अजमेर नगर में कुल 871 अपराध दर्ज हुए हैं। अपराध वार सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

तहसील बिलाड़ा में बासनी खेड़ा जलप्रदाय योजना

192. **श्री रामनारायण डूडी** (बिलाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जल प्रदाय विभाग द्वारा जोधपुर जिला, तहसील बिलाड़ा में बासनी से खेड़ी योजना कब से चालू है !

(2) इस जलदाय योजनान्तर्गत कितने ग्रामों को पानी दिया जाता है? क्या पानी इस योजना में आये सभी ग्रामों को उपलब्ध हो रहा है ?

(श्री रामनारायण हूंडी)

(3) इस योजना पर कितने नल कूप है तथा इन नल कूपों की प्रति घन्टा पानी निकालने की अलग अलग क्या क्षमता है ?

(4) क्या इस योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिए दूसरी जगह नल कूप खोद कर ग्राम राजकुड़िया में बने हौज में पानी लाया जाय तथा वहां से बूस्टर द्वारा पानी आगे के गांवों को दिया जाय क्या ऐसी योजना विचाराधीन है ? यदि है, तो वह कब तक पूर्ण हो जायेगी।

उत्तर

(1) योजना वर्ष 1972-73 से चालू है।

(2) योजना के अन्तर्गत 12 गांव आते हैं। स्रोत में पानी की कमी होने के कारण 8 गांवों को ही पानी पहुंच रहा है। जिन 4 गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है वह हैं (1) भुडाणा (2) मलार, (3) खेड़ी सालवा (4) सालवा खुर्द।

(3) वर्तमान में इस योजना पर वासनी ग्राम में दो नलकूप हैं। इनकी क्षमता निम्नानुसार है :-

1. नलकूप संख्या 1 क्षमता 5 हजार गैलन प्रति घन्टा।

2. नलकूप संख्या 2 क्षमता 2 हजार गैलन प्रति घन्टा।

(4) योजना पर जल उत्पादन बढ़ाने हेतु सर्वेक्षण प्रस्तावित है। आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही योजना के पूरा होने का समय देना सम्भव होगा।

देवास योजना

193. श्री भैरूलाल (उदयपुर-ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

देवास योजना के द्वितीय व तृतीय चरण को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

देवास योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण की योजना सिंचाई विभाग द्वारा उदयपुर जिले के औद्योगिक विकास की जल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित की गई थी। इन दोनों योजनाओं की अनुमानित लागत 1972 के अनुमानों के अनुसार लगभग 9 करोड़ रुपये थी। यह लागत अब और भी अधिक होगी। छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप स्वीकृत होने पर वित्तीय साधनों की उपलब्धियों को देखते हुए ही इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में कहा जा सकेगा।

राजस्थान नहर के निकटस्थ क्षेत्रों का विकास

194. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान नहर जिन क्षेत्रों में अब तक पहुंच चुकी है उसके आस-पास के क्षेत्रों के विकास की क्या योजनायें हैं और योजनाओं के अन्तर्गत अब तक क्या क्या कार्य किये गये हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान नहर के प्रथम चरण के कुल क्षेत्र 5.4 लाख है, को सिचाई के उप-

(राजस्थान नहर मन्त्री)

योग के लिये तैयार कर दिया गया है, इस क्षेत्र में 3.4 लाख हैक्टेयर में सिंचाई का कार्य चालू है। उपरोक्त 3.4 लाख हैक्टेयर में से 2 लाख है. फेज 1 स्टेज 15 विश्व बैंक (आई. डी. ए.) की सहायता से विकसित किया जा रहा है तथा 2 46 लाख है. फेज 2 स्टेज 15 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की सहायता से विकसित किया जा रहा है।

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 2 लाख है. भूमि में सिंचित क्षेत्र विकास कार्य-क्रम अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (विश्व बैंक) की सहायता से 139.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जून 1974 में आरम्भ की गई थी, जिसके अन्तर्गत फेज-1 स्टेज-1 क्षेत्र में 915 कि. मी. नहरों को पक्का करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले 651 कि. मी. नहरों को मार्च, 1980 तक पक्का किया जा चुका है, 2 लाख हैक्टेयर में खालों को पक्का करने का लक्ष्य था जिसके मुकाबले मार्च, 1980 तक 1.12 लाख हैक्टेयर में खालों को पक्का किया जा चुका है, 451 कि. मी. जिला व ग्रामीण सड़कें बनाने का लक्ष्य था जिसके मुकाबले मार्च, 1980 तक 372 कि. मी. सड़कें निर्माण की जा चुकी है, 8,000 हैक्टेयर में वृक्षारोपण व व 35,000 है, में चरागाह विकास के कार्य का लक्ष्य था, जो मार्च, 1980 तक पूर्ण किया जा चुका है, 100 स्वास्थ्यप्रद डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसके मुकाबले मार्च, 1980 तक 91 डिग्गियां पूर्ण की जा चुकी हैं, शेष सभी लक्ष्य जून, 1982 तक पूर्ण कर लिये जाने की सम्भावना है।

फेज-2 स्टेज 1 के 2.46 लाख है. क्षेत्र को विकसित करने लिए प्रोजेक्ट में 93 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह प्रोजेक्ट माह जनवरी, 1980 से प्रारम्भ किया जा चुका है तथा माह मार्च, 1985 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस प्रोजेक्ट में 2.46 लाख है. क्षेत्र में खालों को पक्का करने का कार्य 60,000 है, में भू-सर्वेक्षण, 540 कि. मी. सड़कों का निर्माण तथा साधारण, 80 स्वास्थ्यप्रद डिग्गियों के निर्माण का कार्य तथा 9,000 "रो" कि.मी. में वृक्षारोपण, 1 850 है. में जलाने की लकड़ी के लिए वृक्षारोपण और 31,000 है. में चरागाह विकास के लक्ष्य रखे गये हैं। उपरोक्त दोनों प्रोजेक्ट के समान ही स्टेज-2 के 1.50 लाख है, क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार की जा रही है जिसके दो भाग हैं तथा स्टेज-2 के प्रथम फेज के लिए इस वर्ष 36.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

प्रोजेक्ट में दिये गये मुद्दों के अलावा बजट प्रावधानों से कृषि विस्तार का कार्य कृषि साधन उपलब्ध कराने का कार्य, कृषि अनुसंधान का कार्य मण्डी तथा ग्रामों के विकास का कार्य भी सी. ए. डी. के तहत किया जा रहा है।

जिला भरतपुर के गांवों का विद्युतीकरण

195. श्री चाव खां (कामां) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर में अब तक कितने प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हो चुका है ? पृथक् पृथक् तहसीलों का विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(401)

(श्री चाब खां)

(2) कामां और नगर तहसील में कब और कितने-कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया और कितने गांव शेष हैं ?

(3) कामां और नगर तहसील का शत प्रतिशत विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 1979-80 के अन्त तक 37.15 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है: —

क्रमांक	तहसील	प्रतिशत विद्युतीकरण
1	कामां	22.82
2	नगर	21.81
3	डीग	46.36
4	नदबई	31.53
5	भरतपुर	75 93
6	वैर	100.00
7	बयाना	22.29
8	रूपवास	11.26
9	बसेड़ी	3.38
10	बाड़ी	9.32
11	धौलपुर	12.84
12	राजाखेड़ा	23.42

(2) कामां तथा नगर तहसीलों में वर्ष वार विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या तथा शेष ग्रामों की संख्या निम्न प्रकार है:—

वर्ष	कामां	नगर
1964-65	—	1
1965-66	—	1
1966-67	2	7
1967-68	—	—
1968-69	—	1
1969-70	3	1
1970-71	—	1
1971-72	—	—
1972-73	14	—
1973-74	14	8
1974-75	6	—
1975-76	3	—
1976-77	3	—
1977-78	—	—
1978-79	6	11
1979-80	4	5
विद्युतीकृत ग्रामों का योग	55	36
शेष अविद्युतीकृत ग्राम	186	129
कुल ग्रामों की संख्या	241	165

(3) शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की अभी कोई स्वीकृत योजना नहीं है अतः इनके विद्युतीकरण के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

विद्युत भार बढ़ाने के सन्दर्भ में नये प्रस्तावित सब-डिवीजन

196. श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा-मालानी) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में 132 के. वी. ए. के ग्रिड सब-स्टेशनों का निर्माण छठी योजना में कहां-कहां प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) 132 के. वी. ए. ग्रिड सब-स्टेशन का स्थान चयन करने के क्या आधार हैं ?

(3) विद्युत भार बढ़ाने के फलस्वरूप राजस्थान में नये सब-डिवीजन कहां-कहां बनाने प्रस्तावित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) नये सब-डिवीजन बनाने के आधार व मापदण्ड क्या हैं।

उत्तर

(1) सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 132 के. वी. सब-स्टेशन के लिए स्थान का चयन करने के लिये विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुये विद्युत प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मेगावाट माइल्स एवं वोल्टेज रेगुलेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर जो जगह उपयुक्त समझी जाती है वहीं सामान्यतया 132 के. वी. सब-स्टेशन स्थापित किया जाता है।

(3) विद्युत भार के आधार पर सब-डिवीजन कायम नहीं किये जाते हैं। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये कुछ नये सब-डिवीजन बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं जिनके औचित्य की जांच पड़ताल कार्यभार, स्टाफिंग पेटर्न व मितव्ययता को ध्यान में रखते हुये मण्डल सचिवालय में की जा रही है।

(4) नये सब-डिवीजन मण्डल द्वारा सन् 1969 में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के आधार पर बनाये जाते हैं। उन आधारों में चार ओ. एण्ड. एम. सब-ऑफिस या 3 से 5 कम्पोजीट सब ऑफिस या किसी एक बस्ती में 5 हजार से अधिक उपभोक्ता होना प्रमुख है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

खादी (दातडा) बांध की नहरें पक्की कराना

197. श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में खादी (दातड़ा) बांध की नहरें पक्की करने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(2) क्या यह बंध हर वर्ष भर जाता है ? यदि हां, तो जन व पशुधन की सुरक्षा व अधिक सिंचाई सुविधा की दृष्टि में इसकी ऊंचाई बढ़ाने पर विचार किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी नहीं।

कमाठी बांध (वाली)

198. श्री असलम खां (वाली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाली राजस्व वृत्त में निर्मित कमाठी बांध के सर्वप्रथम सुझाव किसके द्वारा रखे गये तथा किस आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई?

(2) इस बांध पर कुल कितना व्यय हुआ? यह बांध बनाया गया है या एनीकट कृपया स्पष्ट करें।

(3) कुल कितनी जमीन में सिंचाई होगी तथा छोटे काश्तकारों की संख्या कितनी है? जातिवार काश्तकारों की सूची बतावें।

(4) क्या लागत के हिसाब से हो रही सिंचाई आर्थिक दृष्टि से सही है?

(5) क्या यह सही है कि कमाठी बांध का कमांड एरिया निर्धारित कमाण्ड से कम है या काबिल काश्त नहीं है?

उत्तर

(1) बाली राजस्व वृत्त के कमाठी बांध के निर्माण हेतु सुझाव सर्वप्रथम पंचायत बीजापुर, तहसील बाली ने अपने प्रस्ताव संख्या 11, दिनांक 19-3-78 द्वारा किया जो कि उन्होंने अपने पत्र सं. 151, दि 23-3-78 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई, पाली को भेजा। तत्पश्चात इस कार्य का डी. डी. पी. के कार्यों के प्रस्तावों के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में जिला विकास अधिकरण ने अपनी शिफारिस से स्वीकृति हेतु भिजवाया, जिस पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) इस बान्ध पर 1.82 लाख रुपये खर्च हुए हैं। यह एक लघु सिंचाई योजना है, एनीकट नहीं है।

(3) इसकी वार्षिक सिंचाई 78 एकड़ आंकी गई है, इससे छोटे काश्तकार 50 लाभान्वित होंगे, जातिवार सूची निम्न है:—

भील	16
राम्बी	9
मीना	14
हरिजन	1
अन्य	10
योग	50

(4) जी हां, सही है।

(5) कमाठी बांध का एरिया निर्धारित कमांड के अनुसार ही है एवं भूमि काबिले काश्त है।

बाड़मेर जिले में तस्करी के मामले

200. श्री अमीन खां (शिव): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले के थाना गिराव, गडरा रोड, रामसर, बिगडीभार, चौहटन, सेड़वा, बाखासर, शिव व बाड़मेर में सन् 1971 से आज तक शरणार्थियों द्वारा तस्करी के कितने मामले पकड़े गये व कितने शरणार्थियों के खिलाफ पाकिस्तान सीमा पार करने के अपराध दर्ज हुए?

(श्री अमीन खां)

(2) तस्करी करने वाले शरणार्थियों को क्या भारत की नागरिकता दी गई है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971 से जून, 1980 तक बाड़मेर जिले में शरणार्थियों द्वारा तस्करी के वर्ष व थानेवार मामले निम्न प्रकार से पकड़े गये: —

वर्ष 1971 कोई नहीं।

वर्ष 1972 सेडवा में एक, चौहटन में एक।

वर्ष 1973 सेडवा में एक, चौहटन में तीन और बाखासर में 9।

वर्ष 1974 रामसर में दो, सेडवा में एक, गिराब में तीन, चौहटन में दो व बाखासर में पांच।

वर्ष 1975 चौहटन में पांच, सेडवा में एक।

वर्ष 1976 बाखासर में एक, सेडवा में एक व चौहटन में दो।

वर्ष 1977 कोई नहीं।

वर्ष 1978 बिजराड में तीन व सेडवा में तीन।

वर्ष 1979 गडरा-रोड में एक, सेडवा में एक व बिजराड में तीन।

वर्ष 1980 बाड़मेर में एक, शिव में एक, बाखासर में एक, सेडवा में दो, गडरा रोड में एक व बिजराड में 6।

इस अवधि में अवैध रूप से भारत-पाक सीमा पार करने सम्बन्धी अपराध 111 शरणार्थियों के विरुद्ध पंजीबद्ध हुये।

(2) नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन जो शरणार्थी नागरिकता के पात्र थे उन्हें नागरिकता दी गई है।

ऋषभदेव (उदयपुर) के पास मोटर दुर्घटना से श्री गोकला मीणा की मृत्यु

201. **श्री देवेन्द्रकुमार (सराड़ा)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि ऋषभदेव (उदयपुर) के पास श्री गोकला पिता ताजू मीणा की किसी मोटर एक्सीडेन्ट से मृत्यु हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि घटना स्थल पर पुलिस द्वारा उक्त मोटर तथा ड्राईवर को पुलिस हिरासत में लिया गया था, मगर उसे बिना कार्यवाही छोड़ दिया ?

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस द्वारा गोकला के परिवार को मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना।

(4) क्या यह भी सही है कि इस केस को दबाने हेतु थानेदार, ऋषभदेव ने श्री गोकला के पुत्र की पिटाई की थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस मामले में थानेदार, ऋषभदेव को मोअत्तिल करने की रिपोर्ट तहसीलदार एस. पी. साहब, उदयपुर को दी थी ? यदि हां, तो उस पर

(श्री देवेन्द्र कुमार)
अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त केस को दबाने हेतु थानेदार साहब, ऋषभदेव ने श्री चुन्ना की पिटाई की थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस पिटाई के बाद श्री चुन्ना का डॉक्टरी सर्टिफिकेट एस. पी. साहब, उदयपुर को पेश किया था ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वाहन एवं ड्राइवर को न्यायालय के आदेश पर छोड़ा गया।

(3) जी नहीं।

(4) मामले में जांच जारी है।

(5) थानेदार ऋषभदेव को थाने से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया है। उसके विरुद्ध की गई शिकायत की जांच उप अधीक्षक, सलूम्बर द्वारा की जा रही है। जांच के बाद उचित कार्यवाही की जायेगी।

(6) जांच जारी है। प्रस्तुत डॉक्टरी सर्टिफिकेट पर जांच जारी है।

बधाई संदेश
ओलम्पिक में भारतीय हाकी टीम को विजय

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मास्को ओलम्पिक हाकी में भारत को महत्वपूर्ण विजय मिली है, सारा सदन प्रसन्नचित है इसमें प्रधान मंत्री की बधाई भी आयी है। मैं सदन के नेता महोदय से आग्रह करूंगा कि वे राजस्थान विधान सभा की ओर से बधाई संदेश भेजें।

श्री अध्यक्ष : भारत ने हाकी में स्वर्ण पदक जीता है, मास्को ओलम्पिक में सदन के नेता महोदय, आपसे ये निवेदन कर रहे हैं आसन के माध्यम से कि उनको बधाई संदेश भेजा जाये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं उनको बधाई संदेश भेज चुका हूं। और सदन की ओर से भी भेज दूंगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्वश्री भगवानदास शास्त्री एवं कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर शहर में विगत 15 दिनों से नगर परिषद् के कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों के चबूतरों को तोड़ने एवं तख्तों को हटाने के विषय में।

(2) सर्वश्री हंसराज शर्मा व कुंजीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्बा बौंली जिला सवाई माधोपुर में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से वन काटने के लिए गये हुए व्यक्तियों की पिटाई से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

(3) सुश्री पुष्पा जैन एवं सर्वश्री भूपालसिंह, उम्मेदसिंह व चन्द्रवीरसिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से सूखे से

(श्री अध्यक्ष)

पीड़ित किसानों को इस वर्ष सहकारी एवं कृषि विभाग द्वारा खरीफ की बुवाई के लिये तकावी नहीं दिये जाने की घटना के विषय में।

(4) सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर व अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अकाल की स्थिति के बावजूद राजस्व विभाग द्वारा झालावाड़ एवं कोटा जिलों में वसूलियां तथा कुर्कियां करने के विषय में।

(5) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर के काश्तकारों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अल्प संख्या वर्ग के काश्तकारों के आवंटन उप-निवेशन विभाग द्वारा रद्द किये जाने के विषय में।

(6) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर मेटल्स एवं इलेक्ट्रिकल्स के मजदूरों द्वारा गत 29 मई से किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है एवं जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(7) श्री रामरघुनाथ चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में चालू क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं का लाभ गांवों को न मिलने के विषय में।

इस प्रस्ताव को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जा रहा है और यह सदन में 1 अगस्त को लिया जावेगा। अतः मैं इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) सर्वश्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, जीतमल जैन, डॉ. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगापुर से बांदरा कसाई खाने के लिये गोवंश का बड़ी संख्या में निर्यात होने के विषय में।

यह प्रश्न किसी घटना विशेष से संबंधित नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(9) सर्वश्री नन्दलाल मीना, बंशीलाल पटवा, गोपाल पचेरवाल व दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा ने प्रतापगढ़ तहसील के गांव कोलवी में गत 22 जुलाई को पड़ी एक डकैती तथा गांव बड़ी साखतड़ी के सरपंच श्री सुरेन्द्रसिंह की हत्या तथा ग्राम खेरली रेल तहसील लक्ष्मनगढ़, जिला अलवर में गत 10 जुलाई को रामसिंह जाटव की हत्या के विषय में कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है यह स्थगन प्रस्ताव व्यक्तिगत घटनाओं से सम्बन्धित हैं और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

राज्य में कानून एवं न्याय की स्थिति पर सामान्य रूप से माननीय सदस्य बजट पर होने वाली आम बहस के दौरान चर्चा कर सकते हैं।

(10) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से स्वर्गीय संजय गांधी के नाम पर युवा कांग्रेस (आई) द्वारा लोगों से डरा धमका कर चन्दा वसूल करने के विषय में।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं है। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भगवानदास शास्त्री : अजमेर के बारे में.........

श्री अध्यक्ष : जिनका मैंने रिजेक्ट कर दिया है, वे ही अपने विचार रखें, दुबारा बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिये मेहरबानी करके स्थान ग्रहण कर लें।

श्री भगवानदास शास्त्री : महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न महत्व के ही होते हैं। मैंने पूर्व में बताया कि जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाते हैं उन्हीं को उस दिन अवसर देते हैं। जिनमें जानकारी चाहते हैं जानकारी आ जाती है, यदि उसमें स्टेटमेंट वगैरह रख लिया जाता है तो उस वक्त उनको बोलने का अवसर मिल जाता है, वरना रिजेक्ट हो जाता है। अभी उन्हीं को बोलने का अवसर दिया जाता है जिनके रिजेक्ट हो जाते हैं। वे माननीय सदस्य 2-4 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, एक एडजोर्नमेंट रखा गया है आपने उस पर सरकार से जानकारी चाही है। मैं ऐसा समझता हूं इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं था कि सरकार को जानकारी नहीं है या सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है। खरीफ की फसल के पहले किसानों को तकावी नहीं मिली, तकावी का प्रश्न बड़ा गम्भीर प्रश्न है। माननीय मंत्री को जानकारी है, इस बारे में मुख्य मंत्री जी को भी जानकारी है और सदन के माननीय सदस्य भी चिन्तित हैं कि इस बार अब तक तकावी का वितरण नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं। मंत्री तत्काल उत्तर दे सकते हैं कि तकावी दी जायेगी या नहीं, दी जायेगी तो कितनी दी जायेगी और कब दी जायेगी, इस प्रश्न का उत्तर तो इसी समय दिया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की ढील देंगे तो सरकार का तो रेगुलेशन होगा लेकिन किसान के ऊपर भी इसका भारी असर पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है माननीय सदस्य, इस प्रश्न के महत्व को हमने भी समझा है और सरकार से जानकारी चाही है, कोशिश चल रही है, जल्दी से जल्दी जानकारी मंगाने की कोशिश है। कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। कई माननीय सदस्यों ने इसमें स्थगन प्रस्ताव किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि वह भी यह बात कहें, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाये तो पता चल जायेगा कि देना चाहते हैं या नहीं। प्रश्न बिल्कुल छोटा सा है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सदन में प्रतिक्रिया भी आ जायेगी और कार्यवाही भी आ जायेगी।

श्री भगवानदास शास्त्री : हां पक्ष के माननीय सदस्य खड़े हुए हैं। आप भी खड़े हो जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह तो आपकी सोहबत का असर है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बारे में मेरा निवेदन यह है कि जैसे जैसे सरकार से जानकारी आती जाती है, वैसे वैसे देते जावेंगे। आप चेम्बर में मिल लीजिए।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष के द्वारा सदन को सम्बोधित करते समय पालनीय नियम

श्री रामरघुनाथ चौधरी : ऑन ए प्वॉइण्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

मेरा पाइण्ट ऑफ ऑर्डर यह है, अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त जीरो आवर में आप स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहे थे, उस वक्त आफिसर्स गैलरी से अधिकारीगण उठकर बाहर जा रहे थे। सदन की यह व्यवस्था है कि शासन पैरों पर हो तो कोई इस प्रकार से खड़ा नहीं हो। अधिकारियों को भी इसका पालन करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं अधिकारियों और माननीय सदस्यों सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे सदन के नियमों का पालन करें। यह एक साधारण सी बात है, कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं, तो उनके सामने से नहीं निकलना चाहिए। इसी तरह से आसन अपने पैरों पर हो और माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं तो उनको बैठ जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आप गुरु हिजा फरमाइये, ये खड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : नियमों का अध्ययन करें। यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। अधिकारियों को भी मेरा खास तौर से निवेदन है, सदन के नियम है, उनका ठीक ढंग से पालन करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से प्रश्न काल होता है तब भी मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिए।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी। गंगापुर से पशुधन बाहर जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, कानून के लिहाज से अपना गोवंश बाहर नहीं जाना चाहिए, चराने के लिहाज से बाहर ले जाते हैं लेकिन इसका उलटा हो रहा है। वह बाहर बान्दरा-बम्बई काटने के लिहाज से ले जाये जाते हैं। हम लोग गोवंश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, सरकार की भावना यह है लेकिन देखने में यह आया है कि गोवंश का निर्यात हो रहा है। वहां से बांदरा-बाम्बे ले जाते हैं, काटने के लिए। इस सम्बन्ध में 21 नवम्बर, 1979 को एक पत्र देवेन्द्रराज मेहता, आयुक्त एवं शासन सचिव, अकाल सहायता ने भेजा जिसमें सभी जिलाधीशों को निर्देश दिया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय ही बात करने लगे।

केवल चराई के लिए ही निर्यात सम्भव हो सकेगा। इसी प्रकार से दण्ड नायक सवाई माधोपुर ने 11.2.80 को सवाई माधोपुर जिले के अन्तर्गत सभी स्टेशन मास्टर्स को पत्र लिखा और सभी प्रकार के गोवंश का निर्यात बन्द कर दिया। 21-6-80 को जिला दण्ड नायक ने दूसरा पत्र लिखा जिसमें गाय शब्द के स्थान स्पष्ट गोधन रखकर गाय, बैल, बछड़ा के निर्यात पर रोक लगाई। अब 1-7-80 को जिला दण्ड नायक के जो पहले के आदेश थे उनको निरस्त कर दिया है। उसमें यह कहा गया है कि 11 तारीख वाले में बैलों के निर्यात

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पर रोक नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने कहीं इंगलिश की डिक्शनरी में यह देखकर निकाला है कि बैल शब्द गोवंश में नहीं आता है। उन बैलों के चित्र लिये जा रहे हैं, जो कि मेरे पास हैं। ये मेरे पास चित्र हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मन्त्री महोदय के पास कौन सी विचार गोष्ठी हो रही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ये तस्वीरें तो बाद में करवा लेना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया अपने अपने स्थान पर विराज जायें। माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से बैलों का निर्यात किया जा रहा है। 2,000/- रु. के मूल्य का बैल है। 6,000/- रु. का मूल्य देकर ले जाया जा रहा है। जो काम में लिये जाने वाले बैल हैं उनकी तीन गुनी कीमत दी जा रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार इसको रोके। सरकार की रोक नहीं है। जब पहले देवेन्द्रराज मेहता ने सभी प्रकार के गौवंश के निर्यात पर रोक लगाई है तो इसका क्या मतलब है कि इस रोक को हटाकर यह किया गया है। गौ सेवा संघ के अध्यक्ष ने मांग की है। सवाई माधोपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में इस प्रश्न पर आन्दोलन होने वाला है। अगर रोक नहीं लगाई गई तो यह जन भावना का प्रश्न है। यह भी देखा जाये कि वह खेती के लिए कितने उपयोग का है। जिन लोगों के पास खेती के और उपकरण नहीं होते हैं तो वह बैल खरीद लेते हैं। हमारे इस प्रकार के पशुओं का निर्यात किया जाये तो यह अनुचित है। 11-2-80 को सवाई माधोपुर जिले के दण्ड नायक ने एक्सपोर्ट किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में जिले के सभी स्टेशन मास्टर्स को पत्र लिखे हैं। 21 जुलाई को जिला दण्ड नायक ने लिख कर दिया है। 14-6-80 से 30 जून तक निर्यात बन्द रहा। 1-7-80 को यह कह दिया कि बैल गोवंश में नहीं है जबकि पत्र सं. एफ-80 (40)-(2/4)न्याय/803411, दिनांक 11-6-80 के द्वारा गोधन के बाहर जाने से रोका गया है। अब कहा गया है कि बैल बाहर जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि गौवंश में बैल, बछड़े सभी आते हैं फिर ऐसे आदेश क्यों प्रसारित किये गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो निश्चित रूप से आन्दोलन होगा। ये कागज मैं सदन की मेज पर रखती हूं। हमारे मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं। वह बड़े धर्म प्राण व्यक्ति हैं। मैं चाहूंगी अपने प्रभाव से इस पर तुरन्त निर्देश जारी करें। ताकि बैल बाहर नहीं जायें और हमारा पशुधन हमारे काम में आये। मैं निवेदन करूंगी कि सरकार तुरन्त निर्देश दे। आशा है, वह जनभावना का आदर करेगी और जो निर्यात किया जा रहा है, उसको वह बन्द करेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री चतुर्वेदी !

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने और

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

उनके साथ मैंने भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मुझे अधिक इस विषय में कुछ नहीं कहना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर 200 बैल प्रतिदिन 10 डिब्बों में लदान करके लगातार बम्बई भेजे जा रहे हैं। वहां पर जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है उससे उस स्थिति की याद ताजा हो जाती है जो एक बार भरतपुर जिले के बयाना नामक स्थान पर हुई थी। ऐसी स्थिति बयाना नामक स्थान पर पहले हो चुकी है। बयाना के इतिहास का पन्ना सबको याद है। वहां पर इस प्रकार की भयंकर स्थिति हो जाने से अविलम्ब रोक लगानी पड़ी थी। यह स्थिति हमारे सामने भी आई थी। यह समझ में नहीं आता कि जून 24 को निकासी बन्द थी तो 1 जुलाई को ऐसी कौनसी परिस्थिति पैदा हो गई जिसकी वजह से यह रोक हटानी पड़ी और पुनः निकासी को चालू किया गया? ऐसा लगता है कुछ वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग हैं, जो जन भावना का आदर नहीं करना चाहते और राजनीतिक प्रभाव से ऐसा कर रहे हैं। वहां पर लगातार चार दिनों से 5-5 आदमी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। जहां पर लदान हो रहा है वहां पर सौ-दो सौ लोग लदान के लिये रहते हैं। काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, काफी तनाव और कानून और व्यवस्था की विस्फोटक स्थिति वहां पर पैदा हो रही है। सुरेन्द्रनाथ मोदी ने तार किया है और गौ-रक्षा संघ के अध्यक्ष राधाकृष्ण बजाज ने भी तार किया है। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पत्रों का जवाब भी नहीं देते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति कहीं उत्पन्न नहीं हो जाय, कहीं ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जाय जिसको सम्भालना बाद में मुश्किल हो जाय। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि निकासी रोकने के लिए आज ही आदेश दिये जायं, वहां पर टेन्शन बढ़ गया है उससे बाद में जो स्थिति होगी, उस स्थिति से गंगापुर सिटी को बचाना है तो इसके लिए आप विरोधी दलों को विश्वास में ले सकते हैं। आपको जन-भावनों का आदर करना चाहिए।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बैल की कीमत 100 रु. आंकी जा रही है सैल्स टैक्स बचाने के लिए। सौ रुपये में तो कुत्ते का बच्चा भी नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की बड़ी मिली जुली साजिश है जो जन भावनाओं का आदर नहीं करते हैं। बयाना के इतिहास से आपको सबक लेना चाहिए। इसलिए आप इस प्रकार का आदेश आज ही प्रसारित करें और इस पर अविलम्ब रोक लगाई जावे। इसके लिए अगर कानून में कोई खामी हो तो उसको तुरन्त दूर किया जाना चाहिए ताकि गौ-वंश की रक्षा हो सके। अभी इकॉनोमिक रिव्यू जो आया है उसमें रिपोर्ट आई है कि गौ-वंश का ह्रास होता जा रहा है। राजस्थान गौ-वंश की रक्षा में हमेशा आगे रहा है, इसलिए आप जन-भावनाओं का आदर करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नन्दलाल मीणा !

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिनों पहले प्रतापगढ़

JZ

(श्री नन्दलाल मीणा)

तहसील के कनाड़ गांव में हुई एक हत्या के बारे में मैंने अलग से सदन को सूचना दी थी। उस हत्या को अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि वहां पर दिनांक 11-7-80 को निर्मम हत्या और कर दी गई। यह हत्या प्रतापगढ़ तहसील के गांव बड़ी साखथली के सरपंच श्री सुरेन्द्रसिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के थे, की की गई। श्री सुरेन्द्रसिंह निकट के दलोट गांव में एक औषधालय में काम करने वाले कम्पाउन्डर के यहां पर बैठे थे। जिस समय वे वहां पर बैठे हुए थे तो हत्यारे लोकेन्द्रसिंह ने अपने कुछ साथियों के साथ उस कम्पाउन्डर के मकान में घुसकर आव देखा न ताव, फावड़ों, खुरपी और लाठियों से मारना शुरू कर दिया। वहां पर पारीख जो कम्पाउन्डर है, और उसकी पत्नी ने उनको बचाने का प्रयत्न किया तो उनके भी हाथ-पांव तोड़ दिये और सुरेन्द्रसिंह की हत्या कर दी। वे आज दोनों पति-पत्नी अरनोद अस्पताल में पड़े हुए हैं। पश्चात् वहां पर गांव के लोग इकट्ठे हो गये और पुलिस थाने, सालमगढ़ में गये। पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। हत्यारों ने वहां पर बकरे काटे, मुर्गे काटे और रंगरेलियां मनाई लेकिन राजनैतिक प्रभाव में आकर पुलिस उनके पास नहीं पहुंची। पोस्ट मार्टम के बाद दूसरे दिन आठ बजे पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, हत्यारे वहीं पर मौजूद थे, सौ कदम की दूरी पर लेकिन पुलिस ने उन हत्यारों को पकड़ने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि यह एक साजिश थी। जिस व्यक्ति की हत्या की गई, सुरेन्द्रसिंह सरपंच की, उसने एस. डी. ओ., प्रतापगढ़ और डी वाई. एस. पी. को 107 का इस्तगासा दायर किया हुआ था कि मेरी हत्या का प्रयत्न किया जा रहा है इसलिए मेरी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जावे। परन्तु पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस थाने में सूचना पहुंचने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, इससे ऐसा लगता है कि यह सरकार जनता पार्टी के सरपंचों के साथ बदले की भावना से प्रेरित होकर हत्याएं करवा रही है।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस हत्या के थोड़े ही दिन बाद कोलवी गांव में एक डकैती और हुई। वहां पर डाकुओं ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, कई लोग घायल हो गये। जब वे लोग लूट का माल लेकर जा रहे थे तो रास्ते में महिलाओं को पीटा, उनके हाथ-पैर तोड़ दिये। उनके पैरों में जो चांदी की कड़ियां थीं उनको भी छीन कर ले गये, उसके बाद वहां से फरार हो गये। अध्यक्ष महोदय, पुलिस थाना वहां से पांच किलोमीटर दूर है। सूचना दी गई लेकिन सूचना के बाद भी पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे।

(12.30 म. प.)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पीठासीन)

सभापति महोदय, आज छोटे-छोटे स्थानों पर, रा स्थान के बीच में हत्यायें हो रही हैं। अगर समय पर सूचना भी दे दी जाये तो अपराधियों को तो तत्काल गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब नहीं रही है। जब पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं तो गांव वालों को कुछ भी संरक्षण नहीं देते। इसलिए वहां पर आतंक का वातावरण बना हुआ है। सभापति महोदय, इस प्रकार इस समय कांग्रेस के शासन में आने

(श्री नन्दलाल मीणा)

के पश्चात् वहां आतंक का साम्राज्य बना हुआ है।

हर समझदार व्यक्ति और हर इज्जतदार व्यक्ति आज इस बात से आश्वस्त नहीं है कि उसके अधिकारों की सुरक्षा होगी। मैं ज्यादा कुछ क्या कह सकता हूं। इस प्रकार कितनी हत्यायें लड़ाई के नाम से हुई हैं। इन हत्याओं के लिए आज तक जैसा मैंने कहा किसी अधिकारी ने किसी को गिरफ्तार किया हो तो वह बतायें।

इस क्षेत्र में इसके पूर्व भी कुछ व्यक्तियों द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या अरनोद गांव में की गई लेकिन उनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभापति महोदय, चक्कर काट रहे हैं ऐसे अधिकारियों के लिये जो सख्ती से हत्यारों को पकड़ना चाहते हैं उन्हें तत्काल मन्त्रियों से मिल कर हटाया जाय। वहां के कुछ अधिकारी भी हत्याओं पर पर्दा डाल रहे हैं। ऐसे केसेज यहां पर हो रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में खुले आम हत्यायें हो रही हैं उसके बाद भी पुलिस जनता को संरक्षण नहीं देती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको बचाने का प्रयास कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रतापगढ़ तहसील की जनता को राहत पहुंचाने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाये और जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया है उनको जल्दी से गिरफ्तार करे।

श्री सभापति : श्री बंसीलाल पटवा !

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से हम बराबर खबरें पढ़ते हैं और सुनते भी हैं कि आये दिन विभिन्न इलाकों में, विभिन्न क्षेत्रों में हत्यायें हो रही हैं, लूटमार हो रही है। पुलिस की तरफ से जो उदासीनता बरती जा रही है, वह खेद का विषय है। चित्तौड़ जिले में कालवी नामक स्थान है। वहां पर दो दर्जन डाकुओं ने लूटमार की और दो व्यक्तियों की हत्या कर दी। डाकुओं ने भागते समय जो रास्ते में मिला, महिलायें मिलीं उनको लूटा तथा उनको पीटा। इस तरह की वारदात चित्तौड़ जिले में हुई।

मेरे पूर्व साथी श्री नन्दलाल जी ने प्रतापगढ़ के सरपंच की बात कही। इस तरह के निरन्तर राजस्थान में अपराध हो रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां पर पुलिस ऐसी है कि पुलिस के व्यक्ति बलात्कार करते हैं। घटना दर्ज होती है लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती और उदासीनता बरती जाती है।

मेरे जिले में पिछले दिनों एक हत्या कर दी गयी। जब विधान सभा में यह बात रखी गयी उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई। अब तक गिरफ्तारियां करने में, जांच पड़ताल करने में उदासीनता बरती जाती रही। आज जो कुछ अपराध राजस्थान में बढ़े हैं उसका मुख्य कारण पुलिस की उदासीनता है। आये दिन डैकैतियों और सटोरियों की भरमार के बारे में हम सुनते हैं। निरन्तर अपराध बढ़ते जा रहे

(श्री बन्शीलाल पटवा)

हैं। पुलिस भी एक तरह से भागीदार है। आज पुलिस वास्तविक अपराधी है। जिन लोगों के साथ अत्याचार होते हैं या जिनके साथ जो कुछ घटना घटती है, उन घटनाओं को दर्ज करने में पुलिस कतराती है। पुलिस का समय फालतू की बातों में, अधिक चला जाता है। वह जेबकतरों को संरक्षण देती है। इस तरह की स्थिति है जिससे लोग आज भयभीत हैं। बड़े बड़े जितने भी जिले हैं, उदयपुर को ले लीजिये, चित्तौड़ को ले लीजिये, भीलवाड़ा को ले लीजिये, अजमेर को ले लीजिये इन इलाकों में रात के 9 बजे के बाद कोई व्यक्ति अपनी गृहस्थी के साथ घूमने की दृष्टि से अपने आपको सुरक्षित नहीं पाता। राजस्थान में इस तरह की स्थिति हो गयी है कि कानून नाम मात्र का है। सरकार इस दिशा में सतर्कता नहीं बरतती और इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता।

जो कुछ हम अर्ज कर रहे हैं यह शिकायत के रूप में नहीं है, यथार्थ के रूप में है। इस ओर सरकार ध्यान दे। यदि तत्काल ध्यान नहीं देती है तो इस तरह की जो स्थिति है, आगे जाकर किस सीमा तक जायेगी, किस तरह की स्थिति बनेगी हम नहीं कह सकते।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मेरा माननीय मुख्य मन्त्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है कि यदि ठीक प्रकार से सरकार चलाना चाहते हैं, ठीक प्रकार से जनता को प्रशासन देना चाहते हैं तो पुलिस की उदासीनता को समाप्त करना होगा। आये दिन सत्ता पक्ष की ओर से होने वाले हस्तक्षेप को बन्द करना होगा, यथार्थ की नीति लागू करनी पड़ेगी। जो भी अधिकारी दोषी पाये जायें जनता की सुरक्षा की दृष्टि से उनको कठोर से कठोर दण्ड देने की व्यवस्था करें। यदि कुछ नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि जेबकतरों की भरमार हो जायेगी, बलात्कार की घटनायें और होंगी और डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि होगी।

मेरा आपसे निवेदन है कि इन घटनाओं की रोकथाम के लिए कुछ प्रयत्न किये जायें, कठोर प्रयत्न किये जायें। इसमें विरोध पक्ष के सहयोग की भी यदि उनके क्षेत्र में आवश्यकता है तो हम निश्चितरूप से सहयोग देंगे। सरकार इस ओर ध्यान दे और ध्यान देकर कड़ी से कड़ी कार्यवाई करे। कोई भी अपराधी हो उसको दण्ड दिलावें. यही मेरा अनुरोध है।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

यही मेरा अनुरोध है।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल!

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय सभापति जी, खेरली रेल जिला अलवर में गत दिनों में एक रामसिंह जाटव, जो अनुसूचित जाति का है, की हत्या के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। आपने मुझे इजाजत दी इसलिये आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में जब से सरकार आई है, निरन्तर रोजमर्रा, इस तरह की हत्यायें और बड़ी-बड़ी घटनायें हो रही हैं। सरकार की तरफ से कोई प्रभावी कदम न उठाये जाने और प्रभावी कार्यवाही न होने की वजह से

(श्री गोपाल पचेरवाल)
असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ता जायेगा और गरीब और छोटे आदमी का जीना दूभर हो जायेगा। सरकार चुपचाप बैठी रहे, यह इस देश का या प्रदेश का, गरीब लोगों का दुर्भाग्य होगा। आज वर्तमान प्रदेश की सरकार इस स्थिति में है।

मैं निवेदन करना चाह रहा था कि जिला अलवर खेरली रेल गांव में 10 जुलाई को रामसिंह जाटव को रात के 10 बजे वहां के सरपंच साहब घर से बुला कर ले गये। मेरी जानकारी हो सकता है गलत हो, लेकिन आम जनता में इस तरह की चर्चा है कि वह सरपंच साहब माननीय मुख्य मन्त्री जी के घनिष्ठ मित्रों में से माने जाते हैं इस कारण से पुलिस कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है और न इस बात की जांच कर रही है सरपंच रात को 10 बजे अपने घर उसको बुलाकर ले गए। वह व्यक्ति वापस घर नहीं पहुंचा और उसकी हत्या हो गई फिर भी पुलिस मौन रही। यह हम शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों का दुर्भाग्य है। रात को 10 बजे सरपंच को लेकर गए और सुबह पता चला कि रामसिंह की लाश रेल की पटरी पर पड़ी थी। लाश पर चाकू के निशान थे। मालगाड़ी आ गई तो ट्रेन रुक गई। ड्राइवर ने रेलवे पुलिस स्टेशन पर इत्तला की। लाश को उठा कर रेलवे स्टेशन पर ले गए। पोस्टमार्टम किया गया, 302 में केस निश्चित रूप से दर्ज किया गया इसमें आपत्ति नहीं लेकिन उसके बाद आज तक उन मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया न जांच की जा रही है कि कौन अपराधी हैं। मेरा मानना है और मैं कह सकता हूं कि लोगों का जन मानस है कि जब हत्या हो गई और सरपंच बुला कर ले गया और वह वापस नहीं आया तो निश्चित रूप से सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और जो दोषी अपराधी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर इस तरह की कार्यवाही नहीं की गई तो इसका मतलब है कि राजनैतिक संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस तरह मां बहनों का जीना दूभर हो रहा है। पोस्ट मार्टम के बाद 302 में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस को यह तथ्य दिए गए कि इस आदमी को 10 बजे बुला कर सरपंच ले गया तो सरपंच को बुला कर क्यों नहीं पूछा गया? मुख्य मंत्री के मित्रों में आते हैं या दोस्तों में आते हैं इसलिए चर्चा फैल रही है कि मुख्य मंत्री शायद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही न करायें। मैं अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि आज हरिजन लोगों के साथ इस तरह की घटनायें हो रही हैं और मारे जा रहे हैं। आपने सदन में विश्वास दिलाया था कि मैं हरिजन हूं और मुझे इसका गर्व है, मैं ऐसे लोगों की रक्षा करूंगा। वापस आप जमीर जगाने की कोशिश करें, आपने गर्व किया है हरिजन मुख्य मंत्री होने के नाते कि राजस्थान के किसी गरीब के साथ, मेहतर के साथ या छोटे व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो आप बरदास्त नहीं करेंगे और न ही करने दिया जाएगा। यही मेरा निवेदन है कि गरीब परिवार को न्याय दिलायें। जिसको मारा गया उसकी जांच करायेंगे चाहे आपका मित्र हो, कितना ही बड़ा नेता हो लेकिन उसको निश्चित रूप से सजा दिलाने के लिए आप पहल करेंगे, यही मेरा विश्वास है।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री बाऊदयाल जोशी (टोंक): सभापति महोदय, मेरे सहयोगी ने डाकुओं के दल के घटना क्रम का वर्णन किया है। उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पार्टी को 8 माह पूर्व एक नोटिस सर्व हुआ था कि हम शीघ्र ही आपके यहां आ रहे हैं। उसके बाद लगातार वह पार्टियां राज्यपाल के सलाहकार खुराना साहब को प्रार्थना-पत्र देती रहीं लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई पुलिस संरक्षण उस गांव को नहीं मिला। दुर्भाग्य यह रहा कि रतनलाल नामक एक व्यक्ति जिसने वहां चक्की लगाई हुई थी, के पास डाकू दल आया, चक्की चल रही थी। आवाज लगाई कि हमें आटा पिसवाना है, चक्की का दरवाजा खोलो। जैसे ही चक्की का दरवाजा खुला, डाकुओं ने गोलियां दागना शुरू की और रतनलाल की वहीं पर हत्या कर दी।

उसके बाद दूसरा डाका डाला गया जिसमें गांव से 10 किलो चांदी और 25 किलो सोना ले गए। गुलाब नामक व्यक्ति की अन्तरात्मा बोली उसने व्यवधान किया तो उसको भी गोली मार दी। उसके बाद बेटा खड़ा हुआ जगदीश तो उसको भी गोली मार दी। 8 माह पूर्व नोटिस देने के बावजूद यह शासन लोगों की प्राण रक्षा नहीं कर सकता तो इससे बड़ी गंदी बात नहीं हो सकती।

उसके बाद मुख्य मंत्री, जो खेतसिंह से बात कर रहे हैं, से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के कांड पर जरूर विचार करें। मैंने 7-8 दिन पहले भी मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। गंगापुर के पास एक ग्राम में इसी प्रकार का नोटिस सर्व हुआ है कि अगर 20 दिन के अन्दर अन्दर 50 हजार की फिरौती नहीं पहुंची तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। 20 दिन पूरा होने में करीब 5-7 दिन बाकी हैं। मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि रामगढ़ जैसी घटना यहां भी न हो जाए। यह जुलाई का महीना दो बातों के लिए प्रसिद्ध रहेगा पहले तो बलात्कारों के लिए। 7 दिन में 10 बलात्कार और एक महीने में 13 डकैतियां। यह इस नई सरकार का कीर्तिमान है पहाड़िया सरकार के शासन में एक माह में 13 डकैतियां··· —

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

आप घन्टी बजा रहे हैं, सभापति महोदय, मैं आपके ही क्षेत्र की बात कर रहा हूं। धौलपुर क्षेत्र में डकैती एक नहीं तीन पड़ीं···

श्री सभापति : आपका स्थगन प्रस्ताव दूसरा है।

श्री बाऊदयाल जोशी : आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप शासक दल के माननीय सदस्य हैं और अब तो आसन पर हैं इसलिए नहीं बोल सकते। इसलिए मैं मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में तीन डकैतियां पड़ीं राजाखेड़ा के पास। पहली डकैती पड़ी धौलपुर के ग्राम रेना में, दूसरी दचोड़ा और तीसरी वडोली में। इन डकैतियों में तीन आदमी मारे गए, एक महिला को जिंदा जला दिया गया आग में, तेल छिड़क कर ··

श्री सभापति : आप विषयांतर हो रहे हैं, आपका स्थगन प्रस्ताव ··

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक महीने में 13 डकैतियां पड़ी, यह चिंता की बात है। अब तक तो पुलिस ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, आपके ही क्षेत्र में पड़ी डकैतियों के बारे बोल रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : पहले तो केवल एक महिला दस्यु थी पुतलीबाई, उसके बाद दो महिलायें और हो गई हैं पुलिस प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : जालोर गांव में दो महिला डाकू और पैदा हो गई हैं। पुतली के मरने के बाद निश्चिन्त हो गए थे कि औरतों ने तो डाके डालने बन्द कर दिया लेकिन

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : कम से कम इस डाकू समस्या पर निश्चित रूप से अपने विचार इस सदन में प्रकट करें, डाकू बढ़ते जा रहे हैं। एक डाका लालसोट के पास पड़ा। डाकू भाग गया लक्ष्मनसिंह दस्यु ने भाग कर डकैती डाली...

श्री सभापति : समाप्त करें, आपका प्रस्ताव दूसरे विषय पर है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन यह है डाकू भाग जायें जेल से और भागकर डाका डालने लगें और शासन कुछ नहीं करे, इससे ज्यादा चिंता की बात और नहीं हो सकती। मुझे आशा है, राज्य सरकार निश्चित रूप से पुरजोर कदम उठाएगी, कठोर कदम उठायेगी और राजस्थान को डाकुओं से, बलात्कारियों से और हत्यारों से बचाने का पूरा पूरा प्रयास करेगी।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी !

एक माननीय सदस्य: आपके राज में एक साल में कितनी डकैतियां पड़ी ?

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारे राज में एक महीने में 13 डकैतियां नहीं पड़ीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, अभी डाकुओं की बात मैं सुन रहा था। मेरा स्थगन प्रस्ताव राजनैतिक डाकेजनी के खिलाफ है। संजय गांधी के देहांत पर सदन में शोक प्रस्ताव पास किया गया, मैं भी उस शोक में सम्मिलित था, सब लोगों को उनके देहान्त का दुःख है लेकिन उनके नाम पर राजस्थान में जिस प्रकार राजनैतिक डाकाजनी की जा रही है, उस डाकाजनी के प्रमाण मेरे पास हैं। स्वर्गीय संजय स्मृति के नाम पर, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता से स्थानान्तरणों की धमकी देकर, डराधमका कर, इन्कम टैक्स व सैल्स टैक्स अधिकारियों को ले जाकर जबरन चन्दा वसूल किया जा रहा है सीकर जिले में। सीकर जिले में जितने डॉक्टर्स हैं, उतने डॉक्टर्स के पास कांग्रेस आई के युवा कार्यकर्ता गये उनमें से अधिकांश असामाजिक और गुंडा तत्व थे और उन्होंने ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(12.50 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था सीकर जिले के बारे में। सीकर जिले के जो माननीय सदस्य नारायणसिंह जी हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा चन्दा वसूल करने वाले कांग्रेस आई के युवा लोगों की खिलाफत की। अध्यक्ष महोदय, चन्दा वसूल करने वाले गुण्डे और असामाजिक तत्व के लोग हैं जो कि युवा कांग्रेस के अन्दर घुस गये हैं और जबरन चन्दा वसूली कर रहे हैं।

श्री नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गुंडा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह गलत है। हमारे सीकर के अन्दर कोई भी युवा कांग्रेस सदस्य गुन्डा नहीं है। दूसरे वहां पर जो युवा कांग्रेस के सदस्य हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वहां के युवा कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने किसी भी डॉक्टर से या किसी भी व्यापारी से या सरकारी कर्मचारी से जबरन चन्दा वसूल नहीं किया; यह बात मैं दावे से कह सकता हूं। यह जो बात माननीय सदस्य तिवाड़ी जी ने कही है कि युवा कांग्रेस के लोगों ने जबरन चन्दा वसूल किया है वह बात सरासर गलत कही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात सप्रमाण साबित कर सकता हूं कि वह लोग राष्ट्रपति शासन में गुण्डा एक्ट में पुलिस द्वारा पकड़े गये थे और बाद में उनका चालान पेश किया गया था। अब वही लोग युवा कांग्रेस में घुस गये हैं और स्वर्गीय संजय गांधी के नाम पर कोई स्मृति भवन बनाने के नाम पर लोगों से जबरन चन्दा वसूल करके रसीदें काट रहे हैं। मेरे पास इसके लिए प्रमाण मौजूद हैं। उनका चालान हुआ है अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो मैं नाम भी बता सकता हूं लेकिन यहां पर सदन में नाम लेना अच्छा नहीं समझता हूं। अगर आप चाहें तो रसीद बुक में से रसीद कटी हुई मेरे पास पड़ी हुई है आपको मैं चैम्बर में लाकर बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति शासन के अन्दर लोगों को धमकियां दी गयीं कि अगर चन्दा नहीं दोगे तो तुम्हारा स्थानान्तरण करा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय सन्जय गांधी स्मृति भवन के लिये एक व्यक्ति से 501 रुपये लेकर रसीद काटी और उसके ऊपर उससे दस हजार रुपये ले लिये नकद। अध्यक्ष महोदय, एक डॉक्टर का स्थानान्तरण निरस्त कराया गया। उसके बाद में उसी डॉक्टर का वापस ट्रान्सफर हो गया। अध्यक्ष महोदय, तीन बार ऐसा हो गया एक व्यक्ति के साथ। अध्यक्ष महोदय, एक डॉक्टर मेरे पास रोता-रोता आया। उसने मुझे कहा कि मुझ से 501 रुपये मांगे। मैंने 101 रुपये ही दिये तो उन्होंने कहा कि बोलो कहां पर ट्रान्सफर चाहते हो जैसलमेर या बाड़मेर बाद में उसका स्थानान्तरण कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताना चाहता हूं। उसको धमकी दी। इस प्रकार इन लोगों ने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

धमकी दे दे कर दो लाख रुपये सीकर जिले से सन्जय गांधी स्मृति भवन के नाम पर वसूल कर लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, यह लोग जब चन्दा वसूल करने जाते हैं तब साथ में सैल्स टैक्स इन्सपैक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसरों को लेकर जाते हैं। व्यापारियों को डरा-धमका कर उनसे चन्दा वसूल करते हैं। लोगों से एक एक हजार रुपये वसूल किये जा रहे हैं। इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, आज सीकर जिले में युवा कांग्रेस के लोग राजनैतिक डकैतियां डाल रहे हैं। इतना ही नहीं वह लोग सरपंचों के पास जाते हैं और उनसे भी चन्दा वसूल करते हैं। हमारे सीकर जिले के सात सरपंचों को धमकी दी गई है कि अगर तुमने स्वर्गीय संजय गांधी स्मृति भवन के लिये चन्दा नहीं दिया तो तुम्हें बरखास्त कर दिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले में सरकारी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की सूची बनाली गई है कि इन लोगों का स्थानान्तरण कर दिया जाय। हैड मास्टर व पांच सीनियर टीचर, जो सीकर जिले के स्कूल में हैं, को कहा गया है कि या तो सात दिन में सात हजार रुपये दिलवाओ अन्यथा तुम्हारा स्थानान्तरण करा दिया जायेगा। मेरे पास प्रमाण मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक नहीं तीन तीन गुट बने हुए हैं युवा कांग्रेस के सदस्यों के। एक गुट तो ऐसा है जो कि सिनेमा के नाम लोगों को टिकट देकर पैसे वसूल करता है। चलो कोई बात नहीं, अगर सिनेमा का टिकट देकर चन्दा वसूल करें तो हमें ऐतराज नहीं लोग सिनेमा देखते हैं। दूसरे दो गुट हैं युवा कांग्रेस के जो कि स्वर्गीय संजय गांधी स्मृति भवन बनाने के नाम पर रसीदें काटते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह युवा कांग्रेस नहीं है बल्कि गुण्डे और असामाजिक तत्व हैं जो कि अपना उल्लू सीधा सन्जय गांधी के नाम पर कर रहे हैं जबरन चन्दा वसूल करके। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस राजनैतिक डकैती से सीकर जिले के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी व व्यापारी वर्ग के लोगों को बचायें। अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन गुट होने से लोगों में बड़ी बेचैनी फैली हुई है। वह किन किन लोगों को चन्दा दें। एक कहता है हम हरिदेव जोशी गुट के हैं तो दूसरा गुट कहता है कि हम परसराम मदेरणा गुट के हैं तो तीसरा गुट कहता है कि हम पहाड़ियाजी के गुट के हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित किया है कि सीकर जिले में जो युवा कांग्रेस के लोगों द्वारा डरा-धमका कर जबरन चन्दा वसूली की जा रही है उसको आप रुकवाने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, यह राजनैतिक डाके डाले जा रहे हैं इन्हें तुरन्त रोका जाना चाहिये।

अन्त में जो स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा उस पर सदन में बोलने का आपने समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

आय-व्यय पर सामान्य वाद विवाद।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दें। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री नारायणसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में यह कहा है कि सीकर जिले में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने दो लाख रुपये संजय गांधी स्मृति के लिए जबरन वसूल किये हैं यह गलत है। वहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने सात हजार नहीं सिर्फ छः हजार रुपये वसूल किये हैं और वह भी स्वर्गीय संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने के लिये एकत्रित किये हैं। माननीय सदस्य जो डॉक्टर की बात कर रहे हैं वह चाहें तो उस डॉक्टर का नाम बता दें। इसके अलावा कौन सी लिस्ट है वह भी बता दें। अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले का कोई युवा कांग्रेस कार्यकर्ता किसी भी सी. टी. ओ. या किसी भी इन्कम टैक्स अधिकारी या हम में से किसी भी एम. एल. ए. को लेकर चन्दा वसूल करने नहीं गया। माननीय सदस्य ने बिल्कुल ××× कहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस एम. एल. ए. का नाम मैंने नहीं लिया। एम. एल. ए. साथ नहीं गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्य, जरा सुनने की भी क्षमता रखो!

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सभी स्थान ग्रहण करें। श्री नारायणसिंह!

श्री नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर गलत बयानी कर रहे हैं हमारे यहां पर कोई भी जबरन चन्दा वसूल नहीं किया गया, न ही सीकर जिले में युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं में कोई गुट बाजी ही है और नहीं, अध्यक्ष महोदय किसी कांग्रेसी एम. एल ए. का हाथ जबरन चन्दा वसूली करने में ही है। मैं, अध्यक्ष महोदय, दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकारी अधिकारी को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ता जबरन चन्दा वसूल करने नहीं गये और न ही वहां पर युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं द्वारा लोगों को स्थानान्तरण की धमकी ही दी गई है। यह बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य, जो सीकर जिले के कांग्रेसी एम.एल ए. हैं, ने तो उन लोगों को रोका है। उनका कोई हाथ नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि श्री नारायणसिंह जी को तो जब यह बात पता पड़ी तो झगड़ा भी उन लोगों से किया। जब उन्होंने यह सुना कि डॉक्टर खन्ना के ट्रान्सफर के लिये नारायणसिंह जी का नाम लिया जा रहा है तो इन्होंने इसके लिये झगड़ा भी किया। माननीय सदस्य सम्मानित हैं। पर यह बात सही है कि सरकारी अधिकारियों के साथ मिल कर वहां के युवा कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं ने दो लाख रुपये वसूल किये हैं। यह ××× बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन में जो आरोप लगा रहे हैं वह बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। अगर वह सही मानते हैं तो उन्हें यहां पर उन व्यक्तियों के नाम बताने चाहिये अन्यथा उन्हें झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। किसी का नाम यहां पर मेरी इजाजत के बिना नहीं लिया जाना चाहिये। सदन में कोई सदस्य किसी के बारे में अपमानजनक शब्द काम में नहीं ले।

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर। आॅर्डर प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह × × × वही है।

श्री अध्यक्ष : × × × शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री देवीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है कि जिला बीकानेर में उपनिवेशन क्षेत्र में गांवों में गरीब, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों को कुछ समय पहले भूमि आवन्टित की गयी। अब उपनिवेशन विभाग द्वारा उन लोगों के अलाॅटमेंट कैन्सिल किये जा रहे हैं इससे वहां पर काश्तकारों में भारी असन्तोष हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो स्थगन प्रस्ताव रखा उस पर व्यवस्था दी जा रही है। यथा सम्भव उस विषय पर सरकार द्वारा स्टेटमेन्ट होगा।

श्री देवीसिंह : अध्यक्ष महोदय, लोगों के अलाॅटमेंट कैन्सिल कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह : आप विराजिये आपके ही हित में बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद। श्री गुलाबचन्द कटारिया!

श्री नाथूसिंह (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, 10 जुलाई को अनस्टार्ड प्रश्नों में मेरा प्रश्न नम्बर 13 था उसको दस ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या है?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, 10 जुलाई के अनस्टार्ड क्वेश्चनों में क्वेश्चन नम्बर 13 था। वह प्रश्न मुख्य मन्त्री जी के विभाग से संबंधित था। 10 जुलाई का अनस्टार्ड प्रश्न था।

10 जुलाई को यह प्रश्न नहीं आया था। उसके पश्चात् मुझे जवाब मिला इस प्रश्न का...

श्री अध्यक्ष : इस समय नहीं उठा सकते। आप मुझसे चैम्बर में मिल लीजिए। आपको आपत्ति हो, शिकायत हो तो चैम्बर में मिल लीजिए।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता हूं......

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(60)

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह से कैसे कहेंगे बिना किसी पूर्व सूचना के ?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर है...

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर का मतलब यह तो नहीं है कि जो चाहे विषय उठा लें। कृपया स्थान ग्रहण करें। आपको शिकायत है तो मुझसे मिल लीजिए मैं व्यवस्था कर दूंगा।

आय-व्ययक, 1980-81 पर सामान्य वाद-विवाद। श्री गुलाबचन्द कटारिया !

आय-व्ययक, 1980-81 पर वाद-विवाद

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता इस बजट की ओर आंख लगाये देख रही थी कि राजस्थान में बढ़ती हुई मंहगाई, राजस्थान में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई हालत को सुधारने का इसमें कुछ न कुछ प्रयत्न का उल्लेख अवश्य किया गया होगा। यह तो उन्होंने भी स्वयं स्वीकार किया, पिछले चार छः महीने के बाद बजट को पेश करते हुए हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि चूंकि वर्ष के बीच में हम बजट प्रस्तुत कर रहे हैं इसलिये इस साल हम वांछित प्रभावशील लक्ष्य इंगित नहीं कर पा रहे। अर्थात् पिछले 6 महीने राजस्थान के विकास के लिए बाधक रहे, यह उन्होंने अपने स्वयं के भाषण में स्वीकार किया। श्रीमन्, इसके आगे एक शब्द कहा जिसको सुनकर हमें विश्वास जरूर हुआ कि राजस्थान के एक ऐसे परिवार, जिसने कष्ट भुगते हैं, से आने वाले व्यक्ति के मन जरूर राजस्थान के गरीब व्यक्तियों के प्रति कुछ न कुछ दर्द होगा। उनके शब्दों से लगा कि आज राजस्थान का विकास होने जा रहा है। वह शब्द हैं: "हमने नीतियों को कुछ नया मोड़ देने की कोशिश की है जिससे इस पिछड़े राज्य का सर्वतोमुखी विकास कर सके। इसलिये मानव जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास है जैसे पेयजल, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धि, अकाल एवं बाढ़ जैसी समस्या का स्थायी इलाज तथा कृषि एवं उद्योगों का समुचित विकास है।" यह शब्द है। इन शब्दों के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने जैसा बजट भाषण बनाकर दे दिया उसको पढ़ दिया। इसके प्रारम्भिक शब्दों से उनको भी लगा होगा कि वे बहुत बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं। इन शब्दों को पढ़कर ऐसा लगा था कि शायद शेर का शिकार होगा लेकिन भाषण खतम होने के बाद मालूम पड़ा कि चूहे का शिकार हुआ है।

मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि राजस्थान की जो ज्वलंत समस्यायें हैं उनको सुलझा सकेंगे। श्रीमन्, वित्त मंत्री जी के नाम से मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया उसके पूर्व अगर पुराने आंकड़े टटोल लेते कि आज राजस्थान कहां खड़ा है, लगभग 32-33 साल की आजादी के बाद और पिछले तीस साल के शासन काल में किन स्थितियों से राजस्थान को गुजरना पड़ा और अब राजस्थान कहां खड़ा है तो उनको मालूम पड़ता कि शिक्षा की दृष्टि से हम 19.06 पाइन्ट पर खड़े हैं। अभी पिछले साल की तरक्की के

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बाद हम 19.09 पर पहुंचे याने हमने 0.3% प्रगती की है। उसका हमने ध्यान नहीं रखा। हमने यह भी ध्यान में नहीं रखा कि राजस्थान केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर साक्षरता की दृष्टि से सबसे नीचे है, शायद यही हमारी तरक्की रही है और 31 साल के शासन की यह हमारी उपलब्धि है। यही नहीं 6 से 11 साल के बच्चों की शिक्षा में आज भी राजस्थान में 51.7 प्रतिशत बालक पढ़ते हैं।

राजस्थान, हिन्दुस्तान में 17वें स्थान पर है। यही नहीं, यह भी ध्यान में नहीं रखा कि राजस्थान सड़कों के हिसाब से कहां खड़ा है। सड़कों के हिसाब से हिन्दुस्तान में राजस्थान 16वें स्थान पर है। अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े मेरे नहीं हैं बल्कि इस पुस्तक के द्वारा मैंने निकाले हैं।

हमें केन्द्रीय करों का प्रति व्यक्ति अंश मिलता है। आज हिन्दुस्तान में हम 13वें स्थान पर हैं। यह स्थिति हमारे राजस्थान की क्यों है? इस स्थिति को सुधारने के लिए हमने क्या किया?

राजस्थान सबसे आगे है अनुसूचित जाति और जनजाति की जन संख्या के आधार पर, 28 प्रतिशत उनकी आबादी हमारे यहां है। इसमें राजस्थान तीसरे स्थान पर है हिन्दुस्तान में।

जहां ऐसी गरीबी की स्थिति हो उसको ध्यान में रखते हुए यदि नीति में नया मोड़ लाते तो आपके शब्द सार्थक होते। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई नई नीति निर्धारित नहीं की है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा तैयार किया हुआ जो बजट है उसको सामने रख कर केवल अपने शब्द जोड़कर केवल राजनैतिक नाम देने का प्रयत्न किया-जैसे बहुत बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं।

मैं आपके सामने सारे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं पिछले तीन-चार साल के बजट से मालूम होगा कि कोई प्रगति नहीं की। चाहे केन्द्रीय करों का अंश हो, 1978-79 में 17 प्रतिशत हिस्सा मिला था, 1979-80 में 25 प्रतिशत हिस्सा मिला था और 1980-81 में आपने केवल 23 प्रतिशत किया है। जहां आगे बढ़ना चाहिये था वहां आपने पीछे खींचने का प्रयत्न किया है। आपने बजट भाषण में कहा है कि हम इस वर्ष 18 करोड़, 20 करोड़ आगे बढ़े हैं। आपने इस बजट भाषण के अन्दर ही यह देने की कोशिश की, श्रीमन्, हमने इस वर्ष 348.36 करोड़ रुपये का बजट बनाया और इसके पूर्व 325 करोड़ का जनता पार्टी ने बजट प्रस्तावित रखा था। आपने कहा कि हमने इतनी प्रगति की। श्रीमन्, प्रगति केवल 6.1 पर्सेन्ट की की है। मंहगाई किस गति से बढ़ी उसका आप विचार कर लीजिए। पिछले वर्ष में लगभग 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी मंहगाई में और अब तो आते आते 21 प्रतिशत, 21 प्रतिशत और 22 प्रतिशत मंहगाई हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो पहले की प्रगति थी उसको भी हमने पीछे खींच लिया। जिस स्थान पर हम खड़े थे वह स्थान भी शायद हम कायम नहीं रख पायेंगे। इस प्रकार का बजट बनाकर जो प्रगति बताने का प्रयत्न

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

किया है, उससे राजस्थान के लोगों को गुमराह कर दिया। प्रगति तो हम उसको मानते जब राजस्थान के लोगों को लगता कि खाने का सामान पर्याप्त मात्रा में आसानी से मिलता है, प्रगति उस दिन लगेगी जिस दिन लगे कि राजस्थान में लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी बनी है। राजस्थान में नारी की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, दौलत की सुरक्षा हम कर सकें तब तो कहना ठीक था। आपने क्या किया। लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने के हमने बहुत भाषण सुने थे लोक सभा के चुनावों में। आपके बड़े से बड़े नेता से लेकर सड़क का नेता भी बोलता था कि जनता पार्टी के राज्य में लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई है। लेकिन आपके राज्य में तो उससे भी बदतर होती जा रही है। उसको सुधारने के लिए आपके प्रयत्न क्या हैं? आपको पढ़कर आश्चर्य होगा, ताज्जुब होगा कि हमारा सोचने का दृष्टिकोण क्या है। हम लिख रहे हैं कि लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन को सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। हमारे पुलिस के लोगों के लिए मकान नहीं हैं उनके 2 बैरक्स बना देंगे, बहुत अच्छी बात है। आपने दिया है कि हम पांच भवन बना रहे हैं, बन्दी सुधारगृह अजमेर में है उस पर 5 लाख रुपये खर्च करेंगे, बहुत अच्छी बात है। वहां के बन्दी हैं उनको कुछ राहत दे रहे हैं। पुलिस आवास की समस्या हल करने के लिए 50 नये आवासीय घर और 200 पुलिस कर्मचारियों की क्षमता के 2 नये बैरकों का निर्माण किया जायेगा। 48 न्यायालयों के नये भवनों एवं 48 नये आवासीय भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। क्या इन भवनों से राजस्थान की लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन सुधर सकती है? क्या आपका मन और आत्मा इस बात को मानने के लिए तैयार है कि यह जो आवासीय घर बन रहे हैं, जो कि आवश्यक हैं, बनने चाहिए, लेकिन उनके आधार पर लॉ एण्ड ऑर्डर की आज सिचुएशन नहीं सुधर सकती। अगर आपको लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन सुधारनी है तो आपको द्रुतगामी साधनों का उपयोग करना पड़ेगा आपको जो अपनी सुरक्षा पुलिस है उसकी संख्या में वृद्धि करनी पड़ेगी। उनके इक्विपमेंट्स में सुधार करना पड़ेगा जिससे पुलिस में सुधार आ सके, कानून व्यवस्था में सुधार आ सके। केवल हम भाषण में कह दें कि हमने नीति निर्धारित कर दी, इससे सुधार होने वाला नहीं है।

श्रीमान, यहीं नही, दुःख इस बात का है प्रशासनिक खर्चा बढ़ता जा रहा है। चाहे हमारे राज में बढ़ा हो, चाहे आपके राज में, चाहे किसी के राज में बढ़ा हो, इस खर्चे को घटाया जा सकता है। आज अधिकारियों की फौज खड़ी हो रही है। कम अधिकारियों द्वारा काम चलाया जा सकता है। यह सोचने का दृष्टिकोण गलत है कि अधिकारियों की लम्बी फौज से विकास होगा। गरीब का पैसा हम केवल बड़े-बड़े अधिकारियों, उनके मकान, उनकी सुख सुविधा, उनकी तन्खवाओं में बरबाद करके राजस्थान की तरक्की नहीं कर सकते। 9 प्रतिशत खर्चा पिछले 3-4 वर्षों में इस पर हो रहा है। पिछली सरकार का भी 9 प्रतिशत खर्चा था। अच्छा तो यह होता कि आप इसमें खर्चा घटाते। आप कोई नीति बनाते, इस खर्चे को कम करते।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

शिक्षा किसी देश के निर्माण की आधार भूत शिला होती है। 31 साल तक इसको क्यों इग्नोर किया गया। दो भवन कम बनते तो राजस्थान कौनसा धरातल में चला जाता। राजस्थान में शिक्षा की प्रगति नहीं कर पाये जिस राज्य में शिक्षा की प्रगति नहीं हो सकती उस राज्य में अन्य प्रगति का नाम लेना कठिन है। बहुत कुछ कहा गया कि जनता पार्टी के राज में ऐसा काम क्यों नहीं हुआ। जनता पार्टी के राज में शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है उसकी मैं तारीफ करूंगा। 2828 प्राईमरी स्कूल खोले। आपने 600 स्कूल खोले। आप लोगों की दृष्टि में हिन्दुस्तान के नक्शे में नीचे से नीचे जिन्दगी भर खड़े रहे…

श्री खेतसिंह राठौड़: इसमें आपकी क्या तारीफ है। हमारा बजट था, हमारा पैसा था, आपने दीवालिया कर दिया…

श्री दाऊदयाल जोशी: दीवालिया आपने किया

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपका पैसा कहां से आया?

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज, कृपया डिबेट में बाधा उपस्थित न करें।

श्री नाथूसिंह: खेतसिंह के खेत में पैसा हुआ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: जनता पार्टी के शासन में जो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुई है उसको नकार नहीं सकते। किसी गांव के आदमी को अगर आप पूछेंगे कि जनता पार्टी के राज्य में उनको क्या मिला तो वे बतायेंगे…

(व्यवधान)

आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं। यह मेरे घर का बनाया हुआ नहीं है। 2828 प्राईमरी स्कूल जनता पार्टी के राज्य में खुले या नहीं खुले 840 उच्च प्राथमिक विद्यालय खुले….

(व्यवधान)

हमने 687 सैकण्डरी स्कूल खोले, 15 हमने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोले। जो अण्डर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज थे उनको हमने पोस्ट ग्रेजुएट कालिजों में कन्वर्ट किया। इससे पहले आपने क्या किया वह बताऊं 27 वर्षों में राजस्थान में केवल 7 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज थे। आपके शासन में 12 और नये बने। हमने छोटे से काल में जो अण्डर ग्रेजुएट कॉलेज थे उनको पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाया और नये 12 अण्डर ग्रेजुएट कॉलेजेज की स्थापना की। क्या यह शिक्षा में प्रगति नहीं हुई?

(व्यवधान)

जिस चीज को आप कहना चाहते हैं, ईमानदारी से कहो…

श्री खेतसिंह राठौड़: हजूर, आपने 100 करोड़ का घाटा दिया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: शिक्षा के क्षेत्र में जिस गति से प्रगति हुई है…

(64)

श्री बुलाराम : आपने राजस्थान की साख बिल्कुल गिरा दी है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमने राजस्थान को गिरवी रखा, आप उसको छुड़ाइये । हम आपको धन्यवाद देंगे...

श्री बुलाराम : वही कोशिश हो रही है ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 76-77 के बजट, जब आपकी सरकार थी, में शिक्षा पर 86.1 करोड़ रुपया खर्च किया था । 77-78 में 101.88 करोड़ रुपये का बजट रखा जो 15.8 करोड़ अधिक था । दूसरे वर्ष में 12 करोड़, तीसरे वर्ष में 15 करोड़ अधिक रखा । आपने क्या किया 138.34 करोड़ रखा जो पिछले बजट से केवल 10 करोड़ ज्यादा है । दूसरी तरफ महंगाई कितनी बढ़ी है; 21 प्रतिशत फिजिकल टार्गेट्स आप प्राप्त करने वाले हैं, क्या इस बजट के आंकड़ों से फिजिकल टार्गेट्स अचीव कर पायेंगे ?

कृषि के क्षेत्र को ले लीजिये । किसी की बात को हवा में उड़ा देना बहुत आसान है । किसी आधार पर उड़ायें तो बात समझ में आती है । आपके पास कोई तथ्य है तो आप सुनाइये । हमारी कोई गलती है तो सुधार करने को तैयार हैं ।

श्री बुलाराम : क्या सुधारोगे । जनता ने आपको सुधार दिया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं तो यह कह सकता हूं कि यह बजट किसान विरोधी बजट है । किसान को राहत पहुंचाने का आपने कौनसा काम किया है जिसके आधार पर आप किसान को लाभ पहुंचाना चाहते हैं । हिन्दुस्तान में ज्यादा से ज्यादा कोई गरीब है तो किसान है । मजदूर को क्लर्क से कम की श्रेणी में मानते हैं । राजस्थान में किसान को मानता हूं । राजस्थान में किसान की आमदनी इतनी कम है कि...

श्री नानालाल : आज आपकी आंख खुल गई...

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा अगर कायम रही तो यह बोलेंगे, हम नहीं बोलने देंगे ।

श्री अध्यक्ष : ऐसी परम्परा नहीं होने देंगे । बीच में इन्टरप्ट नहीं करें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यदि पिछले बजट से तुलना की जाये, एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज में जो खर्चा हुआ 76-77 में केवल 60.6 करोड़ हुआ । 77-78 में 70.89 करोड़ हमने कर दिया लेकिन उसके पश्चात् 101.87 करोड़, 78-79 में । जो वृद्धि की वह 30.47 करोड़ की, की है । उसके पश्चात् 131.9 करोड़ रुपया हमने एग्रीकल्चर के लिये रखा उसमें 30.55 करोड़ ज्यादा थे, अर्थात् 70 करोड़ रुपया अधिक एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सर्विसेज में बढ़ाया है । आपने अपने बजट में एग्रीकल्चर सर्विसेज के लिये 143.41

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

143 41 करोड़ रखा है जो केवल 11.48 करोड़ ज्यादा था, अर्थात् 30 करोड़ के विकास के साथ हम बढ़ रहे थे उसको पीछे धकेलकर आपने किसान के साथ अन्याय किया है । यह बजट किसान विरोधी है।

श्रीमन्, पिछली बार मैंने कहा था राजस्थान में वास्तव में किसान को जिन्दा रखना चाहते हैं तो फसली बीमा की योजना को प्रारम्भ करिये चाहे नीचे की श्रेणी में किसी विशेष फसल से ही शुरू करें ताकि सहूलियत मिले और उसकी फसल भगवान के भरोसे नहीं रहे। जब हम अपनी मोटर साइकिल की सुरक्षा कर सकते हैं तो इन्श्योरेन्स करके किसान की फसल की भी रक्षा कर सकते हैं। आप फसली बीमा योजना को प्रारम्भ करें ताकि किसान को मदद कर सकें।

राजस्थान विशेषकर चित्तौड़-डिविजन के किसान को अफीम का लाइसेन्स मिलता है उसका सरलीकरण किया जाय तो किसान को धन कमाने का अवसर मिलेगा। वे भी अपने बाल-बच्चों को शिक्षा अच्छी तरह से दिला सकेंगे।

श्रीमन्, राजस्थान की शिक्षित बेरोजगारों की भयंकर समस्या पिछले वर्षों से चली आ रही है। चाहे दोष किसी को भी दिया जाय लेकिन आज हमारे यहां शिक्षित बेरोजगार अपनी जिन्दगी को मुसीबत में गुजारते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं, मुझे जिन्दा रहने का भी हक है या नहीं। आखिर हम शिक्षा को मोड़ने का एक प्रयत्न करें कि प्राईमरी एण्ड सैकण्डरी एजूकेशन कम्पलसरी हो लेकिन जो हायर एजूकेशन है वह कम से कम किसी न किसी प्रकार व्यवसायोन्मुख हो ताकि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं आज आपके माध्यम से हमारे मुख्य मंत्री जी से एक मांग करता हूं कि कम से कम शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता देना प्रारम्भ करें जिससे वह जीवित रह सकें। वह बेरोजगारी भत्ता हजार पांच सौ नहीं देवें किन्तु वह मिनिमम इतना हो कि वह घुटन महसूस नहीं करें। नहीं तो आज विद्यार्थी बी. ए. करने के बाद एम ए. में जाता है, एम. कॉम. में जाता है, एलएल. बी. के बाद में जाता है और एलएल. बी. के बाद वह लेबर लॉ में एडमिशन लेता है। इस प्रकार वह बढ़ता ही जाता है लेकिन फिर भी उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है कि वह कहां जाये। अगर उसको वजीफा नहीं दे सकते हैं तो उसको कम ब्याज पर ऋण दीजिये और किसी रास्ते पर लगाइये जिससे वह अपनी जिन्दगी को ठीक प्रकार चला सके। अब तक के इस बजट भाषण में जो आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार 2.700 लाख बेरोजगार लोग हैं, 76 तक, 2.700 लाख लोगों का पंजीकरण था और अब 3.88 लाख हुआ है यानि 66 हजार बेरोजगार बढ़े हैं। जनता पार्टी के राज्य में बढ़े तीन साल में 66 हजार यानि 22 हजार प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़े हैं। आज आपके पास कौनसी योजना है, कौनसा तरीका अपनाने वाले हैं जिसके कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके अनुपात को देखते हुए जो बेरोजगारी आज है उससे अधिक नहीं बढ़ने दें, इसके लिए आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है केवल छोटे-मोटे कार्यक्रम बता दिये कि इतने डॉक्टर बना देंगे, इतने वैद्य बना देंगे। ये तो श्रीमान् रेगूलर कोर्स में बढ़ जायेंगे किन्तु इससे बेरोजगारी का अंत नहीं होगा, बेकारी कन्ट्रोल में नहीं आयेगी। मैं समजता हूं आप इस

(66)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
बेरोजगारी की समस्या को कम करने की कोई न कोई व्यवस्था करेंगे ।

पेय जल के बारे में कहना चाहता हूं, पेय जल के लिए राजस्थान वर्षों से तरसता है । राजस्थान सौभाग्यशाली वीरों की भूमि जरूर रहा है लेकिन पानी के लिए तरसता है । हमारे यहां लगभग 35 हजार गांव हैं और उन 35 हजार गांवों में से कांग्रेस शासन ने केवल 6 हजार गांवों को पीने का शुद्ध पानी दिया है । 30 साल के शासन में पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया । जनता पार्टी ने कुछ प्रयत्न किया । पिछली बार जनता पार्टी ने चार हजार गांवों को पीने के पानी की सुविधा जुटाई । 30 हजार में से 24 हजार गांव आज भी पानी की दृष्टि से तरसते हैं, जहां खारा पानी है, प्रदूषण वाला पानी है । आपने अपने भाषण में कहा कि हम दो हजार गांवों को पीने का पानी मुहैया करायेंगे, पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ, आप इस गति से बढ़ेंगे और साथ में यह भी लिखते हैं कि पांच साल में सभी को पानी उपलब्ध करा देंगे । अपने यहां एक कहावत है कि पूत के जो पैर होते हैं वे पालने में ही पहचाने जा सकते हैं । आप पांच साल में यह बात तय कर लें कि अगर पांच साल में राजस्थान में पानी उपलब्ध नहीं करायेंगे तो आप में से कोई आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे । इसकी सौगन्ध खा लें कि या तो पानी की व्यवस्था कर देंगे और नहीं कर पाये तो जिन्दगी में कभी चुनाव के मैदान में नहीं आयेंगे...

(व्यवधान)

आपके इस हिसाब से तो राजस्थान में पानी के लिए 10 साल भी लगायेंगे तो भी रुपयों की आवश्यकता पूरी नहीं होगी...

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : प्रति वर्ष के हिसाब से पांच वर्ष में पानी देने का उल्लेख है ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हमने कई स्टेटमेंट पढ़े और पुरानी किताबों को टटोल-टटोल कर देखा है, यह जरूर है कि हमें इतना समय नहीं मिला कि सारे दर्द को देख सकें किन्तु यह अवश्य देखा है कि हमारा देश भाषण देने में और कुछ न कुछ आश्वासन देने में विश्व के रेकार्ड में सबसे ऊंचा है । यह कह कर आप तसल्ली करते हैं कि बहुत बड़ा काम कर लिया । पिछली बार जनता पार्टी ने पानी की सुविधा को जुटाने का काम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा । 150 करोड़ का प्रावधान केवल छठी पंचवर्षीय योजना में हमने रखा था, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि आप हमारी बनाई हुई इस योजना से नफरत न करें । हमसे नफरत हो सकती है लेकिन राजस्थान के विकास से नफरत न करें और इसको आप लागू करें । राजस्थान में जितना जल्दी सम्भव हो सके पानी की सुविधा उपलब्ध करायें ।

श्रीमन्, सिंचाई और विद्युत् के बारे में कहना चाहूंगा । कई लोगों का यही मानना है कि राजस्थान में जनता पार्टी के राज्य में प्रगति नहीं हुई । मेरा निवेदन है कि केवल बायस होकर कोई स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा । हम वास्तव में चुनावों में जन-प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं । जब हम यहां जीतकर आते हैं तो यह हमारा और भी अधिक दायित्व हो जाता है कि राजस्थान को विकास की गति दें । राजस्थान का विकास जो जनता पार्टी ने किया है, उसमें यदि कोई कमी रह गई है तो उसको आप सुधार दीजिये, हमें कोई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
ऐतराज नहीं होगा लेकिन जो विकास उसने किया है उस विकास को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा।

श्रीमन् विद्युत् की दृष्टि से केवल तीन वर्षों में 216 करोड़ रुपये खर्च किये और कांग्रेस ने सन् 1951 से लेकर 1974 तक केवल 161 करोड़ रुपया खर्च किया था। श्रीमान्, क्या यह प्रगति, प्रगति नहीं है? तीन वर्ष में 216 करोड़ रुपया खर्च करना प्रगति नहीं है? हमने केवल तीन वर्षों में यह किया है। राजस्थान का आगे का इतिहास बतायेगा, आगे का भविष्य बतायेगा कि राजस्थान में तीन वर्षों में 73 हजार कुओं को बिजली दी है, यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं था।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 1-2 करोड़ तो चुनावों में ही खर्च कर दिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 78-79 के बजट में हमने विद्युत् की दृष्टि से सिचाई में जो प्रगति की उसमें 139 करोड़ का प्रावधान रखा था। उसके बाद 79-80 में हमने 157 करोड़ पॉइन्ट 40 लाख का प्रावधान रखा और अब 80-81 में जो आपका बजट है उसमें आपने 191.45 करोड़ रखा है अर्थात् केवल 34 करोड़ की आपने वृद्धि की है। श्रीमान्, पता नहीं मेरे समझ में नहीं आया या दोनों आंकड़े आपने मिलाये नहीं हैं। मिलाये हों तो हो सकता है मेरी समझ के बाहर हैं। इसमें जो आंकड़े दिये हैं वे आंकड़े हैं 191 करोड़ के और आपके बजट भाषण में जो आंकड़े दिये हैं वे बजट भाषण के आंकड़े बताते हैं 194 करोड़। या तो यह सही है या यह सही है, दोनों में से एक न एक तो अवश्य गलत है। कम से कम हाउस में पेश करने से पहले सरसरी निगाह से मन्त्री महोदय को पढ़ लेना चाहिये। अपने राज्य कर्मचारियों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिये कि जो कुछ उन्होंने लिखकर दे दिया वही ठीक समझ लें।

श्रीमन्, मैं दो-तीन चीजों का आग्रह करता हूं। आप चाहते है कि भ्रष्टाचार न हो तो मेरा निवेदन है कि कोई माननीय सदस्य, या साधारण पब्लिक का आदमी अगर भ्रष्टाचार का केस भेजता है तो चाहिये तो यह कि उसकी पूरी छानबीन करें और छानबीन के बाद यदि आप किसी को दोषी पायें तो अवश्य उस दोषी व्यक्ति को सजा दें। अगर हम दोषी सिद्ध होते हैं तो हमे भी सजा दें। इसके लिये हम कभी ना नहीं करेंगे। हमने यदि कोई गलती या अपराध किया है तो अवश्य सजा मिलनी ही चाहिये ताकि आगे आने वाला व्यक्ति गलती नहीं करे।

पिछले लम्बे समय से एक बात उदयपुर विश्वविद्यालय की यहां पर आ रही हैं। मेरे पास सारे डॉकूमेंन्ट्स हैं। मैं आपको एक एक डॉकूमेंन्ट दिखा सकूंगा। जो इस बात को प्रूव करते हैं कि जो के. जी. माथुर वहां के असिसटेंन्ट इंजीनियर के रूप में लगा हुआ है, श्रीमान, उसकी क्वालिफिकेशन ओवरसियर की क्वालिफिकेशन भी नहीं है। यह मामला आपके सामने लाया गया है तो इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे वह हमारे सामने लगाया गया, चाहे किसी के समय में लगाया गया। यदि किसी ने गलत तरीके से लगाया तो उसको निश्चित रूप से वहां से हटाया जाना चाहिए।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

श्रीमान्, उसकी क्वालिफिकेशन देखिये। 1954 में उसने हाई स्कूल पास किया। श्रीमन उसने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया, ड्राफ्ट्समैन का। ड्राफ्ट्समैन का सर्टिफिकेट कोर्स उसने 1958 में किया। वह आदमी धीरे धीरे उदयपुर यूनिवर्सिटी में ओवरसियर बन गया लगा ओवरसियर के बाद, हमारे जाते जाते वी. सी. ने ऐसा आॅर्डर दिया जो आज तक किसी ने देखा भी नहीं होगा। पता नहीं, कैसा करिश्मा किया गया। एक आॅर्डर हमारे जाने वाले वी. सी. ने लिखा उनका एपाइन्टमैन्ट् कब तक किया ? टिल फर्दर आॅर्डर उसको टिल फर्दर आॅर्डर एपाइन्ट कर दिया जब कि वी.सी. को अधिकार नहीं है, 6 महीने से अधिक किसी को रखने का। वी. सी. ने उसको लम्बे समय के बाद भी नहीं हटाया। वह आज भी ए. ई. एन. के रूप में चल रहा है। श्रीमान्, यही नहीं वहां एक और व्यक्ति जो व्यक्ति क्वालिफिकेशन भी फुलफिल नहीं करता है। केरल से एक रिकगनाइज्ड संस्था नहीं है, जिससे उसने डिग्री प्राप्त की। उसके बारे में आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट को भी लिखा गया कि वह संस्था रिकगनाइज्ड है या नहीं; आॅडिट रिपोर्ट में बिल्कुल आ चुका है कि वह संस्था रिकगनाइज्ड नहीं है। यह सारी कार्यवाही होने के बाद भी वह ए. ई. एन. बना हुआ है। श्रीमन्, वह ए. ई. एन. ही बना रहता तो भी ठीक था लेकिन उसके आगे भी देखिये उसके करिश्में। वहां का एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उसने एक लेजर लिखा, इस लेजर का भाग यह है कि वहां जो कनवोकेशन हुआ, उस कनवोकेशन में उसके बिलों में उस ए.ई.एन. ने अपने अंगूठे लगा दिये सब पर। उसका जो फारवर्डिङ्ग लैटर था उसकी एक फोटोस्टेट कॉपी मेरे पास है उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये सब अंगूठे एक ही व्यक्ति के अंगूठे हैं इसलिए आप सात दिन के अन्दर जवाब दें। उन्होंने 7 दिन में जवाब कैसा दिया ? श्रीमन् उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिये। उसके दस्तखत हैं, इसके पश्चात् उसने मजदूरों को उनके अंगूठे लगवाकर पेमेन्ट कर दिया। यह साबित करता है उस पर 420 का केस बनता है पर नहीं बना। श्रीमन्, यही नहीं, यह जो आॅडिट रिपोर्ट है वर्ष 1978 की आॅडिट रिपोर्ट है। इसमें इसी के. जी. माथुर के ऊपर एक और मामला निकला। नेहरू छात्रावास में एक नयी पाइप लाइन डाली गई और पुरानी पाइप लाइन वहां से हटायी गई। श्रीमन्, वह पुरानी पाइप लाइन कहां गयी ? उसको कौन ले गया ? इसका कोई पता नहीं कि वह पुरानी पाइप लाइन कहां काम में लायी गयी या नहीं ?

श्रीमन्, 3 जगह यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। यहां तो रजिस्ट्रार भी इससे आगे बढ़ कर करिश्मा कर गये। उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वे इनसे भी क्वालिफिकेशन के मामले में आगे चले गये। वे आज उस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। श्रीमन्, उन्होंने भी यह करिश्मा किया कि उन्होंने अपने लड़के को कुछ माह के लिए नौकरी पर रख 216 रुपये का पेमेन्ट करा लिया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने अपने स्वयं के लड़के को रखा जिसका नाम संजय शर्मा है। संजय शर्मा का कोई सामने रिकार्ड नहीं कि उसने कोई काम किया या नहीं पर उसके नाम से पैसा उठाया।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

श्रीमन्, और आगे देखिये, इससे और बड़ा एक आश्चर्य, आज दिन तक किसी भी विश्वविद्यालय में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी रजिस्ट्रार ने अपने ओवर-टाइम का क्लेम किया हो। कई और बातों को तो समझा जा सकता है परन्तु यह बात समझ में नहीं आती। उन्होंने स्वयं 1977-78 में 500/- रुपये ओवर टाइम का पेमेंट उठाया। इसका 10-10 दिन का ओवर टाइम का भुगतान किया गया। इस प्रकार के भ्रष्टाचार यहां हुए। मन्त्री महोदय से सारे डॉकूमेन्ट्स आपके पास पेश कर रहा हूं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जांच करायी जाय और उस दोषी व्यक्ति को सजा दी जाय और वहां से हटाया जाय जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं रही, जिसने इस पद पर रहते हुए तनख्वाह ली, और जिस अधिकारी ने उसको अपॉइन्ट किया उस अधिकारी से इनकी तनख्वाह वसूल की जाय।

श्रीमन्, मैंने आपसे शुरू में ही एक बात कही थी कि हमारे यहां एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। पिछली बार जब हमारी सरकार थी तब भी हमने यह केस रखा लेकिन 70 के इस केस का अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। एक व्यक्ति आज तक अपने घर पर नहीं पहुंच सका उसका केस यह है कि केशोलाल आयुर्वेद डिपार्टमेन्ट में था। उसका किसी कारणवश उदयपुर से जोधपुर और जोधपुर से कोटा ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ दिन बाद वह वहां से गायब हो गया। कब गायब हुआ, किस प्रकार से गायब हुआ इसका कोई पता आज तक नहीं चला। बहुत बड़ी खबर है। इसकी अगर जांच की जाय तो इसके मूल में जो बातें छिपी हुई हैं, जो बदनियती है वह सामने आ जायेगी। इसके बारे में यह कहा गया कि उसने एक आकस्मिक अवकाश का पत्र दिया था दिनांक 18-4 को। वह आकस्मिक अवकाश का पत्र इस बात का प्रमाण है कि किस दिन छुट्टी पर गया। उसने लिखा है कि वह 18-4 को छुट्टी पर गया। तब से लापता है। वह एप्लीकेशन हमको दिखाओ। श्रीमन्, वह एप्लीकेशन ही नहीं है, उसको जानबूझकर वहां भेजा गया और उसकी हत्या की गयी। हत्या किस पद्धति से की गयी। कम समय होने के कारण मैं इसको अधिक खींचना नहीं चाहता।

(व्यवधान)

उसको वहां से ट्रांसफर किया गया इस कारण से कि अधिकारी का उसकी पत्नी के साथ कुछ सम्बन्ध था। उसको दूर कोटा में ले जाकर उसकी हत्या की गई। आज जनता को उसके बारे में पता नहीं। बाद में पुलिस में उसकी रिपोर्ट कर दी। उसका पता तब चला जब उसकी पत्नी ने एक पत्र लिखा कि पिछले कई दिनों से केशोलाल आ नहीं रहा है तो वहां से जवाब गया कि यहां उदयपुर में तो नहीं है। जब उसकी पत्नी को पता चला तो उसकी पत्नी ने एफ. आई. आर. कोटा थाने में दर्ज करायी। जिस दिन रिपोर्ट दर्ज करायी गयी इससे ठीक 5 दिन पहले उसको नौकरी से निकाल दिया गया। यह क्या साजिश है। इस साजिश के बाद भी ऐसा हुआ कि उसके लड़के को नौकरी पर नहीं लिया गया। जिस लड़के ने बी. ए., सैकिण्ड डिविजन से पास किया उसे उन्होंने दर दर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया। उसकी मां भी नौकरी में थी। जब मुझे उसका पता मिला तो मैंने भी काफी मेहनत करके उसको लगवाने की कोशिश की। उसके पिता की मृत्यु के बाद भी हमारा यह डिपार्टमेन्ट उस गरीब को नौकरी पर रखने को तैयार हुआ। उसे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनाया गया, उस बी. ए. सैकिण्ड क्लास पास लड़के को, जिसने मां बाप की मृत्यु को देखा, घर में अकेला प्राणी है। उसको चतुर्थ श्रेणी में, फोर्थ क्लास में लगाने के बारे में हमने कहा कि इसके प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखें परन्तु हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे भाषण को पढ़ने के बाद हमें तो इस बजट के आधार पर राजस्थान प्रगति की सीढ़ी पर चढ़ता दिखायी नहीं देता। चढ़ने के बजाय राजस्थान इस बजट से तो नीचे ही जायेगा। मैं यह कहता हूं कि यह बजट किसान विरोधी बजट है, यह गरीब विरोधी बजट है, यह श्रमिक विरोधी बजट है, आज सेकोई अर्से पहले मिनियम वेजेज निश्चित की गयी थीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से जो यह मिनिमम वेज है, आपके इस बजट में कितने स्थानों पर दी जाती है। मिनिमम वेजेज देकर लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती और मंहगाई के कारण श्रमिक मर रहे हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि श्रमिकों का, किसानों का, गरीबों का और मध्यम वर्ग का यह बजट विरोधी है। इस प्रकार के बजट का मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा !

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, इस समय हम बजट पर सामान्य वाद-विवाद में लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ष का बजट राज्य की आमदनी, खर्च और योजना का प्रतीक होता है। राज्य की आमदनी में कितनी वृद्धि हुई, कितना लाभ लोगों को मिला और आगे कितना मिलेगा, इसका प्रतीक होता है बजट। कितना आगे बढ़े हैं एक साल में, इस बात पर भी रोशनी डालता है बजट। हमने गये दो-तीन सालों के अन्दर जिस प्रकार की प्रवृत्तियां देखी हैं, जिस तरह से खर्चे होते हुए देखे हैं, इनका एक तरह से कोई असेसमेंट नहीं हुआ है गये दो सालों में जो खर्चे, हुए उनसे कुछ लाभ मिला या नहीं मिला, इस वर्ष भी लाभ मिलने वाला है या नहीं, मिलने वाला है तो कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, इन सब बातों की बजट से जानकारी प्राप्त करनी होती है। हमने अनाज के बदले काम योजना की शुरूआत की राजस्थान में। उसमें कितना अन्न खर्च हुआ, उसका कोई लाभ हुआ, क्या क्या काम हुए, उनसे इस राज्य को कितना फायदा हुआ और इस राज्य की कितनी आमदनी हुई इन सब बातों का आज पता नहीं है। इसी प्रकार से वसूलियां जो ज्यादा हो सकती थीं वह हुई या नहीं हुई, वसूलियां एक्चुअल में कितनी हुई और उससे कितने अधिक और हो सकती थीं, इन बातों पर भी गौर करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस पर भी विचार करना होगा कि जो टार्गेट बनाए गये थे उन टार्गेट्स की पूर्ति की तरफ हम कितना आगे बढ़े, हमारी पंचवर्षीय योजनायें जो पहले चलती थी उन पांच पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के बाद छठी पंचवर्षीय योजना के पहले साल

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कितना प्लान आगे बढ़ा, कितनी वृद्धि विकास में हुई या विकास का रास्ता रुक गया, इस चीज पर भी हमको गौर करना पड़ेगा।

मोटे तौर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य की आमदनी में टैक्स रेवेन्यू का भार यदि ज्यादा है और नोन टैक्स रेवेन्यू कतई कम है और हम अपना खर्चा ग्राण्ट इन एड से चलाते हैं तो मैं नहीं जानता कि हम आगे आने वाले जमाने में किस तरह से अपनी योजनायें बना

(1.42 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पीठासीन)

सकेंगे हमारे राज्य के विकास की गति में मैं एक यही चीज जरूरी मानता हूं कि नोन टैक्स रेवेन्यू से हम ज्यादा से ज्यादा अपनी आमदनी करें। आज जब मैं इस बजट के आंकड़ों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि टैक्स रेवेन्यू से 57.57 पर्सेंट हमारी आमदनी है और नोट टैक्स रेवेन्यू से केवल 21.70 पर्सेंट आमदनी है। क्या हमारे पास ऐसे साधन नहीं हैं कि जिससे हम अपनी नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकें। क्या हमारे पास प्राकृतिक साधनों की कमी है? क्या हम और आमदनी के जरिये खड़े नहीं कर सकते? मैं समझता हूं कि आज के जमाने में हमारा ध्यान इस ओर जाता नहीं है। शायद हम यह सोचते हैं कि जिस तरह से वर्षों से बजट बनता हुआ चला आ रहा है, उसी तरह से आज भी यह बजट बनता रहे। किसी तरह से हम अपने शासन को चला सकें, यह हमारे ध्यान में रहता है। समाज की गति के लिए, एक नए समाज की रचना के लिए यह आवश्यक है कि हम समाज के लोगों की सामर्थ्य को, उसकी समृद्धि को आंकते हैं। हमें यह भी आंकना पड़ेगा कि हम समाज के लोगों को कितना लाभ देते हैं। आमदनी खड़ी करके समाज के लोगों को सुख और सुविधा देने के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं। हमारे यहां अभी तक जो कुछ भी प्लानिंग हुआ, पांचों पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये प्लानिंग हुआ, जो योजनायें बनी, उन योजनाओं पर अभी तक कितना खर्चा हुआ और उन योजनाओं से हमें कितना लाभ हुआ यह जानना आवश्यक है। प्रत्येक योजना के हमारे पास आंकड़े होने चाहिये। जैसे चम्बल परियोजना है, उस पर कितना रुपया हमने खर्च किया, उससे कितना विकास हुआ और कितनी आमदनी बढ़ी, ये स्पष्ट आंकड़े होने चाहिये। इस सबके बारे में कोई भी हमको जानकारी इन कागजों में मिलती नहीं है। मैं सबसे पहले यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा ध्यान नोन टैक्स रेवेन्यू की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। हमें अपनी आमदनी के स्त्रोत ज्यादा बढ़ाने चाहिए ताकि हम आमदनी से राज्य के विकास के काम को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ा सकें और उसका ज्यादा वजन हमारी जनता के ऊपर नहीं पड़े। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के दिन भी हमारी जनता के ऊपर जो टैक्सों का वजन है वह बहुत काफी है। 57.57 पर्सेंट जो टैक्स का वजन है, मैं समझता हूं कि बहुत कम ऐसे मुल्क होंगे कि जहां पर इतना वजन होगा। फिर हमको ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हमको जो ग्राण्ट इन एड मिलती है वह ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो फाइनेन्स कमीशन से, भारत सरकार से हमें

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ज्यादा से ज्यादा रुपया लाने की कोशिश करनी चाहिये। जितना रुपया आपने इस साल विकास के लिए रखा है, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं कि इतने स्कूल खुलने चाहिये, इतने कॉलेज खुलवा दिए जायं। यह सब कुछ होना चाहिये। हमारे भाइयों ने कहा, माननीय सदस्यों ने कहा कि गये दो साल के अन्दर हमने इतने प्राईमरी स्कूल खोल दिए, इतने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खुलवा दिए, इतनी हमने कक्षायें खोल दीं लेकिन प्रश्न यह है कि नतीजा क्या निकला ? न तो वहां पर टीचर्स थे और न और कुछ था, बेकारों की एक भीड़ राजस्थान में पैदा कर दी जो आज नौकरी के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। छः सात पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खुलवाने की बजाय और एक इन्जीनियरिंग कॉलेज कोटा में खुलवा देते तो वहां के लड़के आपकी योजनाओं में काम में आते। उनको नौकरियां मिल सकती थीं आज कृषि विस्तार कार्यक्रम में काम पर लगाने के लिए कोई दूसरा कृषि कॉलेज खुलवा देते। मैं जानता हूं कि इन्जीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, उनमें पढ़े हुए लड़के आज भी बेकार नहीं है। उनको पढ़े हुए लड़कों को नौकरियां मिल सकती हैं। लेकिन खाली बी.ए., एम.ए. पास करवा कर आपने लड़कों को बेरोजगारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। आज बेरोजगारों की भीड़ बढ़ रही है, कल वे आपका घेराव करेंगे तो आप क्या करेंगे। आपने कोई तरीका नहीं सोचा। आपने यह नहीं सोचा कि आखिर बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए हमें और क्या करना है। आपका मैन पावर प्लानिंग डिफेक्टिव था। आपने यह नहीं सोचा कि इतने लोग हमारे पास हैं, इतने विद्यार्थी हैं, एग्रीकल्चर में इतने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, मैडिकल में इतने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, इंजीनियरिंग में इतने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, ओवरसियरों की इतनी जरूरत पड़ेगी। मैन पावर प्लानिंग बहुत डिफेक्टिव रहा है। मैं इस बात को मानता हूं कि मेन पावर प्लान डिफेक्टिव होने की वजह से आज भी आपका प्लानिंग डिफेक्टिव है और आप ठीक से प्लान नहीं कर पा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी प्लान के लिए आपने रुपया रखा है। गत वर्ष भी रुपया रखा था। आपने अपने फिजिकल टार्गेट रख लिए और कह दिया कि पूरा कर देंगे। आप क्या फिजिकल टार्गेट पूरा करेंगे ? टार्गेट पूरे हो नहीं सकते। आप कितना रुपया लगाना चाहते हैं ? इसका आपको अन्दाजा नहीं है कि आगे छः महीने में कितनी कीमतें बढ़ जायेंगी और कीमतों का क्या असर पड़ेगा। आप अस्सी करोड़ रुपया रख दें, नब्बे करोड़ रुपया रख दें उसकी असली रियल वैल्यू क्या होती ? क्या रियल वैल्यू है, उस पर आपका विकास डिपेंड करता है। मेरी खुद की राय है, सभापति महोदय, मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आज की स्थिति में जो इन्फ्लेशन है वह इतनी तीव्र गति से बढ़ता हुआ चला जा रहा है कि एक ही हफ्ते पहले रुपये की कीमत जहां 22 पैसे थी वहां आज 19 पैसे है

श्री दाऊदयाल जोशी : शेम।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : शेम की बात नहीं है। हमारी प्रगति नहीं, रुके इसके लिए यह समझने की बात है ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं सिद्धांत की बात करता हूं, आपकी तरह से टुच्ची बात नहीं करता हूं। जो हकीकत है....

एक माननीय सदस्य : आपको मिनिस्टर नहीं बनायेंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इस बात की चिन्ता नहीं करता हूं।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान उपस्थित नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य, आपको यह मालूम होना चाहिये कि मुझे कतई मिनिस्ट्री की भूख नहीं है। मैंने खुद ने एलान कर दिया है कि मैं मिनिस्टर नहीं बनूंगा। हम सदन में इसलिए आते हैं कि...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हम इस सदन में इसलिए आते हैं कि जो कुछ हम से सेवा हो सके, इस राजस्थान की सेवा करें। इस सदन में आकर के केवल तनख्वाह कमाना या भत्ता कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है। राजस्थान को हमने इस उम्र तक कुछ दिया ही है। हम देना चाहते हैं राजस्थान को, अपनी अक्ल देना चाहते हैं, अगर किसी को लेना मन्जूर हो तो ले।

हम अक्ल की बात करना चाहते हैं, बगैर अक्ल की बात नहीं करना चाहते हैं। इनफ्लेशन, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्यों बढ़ता है। मैं दो-चार मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने सारी चीजों को कार्पोरेशन के जरिये रख दिया। ट्रांसपोर्टेशन कार्पोरेशन बनाया, लैंड डवलपमेंट कार्पोरेशन बनाया। मनी आप देते रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं, को-ऑपरेटिव बैंक और को-ऑपरेटिव सोसायटी के जरिये आप गांवों में जितना रुपया देते हैं, उनका रियलाइजेशन कितना होता है ? क्या उनका इनवेस्टमेंट होता है ? आपने किसी किसान को एक हजार रुपया दिया, आप उसको अगले साल वसूल करना चाहते हैं। किसी काम के लिए को-ऑपरेटिव सोसायटी ने एडवान्स कर दिया, को-ऑपरेटिव सोसायटी को अगले साल की योजना के लिए और रुपयों की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा कि इस साल के रुपयों को जमा करा दो और अगले साल नाम मांड दो। बड़ा अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ। रुपये का यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ।

एक माननीय सदस्य : स्केण्डल है !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने दो साल में किया क्या ? कितना कर्जा वसूल किया ? हमारी जनता सरकार ने किसानों का कर्जा वसूल किये बगैर एडवांस किया। यूटिलाइजेशन की सारी की सारी एन्ट्री हैं। यह नहीं देखा यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ।

उद्योग खोलने के लिए आप रुपया देते हैं। 10 पर्सेंट उद्योगपति अपने पास से लगायें तो 90 पर्सेन्ट उद्योगपति को कर्जा देते हैं कि साहब अपना उद्योग चलाओ। कहीं छानबीन होती है ? किस कन्सर्न की

(श्री वृजसुन्दर शर्मा)

यह पार्टी है ? किस बड़े कन्सर्न की यह पार्टी है ? कहां इसमें फ्रॉड है ? 10 पर्सेंट पूंजी लगा कर 90 पर्सेंट का फायदा केवल ब्याज देकर वो उठाता है। वो अपनी पूंजी बढ़ाता है। उससे उसका आगे जाकर रुपया ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है, उत्पादन का कोई खयाल नहीं है। 10 पर्सेंट उसने लगाया, 10 पर्सेंट से 90 पर्सेंट का मुनाफा ले लिया और 5-6 पर्सेंट आपको ब्याज दे दिया। कहां गया वह रुपया ? क्या रुपया काम में आया ? क्या आपकी केपीटल बढ़ी ? जब तक केपीटल नहीं बढ़ेगी, इस तरह की क्रियायें चलती रहेंगी। इस तरह इनफ्लेशन में कमी नहीं आ सकती है।

मैं आपको एक मिसाल दूं। आपने लैण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन कायम किया। उसको वर्ल्ड बैंक से भी मदद मिलती है। उसको और सोर्सेज से भी मदद मिलती है। आपकी मशीनरी खरीद ली, सब कुछ खरीद लें। माननीय सभापति महोदय, चम्बल में लैण्ड डवलपमेंट कार्पोरेशन ने काम शुरू किया कैचमेंट में कुछ इलाकों को लिया गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहां पर हम जमीन को समतल करेंगे। वाटर कोर्सेज बनायेंगे और तुम्हारी जमीन को अच्छा कर देंगे। कन्सोलिडेशन तुम्हारे यहां कर देंगे, जिससे वाटर का मेग्जिमम यूटिलाइजेशन हो जायेगा और तुमको बैंक से कर्जा भी दिला देंगे। लेकिन इलाके कौन से लिये गये हैं ? जहां रेविन्स हैं, सीपेज हैं, उनको नहीं लिया गया। जहां जमीन समतल है, आलरेडी समतल है, जो नहर के ऊपर का इलाका है उन इलाकों को लिया। जहां वाटर कोर्सेज बहुत गलत तरीके से बने हुए हैं, जहां वाटर लोगिंग होता है, उनको लें तो ठीक है। फिर जाकर काश्तकार को कहते हैं, तुम इस पर दस्तखत कर दो। काश्तकार कहता है, साहब, यह क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आई। काश्तकार को एजूकेट किया नहीं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट वहां बना कर दिखाया नहीं।

माननीय सभापति महोदय, अब क्या होता है, बैंक से 500 रुपये पर बीघा के हिसाब से कर्जा उसके नाम मांड लिया जाता है। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पर लिया है। केचमेंट का कर्जा 500 रुपये पर बीघा हुआ यह तुमको देना पड़ेगा किश्तों के अन्दर। उसकी जमीन की 500 रुपये पर बीघा कर्जा देने के साथ साथ जो हालत होती है उसको किसी ने देखा नहीं। उसका वाटर यूटिलाइजेशन का पर्सेन्टेज किसी ने देखा है ? किसी ने चेक नहीं किया। उसका सोइल इम्प्रूवमेंट कितना है, किसी ने देखा ? आज भी काश्तकार चिल्लाता है। वाटर कोर्सेज पहले ही बने हुए थे। आपने नहर की रेट बढ़ा दी। आपने 500 रुपया केचमेंट का वसूल कर लिया। आप कहते हो, तुम्हें इतना रुपया चुकाना है। वह चुकाता-चुकाता बावला हो जायेगा। उसकी जमीन में जितनी पैदावार होती थी, क्या उसमें वृद्धि हुई है ? मैं समझता हूं बिना काश्तकार की मर्जी से काश्तकार से कहते हैं कि तुम्हारे इस कर्जे पर दस्तखत करोगे तो जारी करेंगे, वरना तुम्हारा लगान नहीं लेंगे, पिलाई भी नहीं लेंगे। इस जबर्दस्ती की चीज से लैण्ड डवलपमेंट तो हुआ नहीं कर्जा और बढ़ गया। कोई उत्पादन बढ़ा हो तो यह भी नहीं बढ़ा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनवेस्टमेन्ट आपका हो लेकिन किस तरह से हो, किस काम के लिये हो, उसके रिजल्ट्स

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कब आयेंगे इस बात का असेसमेंट करेंगे या नहीं ?

को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, बूंदी के अन्दर को-ऑपरेटिव सैक्टर में खुली। बहुत अच्छी चली, लेकिन यह रिपोर्ट आयी कि किसानों ने काफी गन्ना बोया। लेकिन गन्ना पिल नहीं सका। जो भाव उनको देना चाहिये था वह दिया नहीं। हालांकि मैंने बहुत से मंत्री साथियों को कहते हुए सुना है कि सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली शुगर फैक्ट्री के लोगों को 72 लाख रुपये ज्यादा दिये गये हैं। ज्यादा-ज्यादा कुछ नहीं दिये गये। वह तो अभी भी पैसा बाकी है। नतीजा यह हुआ कि शुगर फैक्ट्री पर कस्टोडियन मुकर्रर हुआ। उसका आज दिवाला निकल रहा है। हमारा रुपया इनवेस्ट हुआ, जनता का रुपया भी इनवेस्ट हुआ लेकिन किसी भी तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि उसका कोई लाभ हुआ। लापरवाही इतनी कि उन्होंने कहा, अमुक एम. एल. ए. साहब के कुछ लोग हैं, उनको नौकर रख लो, बाकी को निकाल दो। गये दो साल के अन्दर जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उनकी और शुगर फैक्ट्री का दिवाला निकालने की जिम्मेदारी है तो जनता सरकार की है, क्योंकि वह सम्भाल नहीं सकी। जिस तरह से, सभापति महोदय, एक बाप मर जाता है, और बाप के मरने के बाद उसके लड़कों को काफी दौलत मिलती है। उस दौलत को एक लड़का ऐसा होता है जो बड़ी अकलमन्दी के साथ खर्च करता है और दूसरा ऐसा होता है जो सोचता है कि मुफ्त की दौलत मिल गई, खूब ऐश करो, आराम करो। तो हमारे राजस्थान की हालत भी ऐसी ही हुई है। इस जनता पार्टी ने जो दौलत मिली उसको खूब लुटाया है। कोई खयाल नहीं रखा इस चीज का कि उपयोग होता है या नहीं होता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हमारे कार्पोरेशन्स, क्या सरकारी उद्योग, जो आज के दिन चल रहे हैं वे सब घाटे में चल रहे हैं। उनमें कितना रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आता है या नहीं आता है। हमारा इन्वेस्टमेंट करोड़ों की तादाद में आज उनके अन्दर मौजूद है। उनको आपने चलाने के लिये सरकारी अधिकारियों को मुकर्रर किया है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों को ऐसी मनोवृत्ति वाले अधिकारी ही चला सकते हैं जिनमें मिशनरी जील हो। जिनमें इस बात का अहसास हो कि ये हमारे उद्योग हैं हमको इन्हें आगे बढ़ाना है। क्या इस बात का ठेका केवल आई. ए. एस. अधिकारियों ने ही ले रखा है ? चाहे कोई उद्योग किसी भी कन्सर्न का हो वे इस उद्योग को अच्छी तरह ही चलायेंगे, क्या उनमें इतनी निपुणता है ? और क्या उनको उस उद्योग का तजुर्बा होता है ? अधिकारी साल, दो साल या छः महीने रहे और फिर उस का ट्रांसफर हो गया। इसलिये ही घाटे की बात आती है, घाटा इस कारण से होता है कि हम लोग प्रोपरमैन को प्रोपर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी अहम् बात यह होती है कि किसी व्यक्ति को उस जगह लगाया जाये जहां पर वह अच्छा उपयोगी साबित हो सकता हो। हमने देखा है कि जो व्यक्ति उसको सम्भाल नहीं सकता उसको उसमें लगा दिया जाता है। जो सबसे खराब आदमी होता है उसको उस पोस्ट पर लगा

(76)

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

दिया जाता है। नुकसान होगा तो सरकार का होगा। मैं तो कहता हूं कि हमको एक नीति अख्तियार करनी चाहिये कि सीनियर आदमी को लगाने के बजाय किसी भी आर. ए. एस. को लगा दिया जाय और कहा जाय कि आपको आई. ए. एस. में लेने योग्य तभी माना जायेगा जब कि उस उद्योग को बढ़ा कर दिखाओगे। और जो आदमी चैलेंजिग स्प्रिट का होता है वह उद्योग को बढ़ा कर दिखा सकता है।

आज क्या हो रहा है ट्रांसपोर्ट में? घाटा ही घाटा है। बदइंतजामी है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। हमको इन चीजों में, मैं समझता हूं, उद्देश्य को देखना है।

आज लोकल फण्ड को ले लीजिये। म्युनिसिपेलिटी विकास की द्योतक होती है। म्युनिसिपेलिटीज का पैसा एडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर करके किस प्रकार जाया हुआ। जो एडमिनिस्ट्रेटर जनता पार्टी ने मुकर्रर किये हुए हैं उनसे तय करा लीजिये। मैं तो अपनी बून्दी की म्युनिसिपेलिटी की बात करता हूं। करोड़ों रुपये खर्च कर दिये। कहते हैं कार खरीद ली। अरे भाई, तुमको कार की क्या जरूरत है। तुम जीप खरीद सकते थे। तांगे में भी बैठ कर आ सकते थे। फिर कार भी वह जिसमें रेडियो लगा हो, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब दोस्तों को बैठा कर ले जायें और गोठ करें। चाहे किसी भी म्युनिसिपेलिटी में चले जांय हर में घोटाला मिलेगा। जनता का पैसा जाया होता हुआ मिलेगा।

(व्यवधान)

मेरा किसी से न तो कोई प्रेम है न द्वेष है। मैं तो वह कहता हूं, जो मेरे सामने है। इतना रुपया जाया होता है।

श्री गोपाल पचेरवाल : ठीक कह रहे हैं आप।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आज म्युनिसिपेलिटीज में जो रुपया है उसका उपयोग शहर के काम आता है तो मैं समझता हूं इससे शहर की शोभा बढ़ती है। लेकिन हमको तो यह मतलब है कि किसी तरह से चुनाव जीतना है। इसलिये जनता पार्टी के राज में सोचा गया सारी जगह एक-एक खम्भे पर चार-चार ट्यूब लाइट लग जानी चाहिये और लगा दी गई। कितना कमीशन एडमिनिस्ट्रेटर साहब का रहा, यह जनता पार्टी और एडमिनिस्ट्रेटर जानते हैं। फर्नीचर खरीदा गया उसमें भी जो कुछ हुआ वह सब जानते हैं।

तो मेरा मतलब यह है कि जब तक हमारा बैंकिंग और सुपरवीजन जो डवलपमेंट करने वाली इन्स्टीट्यूशन्स हैं, आमदनी करके देने वाली इन्स्टीट्यूशन्स हैं इन पर नहीं होगा उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे उस वक्त तक हम नहीं कह सकते कि हम कोई प्रगति के रास्ते पर जा रहे हैं।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आपने इसमें देखा कि हम आइन्दा साल में कितना खर्चा करने वाले हैं। सैकण्डरी स्कूल को हायर सैकण्डरी, मिडिल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में परिवर्तित कर देना या कुछ विषय खोल देना काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिये यह था कि इस बात का ध्यान देती कि आज किस बात

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा, मैं तो आज भी सरकार से निवेदन करूंगा कि आवश्यकता है कोटा में इन्जीनियरिंग कॉलेज की ताकि वहां से जो लड़के निकलें उनको रोजगार वहीं मिल जाय। दो साल तक ध्यान नहीं दिया तो अब तो ध्यान देना चाहिये। एग्रीकल्चर की इस्टीट्यूशन कोटा में खोली जाय ताकि चम्बल का विकास हो। गंगानगर में एग्रीकल्चर की इन्स्टीट्यूशन खोलें, एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग की इन्स्टीट्यूशन खोलें। क्यों नहीं इस ओर ध्यान देते हैं ? दिया जाना चाहिये। पोली टेक्निक की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि रोजगार मिलने की सुविधायें बढ़ें। इनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

बैंकिंग का विषय नहीं है, हायर सैकण्डरी स्कूल्स में। सारे स्कूलों में बैंकिंग का विषय है 10वीं कक्षा तक और जिले में एक ही हायर सैकण्डरी स्कूल है वहां बैंकिंग गायब। मैं अभी गया था बून्दी। मुझे बता रहे थे कि वहां हायर सैकण्डरी में बैंकिंग नहीं है। एग्रीकल्चर का विषय कई स्कूलों में है, कई में नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जो आगे चल कर आदमी को उपयोगी बना सकता है। इन विषयों की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप हास्पिटल्स खोलते हैं तो यह देखें तो कहां की क्या नेसेसिटी है। आज डूंगरपुर में 'सी' ग्रेड का हास्पिटल है। मैं अभी बून्दी में गया। अस्पताल के बरामदे में मरीज पड़े रहते हैं। 120-130 की जगह के बावजूद 200 मरीज पड़े हुए हैं। यह पहले नहीं हुआ। तो नहीं हुआ। अब तो हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री गोपाल पचेरवाल: आपको चिकित्सा मन्त्री लगाना चाहिये।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अरे, मैं तो तुम्हारी वकालत कर रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लेक्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में है। जैसे आज प्रॉपर चैकिंग नहीं होती। को-आपरेटिव में आप जाइये, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, इरिगेशन को आप डवलप करेंगे तो आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपके साधनों का विकास होगा और जो आम आदमी है उसका विकास होगा। ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि हम ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन की ओर ध्यान दें। चम्बल कैनाल की लाइनिंग की केपेसिटी डेढ़ फीट कर दी गई। क्या पता अकल वाले लोग ऐसे ही होते हैं। अब कहते हैं कि पानी नहीं पहुंचता है और आपके इन्जीनियर्स में लड़ाई होती है। अब पहले खराब हुआ उसको भरा गया। उसके बाद में एडीशनल इन्जीनियर महोदय आये। उन्होंने कहा यह गलत काम हुआ है। इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। कहने लगे, जिम्मेदार हो उससे पूछो। इन सब में अच्छे इंजीनियर, कलाकार माने जाते हैं डी. डी. गुप्ता, वे कोटा में हैं और मशहूर भी हैं। वे इन्जीनियर कला के कलाकार हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह चीज ऐसी है कि अगर हमारे यहां पर इसको चैक नहीं किया गया तो वास्तव में यह एक खराबी लाने वाली है। इसलिए आप इरिगेशन के ऊपर जबरदस्त ध्यान दें और जो साधन जुटाये

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

गये हैं उनको मेंटेन ठीक तरीके से करें। एक तरफ साधन जुटाये जा रहे हैं और दूसरी तरफ उनका मेंटीनेन्स नहीं होता है। मेंटीनेन्स का फण्ड कहां जाता है ? हमेशा शिकायत रहती है, चाहे रोड्स हों, चाहे इरिगेशन के तालाब हों, चाहे इरिगेशन के टेंक्स की सफाई की बात हो, यह बात सामने आती है कि हमारे पास फण्ड्स कम हैं। यह क्यों होता है ? गलत मजदूर लगाये जाते हैं इसलिए काम नहीं हो पाता। गलत मस्टर रोल बनते हैं। चुनाव के दिनों में कार्यकर्त्ताओं को लगा कर गलत मस्टर रोल बनाये जाते हैं इसलिए काम नहीं हो पाते हैं। पिछले समय में ऐसी ऐसी जो चीजें हुई हैं, उनकी तरफ तो क्या ध्यान दें परन्तु आगे के लिए सम्भलना चाहिये। हमारे मनी का यूटिलाइजेशन बेस्ट हो, हमारे साधन जितने हैं उनका यूटिलाइजेशन बेस्ट हो, जो हमारी प्राकृतिक सम्पदा है उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट हो, हमारी वेलफेयर स्टेट बने, ऐसे सामाजिक दृष्टिकोण को अपना कर हमें काम करना चाहिये। मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत मन्त्री महोदय और उनकी मार्फत मुख्य मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि तबादले नहीं होंगे, काम होना चाहिए। तबादले तो होने चाहिये, जो निकृष्ट हैं, काम नहीं करते हैं, जो आपकी विचारधारा में विश्वास नहीं करते हैं, आपके समाज में विश्वास नहीं करते है, एक तरह की विचारधारा से कुंठित हैं उनके तो तबादले होने चाहिये और तबादले होंगे ......

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राजस्थान के हित में जो प्रॉपर आदमी है, उसको प्रापर प्लेस पर लगाया जाना चाहिये। जो काम कर सकता है उस आदमी को अच्छे से अच्छा काम दिया जाना चाहिये। उससे काम लेने की क्षमता हो तो हमारा जो यह प्लान है, बजट है, वह पूरा किया जा सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं।

श्री सभापति : श्री बहादुरसिंह !

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : सभापति महोदय, जो बजट पेश हुआ है उसमें आदिवासी क्षेत्रों के विकास का कोई लेखा जोखा सामने नहीं आया है। सिर्फ यह बताया गया है कि आदिवासियों, हरिजनों को ऊंचा उठाया जायगा। गरीब तबके के लोगों की मदद की जायेगी। सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिला एक आदिवासी क्षेत्र है। कांग्रेस राज के पिछले 30 सालों में वहां के गांवों की ओर नहीं देखा गया है और आज भी इस बजट में वहां के गांवों के लिए न कोई सड़क का जिक्र किया गया है, न सिंचाई के तालाबों का जिक्र किया गया है, न शिक्षा के विकास का जिक्र किया गया है। इस हिसाब से यह आदिवासी क्षेत्र, जिला काफी पीछे रह गया है।

माननीय सभापति महोदय, बांसवाड़ा जिला एक आदिवासी गरीब, काश्तकारों का इलाका है। वहां पर माही डेम बन रहा है। माही डेम में जो गांव डूब में आएंगे उनके काश्तकार विस्थापित हो रहे हैं। वे तमाम आदिवासी काश्तकार हैं। वे आज विस्थापित बन कर दर दर भटक रहे हैं

(श्री बहादुरसिंह)

उनको जमीन अलॉट नहीं की जा रही है। जमीन का अलॉटमेंट केवल कागज पर किया जा रहा है। कागज का पट्टा उनको दिया जाता है। पुनर्वास विभाग के अधिकारियों के द्वारा। वे लोग उनको यह बताते हैं कि यह जमीन का पट्टा है। उस गांव में जाकर बस जाओ। उनको जिस गांव के नाम से पट्टा दिया जाता है, जो जमीन का नम्बर दिया जाता है, वहां पर वे जाते हैं तो वह भूमि कंकरीली पथरीली होती है और दूसरी तरह की जमीन होती है तो उस पर नाजायज कब्जा किया हुआ दिखाई देता है। वहां के लोग उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं और उन विस्थापितों को बसने नहीं दिया जाता है। राज्य सरकार माही डेम से डूब में आने वाले गांवों के गरीब आदिवासियों, काश्तकारों, लोगों को सही ढंग से बसाने की व्यवस्था करें, काश्त की जमीन उनको दिलाने की व्यवस्था करें, वरना विस्थापित दर दर भटकते रहेंगे और एक जगह बस नहीं पाएंगे, अपने मकान नहीं बना पाएंगे। आगे भविष्य में जाकर वे बेकार हो जाएंगे। वहां पर ऐसी स्थिति है कि आदिवासी लोग चोरियां, डकैतियां नहीं करते हैं। वे लोग अपना धन्धा, मजदूरी, काश्तकारी के रूप में बसते जा रहे हैं। डेम के डूब में गांव आने से सैकड़ों की तादाद में काश्तकार बर्बाद हो जाएंगे। अगर उनको जमीन नहीं मिलेगी, साधन नहीं मिलेंगे, मजदूरी के साधन नहीं होंगे तो बेकार हो जाएंगे और फिर चोरी, डकैती करने लग जाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता उनके पास नहीं रहेगा। वन विभाग की जमीन की जिन विस्थापित और काश्तकारों ने मांग की है, राज्य सरकार उन विस्थापितों, काश्तकारों को न देकर नाजायज कब्जा किए हुए लोगों को बहाल किए हुए है और आज भी वे खेती कर रहे हैं। इस प्रकार जो विस्थापित काश्तकार हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सभापति महोदय, राज्य सरकार की तरफ से अगर व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो एक साल बाद में लोग बेकार हो जायेंगे और लोगों के मरने की नौबत आ जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं होगी तो लोगों के मरने की नौबत आने पर राज्य सरकार को मजबूरन कुछ कार्य करना पड़ेगा इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप इस कार्य को सही ढंग से करें ताकि लोगों के मरने की नौबत नहीं आवे। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा के माही डेम में आने वाले गांवों के काश्तकारों को काश्त की भूमि, मकान के लिए प्लाट समय पर दिलाए जाएं, समय पर नहीं मिलेंगे तो वे बेकार हो जाएंगे। इसलिए यह व्यवस्था करें। राज्य कर्मचारी, कलेक्टर, वहां के पुनर्वास विभाग के अधिकारी, चीफ इन्जीनियर इनको इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए आप हिदायत दें ताकि वे तत्काल व्यवस्था करें। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो गरीब, अनपढ़, आदिवासी, जो बोल नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, जो सरकार के पास नहीं आ सकता, मर जाएगा। इसलिए उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी के नाते, फर्ज मान कर सरकार इन विस्थापितों के पुनर्वास के सही आदेश जारी करे।

(श्री बहादुरसिंह)

वहां पर वन विभाग की जमीन पर आज से 15-20 साल पहले जिन काश्तकारों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है, राज्य सरकार के ऐसे आदेश हैं कि जिन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है, वे नाजायज कब्जा करने वाले अगर भूमिहीन काश्तकार हैं तो उनके नाम से वह जमीन रेगुलेराइज कर दी जाए। आज तक वह जमीन पकड़ में नहीं आई है। इसलिए नहीं आई है कि अधिकारियों ने उन काश्तकारों से चन्दे के रूप में रुपया वसूल कर लिया और रसीद नहीं दी। यह बात रिकार्ड में नहीं है इस कारण वह जमीन रेगुलेराइज नहीं हो सकती है। मैं आप से, आपके माध्यम से राज्य सरकार और मुख्य मन्त्री महोदय को यह कहना चाहूंगा जिन भूमिहीनों ने, भूमिहीन काश्तकारों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं 15 साल से उनका नाम रिकार्ड में नहीं है। उनका नाम रिकार्ड में लेकर आदेश भूमिहीनों के नाम से दिये जायें ताकि जो लोग आदिवासी हैं, भूमिहीन काश्तकार हैं उन लोगों की जमीन मिल सके और वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर बांसवाड़ा जिले में सिंचाई के लिये कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि 46 सिंचाई के तालाब बनाये जायेंगे। क्या बांसवाड़ा जैसे गांव में एक भी तालाब होगा? क्या बांसवाड़ा जैसे आदिवासी क्षेत्र में एक भी तालाब बनेगा? मैं ऐसा समझता हूं कि वहां की जनता आदिवासी है, पहाड़ी है, ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहां के लोग ज्यादातर खेती करते हैं, परन्तु पानी का इतना इन्तजाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जितना भी खोदो, खोदते चले जाओ परन्तु पानी नहीं आता है। इसलिये वहां सुधार का एक ही रास्ता है कि गांवों में छोटे-छोटे तालाब बनवायें, छोटे छोटे नाले बनवा दें। उनसे ही काश्तकार को पानी की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और काश्तकारों के खेतों में भी पानी जा सकता है। अगर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होगी तो वहां के काश्तकार को पानी उपलब्ध नहीं होगा। अगर काश्तकार को पानी उपलब्ध नहीं होगा तो वह भूखा रहेगा, उनकी जमीनें सूखी रहेंगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर छोटे-छोटे तालाब और छोटे-छोटे एनीकट बनाये जायें और उनसे काश्तकारों के खेतों को पानी दिया जाय। बढ़ती हुयी आबादी को, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिये, उनको रोजगार देने के लिये यह बहुत जरूरी है। यह एक बहुत बड़ा कष्ट है। इसलिये छोटे छोटे एनीकट, छोटे-छोटे तालाब बनाकर के जो आदिवासी काश्तकार वहां पर कृषि के ऊपर निर्भर हैं, उनका यह कष्ट दूर किया जाय। यह व्यवस्था नहीं की तो क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसलिये काश्तकार बेकार हो जायेंगे। एक दूसरे को जिन्दा खायेंगे, मर कट जायेंगे। ऐसा वक्त आने वाला है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में शिक्षा की बहुत कमी

(श्री बहादुरसिंह)

है। जैसे दूसरी चीजों की वहां पर कमी है, वैसे ही शिक्षा की भी कमी है। कई सालों से मेरे क्षेत्र दानपुर में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां से हमेशा विरोधी पक्ष के लोग जीतते आये हैं। पहले 30 सालों के कांग्रेस शासन में बांसवाड़ा को पीछे रखा और अब भी उस क्षेत्र को फिर पीछे रखने की बात सामने आ रही है। जनसंख्या के आधार पर स्कूल खोलने की नीति चली आ रही है किन्तु हमारे यहां पर छोटे-छोटे गांव हैं, बिखरी हुई आबादी वाले गांव हैं, इन गांवों की जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम होने के नाते सैकण्डरी और मिडिल स्कूल नहीं खोल सकते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जनसंख्या और गांव की आबादी को न देखते हुये क्षेत्र को देखते हुये सैकण्डरी और मिडिल स्कूल खोले जायें। वहां 3-4 गांवों को मिलाकर जनसंख्या बन जाती है। मेरा निवेदन यह है कि एक ग्राम पंचायत के अन्दर एक सैकण्डरी या मिडिल स्कूल खोला जाये तो वहां के काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। अन्यथा वहां के बच्चे शहर या कस्बे में पढ़ने के लिये जाते हैं तो वहां खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था नहीं हो सकती है और वे मिडिल स्कूल तक, प्राइमरी स्कूल तक पढ़ कर रह जाते हैं। आदिवासियों में शिक्षा की कमी हमेशा से रही है और अब भी यह रहने की नौबत आ गयी है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में कमी आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के नाम से बतायी जा रही है, तो इस बजट को बढ़ा कर आदिवासी क्षेत्र को किसी न किसी रूप में सहायता देकर आगे बढ़ायें जिससे उनका भला हो। यह बजट रखा है इसमें आदिवासी हरिजनों के नाम पर आप लोग प्रावधान रखते हैं परन्तु इन लोगों तक कोई सुविधा नहीं पहुंचेगी यदि ऐसी व्यवस्था सरकार नहीं करेगी। पैसे को बढ़ा कर ज्यादा पैसा खर्च किया जाये तो मैं समझता हूं कि नयी सरकार से कुछ आशा की जा सकती है।

जनता पार्टी जो कर गयी सो कर गयी 30 साल तक कांग्रेस सरकार ने जो किया वह किया। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों को अलग रखा। उसी प्रकार से यह सरकार भी करे तो यह हरिजनों का कोई भला नहीं कर सकती है...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, खानपुर, घाटोल आदि ग्रामीण क्षेत्रों को अपने ध्यान में रखें, और आदिवासी लोगों को राहत पहुंचायें।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): सभापति महोदय, आज हम राजस्थान के बजट के ऊपर ऐसे समय में विवाद करने के लिये और विचार करने के लिये बैठे हैं, जब सारा देश और इसके साथ साथ राजस्थान एक बड़ी विषम आर्थिक परिस्थिति में से गुजर रहा है। आज

(82)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
हम उस वक्त इस बजट पर विचार कर रहें हैं जब रुपये की कीमत केवल 19 पैसे है। आज हम उस वक्त इस बजट पर विचार कर रहे हैं, जब कि राजस्थान के प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी 278 रुपया सालाना है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एक रुपये की औसत मुश्किल से है, 70 या 75 पैसे है। जब कि गेहूं और समस्त खाद्य सामग्री और तो और गरीब का खाना दाल चार रुपये किलो मिलती है तो एक व्यक्ति को जो 70 या 75 पैसे मिलते हैं उससे वह पाव दाल भी नहीं खरीद सकता है। ऐसी स्थिति में हम इस बजट पर विचार कर रहे हैं। इस सदन में चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों उनसे मेरा निवेदन है कि हमको इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना होगा। हम आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करके इस संकटग्रस्त स्थिति से अपने राज्य को नहीं निकाल सकते हैं।

आज हमारे सामने जो बजट आया है, जो हमें बजट का घाटा मिला है, वह कम नहीं है पूरा 100 करोड़ का घाटा मिला है। सभापति महोदय, आज हमारी पार्टी को जो शासन चलाने का, राज्य चलाने का मौका मिला है, उस समय हमें राज्य मिला है जब राजस्थान भूखा और नंगा है और सरकार का खजाना बिल्कुल खाली पड़ा है...

एक माननीय सदस्य: आपने भी यही दिया था।

(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत: माननीय सदस्य, मैं आप से निवेदन करूंगी कि आप बोलते हैं तो मैं दखलन्दाजी नहीं देती हूं।

जो राज्य मिला हमको चलाने के लिये मैं कह रही थी कि उसका खजाना खाली पड़ा है। जहां कहीं अनाज भरा था वह खतम हो चुका है। आज हमें बिजली पावर उपलब्ध नहीं है। आज हमें जो राज्य चलाने को मिला है उसमें बिजली की कटौती के मारे सैकड़ों-हजारों उद्योग बंद पड़े हैं। किसी में 25 प्रतिशत कटौती है, किसी में अधिक कटौती है। ऐसी स्थिति में राज्य चलाने को मिला है। फसल को वक्त के ऊपर पानी नहीं दे सके इससे सूखी हुयी मिली। हमें जो उजड़ी हुयी हालत मिली है उसको ठीक करना है। पूरा 100 करोड़ का घाटा मिला, बल्कि कहती हूं कि 100 करोड़ से बढ़ कर के अन्त में 125 करोड़ का हो जायेगा। हमें राज्य उस हालत में मिला है जब इस साल हम तकावी भी नहीं दे सकते हैं। चाहे पिछली सरकार हो या यह सरकार हो अकाल के बाद तकावी मिलनी चाहिये। वह तकावी नहीं मिल पा रही है। मैं उधर बैठे हुये माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगी, अकाल की भीषणता से हमारे ऊपर कितना वजन आया है।

69 में जब अकाल पड़ा था तब 17 लाख मजदूरों को लेबर का काम दिया गया था, इस सरकार ने जब कि यह अकाल भी 69 के अकाल से कम नहीं था फिर भी केवल 9 लाख 21 हजार लेबर को काम पर लगाया। राहत कार्य शुरू हुये और बकाया जो लोग हैं उनको काम दे रहे हैं, लेकिन आजकल सरकार के आंकड़े यही हैं।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

अब, सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, लेकिन हमारी मंत्राणी जी की मार्फत मैं कहूंगी कि यह कई बार आया है और अब हमारे सामने भी यह समस्या के रूप में आना चाह रही है। इसके ऊपर मैं विचार रख रही हूं। 2 करोड़ का खर्चा बजट में मिला है, आखिर हमें राज्य का शासन चलाने के लिये व्यवस्था जिस तरह करनी है, उसके केवल 3-4 रास्ते हैं जिनके द्वारा हम व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें से एक तो है 'ओवर ड्राफ्ट' लेकिन ओवर ड्राफ्ट लिया जायेगा तो यह कोई रास्ता नहीं है। यह कोई तरक्की की बात नहीं है। वह कर्ज भी राज्य के ऊपर पड़ेगा फिर खरबूजा चाकू के ऊपर गिरे या चाकू खरबूजे के ऊपर गिरे बात तो एक ही है। ओवर ड्राफ्ट की बकाया चुकानी पड़ेगी, फिर हमें इसके मिलने का विश्वास भी नहीं है। जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ती जा रही है, इनफ्लेशन बढ़ता जा रहा है, इतना ज्यादा वजन हमारे ऊपर आयेगा कि ओवर ड्राफ्ट को प्राप्त करने में हमें कितनी मुश्किल होगी। फिर केन्द्रीय सरकार के सामने राजस्थान ही तो एक राज्य नहीं है, दूसरे राज्य भी इसी तरह से 'ओवर ड्राफ्ट' मांगते हैं कई बार देखा गया है कि केन्द्र से ओवर ड्राफ्ट को रोकने के लिये आॅर्डर आते हैं। इसलिये यह कोई समाधान नहीं है। उसका जिसका मुख्य मंत्री ने जिक्र किया; मितव्ययता का तो मेरी समझ में नहीं आता है कि वे मितव्ययता कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे। मैं यह नहीं कहती हूं कि मितव्ययता नहीं हो सकती है। लेकिन मितव्ययता करने के लिये हिम्मत चाहिये, त्याग चाहिये। एक जबर्दस्त विल पावर होनी चाहिये। तब ही यह मितव्ययता होती है। यह हम देख चुके हैं कि मितव्ययता की बात इस सरकार ने भी कही और उस सरकार ने भी कही, सबने कही लेकिन मितव्ययता शब्दों में होती है, कागजों में होती है लेकिन असली मितव्ययता तो देखी नहीं। मितव्ययता की आज्ञा भी निकाली जाती है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पेनी वाइज पाउण्ड फुलिस इस तरह की मितव्ययता होती है। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य बड़ी शान से कहते हैं कि पिछले 3 वर्षों में हमारे शासन का बिल नहीं बढ़ा। मैं पूछती हूं कि पिछले 3 वर्षों में हमारे शासन का बिल कितना बढ़ा ? शासन का बिल बहुत जबर्दस्त बढ़ा है। कई विभाग बिना जरूरत के ही कायम किये गये हैं और वे आज तक चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक छोटी सी बात लम्बी न करके नजीर के तौर पर कहती हूं कि आप मुख्य मंत्री जी का पर्सनल स्टाफ देख लें सन् 70 में वहां कुल कितने व्यक्ति थे और अब 80 में जब आपके मुख्य मंत्री जी वहां से गये थे तब स्टाफ कितना बढ़ा ? उसी रेश्यो में, उसी अनुपात में सभी विभागों में बिना जरूरत ही स्टाफ बढ़ाया गया। जहां कहीं जरूरत नहीं थी उनको लगाया गया। विशेष सचिव के पद कायम किये गये आज लोगों में मजाक चलती है कि भैरोंसिंह जी के राज में अनेक कर नर हो गये। कमिश्नर के पद पर पहुंच गये 'कर' से 'नर' हो गये, तो यह मितव्ययता का जो सवाल है तो मितव्ययता कहां तक कर पायेंगे और अगर कभी की भी तो, सभापति महोदय, वह होगी गैर योजना व्यय में और उसमें जिस कार्य में करना चाहेंगे उसमें मेरा निवेदन करना है कि वह मुझे एलोबेट करके समझायें। मुझे समझाया जाये कि कितने कितने मदों में वे मितव्ययता करेंगे।

(84)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

तीसरा जो राजस्व बढ़ाने के बारे में या काम चलाने का रास्ता है, वह यह रास्ता है कि गैर राजस्व की आमदनी को बढ़ाया जाये और यही वास्तव में असली तरीका है जो अपनाना चाहिये। जिससे आमदनी बढ़े और उस के आधार पर हम विकास करें, समाज कल्याण का काम करें और राज्य के जो गरीब हैं, दबे हुये हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग दिया जाये, पनपाया जाये लेकिन असली बात यह है कि जैसा मुझसे पहले बोलने वाले श्री शर्मा जी ने कहा कि इस तरह की आय हमारे बजट में 70% की मुश्किल से है। अभी मुझे बताया कि 71% है तो अवश्य 71% की होगी। मुझे तो यह संतोष होता कि गैर राजस्व की आय इतनी होती। हम राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। राज्य चलाने के लिये या विकास करने के लिये आय के इतने स्रोत कहां से आयेंगे? हम जानना चाहते हैं? इस समय जो हमारे इस प्रकार के गैर राजस्व के 2-3 बड़े साधन हैं, संस्थायें हैं उनकी क्या हालत है? हमारा राजस्थान ट्रान्सपोर्टेशन याने राजस्थान परिवहन किसी जमाने में आमदनी देता था। मुझे याद है जब मैं असेम्बली में थी शायद उस समय 18 लाख की आमदनी थी। इसकी मुझे खुशी थी। हमने खुशी मनायी थी कि आज हमें यह आमदनी हुयी है। लेकिन धीरे धीरे हालात कहां पहुंच गये, आज वह परिवहन 4 करोड़ का घाटा दे रहा है जब कि दूसरे राज्यों में इस तरह की संस्थायें हैं, गुजरात में हैं वह कमाई दे रहा है। राज्य के आय के स्रोत में वह बहुत बड़ा स्रोत है। वहां की बसों में बैठने से इन्सानों को खुशी होती है। हमारे यहां जो बसें चलती हैं यदा-कदा मैं भी उनमें चलती हूं जिस तरह से लोग उनमें जाते हैं, जिस तरह की उनकी व्यवस्था है, जिस तरह खराब होकर खड़ी रहती हैं, एक पंक्चर होने पर भी उसका ड्राईवर उसको ठीक नहीं करता है, उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारे राजस्थान की आय का स्रोत क्या हम इससे बढ़ा सकते हैं? इस राजस्थान के परिवहन में 80-85 हजार की रोज चोरी होती है। आपके बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं फिर भी आपका जो यह संस्थान है वह करोड़ों का घाटा देता है। यह टैक्स देने वालों के सीने पर एक बजन होगा, इसको क्यों नहीं देखा जा रहा है।

इसी तरह हमारा आर.एस.ई. बी. है। इसमें आमदनी कर सकते हैं, लेकिन आज इसकी हालत क्या है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है? इसकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है। पिछले दिनों जब इसको सप्लाई देने वालों ने सप्लाई देना बन्द कर दिया था तब इसको लोग दिवालिया कहने लग गये थे। हमारी जो लाइनें हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं वे एल. आई. सी. वगैरह के पास गिरवी पड़ी हैं। चाहें आप उसको हाइपोथेटिक कहें पर दरअसल में हैं वे गिरवी की गिरवी आप जो शब्द उचित समझें वह कागज में डाल दें।

तीसरा जो हमारा रॉक फास्फेट होता था आज इसके अन्दर भी दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। आखिर इस तरह जो आमदनी के स्रोत हैं वे आपको घाटा दे रहे हैं और राज्य के शासन भार को चलाने के लिए जो इधर उधर कमिटमेंट

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

कर रखे हैं । राज्य में शिक्षा और दूसरे काम करने के लिए आय को किस तरह से बढ़ाया जाये, ओवर ड्राफ्ट इसका कोई समाधान नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इसी तरह से दूसरा कहने के लिए राजस्थान कैनाल हमारी ग्रेनरी रही है। किसी जमाने में राजस्थान कैनाल भी एक बहुत बड़ा आयका स्रोत थी। आजकल राजस्थान कैनाल की क्या हालत हो गयी है। गंग कैनाल को एक छोटी सी स्टेट ने बनवाया था आज हम उस गंग कैनाल को चाहे आपकी सरकार रही हो या हमारी सरकार रही हो मरम्मत भी नहीं करा पा रही है और हिन्दुस्तान में सबसे पहले बनी पक्की कैनाल आज जगह-जगह से टूट गयी है। इसका भराव सूख गया है, उसमें पानी पूरा नहीं भरता है। हमारी राजस्थान कैनाल और गंग कैनाल जो आमदनी की स्रोत थी वह अब नहीं रही है। जब राजस्थान कैनाल की बात आती है तो 2 बातें कहनी पड़ेंगी। अभी चार पांच साल पहले 104 करोड़ रुपये का वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया था कि राजस्थान कैनाल को डवलप किया जायेगा। डवलप कैसा किया जावेगा, एक फीट भी आगे-बढ़ाने के लिए नहर नहीं खोदी जायेगी। 104 करोड़ का कर्जा है वह तो चुकाना ही है लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान कैनाल किसानों की शामत आ गयी है। जो कैनाल बनाने के लिए जिसे लोकल भाषा में खड़ाई कहते हैं। उसकी हालत क्या है कि एक मुरब्बा में खालें बनाने के लिये साढ़े नौ हजार रुपयों का कर्ज लिया जाता है उस पर किसानों को 2850/- ब्याज के देने पड़ते हैं। दुनिया में शायद ऐसी सूदखोरी कहीं नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगी, अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जिन किसानों के हित की बात कर रहे थे उन किसानों से ही साढ़े नौ हजार पर 2850/- आपके राज में वसूल किये गये और किसानों को मजबूरन देने पड़े। आप जिस किसान की भलाई की बात करते हैं उस पर इतना बड़ा अत्याचार दुनिया में शायद कहीं नहीं हुआ। सभापति महोदय, उनको इन्स्टालमेन्ट के नोटिस दिये गये, मैं सदन में लाकर पेश कर सकती हूं, ऐसी हालत हो गई है,

सभापति महोदय, हमें जब राज्य का विकास करना है और आगे बढ़ाना है, शासन चलाना है तो हमें इस तरह के काम करने चाहिए जो स्थाई हों, जिनसे कर न लगे लेकिन राज्य की आमदनी बढ़े। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं, मन्त्री महोदय, क्यों नहीं को-आपरेटिव इण्डस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाता है। आज हम दूसरे राज्यों में देखते हैं, महाराष्ट्र में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज को-आपरेटिव के आधार पर चल रही हैं, इसी प्रकार से गुजरात में है। राजस्थान में केवल गुलाबपुरा और हनुमानगढ़ में दो छोटे से यूनिट काम कर रहे हैं। को-आपरेटिव में यदि इण्डस्ट्रीज को बढ़ावें तो राज्य सरकार का गांठ का कुछ लगता नहीं, केन्द्र सरकार सारा खर्च देती है केवल साढ़े बारह पर्सेन्ट राज्य को देना पड़ता है। इससे आप बेरोजगारी को भी दूर कर सकेंगे और राज्य की आमदनी भी एक तरह से नहीं अनेक तरह से आप बढ़ा सकेंगे। इसलिए क्यों नहीं आप को-आपरेटिव में इस तरह की

(86)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

इण्डस्ट्रीज कायम करते हैं ? केन्द्र के अधिकारियों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई कमी नहीं है, राज्य सरकार इस काम को ले सकती है।

राजस्थान में खनिज पदार्थ भी भरपूर मात्रा में हैं। ईश्वर ने राजस्थान में कई मामलों में प्राकृतिक सम्पदा दी है उसकी पूरी यूटिलिटी नहीं होती, आज हमारे पास जिप्सम है, लिग्नाइट है, नागौर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में इसके भण्डार हैं, क्यों नहीं इनको आप काम में लेते हैं। हमारे पास हिन्दुस्तान में सबसे अधिक सोर्सेज हैं। यहाँ पर सीमेन्ट की फैक्ट्रीज कायम की जा सकती हैं। लाइम स्टोन के हमारे यहां अपार भण्डार हैं। नई-नई किस्म के मारबल्स हमारे यहां मौजूद हैं। इनके लिए हम एल. आई. सी. और केन्द्र से लोन ले सकते हैं, इस तरह से हमारी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इस वक्त हमने नये कर लगाने की गलती नहीं की है क्योंकि हमारे नागरिकों के ऊपर कर का वजन ही काफी पड़ा हुआ है, उसी से उनकी कमर टूट रही है। ऊंट की पीठ पर तिनका भी रख दो तो भारी लगता है। उसी प्रकार से नागरिकों की हालत हो रही है। इसलिए आपको ऐसे काम करने चाहिये जिससे आमदनी बढ़ सके। हमारे यहां सोप स्टोन है उसको काम में लिया जा सकता है। मैं यह निवेदन करूंगी कि जब तक आप आय नहीं बढ़ायेंगे तब तक राज्य का विकास करना तो दूर की बात है आप शासन भी ठीक ढंग से नहीं चला सकते और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं होगी। हम इस पर भी विचार करें कि हम कहां पर और किस प्रकार से खर्च करें जिससे उसका रिटर्न ठीक ढंग से मिले। हम खर्च तो करते जा रहे हैं उसका रिटर्न हमको मिलता नहीं है, हम बरबाद हो रहे हैं और कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आपने अस्पताल खोल दिये, स्कूल खोल दिये, लेकिन हालत कैसी है, उनकी मेन्टीनेन्स भी नहीं होती। सड़कें, नहरें और तालाबों, जो सिंचाई के लिये बनाये गये हैं, को संभाला नहीं जा सकता है, अन्धेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो रही है।

अब आपने जो बजट में दो-चार बातें रखी हैं उनके बारे में जानना चाहूंगी। एक तो यह कहा गया कि जल प्रदाय को डी.पी.ए.पी. में शामिल किया जायगा। साथ ही पैरा 21 में कहा गया है 4,000 गांवों में पानी इस साल देने का निश्चय किया है। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या आपको डी.पी.ए.पी. की रकम शामिल करने के लिये एश्योरेन्स मिल गया ? क्या आपकी मशीनरी इस काम को कर लेगी ? यह केवल आपकी कागजी घोषणा बन कर ही तो नहीं रह जायगी ?

दूसरी बात इस बजट में यह भी बताई गई है कि पैट्रोल, डीजल इत्यादि की भारी कमी को देखते हुए गोबर गैस प्लान्ट पर अधिक जोर दिया जायगा। राजस्थान में शुरू से लेकर अब तक केवल 400 प्लान्ट लगे हैं इस साल आप 2,500 संयन्त्र लगाना चाहते हैं। जो काम आप 20,25 सालों में नहीं कर पाये उससे 6 गुना काम आप 8 महीनों में कैसे कर पायेंगे ? यह सवाल है मेरे दिमाग में है कि यह कैसे होगा ? क्या इसका सर्वे हो गया है ?

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

सभापति महोदय, मैं एक छोटी सी बात भी निवेदन करना चाहूंगी। आपने नसबन्दी का जिक्र करते हुए कहा कि पुरुषों को 80 रुपये दिये जावेंगे, महिलाओं को 50 रुपये दिये जायेंगे और लेवरोसोमी से जो महिलाएं आॅपरेशन करवायेंगी उनको 30 रुपये दिये जावेंगे। मुझे बताइये इसके पीछे क्या आधार है? अभी भी आपके दिमाग से भेदभाव की बात नहीं निकली। पुरुषों को 80 रुपये और स्त्रियों को 30 रुपये जब कि महिलाओं का आॅपरेशन गम्भीर होता है और पुरुषों का सरल।

एक माननीय सदस्य : यह ज्यादती है महिलाओं के साथ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कदम कदम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है।

इसी तरह से, सभापति महोदय, 14 करोड़ रुपये आपने राज्य कर्मचारियों के डी. ए. के लिये रखे हैं। कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। वास्तव में कर्मचारी परेशान हैं, उनको महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन आखिर कहां तक मिलेगा, इसकी चैन कहां तक चलेगी। आज इनको दिया जा रहा है कल दूसरों को देना पड़ेगा। उनको भी दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि कई वर्ष पहले ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के जमाने में रेलवे में को-आॅपरेटिव स्टोर्स खोले गये थे जो आज भी चल रहे हैं। उनके द्वारा सस्ते भाव पर जरूरत की चीजें दिलाई जा सकती हैं। क्या आप इस प्रकार के को-आपरेटिव स्टोर्स नहीं खोल सकते जहां कम से कम साल भर के लिये एक निश्चित कीमत के ऊपर कर्मचारियों को जरूरी चीजें उपलब्ध हो सकें? कर्मचारी अपना बजट बना सकते हैं। उनको सब्सिडी की जरूरत हो तो सब्सिडी भी दी जानी चाहिये। अगर को-आपरेटिव स्टोर पर इस तरह का सामान मिलने लग जायगा तो इसका काफी असर पड़ेगा। यसेंसियल गुड्स का स्टोर क्या है, उनकी कीमतें क्या हैं, यह भी दुकान पर लगाया जाना चाहिए। पहले जिस वक्त स्टेट्स थीं उस वक्त उदयपुर स्टेट में 15 दिन के लिए सरकारी आदमी बैठते थे। बाजार के व्यापारियों को बुलाते थे और कन्ट्रोल किया जाता था। 15 दिन के लिए सरकार आवश्यक वस्तुओं के भाव निर्धारित करती उन भावों के ऊपर आम नागरिक को विशेष सामान मिलता था। क्या आज हमारी सरकार एक महीने के लिए भी इस तरह की समिति नहीं स्थापित कर सकती? व्यापारियों को बुला ले और राज्य कर्मचारियों के लिए एक महीने भर के लिए आवश्यक वस्तुओं के भाव निर्धारित कर दे।

आज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे गलत हो रहा है। गलत डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से सात हजार छः सौ पैंसठ दुकानें ग्रामीणों के लिए खोली हैं। ढाई करोड़ की आबादी के लिए 7665 दूकानें क्या काफी हैं? और इन दुकानों पर मिलता क्या है? क्या कन्ट्रोल का कपड़ा, सीमेन्ट, मिट्टी का तेल आदि मिलता है? आज गांवों के अन्दर मिट्टी का तेल मिलना मुश्किल हो रहा है। मिट्टी का तेल छोटे-छोटे गांवों में आता है, बड़े कस्बों में आता है लेकिन छोटे गांवों में वितरण की व्यवस्था नहीं है। छोटे गांव वाला बड़े गांव में जाता है तो उसे तिगुनी चौगनी कीमत देनी होती है। आज अनाज को लेकर, मिट्टी

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

के तेल को लेकर गांवों में हाहाकार मचा हुआ है। बड़ा जबरदस्त असंतोष छाया हुआ है। आज माल भी आता है, मैं कहती हूं माल की कमी नहीं है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, वह बहुत खराब है। उसके बारे मैं चाहे एस. डी. ओ. से बात करें चाहे तहसीलदार से करें, चाहे पंचायत के विकास अधिकारी से बात करें, किसी भी तरफ पक्का कदम नहीं उठाया जा रहा है। मिट्टी का तेल है, शुगर बेचने वाला मिट्टी का तेल नहीं लेगा, उसकी मर्जी होगी तो लेगा। आज कल जो हमने सहकारिता के लिए खोल रखी हैं उसमें कोई नहीं जो उसे रखे।

गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि इस तरह से ऊंचे भाव लेने पर, होडिंग के ऊपर और सब तरह 1359 जगह पकड़े। यह राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा था लेकिन मुझे पूरा विश्वास है 1359 जो पकड़े हैं वे छोटे-छोटे व्यापारी हैं जो दरअसल में मुहैया करने वाले हैं, जो गढ़ हैं कालाबाजारी के उनके ऊपर हाथ नही डाला गया। किसी बड़े आदमी को नहीं छुआ जाता। अगर कदम उठाये भी होंगे तो छोटे-छोटे लोगों पर उठाये होंगे।

एक दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आती। कोई माल जब्त होता है या पकड़ा जाता है मोटे मोटे शीर्षकों में आ जाता है आज यह जब्त हुआ, वो हुआ उसके बाद में उसका होता क्या है? इसके बाद का नतीजा क्या होता है? पता नहीं लगता कि उसे कितने दिनों बाद छोड़ दिया जाता है, क्या होता है, क्या घोटाला होता है क्या नहीं होता? इस बात का हमें बिल्कुल पता नहीं चलता।

मैं आपसे कहूंगी कि आप इस समय सबसे पहले तो जो आवश्यक चीजें हैं उनके ऊपर कन्ट्रोल करें। उनके ऊपर आप कन्ट्रोल नहीं कर पाये, इस वजह से जनता पार्टी लोगों की नजर से गिरी, इसीलिए जनता पार्टी बुरी तरह हारी, इसीलिए जनता पार्टी को आज उधर बैठना पड़ा है। अगर हमने इसको नहीं सम्भाला, हमने अपनी कीमतों को कम नहीं किया और ध्यान नहीं दिया तो हमारे हक में अच्छा नहीं होगा

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

अब धन्यवाद, साहब।

श्री सभापति: श्री भगवानदास-शास्त्री!

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, घाटे का बजट जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पेश किया है, हमें और राजस्थान की जनता को पहले डर था कि नेक्स्ट बजट में टैक्स लगेंगे। विरोधाभास के कारण सम्पूर्ण राजस्थान में हम लोगों ने भी डट कर उत्तर दिया था नया बजट आते ही। पहले से ही ढाई करोड़ जनता की कमर टूट चुकी है कोई सामर्थ्य नहीं इसलिये नई सरकार आते ही नया टैक्स लगाने का साहस नहीं करेगी। जो बहुमत पक्ष होता है, वह बार-बार यही कहता है कि मंहगाई को नहीं रोका गया। यह शुक्र है कि महिलायें जो चौके में रहती हैं, उनको चौके की हालत का पता है। आज मध्यम वर्ग पिसता चला जा रहा है। उसके साथ ही जो कर्मचारी हैं उनकी तो अत्यन्त दुर्दशा होती जा रही है।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

माननीय सभापति महोदय, जहां तक घाटे का बजट है, यह घाटे का जो बजट सम्माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने पेश किया, इसमें इन्कम के जो सोर्सेज हैं, कैसे आय होगी उसके सम्बन्ध में हमारे पूर्व वक्ता, जो काफी पुरानी अनुभवी माननीय सदस्या रही हैं, ने अपने अनुभव और विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने महाराष्ट्र का हवाला दिया। मैं उसके साथ साथ गुजरात का हवाला देना चाहता हूं। चाहे गोवा हो चाहे आपके अच्छे-अच्छे प्रान्त हैं उनके नेता सक्षम हैं, निडर हैं, शक्ति रखते हैं और सामर्थ्य उनमें है। मुझे 5 साल पहले का पता है। आज गोवा में जो स्थानीय टैक्सेज, चाहे सेन्टर के टैक्सेज हैं वह आपके दिल्ली तक नहीं पहुंचते...

(2.55 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पीठासीन)

उन्होंने साफ कह दिया है केन्द्र को, जो कुछ सेलस टैक्स होगा चाहे सेन्टर का होगा, जो हमारे राज्य का होगा, उसके साथ-साथ जो इन्कम टैक्स होगा, वह हम अपने प्रदेश की प्रगति को आगे लाने के लिए काम में लेंगे पुर्तगीज सरकार जो उनकी बनी बनाई हाई कोर्ट की बिल्डिंग है वो तक भी जला गई।

आज मेरे देखते-देखते 10 साल हो चुके हैं। सेन्टर के जितने आवागमन के स्रोत हैं, सब गोवा में लगाये जाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात से राजस्थान की तुलना में हम यह समझते हैं कि हम तो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। अन्य जो प्रान्त हैं, जो राज्य हैं एक तो उनमें राष्ट्रीयता है। मुझे थोड़ा एक दृष्टांत याद आता है। जब सूरत में बाढ़ आई थी तो बाढ़ के समय में उन्होंने सारे गोदाम खोल दिये, गोदामों में जो अनाज था गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई बोझ नहीं था, कोई वजन नहीं था, कोई मिनी मीसा नहीं था, न पूरा सम्पूर्ण मीसा था, तो भी एक राष्ट्रीयता के नाते उन्होंने गोदाम खोल दिये। सस्ते भाव में अनाज जनता को देना शुरू किया।

आज हमें राजस्थान के पिछड़े वर्गों और राजस्थान प्रान्त, जो पिछड़ता हुआ जा रहा है, के लिए अपने राज्य के लिए थोड़ा साहस रखना चाहिए। जो नेता हैं, उच्च कोटि के नेता हैं वह यह न समझें कि केन्द्र हमें कोई दान दे रहा है पिछड़ा होने के कारण। आज राजस्थान को चाहे शिक्षा की नीति हो, चाहे अनाज के बारे में आप कहें भारत वैसे कृषि प्रधान देश है, राजस्थान में बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं जो विरोध करते करते बजट का अन्त में यह कहते हैं जनता पार्टी ने यह किया, वह किया। शुक्र है हमारा नाम बराबर लिया जाता है। जनता पार्टी ने ऐसा किया, आप नहीं करोगे तो विरोध में बैठोगे। यहां विरोध का आभास नहीं होना चाहिए।

जीतने के बाद, हाउस में आने के बाद आप 133 या 134 हैं, घमण्ड करें यह नहीं, आप यह सोचें जनता का कितना भला करने जा रहे हैं? जितने पूर्ववक्ता बोले मैंने जहां तक देखा है, उनका पत्ता न कट जाये, टिकट न कट जाये इसलिए बोलते-बोलते जनता पार्टी

(९०)

(श्री भगवानदास शास्त्री)
का नाम लेते हैं। अपना पर्दा साफ कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में जो अनाज के बारे में आपने खुद फर्माया कि गोदाम खाली हो गये। यहां का किसान खुद अनाज पैदा करता है। यह कहावत है, "कुम्हार के घर में साबित मटका नहीं रहता" वह बेचारा गरीबी के कारण, कर्ज के कारण, खाद के कारण नई फसल उगाने के लिए न्यूनतम 2-3 महीने ठहर कर अपना पूरा माल लाकर के मार्केट में बेचता है। ठीक है जहां कृषि मंडी है जहां समझदार हैं, वहां किसी भी सेठ-साहूकार के चक्कर में फंसा हुआ नहीं है, उसको योग्य भाव मिल जाता है, मिलने के बाद वह अपने जीवन की जो ज्वलन्त समस्या है, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी के समय में दवाओं के अभाव और बच्चों के भविष्य के लिये धन संचित कर अपने पास रखता है।

इस सदन में कुछ नए माननीय सदस्य आए हैं किंतु मुझे याद है, पहले भी बार बार जब अकाल की स्थिति होती थी तब किसान सिर्फ तीन माह तक गेहूं खाता था। उसके बाद आपकी पुरानी सरकार सड़े गले गल्ले को जला देती थी, माननीय सदस्य बोलते थे, जो कभी सड़ा गला गल्ला नहीं खाते थे, ज्वार नहीं खाते थे उनको खानी पड़ती थी। जनता पार्टी की कोई भी बात आपके समक्ष रखूं तो न मालूम आपको कैसे लगेगा। पूरा साल भर जनता पार्टी ने उनको गेहूं पहुंचाया, तो उसमें आपको क्या आपत्ति होनी चाहिये। ठीक है, कमी वेशी इन्सान करता है।

एको हि दोष गुण सन्निपाते,
निमज्जिती। किरणों स्वांक।

जहां अधिक गुण हैं, वहां एक अवगुण कभी नहीं माना जाता। इन्सान से गलती होती है पशु से नहीं होती है। हम परमात्मा नहीं हैं जनता पार्टी वाले या सत्ता में आने वाले कांग्रेसी कोई सर्व साधन सम्पन्न होते हुए भी विधाता नहीं हैं, जानबूझकर गलती नहीं करते। कराये जाते हैं। जो कुछ अनाज वितरण व्यवस्था की गई; अनाज के बदले काम योजना में जो अनाज दिया गया अच्छा हुआ उन्होंने सरपंचों और प्रधानों द्वारा ग्रामीणों को दिया। अपने किसी कार्यकर्ता के द्वारा देते या उनके थ्रू देते उसमें 10-15 प्रतिशत भ्रष्टाचार की आपको बू आती। उनके थ्रू देते तो हमारी पार्टी लोक सभा चुनाव नहीं हारती मैं गारन्टी से कहता हूं, यह हमारी पार्टी की गलती थी, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर कमीशन नहीं बैठे, इन्कवारी नहीं हो, बदनामी नहीं हो उनको बचाने के लिये कर्मचारियों, बी. डी. ओ., सरपंचों व प्रधानों द्वारा अनाज वितरित करवाया यह ठीक है। आप उनकी इन्क्वायरी करेंगे तो जो सम्बन्धित अधिकारी हैं वे फंसेंगे।

इस बजट के बारे में मुझे इतनी ही आशंकायें हैं, इसके स्रोत क्या हैं। सभापति महोदय, हमारे सक्षम और समझदार शिक्षा मंत्री हैं, मैं जो कुछ बोलना चाहता हूं, एक राजस्थानी के नाते आप मुख्य मंत्री को सलाह दें और प्रेरणा दें कि पहले पहले जैसे शिक्षा का स्रोत है 137 करोड़ का है, 27 करोड़ से बढ़ कर इतना हुआ है तो

(श्री भगवानदास शास्त्री)
क्यों नहीं आप 8वीं कक्षा तक ऐसी संस्थायें है बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे दान तो लेते हैं, बिड़ला के परिवार की एक लड़की शादी करने के बाद दूसरे दिन एम्पलाय हो जाती है । कैसे एम्पलाय हो जाती है? उसका नाम सर्विस बुक में दर्ज हो जाता है । तनख्वाह कितनी ? दो से तीन हजार । बैठे-बैठे क्या करती हैं ? लव लैटर लिखती हैं । अपने ससुराल चली जाती है । लव लैटर किसी दूसरे को नहीं अपने पति को । कार्ड्स भेजते हैं ना ? पुरानी मर्यादा एवं पुरानी प्रथा है । तो, माननीय सभापति महोदय, आप अगर उनसे पूछेंगे, टेक्टिस के बारे में डीप जायेंगे, गहरा जायेंगे तो आपको पता लगेगा जिसको हम महाचोर कहते हैं, अतिचोर । अगर कर की चोरी करते हैं तो उद्योगपति ही करते हैं । उनमें विशेषकर सेठों का नाम सर्वोपरि है, उसमें जातिवाद की ज्यादा बू है । मैं अधिक नहीं कह कर जो धनपति लोग हैं, क्या मालूम आपके सम्पर्क में हों । मैं पुरानी, विधान सभा में था, बहुत से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य उनसे सम्बन्धित रहे हैं । तब गोवा और त्रिवेन्द्रम का उनको पता लगा तो नाश्ता और रोटी का पहले से ही अर्नाकुलम में पहुंच गया था ।

अब शिक्षा के क्षेत्र में मेरी वेदना है वह व्यक्त करता हूं । जो प्राइवेट संस्थायें हैं, उनको आप काफी एड देते हैं । मैं चाहता हूं कि 10वीं तक आप शिक्षा फ्री कर दें । आप महात्मा गांधी की आत्मा को शान्ति दिलाना चाहें तो आप 10वीं कक्षा तक फ्री एजूकेशन कर दें । वैसे भी 50, 60, 90 प्रतिशत आप एड देते हैं । एडेड स्कूल का जो हाल है, विश्वविद्यालयों को छोड़ दें, वे गवर्नमेंट के हैं किन्तु मैंने जहां तक देखा है उनकी बुरी हालत है । लेक्चरर्स को लेक्चर देते समय बच्चे बीबी याद आते हैं, आज मुझे घी चाहिए, शक्कर चाहिए, आज आटा पहुंचाना है, गेहूं पहुंचाना है, वे बच्चों को क्या पढ़ायेंगे ? रिजल्ट्स देखें कॉमर्स व साइन्स, सैकण्डरी का 85 व 75 प्रतिशत रिजल्ट है । आर्ट्स का तो सत्यानाश कर दिया, ज्यादा छात्रायें हैं । आपने देखा, हायर एजूकेशन लेते ही उनको नौकरी देनी पड़ेगी, किसी को कॉलेज में जाकर भर्ती कराना पड़ेगा और जगह नहीं होगी तो चिल्लायेंगे, आन्दोलन करेंगे । कम से कम छात्र-छात्राओं से सरकार घबराती तो है, उसके साथ-साथ अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी घबराते हैं । यह सब क्यों होता है ? आज एक पढ़ने वाला स्नातक यह सोचता है कि मैं कॉलेज से निकलने के बाद दो तीन लाख बेरोजगारों की लिस्ट में नहीं आने वाला हूं, मुझे सर्टीफिकेट मिलेगा बी. ए., एम. ए., बी. कॉम., एम. कॉम. का, मुझे सीधी सर्विस मिलेगी तो उसको राष्ट्र के प्रति आभास होगा कि मैं राष्ट्र का आभारी हूं, उसमें अनुभव आएगा, नई ज्योति आएगी वह राष्ट्र के लिए सब कुछ स्वाहा करने को तैयार होगा । लेकिन यदि आप उसको रोजगार नहीं देते हैं तो भविष्य उसका अन्धकार में है, आप टेक्नोलोजी के लिए बार बार चिल्लाते हैं, वाइस चांसलर भी कहते हैं लेकिन विश्वविद्यालय में कौनसा परिवर्तन हुआ है ? आप वर्ष कम करें 10 प्लस 2 । उससे बच्चों पर कम वजन पड़ता है । कॉलेज के बजाय स्कूलों में

(श्री भगवानदास शास्त्री)

अच्छी हायर एजूकेशन मिलती है। रहन सहन में मर्यादा है, और कम खर्च में एजूकेशन हायर सैकण्डरी स्कूल और 12वीं में ज्यादा हो तो अच्छा होगा और नाज नखरे व आन्दोलन कम होंगे। मैंने अच्छे-अच्छे सेन्ट्रल स्कूल्स को देखा है।

अब घाटे के बजट का जो औसत है, आप कह चुकी हैं कि 100 करोड़ से ऊपर है। मेरा जहां तक अनुभव है, शिक्षा के लिए आपने 600 प्राथमिक शालायें जो क्षेत्र रह गये हैं उनमें खोले। एजूकेशन के बारे में मैं दिल का दिलदार हूं, मैं नहीं कहता कि यह बच्चे नहीं पढ़ें। आप कम्पलसरी कर दें 5 से 18 वर्ष तक जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा वह बाल सदन में जाएगा। ऐसी सख्ती करें तो उचित होगा। 10वीं तक आप एजूकेशन फ्री करेंगे तो एडेड स्कूल्स में जो धन का दुरुपयोग होता है उससे बचेंगे। मुझे जो कुछ आशायें थीं राज्य सरकार से वे ये आशायें थीं कि छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय नहीं तो कम से कम महाविद्यालय होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं लड़के उतने सभ्य नहीं हैं जो आपके और हमारे दिनों में थे। वे जन्मजात ही, जन्म लेते ही दुनिया को जानने लगते हैं। उसमें माता पिता की चाहे भूल समझें या पर्दा कम समझें। मुझे जहां तक पता है 6-6 साल तक आपके राजस्थान में महिलाएं पति से घूंघट निकालती थीं और आप कहते हैं परिवार नियोजन करो। परिवार नियोजन इसलिए करना पड़ता है कि सभ्यता नहीं है, सिनेमा में ठाठ से सूट बूट पहनकर पत्नी को घूंघट निकलवा कर ले जाते हैं। उससे क्या हुआ। पैसे की बरबादी हुई और जो पुरानी मर्यादायें थीं, हमारी पुरानी सभ्यता थी उस सभी को ताक में रख कर आप बैठ गये। आज आप खुद परेशान हैं। आपको घर में रेडियो चाहिये ट्रांजिस्टर चाहिये, टी. वी. चाहिये। आप खुद भी परेशान होंगे क्योंकि हर व्यक्ति के पास तो टी. वी. होता नहीं। लोग अपने पड़ोसियों के यहां पर टी. वी. देखने जाते हैं। आज स्थिति ऐसी है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारे यहां पर विलायती चीजें हों। सभी चाहते हैं कि हमारे यहां टी. वी. हों। आप देखेंगे कि दस और बीस साल के बच्चे व लोग दूसरों के घरों में जाकर नीचे बैठ कर टी.वी. देखने को अपना अपमान बताते हैं। वह घर पर आकर कहते हैं कि हमें वहां पर जाकर नीचे जमीन पर बैठना पड़ता है इससे हमारा अपमान होता है इसलिये हमारे यहां भी टी. वी. होना चाहिये। कहने का मतलब यह है कि आज छोटे छोटे बच्चों में भी मान अपमान की भावना बैठी हुई है। आज स्थिति यह है कि "मानापमानयो स्तुल्यो, तुल्यो मित्रारिपक्षयों पक्षयोः" सभापति महोदय, मान अपमान की भावना नहीं रहनी चाहिये, मैं यह नहीं कहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि पुराने जमाने में ऐसी बातें नहीं थीं। बच्चे जब तक 25 वर्ष के नहीं हो जाते थे तब तक मान अपमान की बातें उनके मुंह से ज्यादा नहीं निकलती थीं पर आज तो स्थिति ही दूसरी है, बच्चे जन्म लेते ही स्वाभिमान की बातें करने लग जाते हैं। कहते हैं कि हमें वहां पराये घर में जाकर जमीन पर बैठ कर टी. वी. देखना पड़ता है। तो मेरा आप से यह निवेदन है कि आज की परिस्थितियां अलग हैं।

(श्री भगवानदास शास्त्री)

अब जब केन्द्रीय सरकार ने अपने बजट में ट्रांजिस्टर वगैरह पर टैक्सेशन में कमी की है उन्होंने ट्रांजिस्टर पर से एक या दो बैंड पर टैक्स हटा लिया तो आपको भी कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि टी. वी. वगैरह पर टैक्स में कमी करें। आप कारों को तो छोड़ दीजिये पर दिल्ली वगैरह में जो आज रेडियो और ट्रांजिस्टर बनते हैं उसी तरह टी. वी. भी सस्ते पांच सौ सात सौ तक के बनाने की व्यवस्था करें ताकि निम्न वर्ग के लोगों के बच्चे भी टी. वी. अपने घर में देख सकें। इससे आपको भी 50 रुपये टैक्स के मिल जायेंगे। वरना ऐसा भी हुआ है कि अपमान के चक्कर में कुछ बच्चों ने तो पानी में डूब कर आत्म हत्या कर ली है। आपने सुना ही होगा इसलिये मेरा, सभापति महोदय, राज्य सरकार से यह निवेदन है कि इस बारे में सोचें और व्यवस्था करें।

सभापति महोदया, अब एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं वह यह है कि अजमेर में पोलीटेक्निक कॉलेज तो है पर वहां आप देखेंगे कि गर्ल्स का कोई पोलीटेक्निक कॉलेज नहीं है, सभापति महोदय, आप सभी जानते हैं कि अजमेर हमेशा से एजूकेशन का सेन्टर रहा है। अजमेर एक कोस्मोपोलीटन सिटी है। वहां पर आपको कई बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल मिलेंगे जो कि पहले से ही प्रसिद्ध रहे हैं। वहां से हजारों की संख्या में बाहर से आकर लोग पढ़ पढ़ कर गये। वहां पर डी. ए. वी. कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, मेयो कॉलेज है। सभापति महोदया, मेयो कॉलेज तो पुराने राजा महाराजाओं की देन है। यह बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज रहा है। सभापति महोदया, आज जो लोग पब्लिक स्कूलों को क्रिटीसाइज करते हैं और यह कहते हैं कि पब्लिक स्कूलों में तो बड़े बड़े लोगों के लड़के या धनी वर्ग के लोग ही अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप इन स्कूलों के बच्चों को देखें और दूसरे मिडिल या हाई स्कूल के लड़कों को देखें तो आपको बहुत फर्क मालूम होगा। आज दूसरे स्कूलों के अनुपात में पब्लिक स्कूल के बच्चों में आपको ज्यादा सभ्यता, ज्यादा गुरु के प्रति आदर की भावना, ज्यादा डिसीप्लीन मिलेगा। मैं यह नहीं कहता कि जनरल स्कूलों व कॉलेजों में जो टीचर हैं या जो गुरु हैं वह ज्यादा पढ़े लिखे या अच्छे नहीं होते पर इतनी बात जरूर है कि आपको इन स्कूलों के बच्चों में शिष्टाचार, सभ्यता की कमी मिलेगी और उनके उठने बैठने के ढंग में भी फर्क आपको मिलेगा। पर पब्लिक स्कूलों में देखने को मिलेगा कि क्लास में बच्चे भी कम होते हैं जिससे गुरु बच्चों को अच्छी तरह से कन्ट्रोल कर सकता है। पुराने जमाने में एक क्लास में 40 या 35 से ज्यादा बच्चे एक क्लास में नहीं होते थे इसलिए थोड़ा फर्क पड़ता था। आज आपको बच्चों की भीड़ की भीड़ मिलेगी। पर ऐसा इन पब्लिक स्कूलों में आपको नहीं मिलेगा। दूसरी एक बात और है, सभापति महोदया, वह यह है कि आज स्कूलों में बच्चों को सबजेक्ट भी अधिक पढ़ने पड़ते हैं, इतने अधिक सबजेक्ट हैं कि बच्चे उन सबजेक्ट की किताबों के बोझ से ही दब जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसमें सुधार किया जाय। इसके साथ मैंने जो अजमेर में गर्ल्स पोलीटेक्निक

(श्री भगवानदास शास्त्री)

कॉलेज खोलने की बात कही है उसके लिये हमारे अजमेर डिवीजन की श्रीमती भगवती देवी, जो कि उप-मन्त्री भी हैं, अगर चाहें तो थोड़ा फोर्स लगाकर गर्ल्स पोलीटैक्निक कॉलेज खुलवा सकती हैं। सभापति महोदया, अजमेर राजस्थान के केन्द्र में पड़ता है, सदा से ही अंग्रेजों के जमाने से ही विद्या का केन्द्र रहा। वहां के कॉलेजों से पढ़ कर कई लोग बड़े बड़े ऑफिसर बन गये। इसलिये मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि अजमेर में पोलीटैक्निक कॉलेज ऑफ गर्ल्स खोला जाय।

अब थोड़ा मैं, सभापति महोदया, यू. आई. टी. के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदया जब जनता सरकार आई तो कई यू. आई. टी. को भंग कर दिया गया। कुछ यू. आई. टी. रह गये थे उसमें चेअरमैन नियुक्त किये बाकी में तो प्रशासक थे। जहां चेअरमैन थे वहां पर तरक्की नहीं हुई है। हां एक बात है जयपुर और जोधपुर में जो चेयरमैन जनता राज्य में बनाये गये थे उन्होंने वहां अच्छा काम भी किया। उनके पास जो भी आय के स्रोत थे उनसे उन्होंने वहां का विकास किया चाहे जमीन बेच कर किया हो! पर दूसरी जगह यू.आई.टी. ने कॉलोनी वगैरह बनाई। कुछ हरिजनों को और अनु. जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को कमरे बना कर दिये। पर आज इनकी हालत खराब है, उनमें दरारें पड़ी हुई हैं। सभापति महोदया मैं समझता हूं कि जल्दी ही उनका ढेर होने वाला है। मैं तो समझता हूं कि कांग्रेस राज्य में यह सारी कागजी कार्यवाही की गई थी लोगों से सिर्फ अपनी तारीफ कराने के लिए कि हमने यह यह काम किये। सभी हरिजनों का उद्धार करने की बात करते हैं पर सही मायने में आज तक हरिजनों का भला नहीं हुआ, उनका तो भगवान ही मालिक है। कुछ लोगों को छोड़ दीजिये जो शिक्षित हैं, कुछ ओहदे पर पहुंच गये हैं उनके परिवारों की तो हालत ठीक है। आज हमारे यहां पर तो राजस्थान के मुख्य मन्त्री भी अनुसूचित जाति के हैं अगर वास्तव में वह चाहें तो हरिजनों का विकास कर सकते हैं।

सभापति महोदया, अजमेर में प्रशासक, नगर परिषद् द्वारा इन्द्रकोट में कब्रिस्तान में या उसके पास में जिन लोगों ने बहुत वर्षों पहले मकान बना लिये थे उनको तोड़ने के आदेश दे दिये गये। सभापति महोदया, जब राजस्थान सरकार ने यह आदेश दे दिया कि सन् 71 के पहले जिन लोगों ने जमीन पर मकान बना लिए हैं उन सभी को रेगुलेराइज कर दिया माना जायेगा तो फिर उन लोगों को अजमेर में मकान तोड़ने के नोटिसेज क्यों दिये गये हैं? मेरा निवेदन है कि उन लोगों को नोटिसेज नहीं दिये जायें और उनके मकानों को रेगुलेराइज किया जाय। सभापति महोदया, अजमेर वैसे भी राजनैतिक लिहाज से पिछड़ा हुआ है। यह अजमेर का दुर्भाग्य रहा कि वह राजस्थान की राजधानी नहीं बन सका और राजस्थान की कैपीटल अजमेर न बन कर जयपुर बना। मुझे याद पड़ता है कि राजस्थान की राजधानी बनने का जब सवाल आया उस वक्त हमारे भारत सरकार के गृह मन्त्री सरदार बल्लभ भाई पटेल थे

(श्री भगवानदास शास्त्री)

उन्होंने अजमेर का हक मार कर जयपुर को राजधानी बनाया। दूसरे हमारे अजमेर में जो नेता थे वह कोई काश्मीर का था तो कोई यू. पी. का था, कोई ब्यावर का था। जब अजमेर का विलय होने का प्रश्न आया, राजधानी की बात आई तो री-आर्गेनाइजेशन कमीशन ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया। उस वक्त जब जयपुर राजधानी बना तो मुख्य मन्त्रीजी के घर पर दिवाली मनाई गई। जयपुर में दिवाली मनाई गई सन् 56 में। इसलिए, सभापति महोदया, शिक्षा मन्त्री जी, जो कि स्वायत्त शासन विभाग के मन्त्री भी हैं, से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अजमेर का कोई भी धनी धोरी नहीं है कम से कम वह तो इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें।

सभापति महोदया, हमारे अजमेर में नागफणी नाम की पुष्कर रोड पर एक अच्छी बस्ती है उसके पास में कुछ मुसलमान भाइयों ने मकान बना लिये हैं जो कि गरीब हैं। वह कोई नजूल प्रोपर्टी तो थी नहीं। जब पाकिस्तान बना उसके बाद में यह मकान बनाये हैं। उन लोगों को वहां पर मकान बनाये दस साल से अधिक हो गये हैं। वे गरीब लोग हैं, उन्होंने एक एक कमरा बनाया है। जब राजस्थान सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि सन् 71 के पहले जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं उन्हें रेगुलेराइज कर दिया जायेगा तो मेरा निवेदन है कि उन लोगों को नोटिसेज नहीं दिये जायं और उनके मकान नहीं तोड़े जायं।

सभापति महोदया, अब मैं थोड़ा पेयजल की समस्या के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। हालांकि आपने बजट में पेयजल की समस्या को हल करने के लिये चार हजार गांवों में तो व्यवस्था कर दी है, आपने बजट भाषण में कहा है, कुछ और गांवों में आप व्यवस्था करने जा रहे हैं पर मैं समझता हूं कि आपने पहले जहां व्यवस्था की है वह भी ठीक नहीं की है। होता यह है कि आप एक गांव में एक दो कुए खुदवा देते हैं उन कुओं में से एकाध में एक दो दिन पानी आता है और फिर पानी आना बन्द हो जाता है इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी काम आप पेयजल की समस्या को हल करने के लिए करें उसे पूर्णतया पूरा करें। हो सकता है आपको पैसे की कमी हो तो उसके लिए आपको उसी तरह साहस से काम लेना चाहिए जैसे महाराष्ट्र और गुजरात की सरकार साहस से काम लेती है लेकिन मैं समझता हूं आप में साहस कम है। साहस से काम लेकर जिस तरह महाराष्ट्र और गुजरात की सरकार केन्द्रीय सरकार के कान खींच खींच कर पैसे लाती है उसी तरह आप भी पेयजल की समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कान खींच खींच कर पैसे लाकर कामों को पूरा करें। सभापति महोदया, जैसे केन्द्रीय सरकार के लिए तो सभी स्टेट्स बराबर होने चाहिए जैसे एक मां के पांच बेटे होते हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उन पांचों में एक, एक हजार रुपया कमाता है, दूसरा 200 रुपये कमाता है, तीसरा डेढ़ सौ कमाता है तो वह सौतेला व्यवहार अपने बच्चों के साथ करे। मां की दृष्टि में तो सभी बराबर होने चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि ज्यादा कमाने वाले को घी अधिक और दूसरे को कम दे, एक का

(श्री भगवानदास शास्त्री)

कोटा दे दे दूसरे का कोटा बन्द कर दे। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को सभी को बराबर समझना चाहिए इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान के विकास के लिए अधिक से अधिक पैसा केन्द्र से लायें अन्यथा राजस्थान दूसरे प्रदेशों से हमेशा के लिए पिछड़ जायेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। और मैंने झूठ बोला है तो आप बतायें। जनता ने जनता पार्टी को नहीं हराया, वह आज भी याद कर रही है दो रुपये और ढाई रुपये किलो चीनी को। लोग दुकानों पर कह रहे हैं हम सुन रहे हैं आपने जिस नारे को बुलन्द करके विजय पाई उसमें से लॉ एण्ड ऑर्डर की बातें तो छोड़ दो वह आगे पता लगेगा किन्तु जिन उद्देश्यों को लेकर आपने विजय पाई उसको आप स्थाई रखें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पेयजल आपको कम से कम जनता को सुलभ बनाना चाहिए। पानी के लिए मथुरा, वृन्दावन न जाना पड़ेगा। मथुरा वृन्दावन लोग डुबकी मारने जाते हैं तो एक दो डूब भी जाते हैं। आपको कोई न कोई बड़ी योजना लानी चाहिए। आप वृहद् योजना राजस्थान प्रदेश में नहीं ला सकते तो आपको ऐसे सोर्सेज लाने चाहिए, जैसे इस धरती की छाती को चीरो। मैं कहता हूं कि अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड फिर क्या करता है। मुझे माफ़ करें ऑफिसर, यह अपने असिस्टेन्ट को भेज देते हैं मालूम करने के लिए कि यहां पानी है या नहीं। मैं कहता हूं उनको खुद जाना चाहिए। हमारा प्रदेश आह्वान करता है कि पानी पिलाओ। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है मैं मध्य प्रदेश में आखों से देख कर आया हूं कि हमने भेड़ें चराना बन्द कर दिया तो उन्होंने पानी बन्द कर दिया, याद है आपको।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए पेयजल की समस्या को सुलझाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में जो स्रोत देखने में आता है वह यह है कि आप केन्द्र से अधिक मांग करो। हमारे यहां बड़े-बड़े नगरों में पम्पिंग सेट थे जैसे पुरानी दिल्ली में आज भी लगे हुए हैं। जहां पानी है वहां सर्वे करके आप तो पम्पिंग सेट लगाना शुरू कर दो बाकी कुओं से पानी मिलेगा। जो बने बनाये कुए थे वह तो बन्द कर दिये, जो कुए और बावड़ियां थीं वह बन्द कर दीं। तो, माननीय सभापति महोदया, मेरा मतलब यह है कि जो आपने भाषण दिया है मैं आपसे सहमत हूं कि पानी की व्यवस्था इस पैसे से नहीं हो सकती।

पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए कोई गलता कहते हैं तो कोई वैष्णव देवी का बहाना दे रहे हैं किन्तु मैं कहता हूं कि अजमेर तीन तीर्थों के मध्य बसा हुआ है। एक ओर तो ख्वाजा मुयीउद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिसको दुनिया मानती है। उसके साथ ही दूसरी ओर दयानन्द सरस्वती, जो कि हमारे आर्य समाज के विधाता थे, का निर्वाण स्थान है। तीसरे ब्रह्मा के पुष्कर राज हैं। तीन महान शक्तियों के बीच में, तीन विधाताओं के बीच में अजमेर है उसको आप पर्यटन केन्द्र घोषित नहीं करें, यह बड़े आश्चर्य की बात है। आप ढाई दिन के झोंपड़े में दो मिनट के लिए खड़े हो जायें तो मालूम पड़ेगा कि अन्दर कूलर लगा हुआ है। अजमेर में ऐसे ऐसे स्थल हैं। 72 से 75 तक कोई 6 साल तक आपकी विधान

(श्री भगवानदास शास्त्री)

सभा थी, आपकी कांग्रेसी सरकार थी, हमें उम्मीद थी कि कांग्रेसी सत्ता में हैं और यह छठा साल चल रहा है यह कुछ न कुछ करेंगे लेकिन आपकी शक्ति के बाहर था, आपकी ताकत नहीं थी, अच्छे ग्रेजुएट होते हुए भी साहस नहीं करते थे। ठीक है यह अजमेर का दुर्भाग्य रहा। मैं कहता हूं कि पहले तो आप पी. डब्ल्यू. डी. को खींचो। जो हाईवेज हैं उन सड़कों की जो दुर्दशा है उसकी बात तो विदेशी भी करते हैं। कितने गड्ढे हैं और क्या झटका आता है। अजमेर-जयपुर और जोधपुर-अजमेर के बीच में सड़क पर कोई न कोई तो मरता ही है। किसी रोज आदमी नहीं तो जानवर तो जरूर ही एक मरता है...

श्री सभापति : 20 मिनट हो चुके हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह दुर्घटनायें द्योतक है पी. डब्ल्यू. डी. की कार्य कुशलता की। महला के पास सड़क बन रही है...

श्री जयकृष्ण शर्मा : इनके नेता फ्री स्टाइल से और बोलेंगे। वह फ्री स्टाइल कुश्ती और लड़ेंगे...

श्री भगवानदास शास्त्री : मैंने आपके दल के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : और पार्टी के लोग भी बोलेंगे। मैं सभापति महोदया से बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आपको किसने मना किया। आप भी बोलिये।

श्री सभापति : आप शीघ्र समाप्त करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हमें 5 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं दिया गया, हम जानते हैं आपके राज्य को।

श्री भगवानदास शास्त्री : पुलिस विभाग के बारे में मेरा निवेदन है, भवन निर्माण के लिए दिया है मैं तो उससे बहुत सन्तुष्ट हूं। जैसे बांदरा और माहिम के बीच में 7 मंजिल मकान बने हुए हैं, पुलिस विभाग के लोगों के मकान हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि अजमेर में मसूदा हाउस के पास में सी. आर. पी. के क्वार्टर दो चार मंजिल के बने हैं उनको मैं पुलिस कर्मचारियों को देने के पक्ष में हूं। सभापति महोदया, एक एक फ्लेट में मजे से लोग रह सकें इस तरह के मकान होने चाहिए। मुझे परम्परा याद है कि भाई भाई से भी अलग रहते थे तो भी बीच में पर्दा रहता था। पुलिस को आज तनख्वाह की जरूरत नहीं है। पुलिस विभाग में अत्याचार और रिश्वतखोरी है और नशाबन्दी होने के बाद तो चार चांद लग गए इनकी कमाई में। जेबें भरी रहती हैं। लखपतियों की कमी नहीं है...

श्री श्रीराम गोटेवाला : नशाबन्दी समाप्त करने का सुझाव दे रहे हैं क्या !

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं उनकी तनख्वाह इसलिए बन्द करना चाहता हूं कि जब तक वह ईमानदार नहीं बनें तब तक यह पैसा डाइरेक्ट उनकी पत्नी और बच्चों के पास जाना चाहिए। एडेड स्कूलों में चोरी करते थे मास्टरों को तनख्वाह देने में तो आपने चैक द्वारा देना शुरू किया टीचर्स को। आपको मालूम है कि वह चैक कैसे पहुंचता है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं अपने लक्ष्य पर आ जाता हूं।

श्री सभापति : लक्ष्य तो काफी हो चुका है।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरा पेयजल के बारे में अन्त में यह विशेष अनुरोध है और आग्रह भी है, प्रार्थना है और करबद्ध प्रार्थना है कि अजमेर और जोधपुर को प्यास से बचाओ। अजमेर में इन्डस्ट्रीज नहीं हैं। किशनगढ़ का कपड़ा बना हुआ है वह गुजरात में जाता है रंगवाने के लिए, जेतसर और अहमदाबाद जाता है। हम जल नहीं दे सकते यह बड़े शर्म की बात है –

श्री श्रीराम गोटेवाला : शर्म पहले कहां चली गयी थी। आपको तो काम करना चाहिए था।

श्री भगवानदास शास्त्री : गोटेवाला जी, जी जलता है जब हमारे मजदूर भूखों मरते हैं।

मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मैंने अपने विचार और समस्यायें बजट के बारे में आपके सामने रखी हैं। ठीक है चार महीने तो गुजर चुके हैं बाकी 8 महीने हैं, बीच में कोई न कोई रास्ता ढूढ़ें। अगर आप कोई राहत नहीं दे सके तो फिर हमारा अधिकार है जनता का रोष आपके सामने रखने का।

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी !

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि इन्होंने यह बजट ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रस्तुत किया है जब कि राजस्थान प्रदेश में जितना पैसा हमें मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिला। फिर भी सिंचाई, कृषि, जनजाति कल्याण, ग्रामीण पेयजल आदि समस्याओं पर विगत वर्षों में जो पैसा खर्च हुआ है उससे अधिक पैसा खर्च करने का प्रयास उन्होंने किया है। उन्होंने पहली प्राथमिकता की बात यह कही है कि छठी पंचवर्षीय योजना जो 80-85 से प्रारम्भ होगी उसमें वह आर्थिक नीति एवं प्राथमिकताओं को स्पष्ट तय करेंगे। अभी मैं सदन में बैठे हुए सत्ता पक्ष और ना पक्ष के साथियों के विचार सुन रहा था, 30 वर्ष की मेरी उम्र है और 30 वर्ष तक राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए भारतीय कांग्रेस पार्टी ने और जनता पार्टी ने भी काम किये। एक बात की मुझे खुशी है कि 30 वर्षों में कुछ राष्ट्रीय मूल्यों की दृष्टि से निश्चित रूप से यह मान्यता प्राप्त की है कि लोकतंत्र, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता लायेंगे और गरीबी मिटायेंगे। जनता पार्टी भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इस बारे में एकमत है। सन् 80-85 की हम जब आर्थिक नीतियों को स्पष्ट प्राथमिकता देंगे तो मेरी ऐसी मान्यता है कि यह भी एक मुद्दा है जिसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। निश्चय ही 100 करोड़ का घाटा है लेकिन आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं का हम स्पष्ट उल्लेख करना चाहते हैं तो मैकमिन नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने भारत, रसिया, पाकिस्तान, इजराइल आदि देशों में स्टडी कन्डक्ट की है उसके

(श्री सी. पी. जोशी)

बाद निष्कर्ष दिया उस निष्कर्ष को भारत सरकार ने माना भी कि किसी भी देश या प्रदेश की आर्थिक प्रगति करने के लिये उस देश या प्रदेश में इन्टर-प्रीन्योर एक्टीविटीज को जनरेट करेंगे तो उस देश या प्रदेश की आर्थिक प्रगति ज्यादा हो सकेगी। मेरी यह मान्यता है कि राजस्थान प्रदेश के विकास के लिये इन्टरप्रीन्योर एक्टीविटीज यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो प्रदेश की आर्थिक प्रगति ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो सकेगी। राजस्थान प्रदेश में जहां एक ओर हम मरु विकास की बात करते हैं दूसरी तरफ खेती की दृष्टि से गंगानगर का उन्नत क्षेत्र है जिस इलाके से मैं आया हूं वह इलाका पठारी इलाका है, 25 लाख गरीब आदिवासी लोग रहते हैं इसलिये जब हम राजस्थान की आर्थिक नीतियों की बात करते हैं, प्राथमिकता की बात करते हैं तो मैं यह चाहूंगा कि सन् 80 और 85 के मध्य की हम प्राथमिकता निर्धारण इस तरह से करें कि हम एक साथ गंगानगर और मरु विकास के लिये उदयपुर जिले को नहीं रखें। यह दुर्भाग्य ही है 25 लाख जनजाति आदिवासी लोग होने के बाद जनजाति विकास निगम बनाया हमने और करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, उसके लिये साइन्टिफिक स्टडी नहीं की गई। न जनता पार्टी ने कोशिश की कि हम लैण्ड के माध्यम से, सहकारिता के माध्यम से आदिवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं उसका सांइटिफिक बेस क्या होगा। मैं चाहता हूं हम प्राथमिकता को निर्धारित करें। एक लम्पसम अमाउन्ट 4 करोड़ का जनजाति विकास के नाम से देना चाहते हैं तो कम से कम हम साइन्टिफिक सोशल स्टडी इस बात की कर लें कि इसकी प्रायोरिटी क्या है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। जनजाति निगम का सब से ज्यादा आय का स्रोत है वह जयसमंद की सहकारिता है। सह-कारिता के माध्यम से जनजाति निगम को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। मुझे यह कहते हुए बहुत बड़ा अफसोस होता है कि जुलाई से लगा कर अक्टूबर के महीने में जो मछली का व्यापार होता है उसकी आय न सहकारिता में आती है न जनजाति निगम के खाते में जाती है। इतना बड़ा निगम है। सहकारिता के नाम से हम जनजाति के लोगों का विकास करना चाहते हैं, उनकी आर्थिक नीतियों का उत्थान करना चाहते हैं। अजमेर से जो माननीय सदस्य आये हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, उनके यहां जवाजा गांव है। जवाजा गांव में इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने स्टडी की है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये जो लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन लोकल रिसोर्सेज को सही ढंग से यदि हम टेप करें और इन्फास्ट्रक्चर इस तरह का बनायें कि जो छोटी छोटी इकाइयां डिविजनल लेवल पर बनने वाली हैं उस क्षेत्र में जो सुविधायें उपलब्ध हैं यदि छोटी गांव की इकाई को डिवीजनल लेवल से लिन्क कर सकें तो उस डिवीजन का विकास होगा। मैं एक उदा-हरण देना चाहता हूं राजस्थान में जो खनिज सम्पदा है, वह उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर बहुत ज्यादा उपलब्ध है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रचुर मात्रा में खनिज उप-लब्ध होने के बाद भी गांव में खनिज पर

(श्री सी. पी. जोशी)

आधारित उद्योग की स्थापना नहीं कर पाये हैं। श्रीगंगानगर से इतनी बड़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमको मिलती हैं स्टेट में लेकिन हम वहां एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्रीज की स्थापना नहीं कर पाये। इसलिये जब हम आर्थिक नीतियों के निर्धारण की बात करते हैं तो मैं सरकार से चाहूंगा कि उस क्षेत्र की जो आर्थिकता है, जो मैकमिलन नाम के मनोवैज्ञानिक ने बात कही है हम अपना इन्फास्ट्रक्चर इस तरह का बनायें कि गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन, इनको एक साथ मिला कर डिवीजन पर जो चीज बहुतायत में उपलब्ध है चाहे खनिज बेस्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड हो, जिस तरह का कॉम्पलेक्स डवलप करना चाहें तो जहां इनकी सुविधा नहीं हो वहां कल-कारखाने लगायें तो हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ज्यादा सुदृढ़ कर सकेंगे ऐसी मेरी मान्यता है।

मेरा संबंध शिक्षा से रहा है। मैं चाहता हूं इस बारे में भी हम गम्भीरता से सोचें। 30 वर्ष की जो शिक्षा है वह शिक्षा हमारे जीवन से रेलेवेन्सी नहीं रखती। आज जो लड़का एकाउन्टेन्सी में बी. काम. की डिग्री पास करता है या एम. काम. पास करता है जो बैंकिंग में करता है। उसको जो, दुकान चलाने में खाता मेन्टेन करना पड़ता है क्रेडिट डेबिट उससे कोई सम्बन्ध नहीं है, जो छात्र एग्रीकल्चर में बी.एससी., एम. एससी. करके जाता है और जो प्रेक्टिकल फील्ड में खेती करता है उनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है। जो लड़का आज एम. एस सी. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटेनी, जियोलोजी में करता है उसका जीवन कैरियर कैसे चलता है उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। व्हाइट कॉलर जॉब आप हायर एजूकेशन के माध्यम से देना चाहते हैं, प्रदेश के लिये आवश्यक है। हम हायर एजूकेशन को जितना बढ़ायेंगे वह प्रदेश के हित में होगा। हम पोलीटेक्निक के बजाय उन लोगों के लिये सोचें जो बहुत अधिक संख्या में बेरोजगार हैं, जिन्होंने प्राइमरी एजूकेशन भी प्राप्त नहीं की है। जब एक तरफ पोलीटेक्निक के माध्यम से हायर सैकण्डरी पास लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं मेरी मान्यता है कि सिलेबस प्रेस्क्राइब न करें हम और हम किसी रीजन में एक्स-पेरिमेन्ट बेसिस पर आर्टीजन इन्सटीट्यूट की स्थापना करें जिसमें कोई सिलेबस न हो और उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा आर्टीजन हो उसको तनख्वाह देकर गांव में काम करने वाला आर्टीजन है उसकी इकॉनामिक एक्टीविटीज हैं उनका प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें तो गांव में पढ़े-लिखे हां बेरोजगार युवकों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध करा पायेंगे वहां एक तरफ बहुत से युवक जो स्कूल की शक्ल नहीं देख पाये हैं उनके लिये भी सिलेबस नहीं रख कर नॉन फार्मल एजूकेशन के नाम से आर्टीजन, जो मीनाकारी का काम करता है, को तनख्वाह देकर गांव में काम करने वाले छोटे छोटे किसान को ट्रेनिंग देकर हम उसके माध्यम से उसकी इकॉनामी को और सुदृढ़ कर सकेंगे।

मैं सरकार से चाहूंगा कि हम हायर एजूकेशन को कट करें। हायर एजूकेशन ओपनिंग फील्ड है वह व्हाइट कॉलर के माध्यम से न रख कर जो हमारे विश्वविद्यालय की स्थिति है उन के इन्फास्ट्रक्चर के बारे में बड़ी गम्भीरता से सोचें।

(श्री सी. पी. जोशी)

आज हालत यह है कि आई. सी. आर. इस बारे में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को लिखता है कि राजस्थान में एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय बनना चाहिये अन्यथा हम ग्रान्ट नहीं देंगे। राजस्थान सरकार 30 वर्ष के बाद भी सेपरेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं बना पायी इसलिए ग्रान्ट हमारे पास नहीं आती है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है हम अपने प्रदेश में एक सेपरेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना करें। हम भगवान के लिए राजनैतिक दृष्टि से न सोचें। जब हम राजनैतिक दृष्टि से सोचते हैं विश्वविद्यालय कहां होना चाहिये तब जाकर हमारे प्रदेश की इकॉनामी जो जनरेट करना चाहते हैं स्पीडली वह रुक जाती है। इसलिए हम सेपरेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनायें। जो हमारा स्ट्रक्चर है आज राजस्थान विश्वविद्यालय का या जोधपुर विश्वविद्यालय का उनके लिए एडीशनल वेस्ट से जो मॉडल अडाप्ट किया है, उससे थोड़ा हट कर सोचें। यदि संभव हो सके तो एक टेक्निकल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये। जिसमें पोलीटेक्निक और रूरल आर्टिजन्स के नाम से चलने वाली संस्था और इन्जीनियरिंग कॉलेज या जो एजूकेशन इम्पार्ट कराते हैं, मेडिकल कॉलेज जो एकेडेमिक एजूकेशन इम्पार्ट करते हैं उनका एक अलग विश्वविद्यालय बन जाय और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से हम एग्रीकल्चर फार्म ले सकते हैं, उसकी एक अलग यूनिवर्सिटी बन जाय। हम यह सोच लें कि अजमेर में बनाना है, बीकानेर में बनाना है, कोटा, उदयपुर, जयपुर में बनाना है, जोधपुर में बनाना है, यह गौण है। सबसे प्रमुख बात है शिक्षा के माध्यम से जो एजूकेशन हम इम्पार्ट करना चाहते हैं वह प्रदेश की इकॉनामिक एक्टीविटीज में कन्ट्रीब्यूट कर पाती है या नहीं, करना चाहती है या नहीं। आज की स्थिति यह है कि आज हायर एजूकेशन स्टेट की इकॉनामी को जनरेट करने में कोई भी मदद नहीं कर पा रही है इसलिए मेरा निवेदन है 80-85 के प्लान में अपनी प्राथमिकता का निर्धारण करें उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखा जाये।

इसके साथ साथ मुझे निवेदन करना है कि यह कहा गया 600 प्राथमिक स्कूल खोलेंगे, 200 मिडिल स्कूल खोलेंगे। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, जनता पार्टी ने इतने स्कूलें खोले। मेरी स्पष्ट मान्यता है स्कूल और लर्निङ्ग में बहुत बड़ा अन्तर है। आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोल दें, ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोल दें, मिडिल स्कूल खोल दें, कॉलेज खोल दें, विश्वविद्यालय खोल दें। स्कूलिंग का जीवन से व लर्निंग से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है हम अधिक से अधिक लोगों को लर्निंग दें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्ष पूर्व नेशनल लेबर इन्स्टीट्यूट ने सर्वे किया है। राजस्थान में बोंडेड लेबर की समस्या है। मुझे जान कर आश्चर्य होता है जब नेशनल लेबर इन्स्टीट्यूट ने इस बात का सर्वे किया कि राजस्थान में बोन्डेड लेबर की समस्या है उनके राइट के लिए राजस्थान ऐड देना चाहती है लेकिन उस ऐड का फायदा नहीं उठाना चाहते। जो हमने रूल्स बनाये हैं कि मिनिमम वेजेज इतने मिलेंगे उसका जो गांव में काम करने वाले मजदूर हैं उनको मालूम नहीं है। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि कितने स्कूल

(102)

(श्री सी. पी. जोशी)

खोलें, कितना स्कूलिंग करें। मोटी आवश्यकता यह है कि हम कितनी लर्निंग इम्पार्ट कर सकते हैं स्टेट में। यह शिक्षा के लिये, देश के विकास के लिये, इकॉनामिक एक्टिविटीज के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में यदि हम राजस्थान प्रदेश को विकास में नया आयाम देना चाहते हैं तो जो हमारा 30 साल का विटर एक्सपीरियन्स है, जो पास्ट का एक्सपीरियन्स है उससे कुछ अनुभव सीखें। जो आज विरोधी साथी हैं, उन्होंने भी ढाई साल तक शासन चलाया है उनकी भी अपनी मान्यता थी हिन्दुस्तान में दो चीजों में समाजवाद है। ऑफिसर का लड़का पढ़े या नहीं पढ़े वह प्राइवेट सेक्टर में ऑफिसर जरूर बनेगा। चपरासी का लड़का बड़ी मुश्किल से मेहनत करके किसी प्रकार चपरासी जरूर बन जायगा। चपरासी का चपरासी बन जाता है यह स्कूलिंग की देन है अफसर का लड़का अफसर बनेगा यह स्कूलिंग की देन है। इसलिए मेरा निवेदन है कि लर्निंग हम जितनी ज्यादा इम्पार्ट करेंगे उतनी लोगों में कांग्रेस अपने राइट के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, उतना ज्यादा वह अपनी इकॉनामिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर पायेंगे, स्वावलम्बी बनेंगे और व्हाइट कॉलर जॉब के लिये सरकार के पीछे नहीं पड़ेंगे। जब कोई नीति निर्धारण करें तो उसमें पब्लिक पार्टीसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। आज स्थिति यह है कि सरकार, विधायक और जो एक्जीक्यूट करने वाले हैं ऑफिसर उनमें तालमेल नहीं है। फील्ड वर्क का सिस्टम नहीं होगा जिस स्टेट में, मालूम नहीं हो कि फील्ड वर्क क्या हो रहा है, उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने बड़े जोश खरोश के साथ घोषणा की थी कि हम अकाल राहत कार्य शुरू करने जा रहे हैं। मेरी इन्फार्मेशन है और अकाल राहत मंत्री जी यहां बैठे हैं उन्होंने अकाल राहत के लिए उदयपुर में मीटिंग की लेकिन उस मीटिंग के बाद एक भी अकाल राहत का काम प्रारम्भ नहीं हुआ। वे अकाल राहत कार्य चालू हुए हैं जिनका सर्वे पहले हो चुका था और जिनके एस्टीमेट पहले वाले बी. डी. ओ. ने दिये थे। तो एक तरफ हम 25 लाख लोगों, जो उदयपुर जिले के हैं, को रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमने ट्राइबल वेलफेयर के नाम से उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सुविधा दी हैं, श्रीमान, आदिवासी इलाके में रहने वाले हैं, नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में करीब 25 लाख लोग रहते है, कुम्भलगढ़ में भी लोग रहते है, मैं चाहता हूं जो सुविधायें डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों में देते हैं यदि पंचायत मिनी ब्लाक्स के माध्यम से वहीं सुविधायें नाथद्वारा या कुम्भलगढ़ में रहने वाले आदिवासियों को दे तो उनकी भी अपनी स्वालम्बन की समस्या है, इकॉनामिक एक्टिविटीज की समस्या है उनका समाधान होगा इसलिये मेरी मान्यता है हमारी आर्थिक नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करें कि जो हमारा 30 वर्ष का पिछला अनुभव है उससे कुछ सबक सीखें। जो हमारा ट्रेडीशनल एजूकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम के ड्रा बैक है उनको भी ओवर कम करने की स्थिति में बनें। आज स्वायत्तता के नाम पर विश्वविद्यालयों में

(श्री सी. पी. जोशी)

जो माहोल बन रहा है वह बहुत ही निराशाजनक है। मुझे एक विश्वविद्यालय का कटु अनुभव है। पोस्ट ग्रेजूएशन दो साल का होता है। उदयपुर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजूएशन में सेमेस्टर प्रणाली लागू है। आज वहां हालत यह है एम. ए. की डिग्री चार-चार साल में कम्पलीट होने जा रही है यह हालत ढाई-तीन साल से निरन्तर जारी है। इसलिये मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा का देश की प्रगति से सम्बन्ध है, हम अपना आर्थिक ढांचा इस तरह का बनायें, गांव, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल स्टुडेन्ट हैं उनको टेप कर सकें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतन लाल।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, हम राजस्थान के वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार-विमर्श करने जा रहे है और इस विषय पर काफी वाद विवाद दोनों तरफ से सामने आ रहा है। किसी भी देश का बजट उस प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास का आधार होता है। इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं यह मानता हूं कि लोक कल्याण और जन समस्याओं को उन्होंने काफी छूने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी राजस्थान में अनेक समस्यायें हैं। जिस प्रकार की राजस्थान की अपनी समस्यायें है उस प्रकार की इस बजट में आज काफी काम करने की गुंजाइश दिखाई देती है।

जहां हम राजस्थान की आर्थिक स्थिति की चर्चा करते हैं, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं उसमें प्रति व्यक्ति आय कम होती जा रही है जैसा स्वयं उन्होंने बजट में माना है। बेरीजगारी के आंकड़ों को देखते हैं तो उसमें भी मेरी मान्यता है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग अपना नाम रजिस्टर करा पाते हैं और करा पाने के कई वर्षो तक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है इस प्रकार के आंकड़े भी हैं। इसलिये बेरोजगारी की समस्या भी राजस्थान में बहुत है। जो बजट में प्रावधान किया गया है बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या पर उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय और भी अभिशाप सिद्ध होगा। मूल्य सूचकांक की दृष्टि से 1976–1979 के बीच में करीब सौ सवा सौ प्रतिशत के आस पास फर्क पड़ा है इसलिये यह भी बहुत बुरी बात है।

जहां तक राजस्थान का सवाल है नॉन-टैक्स रेवेन्यू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज राजस्थान में खनिज सम्पदा के विशाल भण्डार भरे पड़े हैं लेकिन उनका खनन भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। मेरी मान्यता है राजस्थान में खनिज सम्पदा अरावली पर्वत माला के आस पास काफी मात्रा में मौजूद है। इसके लिये राजस्थान में मास्टर प्लान बने। उस आधार पर खनिज सम्पदा का विकास राजस्थान में किया जा सकता है। इससे राजस्थान में जो आर्थिक समानता की बात सोची जाती है, वह दूर हो सकती है। दुर्भाग्य इस बात का है जहां रा-मैटीरियल उपलब्ध होता है वहां उस पर आधारित कोई कारखाने और प्लान्ट लगाने की बात नहीं होती। राजस्थान का पैदा हुआ खनिज पदार्थ आज बाहर जाता है। उदाहरण के तौर पर भीलवाड़ा जिला राजस्थान में और इस देश में

(श्री रतनलाल ताम्बी)

अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता था। किसी जमाने में 30-40 के बीच श्रमिक काम करते थे किन्तु आज के दिन भीलवाड़ा जिले, जहां कि यह अभ्रक व्यवसाय प्रचुर मात्रा में बढ़ सकता है धरती में अभ्रक मौजूद है, में लगभग 1,500 श्रमिक इस व्यवसाय में रह गये है। माइका ग्राइंडिंग और प्लान्ट की बातें कई वर्षों से राजस्थान में चलती रहीं। इस बारे में इस बजट में भी और पहले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरी मांग है भीलवाड़ा जिले में यदि इस ओर ध्यान दिया गया तो काफी बेरोजगारी दूर हो सकती है, किसी हद तक आर्थिक विषमता भी मिट सकती है और राजस्थान में करोड़ों रुपयों की आय इससे अर्जित की जा सकती है यदि खनिज का योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाय। उस जिले में और उदयपुर डिवीजन में विशेष तौर से और राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी विपुल खनिज सम्पदा के भण्डार हैं उसका सही ढंग से उपयोग हो इस बारे में आप ध्यान दे।

इसके साथ साथ अन्य खनिज भी इस क्षेत्र में है जैसे भीलवाड़ा जिले में पट्टियों और दूसरी तरह के खनिज भी बहुत हैं। उनका भी मैं समझता हूं काफी बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है। नाजायज तौर पर काफी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। माइका के साथ जो दूसरे खनिज हैं, उनमें से पट्टियोंका कार्य हाथ में लिया हुआ है, उनमें खसिज विभाग की मिली भगत से काफी घोटाले हो रहे हैं। आज काफी लोग नाजायज कब्जा कर रहे हैं जिससे राज्य को आर्थिक दृष्टि से बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिये सही ढंग से जांच करके, सही तरीके से कार्य करने वाले जो हाथ से काम करते हैं, उनको प्राथमिकता दें। साथ ही राजस्थान के अन्दर खनिज का विकास न होने से नुकसान हो रहा है, इसलिए खनिज का सही उपयोग करने की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां राजस्थान के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने की बात होती है वहां इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि राजस्थान में नदियों और नालों के जरिये काफी पानी बह कर बेकार चला जाता है। इस पानी को हमें सिंचाई के उपयोग में लाना चाहिये लेकिन यह योजना केवल बातों ही बातों में होकर रह जाती है जितनी नदियां हैं उनके नीचे अन्डर ग्राउन्ड वाटर काफी मात्रा में उपलब्ध है उसका सही सर्वेक्षण करके जहां बान्ध बन सकते हैं, बिना भेद भाव करके उनको बनाया जाना चाहिये। उसका एक व्यापक कार्यक्रम बना कर उस कार्यक्रम को हाथ में लिया जाय। किसानों के खेतों में पानी पहुंचता है तो समृद्धि बढ़ेगी और आर्थिक विषमता भी दूर होगी। इस दृष्टि से इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

ट्यूब वैल कार्यक्रम को भी मैं दूसरे प्रदेशों में जाकर देख कर आता हूं तो लगता है कि राजस्थान में इस कार्यक्रम की बहुत उपेक्षा की गई है। ट्यूब वैल कार्यक्रम को भी योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान में लागू किया जाना चाहिए। राजस्थान में जितने

(श्री रतनलाल ताम्बी)

काम हो रहे हैं उनमें तकनीकी लोग और अधिकारियों की लापरवाही तथा सौदेबाजी के कारण उन कामों को हाथ में लेने में राजस्थान को मैं समझता हूं, बाधायें रहती हैं। कई मशीनें गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर ट्यूब वैल खोद सकती है लेकिन राजस्थान में ट्यूब वैल खोदने के मामले में सौदेबाजी के कारण या कई अन्य कारणों से वह योजना लागू नहीं हो पाती है। निरंतर राजस्थान में इसकी उपेक्षा हुई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्यूब वैल्स कार्यक्रम को भी राजस्थान में काफी महत्व दिये जाने की आवश्यकता है, ताकि जो सूखी धरती है, प्यासी धरती है वह शस्य श्यामला बन कर किसानों की हालत सुधार सके। इस ओर भी ध्यान दिया जाय। इसे एक विशेष कार्यक्रम के तौर पर राजस्थान में लिया जाना चाहिए।

मैंने इस बजट भाषण को बहुत गौर से पढ़ा है। राजस्थान में पिछड़े वर्ग से आ करके माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने प्रशासन संभाला है। राजस्थान की जनता को, विशेष तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को आशा और विश्वास है कि राजस्थान में इस बार कुछ न कुछ पिछड़े वर्ग के कल्याण के काम होंगे। किन्तु बजट भाषण को देखने से मुझे निराशा हुई है। जहां तक गांवों में विद्युतीकरण का सवाल है। विद्युतीकरण का कोई भी योजनाबद्ध कार्यक्रम गांवों में नहीं चला है। यह इस ढंग से चलता है कि कहीं अधूरा रह जाता है पिछड़े वर्ग के मोहल्लों का जहां सवाल है, मुझे याद है, पिछली सरकार ने 2-3 या 5 साल पहले काफी बड़ी तादाद में पिछड़े वर्ग के मोहल्लों में विद्युतीकरण का काम हुआ था। पिछले 2-3 सालों से पता नहीं क्यों इस कार्यक्रम को महत्व नहीं दिया जा रहा है। आज गांव में विद्युत पहुंच जाती है तो अमीर लोगों के यहां तो खम्भे लग जाते हैं और पिछड़े वर्ग के जो मोहल्ले हैं, वे आज विद्युतविहीन हैं। मैं सुझाव देता हूं कि राजस्थान में इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। इस बजट में भी जो समाज कल्याण और विद्युतीकरण के मद दिये गये हैं उनमें भी इस बात का प्रकाश नहीं डाला गया है। इस लिहाज से राजस्थान में जहां जहां बिजली पहुंची है कृपा करके साथ साथ पिछड़े वर्ग के मोहल्लों में बिजली लगाने के कार्यक्रम को उसी बजट या एस्टीमेट, जो तैयार होता विद्युतीकरण के साथ जोड़ लिया जाना चाहिए, इस दृष्टि से राजस्थान में इस बार विशेष प्रावधान की आवश्यकता है।

मैं इस मौके पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कई छोटी म्यूनिसिपैलिटी हैं, उनकी अपनी समस्यायें हैं। पेजजल की समस्या विशेष तौर से गांवों में काफी है। मैं जहां से आता हूं, उस जहाजपुर नगरपालिका की स्थिति यह है कि पिछली जनता पार्टी के प्रशासन में इलेक्टेड बोर्ड को एक साल बाद ही भंग कर दिया। यह कहा गया कि इमर्जेंसी में चुनाव हुआ, वह न्याय से नहीं हुआ, सच्चा चुनाव नहीं हुआ, जब कि जनता पार्टी के उस समय घटक थे उन्होंने पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ा था और वे पराजित हो गये। उसके बाद चुने हुए प्रतिनिधियों की म्यूनिसिपेलिटी को भंग करके प्रशासक लगाने के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

बाद म्यूनिसिपेलिटी की हालत यह हो गयी कि जो एक लाख रुपये के आस पास निर्वाचित चेयरमेन पैसा बैलेन्स रख कर गये थे आज उस म्यूनिसिपेलिटी को तनख्वाह देने में भी कठिनाई हो रही है। जब हम पेयजल की बात करते हैं, लाइनों के विस्तार और दूसरे कार्यक्रमों की बात करते हैं तो बताया जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। उसकी सीमा में जो 3-3, 4-4 किलोमीटर पर गांव हैं, न तो वहां पाइप लाइन पहुंचायी जाती है, न वहां पेयजल हेतु कुए गहरे करने की बात होती है और न नये कुए खोदने की बात होती है। इसलिये मेरा ऐसा सुझाव है कि नगरपालिका क्षेत्रों में जहां पेयजल की लाइन 2-3 किलोमीटर नहीं पहुंचा सकते हैं कृपा करके आप ऐसी योजना तैयार करके हैण्ड पम्प वहां पहुंचा दें। वहां की पेयजल की जो समस्या है, उसको प्राथमिकता देने की मेरी मांग है। जहाजपुर इसका एक अपवाद है जहां 12-15 गांव नगरपालिका के रेवेन्यू विलेज साथ ही हैं आज उनमें पेयजल की समस्या बड़ी गम्भीर है। मैंने बहुत प्रयत्न किया इस बार लेकिन कोई रास्ता निकले। नगरपालिका की ऐसी कोई स्कीम नहीं है और नई योजना के लिए इतनी बड़ी राशि का इन्तजाम सरकार करने में असमर्थ है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे जो गांव हैं वहां एक एक हैण्ड पम्प लगा दिये जायें ताकि लोगों की जो प्राथमिक आवश्यकता है, मानवीय जीवन के लिए 4-5 मुख्य आवश्यकता होती हैं, उसमें पेयजल भी है इस समस्या का समाधान हो सके, इस दिशा में मेरा निवेदन है।

दुर्भाग्य से दूसरी आजादी और लोकतन्त्र की बात बहुत कही गयी। लोकतन्त्र की बात कहने वाली सरकार ने चाहे पंचायती राज संस्थाएं थीं, सहकारी संस्थाएं थीं उन सबको समाप्त कर, चुने हुए लोगों के बजाय, कृषि मण्डियां थीं, उनमें प्रशासक लगा दिये। जब से प्रशासक लगे हैं, उन सब संस्थाओं की ऐसी हालत हो गयी है कि जन समस्याओं के निराकरण व जनहित का कोई काम काज नहीं हो पाता है। जनता का विश्वास इन संस्थाओं से उठ गया है, हट गया है। मैं समझता हूं कि इन संस्थाओं को फिर से विकेन्द्रित करके और मजबूत बना कर जनता के चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में देना चाहिए ताकि काम काज ठीक ढंग से चल सके।

इसके साथ ही मैं राजस्थान में जो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरुआत हुई थी, पंचायत राज की प्रेरणा की गई थी, उसकी दुर्दशा भी बुरी तरह से हुई है। पहले तो समय पर चुनाव नहीं कराये कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने उससे कुछ निराशा हुई। फिर जनता पार्टी की गवर्नमेन्ट आयी, उसने तो बिल्कुल पंचायत राज का सफाया ही कर दिया। पंचायत समितियां जिला परिषद् सब में प्रशासक लगा दिये। उसके बाद चुनाव का जो मण्डल होता है, उसको भी सीमित कर दिया। प्रजातन्त्र की बात के बजाय उसमें इस तरह व्यवस्था कर दी कि आम लोगों का उसमें किसी प्रकार का इन्वाल्वमेंट नहीं हो। वे संस्थाएं जनता से दूर होती चली गयीं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में पंचायत समितियों व जिला परिषदों को पुराने आधार पर या चुनाव की प्रक्रिया में संशोधन करके

(श्री रतनलाल ताम्बी)

वापस मजबूत बनाया जाय और जनता के निकट उनको लाया जाय। यह एक बहुत बड़ा सवाल है।

गांवों में लोगों में निराशा का वातावरण हो गया है। पहले श्रमदान होता था विकास के कामकाज होते थे वह सब रुक गये। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की बात करके बहुत बड़ी बातें कही जाती हैं। इनमें क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, यह तो गांव में जाकर देख सकते हैं, उन सड़कों को देख लीजिए, उन तालाबों को देख लीजिए। इसलिए उससे कोई विकास नहीं हो सकता जब तक गांव के लोगों का इनवाल्वमेंट कर के, जनशक्ति का विकास के कामों में सहयोग लेकर एक नये स्तर पर प्रयास नहीं किये जायेंगे, तब तक गांवों का सम्यक् विकास वांछित तौर से नहीं हो पायेगा। राजस्थान में आज पंचायती राज निगम बनाने की बात की जानी चाहिए, पंचायत राज वित्त निगम बनाने की बात सोचनी चाहिए ताकि इसके आधार पर राजस्थान में कुछ गांवों के विकास के काम काज में तेजी आ सके।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा की दृष्टि से मैंने इस बजट को देखा। इसे देखकर बड़ी निराशा हुई। गांवों में चिकित्सा के विस्तार का कार्यक्रम इसमें दिया नहीं गया है। बड़े-बड़े कस्बे जहां कई वर्ष पहले 20-25 बैड थे, जनता ने लाखों रुपये लगाकर वार्ड बना दिये, वार्ड्स बनाने के बाद आज बैड्स नहीं बढ़ पा रहे हैं। जहाजपुर, जहां से मैं आता हूं, नगर में वार्ड बने हुए हैं। शैयाओं के अभाव में लोग बरामदे में सोते हैं, बाहर मैदान में सोते हैं, वृक्षों के नीचे सोते हैं। इस बात को देखने की आवश्यकता है। मेरी मांग है कि वहां की स्थिति को देख कर 50 बैड्स का विस्तार किया जाय ताकि लोगों को जो कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसका समाधान हो सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिस्पेन्सरी है, वे एक नाम मात्र की डिस्पेन्सरी हैं। वहां शैयाओं की व्यवस्था नहीं है इसलिए वहां 10-10, 15-15 शैयाएं प्रत्येक डिस्पेन्सरी में हों इस बजट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी तरह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के बारे में माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने बहुत प्रयास किया। अभी मुझे सुनने को मिला कि जनता पार्टी ने स्कूल खोले, यह खोला, वह खोला। माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करें कि जनता पार्टी के राज में जो स्कूल खोले उसमें क्या कुछ नीति थी? हमारे इलाके में सैकण्डरी स्कूल इसलिए नहीं खोले गये कि वहां की जिला परिषद् और पंचायत समिति के प्रस्ताव होते हुए भी वहां के सरपंच को मजबूर किया गया कि अमुक विचारधारा का सदस्य बनना पड़ेगा तब सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे। इस आधार पर एक ऐसे काम की उपेक्षा की गयी, पुराने प्रशासन में उसके आदेश हो गये थे, नये प्रशासन में वह आदेश रद्द कर दिये गये। इस प्रकार की व्यवस्था, मैं यह चाहूंगा, यह सरकार नहीं करे। इसके लिये कोई निश्चित आधार तय करें कि हर पंचायत स्तर पर कोई न कोई मिडिल स्कूल हो। 2 हजार से अधिक की आबादी वाले गांव

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जो हों, चाहे वहां से किसी भी विचारधारा के लोग जीत कर आये हों, कैसे भी व्यक्ति हों वहां सैकण्डरी स्कूल खोलें। यह तो एक नीति होती है। एक राजनैतिक आधार पर, अमुक विचाराधारा के आदमी नहीं हैं, इसलिए स्कूल वाजिब होते हुए भी नहीं खोलें यह नहीं होना चाहिए, शिक्षा में भेद-भाव नहीं हो। शिक्षा की स्पष्ट नीति आप घोषित करें और उसी आधार पर इस साल आप स्कूल खोलें। मेरी यह मान्यता है कि आपने जो प्रावधान किया है यह बहुत कम है। जब आप शिक्षा का फैलाव अधिक से अधिक करना चाहते हैं तो जहां राजस्थान में आपने 600 प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही है वहां मैं समझता हूं कि एक-एक निर्वाचन क्षेत्र में आवश्यकता 5 और 10 प्राइमरी स्कूल की है। इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और अधिक प्रावधान किया जाना चाहिये। मिडिल स्कूलों के मामले में भी आपने 200 मिडिल स्कूल खोलने की बात की है। 200 स्कूलों से क्या होगा। एक-एक जिले में जहां 40-40, 50-50 मिडिल स्कूल होते थे, किसी जमाने में होते थे वहां आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई। पिछले 4-5 सालों में खुले नहीं। कुछ सालों से भेदभाव बरता गया। कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा हो गई। इस आधार पर बड़ी तादाद में स्कूलों की आवश्यकता है। सैकण्डरी स्कूल और मिडिल स्कूलों के लिये और भी प्रावधान बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि जहां 600 खोलने की बात करते हैं वहां कम से कम राजस्थान में 1500 प्राइमरी स्कूल और 700 के आसपास मिडिल स्कूल और 400-500 के आस पास सैकण्डरी स्कूल का प्रावधान किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री महोदया, आप बहुत मुस्करा रही हैं, वास्तव में यह समस्या बहुत गम्भीर है, आप किसी और मद से बचा कर गांव में शिक्षा का फैलाव करें। गांव में शिक्षा की प्रचुर मांग है उसकी दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा हूं यह वास्तविक समस्या है। आप पिछले वर्षों के कागजों को देखें, कहां कहां के पहले प्रस्ताव थे। किस आधार पर वहां नहीं खोले गये और किस कारण से नहीं खोले गये, उन कारणों की गहराई में जाकर वहां पर स्कूल खोलें। जिन क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है उन क्षेत्रों की ओर विशेष तौर से आप ध्यान दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं दो चार मिनट में ही अपनी बात समाप्त करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के आधार पर राजस्थान में और कार्य क्षेत्र के आधार पर औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में भी बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ दिनों पहले भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में वूलन मिल का उद्घाटन हो गया था, सात आठ महीने पहले, चुनाव के समय में, लोकसभा चुनाव के समय में। सात आठ महीने से शिलान्यास का पत्थर वहां इन्तजार कर रहा है। मैं समझता हूं कि वहां पर ऊन बहुत ज्यादा तादाद में है। केकड़ी का क्षेत्र है, शाहपुरा का क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार के उद्योग लगें, चाहे सहकारिता के क्षेत्र के अन्दर हो, प्राइवेट क्षेत्र में हों, इन लघु उद्योगों को खोलने की दिशा में ध्यान देकर बेरोजगारी की जो समस्या है, उसका समाधान करने की दिशा में आप ध्यान दें। इसी संदर्भ में शाहपुरा भीलवाड़ा जिले का

(श्री रतनलाल ताम्बी)

एक स्थान है, जहाजपुर है जहां पर दो सौ, तीन सौ परिवार हाथ कर्घे से काम करने वाले कोली वगैरह हैं, वहां पर एक प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था करके वहां पर हाथ कर्घा उद्योग को और पावर लूम के उद्योग को छोटे रूप में ही चलाने की ओर ध्यान देने की चेष्टा करें ताकि इन शहरों में भी बेरोजगारी की समस्या है वह दूर हो सके।

डेयरी का कार्यक्रम भी राजस्थान में फैला और फैलने के साथ में ही उस काम में गड़बड़ियां फैल गई। मैंने सुना है और मुझे मालूम है कि राजस्थान का डेयरी उद्योग शुरू शुरू में तो अच्छा चलाने की कोशिश की गई लेकिन उसके बाद वह भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। इसके चुनाव कहीं पर हुए, कहीं पर नहीं हुए हैं। अजमेर डेयरी का उदाहरण मौजूद है जहां पर सारी सहकारी समितियों का, दुग्ध उत्पादकों का हिस्सा ही वहां की व्यवस्था में और दूसरे कामों में खर्च हो गया। जितना पैसा था वह भी खर्च हो गया। बहुत बड़े घाटे में आज वह डेयरी है। आज उसकी विशेष रूप से जांच की जावे। इसी तरह से संचालक मण्डल के चुनाव हो गए, भीलवाड़ा में, अजमेर में चुनाव हो गए लेकिन आज भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव नहीं होते हैं और आज नौकरशाही का राज है। लालफीताशाही उन डेयरियों में इस तरह से पहुंच गई है कि जिसकी वजह से दुग्ध उत्पादकों में भी बहुत बड़ी निराशा फैली हुई है और बहुत बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों की चर्चा आम तौर से फैली हुई है। इस दिशा में भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी तरह से वन विकास के कार्यक्रम के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। यह कार्यक्रम राजस्थान में पिछले कुछ वर्षों में काफी शिथिल हो गया। वृक्ष कट गए। आज पहाड़ियां नंगी नजर आती हैं। हालत बहुत खराब है। आदिवासी इलाकों में केवल पहाड़ पर पत्थर ही पत्थर रह गए हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम, मास्टर प्लान बना कर प्रयास किया जावे। राजस्थान में वनों का विकास होकर हरा भरा राजस्थान फिर से हो सके, इस दिशा में बहुत तेजी से कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। संजय जी की स्मृति में आपने वृक्ष लगाने की बात कही है। अब कितनी लागू हो पाती हैं, कैसे यह कार्यक्रम चलता है वह आपकी मुस्तैदी और सक्रियता पर निर्भर करेगा।

खास तौर से मैं आखिर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान के गांवों में जिस तरह की आज हालत हो रही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आज रोजमर्रा की, दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के वितरण की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से कायम कीजिए। माननीय खाद्य मंत्री महोदय, यह शक्कर वितरण नाम मात्र के लिए सहकारी समितियों के मार्फत से होता है। यों तो सोसायटीज को कुछ देना भी नहीं चाहते हैं, छोटी मोटी कमी निकाल कर यह वितरण व्यवस्था निहित स्वार्थी तत्वों को सम्हला दी जाती है। क्या करते हैं वे कि गांवों में कार्ड इकट्ठे कर लेते हैं और शक्कर के नाम पर गरीबों को मामूली सा पैसा देकर परमिट की बहुत बड़ी कालाबाजारी होती है। इसलिए

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सहकारिता के क्षेत्र में इसको मजबूत करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक करें। गांवों में आज आम आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। आज गांवों में मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है। गांवों में सीमेंट के वितरण की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है। गांवों में कपड़े के वितरण की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है। इस व्यवस्था को ठीक करके राजस्थान में जहां आम लोग परेशान हैं उस तरफ भी आपका ध्यान जावे यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ साथ ग्रामीण आवास समस्या की ओर भी आपका ध्यान जावे। जैसे शहरों में आवास मण्डल के मार्फत जो आप बड़े-बड़े भवन बनाते हैं, वैसे क्योंकि राजस्थान और सारा देश गांवों में बसता है, इसलिये गांवों की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। इस बारे में प्रावधान विशेष तौर पर हो। इस दृष्टि से राजस्थान के गांवों में आवासन मण्डल जैसी कोई संस्था गठित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ायेंगे, ऐसी मैं आशा करके चलता हूं।

इसके साथ ही अन्य प्रकार की समस्यायें हैं। गांवों में पेयजल की समस्या है इसके सम्बन्ध में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। प्रत्येक पंचायत समिति का एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए कि किन किन गांवों में किस प्रकार की समस्या है। कहां हैंड पम्प, कहां जल प्रदाय योजना, कहां दूसरे प्रकार की आवश्यकता है, इसका एक निश्चित कार्यक्रम राजस्थान में चलता नहीं है। जैसे जंच जाय उसी आधार पर निर्णय हो जाते हैं और जो पेयजल समस्या से परेशान गांव हैं उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे बनास नदी है, उसकी एक निश्चित स्कीम बना कर दस दस, पन्द्रह पन्द्रह गांवों की स्कीमें बन सकती हैं। वे स्कीमें सस्ती भी पड़ेंगी। दस पन्द्रह गांवों की समस्या एक साथ निपट सकती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों को भी हाथ में लें। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे की

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

हालत बहुत ही खराब है पानी की दृष्टि से। इसी तरह से बनास से वहां के पानी की योजना तैयार हो सकती है। राजमहल की योजना की चर्चा पहले चली थी, बनास की चर्चा भी पहले चली थी, वह भी न जाने कहां अधर में लटक गई। इस तरह की योजना चालू हो जावे तो पानी की समस्या हल हो सकती है। इस तरफ ध्यान देना चाहिए, यह मेरा विशेष रूप से निवेदन है। गांवों में अभी भी कई सिंचाई के स्रोत हैं। इन स्रोतों का सर्वेक्षण करा कर नालों पर, नदियों पर जितने बांध बन सकते हों उस कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया जाय।

मैं इतना कहते हुए अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने जिन प्रगतिशील कार्यक्रमों और नीतियों को ले करके और जिन सामन्तवादी, साम्प्रदायिक शक्तियों, प्रतिक्रियावादी ताकतों से मुक्ति लेकर आप में विश्वास प्रकट किया है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए तेजी से आप प्रगतिशील नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर राजस्थान

(श्री रतनलाल ताम्बी)

को आगे बढ़ायें तो हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। जो बजट यहां प्रस्तुत हुआ है, उसमें जितने लोक कल्याण के क्षेत्र में आपने कार्यक्रम रखे हैं उनको निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार लागू करें। साथ ही जो मैंने विशेष रूप से सुझाव दिये हैं उन पर भी आप गंभीरता से विचार करके जिन जिन मामलों में विशेष निवेदन किया है उन पर विशेष रूप से ध्यान देकर प्रावधान बढ़ायें। किसी न किसी रूप में आप प्रशासनिक खर्चों में कटोती करें, मितव्ययता करें या दूसरे ढंग से राजस्थान का विकास करें तो राजस्थान की जनता इस बात का स्वागत करेगी। किन्तु ये जो मूल समस्यायें हैं जिनकी तरफ मैंने खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित किया है, उस ओर आपका ध्यान जावे, यही मैं आपसे मांग करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री कंवरिया।

श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस परिवेश में और जिन कठिन परिस्थितियों में सदन के समक्ष हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने यह 1980-81 का बजट प्रस्तुत किया है, वाकई एक सराहनीय और एक साहसिक कदम है। हमारे राज्य की ही नहीं बल्कि समूचे देश की कैसी व्यवस्था हो गई थी उसका चित्रण तो आपने अपने विचारों में व्यक्त किया ही है कि ढाई साल के जनता राज्य में हमारे देश की और हमारे राज्य की हालत कहां पहुंच गई थी। सारे प्रशासन में किस प्रकार की ढिलाई किस प्रकार की अव्यवस्था आई और किस प्रकार हमारे प्रशासन का ह्रास हो गया, यह आपने सही शब्दों में रखा है। इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान तीस वर्षों के कांग्रेस शासन में जो उपलब्धियां हुई, उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 1952 से हमारे देश में पंचवर्षीय योजना लागू हुई। पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े माननीय सदस्य श्री माथुर साहब ने राज्यपाल महोदय के भाषण के समर्थन में बताये थे कि निरन्तर 2200 करोड़ से 4800 करोड़, फिर दस हजार करोड़, 25 हजार करोड़ और 56 हजार करोड़, इस तरह से बढ़ते गए। अब हमारी छठी पंचवर्षीय योजना में एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। आंकड़े स्वयं बोलते हैं कि किस प्रकार कांग्रेस प्रशासन में हमारे देश में निरन्तर प्रगति होती गई और सर्वाङ्गीण विकास देश का हुआ। राजस्थान में भी कई विकास योजनायें लागू की गई।

हमारे पूर्व प्रधान मन्त्री महोदय, श्री जवाहरलाल नेहरू के समय में देश के अन्दर बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं को हाथ में लिया गया। भाखड़ा नांगल, दामोदर वेली प्रोजक्ट, हीराकुण्ड, नागार्जुन सागर आदि आदि और हमारे राजस्थान मे गांधी सागर, जवाई बांध, राजस्थान कैनाल योजना हाथ में ली गई। बड़ी सिंचाई योजनाओं के अलावा मध्यम सिंचाई योजनाओं को भी हाथ में लिया गया। ये योजनाएं आज हमारे देश के लिये गर्व के स्थान हैं। आज इन योजनाओं से हमारे देश की लाखों एकड़ भूमि सिंचित हो रही है, जिससे हमारे देश की पैदावार को भारी बढ़ावा मिला है।

इसी प्रकार देश के अन्दर बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज, बड़े-बड़े कारखाने भी खोले

(श्री सी. एल. कंवरिया)

और फिर छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज भी खोली गयीं। इससे हमारे देश के अन्दर जो बेसिक इण्डस्ट्रीज हैं, जिनसे छोटी इण्डस्ट्रीज को सहारा मिलता है, वह भी देश के अन्दर खोली गयीं।

इसी प्रकार हमारे देश के अन्दर निरन्तर कई प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का प्रसार हुआ। टेक्निकल एजूकेशन चालू की गई। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, दूसरे कॉलेजेज व यूनिवर्सिटीज खोलीं और प्राथमिक, माध्यमिक और शिक्षा का प्रसार गांव-गांव में हुआ।

देश में कई विकास योजनाएं लागू की गयीं। गांवों में सामुदायिक विकास के जरिये चेतना पैदा की गई। देश के अन्दर जहां करोड़ों रुपयों का अनाज हमें बाहर से मंगाना पड़ता था, इन विकास योजनाओं के जरिये देश की पैदावार बढ़ी है। इस प्रकार हमारा देश आगे बढ़ता रहा। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद श्वेत रिवोल्यूशन आया और वह सब आया, कांग्रेस के राज में। इन्दिरा जी के समय में देश का विकास उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। ऐसे समय में जब कि देश द्रुत गति से प्रगति की ओर बढ़ रहा था तो ऐसी निहित स्वार्थ वाली शक्तियों ने एक समग्र क्रांति का नारा दिया, वह समग्र क्रांति नहीं बल्कि समग्र भ्रांति थी, नसबन्दी के नाम पर एक भ्रामक प्रचार किया गया। जनता गुमराह हुई और जनता पार्टी का शासन आया। लेकिन जनता जल्दी ही यह अच्छी तरह से समझ गई है कि ढाई साल के प्रशासन में किस प्रकार भ्रामक प्रचार करके उनको गुमराह किया गया। इस समय में देश का किस प्रकार से पतन हुआ और आर्थिक व्यवस्था खराब हुई, यह आपके सामने है। करोड़ों का देश में घाटा हुआ। जनता पार्टी के राज में किस प्रकार अव्यवस्था फैली। हरिजनों के ऊपर अत्याचार किये गये। बेलछी जैसे काण्ड हमारे सामने आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज विपक्ष के सदस्य, इस प्रकार की जो छुट-पुट घटनाएं होती हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। लेकिन वे अपने समय की याद करें। हरिजनों पर किस प्रकार नृशंस अत्याचार किया गया, उनकी भूमि को छीना गया। इस प्रकार ढाई वर्ष में हमारे देश और राजस्थान को 10 वर्ष पीछे धकेल दिया व कंगाली के कगार पर लाकर खड़ा किया, वह चिन्ता का विषय है।

अब जो बजट आपके सामने है, मैं समझता हूं कि जिस दशा में राज्य को लाकर खड़ा कर दिया गया तथा जिस प्रकार एक बगीचे को उजाड़ दिया जाता है तो उसको वापस सुधारने का यह बजट अच्छा प्रयास है। इसमें जिन-जिन योजनाओं को प्राथमिता दी गई है, वह हैं कृषि और देश के अन्दर पैदावार बढ़ाने की योजनाएं। इसके अलावा मानव जीवन की जो मूल भूत आवश्यकताएं हैं, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जायगा। हमारे राज्य की इसमें प्रगति बहुत अच्छी तरह से निहित है।

अब मैं इसके अन्दर जो योजनाएं रखी गई हैं, उन पर अपने सुझाव पेश करना चाहता हूं। सिचाई के लिये कुछ बड़ी योजनाएं, मध्यम योजनाएं भी ली गई हैं लेकिन लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में बहुत कम प्रावधान रखा गया है।

(श्री सी. एल. कंवरिया)

केवल 46 लघु सिंचाई योजनायें काफी नहीं हैं। मैं समझता हूं ये बहुत कम हैं। हमारे समक्ष राजस्थान में कई ऐसी छोटी-छोटी लघु सिंचाई योजनाएं हाथ में ली जा सकती हैं, जिससे हमारे देश का बहुत कुछ क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत आ सकता है। छोटे-छोटे तालाब, ट्यूब वैल्स की ओर भी हमें प्रयास करना चाहिये और जो प्रावधान बहुत थोड़ा लघु सिंचाई योजनाओं के लिये किया गया है, उसको बढ़ाना चाहिये। गांवों में आज बहुत सा क्षेत्र ऐसा है, जहां आवागमन के साधन बहुत कम हैं। सड़कों की भारी कमी है। मेरे ही टूट क्षेत्र में बहुत सा ऐसा क्षेत्र है, जहां 60 प्रतिशत ग्रामों में आवागमन के साधन नहीं है, वहां सड़कों का बनना आवश्यक है। सड़कों से मिलाये जाने से ग्रामीण जीवन की आर्थिक दशा और अधिक सुधरेगी।

उद्योगों की ओर विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिये। उद्योगों को बढ़ाने में जो प्रयत्न करने चाहिये, उसमें बहुत से ऐसे उद्योग हैं, जिनके लिये इस बजट में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। विशेषकर राजस्थान में चर्म उद्योग पर बहुत से लोग आधारित हैं। लेकिन चर्म उद्योग के बारे में इस बजट में कहीं भी कुछ अंकित नहीं किया गया है। अतः इस ओर मेरा यह सुझाव है कि इस उद्योग खास कर चर्म उद्योग पर भी ध्यान दिया जाये। पहले यह सुना जा रहा था कि यहां पर लैदर डवलपमेंट कार्पोरेशन कायम किया जायेगा। टौंक में चर्म की रंगाई के लिये बड़ा कारखाना खुला हुआ है लेकिन वह भी निराशाजनक स्थिति में है। क्योंकि उसके अन्दर जितना अच्छा चमड़ा रंगा जाता है, वह विदेशों में भेजा जाता है। होना तो यह चाहिये था कि उससे जो चमड़ा अच्छा निकलता है, उस पर जो आधारित उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। जो रंग कर चमड़ा निकलता है, उससे जूते, बैग, अटैची केस आदि उद्योगों को बढ़ावा मिलना चाहिये। इसका प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना चाहिये। चमड़ा उद्योग पर लाखों लोग आधारित हैं। राजस्थान सरकार को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि इसकी प्रगति हो सके।

इसके अलावा मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे राज्य में विपुल जो खनिज सम्पदा मौजूदा है, इसके लिये हमें बहुत ज्यादा प्रयत्न करना चाहिये। उसके लिये सर्वे कराया जाये और जहां-जहां खनिज सम्पदा है, उसको बाहर निकाला जाये। अगर हम इस ओर कदम उठायेंगे तो हमारा राजस्थान तरक्की की ओर अग्रसर होगा। शिक्षा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। शिक्षा क्षेत्र में भी अभी भी हमको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अभी जो कुछ प्रावधान किया, व 600 प्राइमरी स्कूल जो कुछ आपने बजट में अंकित किया है, वे कम हैं टैक्निकल एजूकेशन के लिये उद्योग केन्द्र खोलने चाहियें ताकि जो लोग स्कूलों से, कॉलेजों से निकलते हैं वे केवल नौकरी के ही पीछे न रहें बल्कि उद्योग की ओर अग्रसर हों। ऐसे उद्योग खोले जाने चाहिये जिससे वे स्वतंत्र उद्योग या टैक्निकल यूनिट खोल सकें और उसमें अपना काम कर सकें। यही बातें हैं जिनकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है।

(श्री सी. एल. कंवरिया)

मैं समझता हूं कि जो बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसमें घाटे का बजट होते हुए भी किसी प्रकार का टैक्स का भार नहीं लगाया है। यह एक सराहनीय कदम है। इससे सभी प्रकार के वर्गों को राहत मिलेगी क्योंकि इस समय जितनी मंहगाई बढ़ी और आगे भी बढ़ती जा रही है उसके लिये बजट बहुत अच्छा और सार्थक साबित होगा। यही मेरा विश्वास है और इस बजट के लिये में अपना समर्थन प्रकट करता हूं।

श्री सभापतिः श्री रामकंवार

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने इस सदन के समक्ष इस वर्ष का बजट पेश किया उसके अन्दर अनुसूचित जाति और गरीब तबके को ऊंचा ऊठाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया और विशेष रूप से कोई धनराशि भी उन्होंने बजट में नहीं रखी। इसलिये मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस वृक्ष से वे इतने बड़े बने हैं उससे मुंह फेर लेना, यह कोई अच्छा कदम नहीं है। पहले जो ढाई साल जनता पार्टी का शासन था उसमें राजस्थान के प्रत्येक गरीब के घर तक उनको रोजगार मिला है। जनता पार्टी की योजनाओं द्वारा उनके घर में अनाज पहुँचा कर उनके पेट की भूख मिटाई थी और कुछ दिनों के लिये उनको राहत की सांस आई थी। उन सभी गरीबों को अच्छी राहत देने वाली योजनायें थीं वह आज कांग्रेस के शासन में बन्द सी कर दी गई हैं। चन्द जगहों पर अकाल राहत कार्य चल रहे हैं उनमें भी पक्षपात बरता जा रहा है। गरीब आदमी को जनता पार्टी की योजनाओं के द्वारा लाभ मिलता था। उनको विश्वास बंधा था। जनता पार्टी को वोट देने पर, उसकी ओर थोड़ा सा आकर्षित होने पर मौजूदा कांग्रेस सरकार इस वक्त उनकी तरह-तरह की ताड़ना देती है गांवों में जो रोजगार खोले हुए हैं उनमें रोजगारों पर लगाने में भी पक्षपात बरत रही है और उनको काम नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार कहीं भी सौतेला व्यवहार हो वहां पर आप विशेष रूप से वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं या जो कांग्रेस के सरपंच हैं उनको इस तरह की राय दें कि इस प्रकार का भेद-भाव नहीं बरतें। इससे उनकी प्रतिष्ठा को आंच आयेगी। यह कोई आगे बढ़ने वाली बात नहीं है।

दूसरा मेरा निवेदन है सिंचाई विभाग के मामले में कि जो भी तालाब हैं, कई पंचायत के तालाब हैं, कई गंवाई तालाब हैं और सिंचाई के बांध भी हैं। छोटे-छोटे तालाब हों या नाले हो, उन सब पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और उन तालाबों की मरम्मत करवानी चाहिये ताकि गांव के लोग जो आये दिन अकाल की समस्या, प्रत्येक वर्ष में इस समस्या के शिकार होते हैं उससे बच सकें। प्रत्येक गांव में तालाब और छोटे छोटे नालों पर बांध बनाया जा सकेगा तो अकाल से हमको काफी राहत मिलेगी और पानी का लेवल भी ऊंचा उठेगा। साथ ही कुए वगैरह बनाते हैं उनमें भी पानी ज्यादा मिल सकेगा।

(श्री रामकंवार बैरवा)

मेरा निवेदन है कि जितनी भी नदियां और नाले हैं उन पर बांध बनाये जाने चाहिये उनमें जगह जगह एनीकट और बांध वगैरह बनवा कर उनको पूरा किया जाना चाहिये।

दूसरा मैं उद्योगों के मामले में कहना चाहता हूं। उद्योगों के मामले में पिछली सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि उद्योगपतियों की अर्जियां बिजली, जमीन, ऋण संबंधी हों उन सब का निपटारा एक ही दफ्तर से हो, इस प्रकार की व्यवस्था जनता सरकार करने जा रही थी। मैं इस ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। आज तक हमारे राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपति दूसरे प्रान्तों में जाकर उद्योग लगाना पसन्द करते रहे हैं, इसका कारण यह है कि राजस्थान में उद्योग संबंधी अर्जियों का निपटारा जल्दी नहीं होता है और दूसरे प्रान्तों में अर्जियों का निपटारा जल्दी होता है चाहे उनको कुछ पैसा भी खर्च करना पड़े।

(4.20 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं उद्योगों के संबंध कि जो भी कोई लघु या बड़े उद्योग लगाना चाहें उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो जो छोटे उद्योग लगाने वाले हैं उनमें शारीरिक मेहनत करने की क्षमता अवश्य है लेकिन इस बात का उनको ज्ञान नहीं है कि कहां किस प्रकार से ऋण दिया जायेगा, किस प्रकार से मंजूरी दी जायेगी। तो मेरा निवेदन है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं उनके लिये आप एक दफ्तर इस प्रकार का खोलें ताकि उनको सलाह और सहायता मिल सके। अनुसूचित जाति के लोगों को नाम मात्र का आपने रिजर्वेशन दे रखा है। लेकिन हमने देखा है कि जितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिलना चाहिये उतने प्रतिशत लोगों को लाभ नहीं मिलता। अनुसूचित जाति के गरीब लोग हैं वे पढ़े लिखे भी हैं और सभी तरह के बड़े-बड़े उद्योगों में काम करते हैं। कितने ही लोगों से हमारी बात होती है वे इसी वजह से इस क्षेत्र में नहीं उतरते हैं क्योंकि कुछ पैसे, दो-चार हजार हैं वे भी इधर उधर सलाह मशविरा में खर्च हो जायेंगे और आगे कामयाबी भी नहीं मिलेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर आपको ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि कांग्रेस सरकार ने सन् 55 से लेकर आज तक अनुसूचित जाति और विशेषकर गरीब लोगों को कृषि सहकारी समिति के माध्यम से जमीनें दी थीं। कृषि सहकारी समिति के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को 15 बीघा जमीन अलॉट हुई थी सामुहिक खेती करने के लिये। राजस्थान में, मैं तो अपने निर्वाचन क्षेत्र फागी का उदाहरण देता हूं, इस प्रकार की वहां पांच कृषि सहकारी समितियां हैं। बीस-तीस मेम्बर हैं उसमें। आज तक उनको सरकार ने जमीन देकर भगवान के नाम पर छोड़ दिया है। उनका विकास करने के लिये सरकार ने कोई सहायता या कोई सलाह मशविरा नहीं दिया। जो लोग जमीनों पर बैठे हैं, झोंपड़े डाल कर वह बरबाद हो गये पूरी तरह से, न उनको सरकार ने ऋण दिया, न सरकार ने आज तक उनकी देख

(श्री रामकंवार बैरवा)

रेख की। उस जमीन पर दरख्त वगैरह काट कर टीबों को समतल करके वह बरबाद हो गये। वह कुए भी नहीं बना सकते हैं। मेरा निवेदन है, मोहनलाल जी सुखाड़िया से लेकर राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह शेखावत तक चार मुख्य मन्त्री रहे, बरकतुल्लाखां साहब और जोशीजी रहे, उनसे पुरजोर शब्दों में यह मांग करता रहा हूं कि सहकारी समितियों के माध्यम से उनको सम्मिलित खेती करने के लिये छोड़ दिया है या तो उनकी जमीन का विकास करावें या व्यक्तिगत रूप से उनको जमीनें बांट दीजिये ताकि व्यक्तिगत रूप से कर्जा कहीं से ले लिवा कर अपनी जमीन पर अनाज पैदा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। यह मेरा निवेदन है कि जनता पार्टी के राज्य में अन्त्योदय योजना चली, राजस्व अभियान चला और काम के बदले अनाज योजना चली। मैंने काफी पत्र लिखे परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति के लोग, गरीब लोग फंसे हुए हैं कृषि सहकारी समितियां बनी हुई हैं उन पर भी गांव के साधन सम्पन्न लोग, सवर्ण जाति के लोग कब्जा लिए हुए हैं और वे हर वर्ष मेम्बर को बदल देते हैं। इससे ज्यादा लाभ उन्हीं लोगों को मिल रहा है। निवाई में इस प्रकार की कृषि सहकारी समिति थी। एक ही आदमी इस सहकारी समिति का सारा लाभ उठा रहा था। बारी-बारी से वह लोगों को हटा कर नये लोगों की भर्ती कागजों में दिखाता रहा। जनता सरकार ने उस आदमी को हटाया और व्यक्तिगत रूप से जमीन का अलॉटमेन्ट कर दिया। मेरा निवेदन है उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से जमीन बांट दीजिये ताकि उनके नाम जमीन हो जाय और बैंक से कर्जा लेकर जमीन में कुआ बनवा कर उपज पैदा कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा मेरा निवेदन, सभापति महोदय, यह है कि राजस्थान में सड़कों की हालत काफी खराब है। सभापति महोदय, मैं जब पालियामेंट का मेम्बर था तब सारे हिन्दुस्तान में घूमने का मुझे मौका मिला। जितनी अधिक खराब सड़कें राजस्थान हैं उतनी दूसरे प्रान्तों में नहीं हैं। मेरा निवेदन यह है कि हमारे जो इन्जीनियर है उनसे ठोस तरीके से बातचीत होनी चाहिए। मुझे इस बात का खेद है कि जो भी सड़कें निकाली गई हैं, गांव से एक किलोमीटर, दो किलोमीटर दूर छोड़ दी गई हैं। मेरा यह निवेदन है कि इसका जब सर्वे किया गया तो गांव से एक-दो किलोमीटर दूर सड़क क्यों जोड़ दी गई। पूरा पेमेंट ले लिया या ठेकेदार, इन्जीनियर पैसा खा गये इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे कहना तो बहुत है। सभापति महोदय, बार बार घंटी बजा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक पीने के पानी के कुए बनते हैं, उसके ऊपर सरकार का पैसा लगे और किसी गांव में सार्वजनिक कुआ बने, तो उस कुए से कोई भी कास्ट का आदमी हो वह पानी निकाल कर पी सके, इस प्रकार की गांव में पूरी देख रेख होनी चाहिये। आज व्यवस्था गांवों में यह है कि चाहे अनुसूचित जाति के ही लोग हों, या

(श्री रामकंवार बैरवा)

शिड्यूल्ड कास्ट्स के हों वे अलग अलग जाति वाले अपने अपने कुओं पर से पीने का पानी लाते हैं। सरकारी स्तर पर सबको ही बराबर अधिकार होना चाहिये, कोई भी सार्वजनिक कुओं पर सभी लोगों को पीने का पानी लाने का अधिकार होनी चाहिए, चाहे वह हरिजन हो, ब्राह्मण हो, सभी व्यक्ति वहां पर पानी पी सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए। कई गांवों में हरिजनों के लिए पीने के पानी के कुए नहीं हैं। दूर से कीड़े का पानी ला कर वे पीते हैं। इस प्रकार कई जगह जाकर मौके मैंने देखे हैं। मेरा यह निवेदन है कि हरिजनों के लिए कुए बनाने के लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए ताकि वे शारीरिक मेहनत करके सरकारी पैसे से कुआ बना सकें और शुद्ध पानी पी सकें।

पुलिस के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। अनुसूचित जाति के लोग गरीब होते हैं उनकी जमीन पर साधन सम्पन्न लोग लाठी के जोर से कब्जा कर लेते हैं और उनको हटाने की कोशिश करते हैं। इस पर भी सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकंवार बैरवा : समाप्त कर रहा हूं।

श्रीमान् सीमेन्ट आज लोगों को नहीं मिल रही है। इससे किसानों में रोष है। जगह जगह कुए अधूरे पड़े हैं। सारे काम अधूरे पड़े हैं। जहां पर किसानों ने एक हजार, दो हजार रुपया खर्च कर दिया है और अधूरा काम पड़ा है तो स्पेशल वे में सीमेन्ट उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वे लोग अपने कुओं का काम पूरा कर सकें।

मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री भंवरसिंह शेखावत!

(अनुपस्थित)

श्री शोभाराम !

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह !

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री, जो हमारे वित्त मन्त्री भी हैं, के द्वारा प्रस्तुत बजट निश्चित रूप से सराहनीय है। राजस्थान के गत 28 वर्षों के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब कि सदन में बजट प्रस्तुत करते समय किसी प्रकार के नये कर की अनुमति नहीं चाही गयी। यही नहीं, श्रीमन्, इस बजट में वर्तमान में प्रचलित करों में वृद्धि की अनुमति भी सदन से नहीं चाही गयी है। इसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे तो इस बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने जो प्रचलित कर है उन करों में रियायत भी दी है। श्रीमन्, गत वर्षों में जो बजट आते रहे हैं। प्रत्येक बजट में करों का भार बढ़ता रहा है। जनता बजट का मतलब यह समझती थी कि नये करों का करारोपण, करों में वृद्धि। यह परिपाटी राजस्थान में चली आती थी। इस परिपाटी को सर्व प्रथम हमारे नये मुख्य मन्त्री जी ने समाप्त किया है इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

(118)

(श्री हरिसिंह)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में हमारे मुख्य मंत्री ने राजस्थान को संभाला है, उन विषम परिस्थितियों में ऐसा बजट प्रस्तुत कहना, जिसमें जनता को करों के बोझ से बोझिल नहीं किया गया हो, एक सराहनीय कदम है। यदि आप राजस्थान की उस दिन की परिस्थिति को देखें, जिस दिन यह राजस्थान हमारे मुख्य मंत्री को सौंपा गया तो आप इस बात का अन्दाजा लगा सकेंगे कि राजस्थान की परिस्थितियां कितनी विषम थीं। राजस्थान में उस दिन एक जिला ही नहीं अपितु 26 जिले सूखे की चपेट में थे। राजस्थान के 35 हजार गांवों में से 31 हजार 95 गांव अकालग्रस्त घोषित किए जा चुके थे, राजस्व वसूली स्थगित की जा चुकी थी, अन्य वसूलियां स्थगित हो चुकी थीं। यही नहीं थोक मूल्य सूचकांक जो 1976 में 382.1 था और जिस दिन कांग्रेस ने सत्ता संभाली उस दिन 479.6 पर पहुंच गया। इसके अलावा बेरोजगारी की हालत थी कि बेरोजगार दफ्तरों में 3 लाख 37 हजार 868 आदमी अपना बेरोजगारों के रजिस्टरों में नाम लिखा चुके थे। इसके अलावा सन् 1976 में जो औसत आय 316 थी वह घट कर 276 प्रति व्यक्ति रह गयी। ऐसी विषम परिस्थिति में यह बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें करों का भार न हो, कोई कर-वृद्धि न हो तो यह सराहनीय कदम है। जनता पार्टी इस बजट को सराहनीय बजट नहीं मानती है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, वे अपने गत तीन साल के बजट को देखें। जनता पार्टी ने अपने 1977-78 के बजट में राजस्थान की गरीब जनता पर 1 करोड़ 15 लाख के नये टैक्स लगाये। उसके बाद भी 58.94 करोड़ का घाटा था। उसके बाद अगले वर्ष का अवलोकन करें 1978-79 में उन्होंने 6 करोड़ के नये टैक्स लगाये और उसके बाद भी 26.40 करोड़ का घाटा था। उसके बाद गत वर्ष 1979-80 में जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें तो टैक्स लगा कर राजस्थान की जनता की कमर तोड़ दी। उसमें सात करोड़ केन ये टैक्स लगाये उसके बाद भी 56.44 करोड़ का घाटा रहा। यह उनकी वर्षों से परिपाटी चली आती थी। 1979-80 में टैक्स लगाने के जो मापदण्ड थे वे सब तोड़ दिये। न केवल उन्होंने ऐसी चीजों पर टैक्स लगाये जो कि अमीर लोग उपयोग करते थे बल्कि बिजली और मोटरगाड़ी पर टैक्स लगा दिया। राजस्व बढ़ाया, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी, सैल्स टैक्स में वृद्धि कर दी और जो पेयजल, जो मनुष्य को फ्री मिलना चाहिए था, की भी दर बढ़ा दी। ऐसी विषम परिस्थितियों में राजस्थान हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी को मिला और उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया। यदि आप बजट को किसी भी अर्थ शास्त्री के सिद्धान्त पर नापें तो यह बजट निश्चित रूप से सराहनीय है। इस बजट में प्रशासनिक सेवाओं पर केवल 9 प्रतिशत रकम रखी है और कृषि, उद्योग, चिकित्सा व शिक्षा पर 62% रकम रखी गई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का संतुलित बजट राजस्थान में इससे पहले कभी नहीं रखा गया था।

अभी चर्चा हो रही थी और कुछ दिन पहले वह चर्चा भी विपक्ष के नेता ने की थी कि उन्होंने जितना काम राजस्थान में उन्नति और प्रगति का किया, जितना

(श्री हरिसिंह)

1979-80 के बजट में प्रगति के कामों के लिये रुपया रखा गया था, या जो प्रोविजन उसमें किये गये थे वह यह सरकार नहीं रख पायी। मैं आपको मुकाबले के लिए बताना चाहता हूं कि 79-80 में केवल दो हजार गांवों को बिजली देने का प्रावधान था जब कि इसमें 2500 गांवों को बिजली देने का प्रावधान है। कुओं के लिए 79-80 में केवल 25,000 हजार कुओं को बिजली देने का प्रावधान था जब कि इस बजट में 30 हजार कुओं को बिजली देने का प्रावधान है। सड़क के लिए आपके समय में 820 किलोमीटर बनाने का प्रावधान था जब कि इस बजट में 1000 किलोमीटर सड़क बनाये जाने का प्रावधान है। अभी विपक्षी कह रहे थे इस बारे में कि उन्होंने ऑबजेक्टिव रूप से अचीवमेंट किये हैं। पर सड़क 820 किलोमीटर सड़क के स्थान पर केवल 711 किलोमीटर सड़क राजस्थान के अन्दर बना पाये। सन् 79-80 के बजट में स्कूलों के बारे में 100 प्राथमिक स्कूलों को क्रमोन्नत करने का प्रावधान था इसके मुकाबले में 20) उच्च प्राथमिक शालाओं का प्रावधान हमने किया है। उनके बजट के अन्दर 79-80 में केवल 70 माध्यमिक स्कूल खोले जाने का प्रावधान था जब कि इस बजट में केवल 200 माध्यमिक शालाओं का प्रावधान है। इस के अलावा 79-80 के बजट में 60 औषधालय का प्रावधान था जब कि इसमें हमने 100 औषधालय का प्रावधान किया है।

इसी प्रकार से आपको निवेदन करूं कि कुछ मंहगाई वृद्धि की बात करते हैं कि मंहगाई वृद्धि को देखते हुये इस बजट में जिस रकम का प्रावधान किया गया है वह बहुत कम है। जो आंकड़े दिये है फिजीकल स्टेंडर्ड थे पुराये बजटों के अन्दर उससे कहीं अधिक इसके अंदर प्रावधान किया गया है। जहां तक योजना व्यय का प्रश्न है, श्रीमान्, जहां 78-79 की जो योजना थी वह 235.97 करोड़ की थी और 79-80 में 275 करोड़ की योजना उन्होंने सदन के सामने रखी थी उसमें केवल 11.54 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी। हमारी जो योजना है इस बजट में वह उनकी संशोधित योजना जो बनी 267 करोड़ की उसके बाद हमारी योजना, जो बजट में आयी है, 348.36 करोड़ की है। उसको देखने से जानकारी होती है कि इस बजट में योजना व्यय में 19.62 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। इतनी वृद्धि जनता पार्टी की सरकार 3 वर्ष में कभी भी नहीं कर सकी। मैं आपको बताऊं कि सिचाई पर, बिजली पर और ग्रामीण विकास पर जो रुपया दिया गया है इतना कभी उन्होंने दिया नहीं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष का जो बजट है वह ग्रामीण लोगों का बजट है, प्रगतिशील बजट है, जनता के लाभ का बजट है। इसमें हर व्यक्ति के लिए प्रावधान किया गया है। अब कह रहे है कि यह घाटे का बजट है 'डेफिसिट फाइनेंसिंग' हो रही है। कर्मचारियों को दो किश्त दिये जाने का प्रावधान किया गया है। अभी कह रहे थे, यह घाटे का बजट है, डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है और डेफिसिट फाइनेंसिंग से हो सकता है कीमतों में वृद्धि हो। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं कि 'डेफिसिट फाइनेंसिंग' किसी भी प्रगतिशील

(श्री हरिसिंह)

प्रदेश के बजट में हुआ ही करती है। लेकिन इसमें कीमतों को रोकने के लिए समुचित प्रावधान किये गये हैं। कीमतों को रोकने के लिए प्रावधान किसी बजट में यह हुआ करता है कि उत्पादन जिन चीजों से बढ़े उसके लिये अधिक रकम बजट के अन्दर प्रावधित हो। हमारे बजट के अन्दर इस प्रकार देखा जाये तो 193.45 करोड़ रुपया सिंचाई बिजली के लिए रखा गया है। कुल प्लान इस वर्ष का है उसका 88% पैसा ग्राम के विकास कार्यों पर खर्च होगा। तो मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान, यह बजट पूर्णतया संतुलित बजट है। राजस्थान की गरीब जनता और राजस्थान के किसानों के लिये समुचित व्यवस्था उत्पादन बढ़ाने के लिये की गई है। इसलिये न कीमतों में वृद्धि का सवाल आता है और न किसी वर्ग की उपेक्षा का सवाल इस बजट से पैदा होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्ष के बजट में जो कमियां थीं तथा अतिरिक्त भार था वह इस बजट के अन्दर नहीं है।

इस बजट में भी कुछ कमियां रही हैं जिनकी ओर भी मैं श्रीमान का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यदि आप उस बजट के साथ जो पैम्फलेट मिला है उस पर दृष्टि डालें तो उससे यह स्पष्ट होगा कि राजस्थान में हास्पिटल में जो बैड्स हैं वह केवल 1000 पर 0.66 आकर पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1600 व्यक्तियों के पीछे औसत केवल एक बैड उपलब्ध है। राजस्थान की गरीब जनता अपने पैसे से चिकित्सा नहीं करा सकती है। इसलिए मैं इस बात के लिए यह निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी से और चिकित्सा मंत्री जी से कि राजस्थान में इस समय कुल 19278 बैड हैं जो अपर्याप्त हैं। औषधालयों में 536 बैड हैं वह भी बहुत कम हैं। राजस्थान के हॉस्पिटल्स में चिकित्सा के साधन बढ़ाने के लिये जो धन इसमें रखा गया है वह बहुत कम है। राजस्थान में बैड्स की संख्या बढ़ाने के लिये और धन इसमें रखना चाहिये।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, इसको मानने में मुझे संकोच नहीं है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में भारतवर्ष में बहुत पिछड़ा हुआ है। भारतवर्ष की औसत लिट्रेसी 29.45 प्रतिशत है, जब कि राजस्थान की लिट्रेसी का औसत 20 प्रतिशत से भी कम है। इसलिये हमें शिक्षा के मद में और अधिक पैसे का प्रावधान करने की आवश्यकता है। राजस्थान में जो इस समय शिक्षा के डाइरेक्टोरेट का प्रबन्ध है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में प्राइमरी एवं हाई स्कूल एजूकेशन का एक ही डायरेक्टर है। एक ही डायरेक्टर होने के कारण वह हाई स्कूल एजूकेशन की तरफ ही अधिक ध्यान देता है और प्राइमरी एजूकेशन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है। प्राइमरी एजूकेशन पंचायत समितियों पर छोड़ रखी है। प्राइमरी एजूकेशन का सारा इन्तजाम पंचायत समितियां करती हैं और पैसा देती है राज्य सरकार। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्राइमरी एजूकेशन का अलग से डाइरेक्टर बनाया जाये।

श्रीमान, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, भरतपुर, तो ऐसा इलाका है जो राजस्थान की में आय में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन देता है

(श्री हरिसिंह)

है। वह ऐसा क्षेत्र है कि वहां से जितना सेल्स टैक्स आता है उतना सम्भवतः राजस्थान के किसी और क्षेत्र से नहीं आता है। इसके बावजूद जो खर्चा भरतपुर जिले के अन्दर किया जाता है वह अत्यन्त कम है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि 'इनन-डेशन सिस्टम' की सिंचाई की उन्नति की जाय, उसमें सुधार किया जाय और उसके अलावा वहां पर ऐसे जल स्रोत बनाये जायें जिनसे किसानों को 12 मास पानी दिया जाय। इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि चम्बल नदी को खंडार के पास या और किसी अन्य उपयुक्त स्थान के पास या सवाई माधोपुर जिले में रोक कर एक बांध बनाया जाय और उससे ऐसी नहरें निकाली जायें जिनसे किसान को बारह महीने नहीं तो कम से कम अधिकांश पानी सिंचाई के लिये मिल सके। उस योजना से न केवल भरत-पुर को लाभ होगा बल्कि सवाई माधोपुर जिले को भी फायदा मिल सकता है। साथ ही जयपुर के भी कुछ गांवों को पानी मिल सकता है। इसके अलावा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर जिले के अन्दर जो भी नहर है उसमें से एक भी नहर 12 मासी नहीं है। हमें यू. पी. पर निर्भर रहना पड़ता है। भरतपुर फीडर पर यू. पी. सरकार से जो समझौता है वह इस प्रकार का समझौता है कि जब कभी भी उनके पास सरप्लस वाटर होगा, उनकी आवश्यकता से अधिक पानी होगा, उस समय बरसात के दिनों में वह हमें पानी देंगे इस प्रकार भरतपुर फीडर के अन्दर पानी कभी किसी साल आता है तो किसी साल नहीं आता है। तो उस नहर को निरन्तर पानी देने वाली नहर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि गुड़-गांव नहर पर या ड्रेन पर लिफ्ट इरिगेशन की ऐसी योजना बनाई जाये जो पानी जमुना में जाकर गिर जाता है, वह पानी भरतपुर के किसानों को उपलब्ध कराया जाये।

इसके अलावा जैसा कि मैंने निवेदन किया है, भरतपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है। वहां पर शिक्षा की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि कुम्हेर में एक कृषि कॉलेज खोला जाये। कुम्हेर के अन्दर इसके लिये सभी साधन उपलब्ध हैं। वहां पर एक हजार बीघा जमीन, जो पहले डेयरी फार्म के लिए दी गई थी और जो नहीं चलता है, कृषि कॉलेज के लिये उपलब्ध हो सकती है। इसके अलावा कुम्हेर में राजमहल भी कृषि कॉलेज के लिए मौजूद है जिसमें अभी एक कृषि हायर सैकण्डरी स्कूल चलता है। इसलिये मेरा निवेदन राज्य सरकार से यह है कि कुम्हेर में एक कृषि कालेज की स्थापना की जाये।

(4.51 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

भरतपुर के गांवों में पेयजल की अत्यधिक कमी है। अकाल के दिनों में अधिकांश गांवों में पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि पेयजल के लिए एक विस्तृत योजना बनाई

(श्री हरिसिंह)

जाये चाहे विश्व बैंक से पैसा लिया जाये या अन्य स्रोतों से, इस समस्या को हल करने के लिए पैसा लिया जाय किन्तु हर गांव में पानी उपलब्ध होना चाहिए।

कुम्हेर की जनता की, श्रीमन, यह भी मांग है, वह एक पुराना ऐतिहासिक नगर होते हुए भी उस नगर में अभी तक तहसील स्तर के कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि कुम्हेर में तहसील स्थापित की जाये।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो बजट पेश किया गया है, उसका समर्थन करते हुए उसकी सराहना करता हूं।

श्री सभापति: श्री फतेहसिंह।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : सभापति महोदया, आज जो चर्चा बजट के विषय पर चल रही है, इसमें यही चर्चा चल रही है कि पिछली सरकार ने क्या क्या किया और मौजूदा सरकार ने क्या क्या किया। बजट के अन्दर यह नहीं बताया है कि राजस्थान में ऐसे भी इलाके हैं, जहां आदिवासी और गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। तो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि बजट पेश होता है और पास होता है तो उसमें अक्सर यही होता है कि अधिक राशि शहरी इलाके में खर्च होती है। अधिकारियों के ऐश आराम के लिये बंगले बनते हैं। उसमें कटौती होना जरूरी है। जब तक पिछड़े हुए इलाकों के ऊपर बजट खर्च नहीं करेंगे तब तक गरीब इलाकों के लोगों के लिये कुछ नहीं होगा। जैसे कि बांसवाड़ा जिले में 80% आदिवासी रहते हैं। वहां पिछड़ी हुई बस्ती है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री हरिदेव जोशी उसी क्षेत्र के हैं। लेकिन आज तक उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं सोचा है।

एक माननीय सदस्य : अब वह कहां हैं मुख्य मन्त्री।

श्री फतेहसिंह : पिछली सरकार में जनता सरकार के टाइम में जो कुछ भी काम वहां पर हुआ है, स्कूलों या पंचायत भवनों का जो कुछ काम हुआ है वह तो ठीक है। वह हमारे यहां की जनता भुला नहीं सकती है। लेकिन 30 साल पहले कांग्रेस सरकार जब थी उस समय उन्होंने उस इलाके के लिये ऐसी नजर रखी जो दुश्मन के द्वारा भी नहीं रखी जाती। अब मैं मौजूदा सरकार के सामने निवेदन करूंगा और सुझाव पेश करूंगा कि इस इलाके में शिक्षा की बहुत कमी है। पिछड़ी हुई बस्ती है। वहां स्कूल पहले नहीं थे। अभी अभी स्कूल बने हैं। उनमें लड़के 100 हैं तो मास्टर एक है। मास्टर हैं तो स्कूल खाली है। कुशलगढ़, घानपुर, घाटोल, बागीदोरा या बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र है, उस क्षेत्र में शिक्षा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा बजट में प्रावधान रख कर वहां पर अध्यापकों की अधिक नियुक्त की जाये तो शिक्षा में बढ़ोतरी हो सकती है। इस आदिवासी इलाके के बहुत सारे आदिवासी गुजरात में हैं, अपने गांव छोड़ कर आदिवासी लोग ...

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नो, नो ।

श्री फतेहसिंह : गुजरात में मजदूरी के लिये भटक रहे हैं । उस आदिवासी इलाके की तरफ, मैं समझता हूं, सरकार ने ऐसी बहुत ही कड़ी नजर रखी है कि वहां की हालत बहुत खराब है ।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : नो नो ।

श्री समापति : आप जरा एक मिनट रुकिये ।

श्री फतेहसिंह : थोड़ा सा निवेदन

श्री सभापति : फिर कह लेना ।

अनेक माननीय सदस्य : नो, नो ।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़: माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय साढ़े 5 बजे तक बढ़ा दिया जाये ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन की कार्यवाही का समय आधा घण्टा और बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय आधा घण्टा बढ़ाया गया ।

आय-व्ययक पर वाद-विवाद

श्री फतेहसिंह : आदिवासी इलाके की यह हालत है अभी कि न तो वहां किसी प्रकार का कोई धन्धा है, न कोई मजदूरी मिलती है । इस साल हुआ यह है कि अकाल का टाइम था, फसलें बिगड़ चुकी थीं, लोग मजदूरी के लिये इधर उधर भटकने लगे । नाम मात्र की मजदूरी मिली तो कुछ लोग तो मजदूरी पर लगे बाकी लोग अपने अपने गांव छोड़ कर गुजरात और कोटा की ओर चले गये । यह सब आप लोग भी जानते हैं, स्थिति है । नेता लोग भी जानते हैं । चुनाव के समय उन्होंने दौरे किये हैं । वह जानते हैं । ऐसी स्थिति को देखते हुए बजट में सरकार ऐसा प्रावधान रखे और उस इलाके की गरीबी को हमेशा के लिये दूर करने के लिये प्रयत्न करें । उस इलाके में न तो तालाब है, न सड़कें हैं, न शिक्षा के लिये कोई योजना है जिससे वहां के लोगों की गरीबी दूर हो सके । उनकी गरीबी को मिटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बांध बनाये जायें, नदी नाले बांधे जायें । जैसे कि कुशलगढ़ के पास से होकर एक नदी बहती है और मध्य प्रदेश की सरहद से होकर एक नदी निकलती है, बनास नदी, उस पर लिफ्ट सिंचाई योजना यदि लागू कर दी जाय तो वह पहाड़ी इलाका है, आप तालाब बनायेंगे तो वहां नहर नहीं पहुंचेगी । लिफ्ट से वहां के लोगों को मदद मिल सकती है ।

उस इलाके में शिक्षा की कमी है । साथ ही हास्पीटल के मामले में भी कमी है । कोई आदमी बीमार होता है तो बीमारी का इलाज कराने के लिये 15-20

(124)

(श्री फतेहसिंह)

किलोमीटर जाना पड़ता है। वहां पर कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, पास में हैल्थ सैन्टर खुला हुआ है लेकिन वहां पर पूरी व्यवस्था नहीं है, एक डाक्टर या कम्पाउण्डर है। वह दूर से भेजे जाते हैं वह वहां पर टिक कर रहते नहीं हैं। वह इसी चक्कर में रहते हैं कि हमारा ट्रांसफर हो जाये। तो मैं यह कहूंगा, जो भी अधिकारी दवाखाने में, हास्पिटल में, स्वास्थ्य केन्द्र में हों उन पर सरकार का ऐसा कन्ट्रोल होना चाहिए कि वह इधर उधर दौड़ धूप नहीं करें, ट्रान्सफर के चक्कर में नहीं लगें और इलाके के लोगों का ईमानदारी के साथ 'इलाज करें। ठीक है, उसमें भ्रष्टाचार तो होता ही है वह तो हमने माना है और देखा भी है, गरीब आदमी बिना पैसे इलाज कराने को जाते हैं तो होता यह है कि इन्जेक्शन की जरूरत होती है तो कहा जाता है कि बाजार से ले आओ। वहां सरकारी दवाई होती नहीं और ठहरने की भी व्यवस्था नहीं है। बीमार लोगों के इलाज की जो व्यवस्था नहीं हो रही उस पर भी ध्यान दिया जाये।

बाकी हमारे इलाके में बिजली का बहुत बड़ा अभाव है जब कि दूसरे इलाकों में बिजली पहुंची है। उस इलाके में कुए भी बहुत से हैं। लाइन भी बीच में होकर बांसवाड़ा से कालिन्द्रा, डूंगरा और कुशलगढ़ तक पहुंची है। शहरों को ही बिजली दी है लेकिन जहां छोटे छोटे कस्बे हैं, कुएं हैं कुएं पर लोग मोटर लगा खेती कर सकते हैं उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। पिछली बार जब हरिदेवजी जोशी मुख्य मन्त्री बने थे उस समय 100 मोटरें लगा कर उनसे उद्घाटन करवाया। किसानों को मालूम नहीं था और उन्होंने फार्म भी नहीं भरे थे। वह इसलिये उद्घाटन करवाया कि पंचायत समिति से एक लाख रुपया काश्तकारों के नाम से उठाया था। 200 रुपया प्रति काश्तकार के नाम से कुएं पर मोटर लगवाने के नाम से, नकद सहायता देने के नाम से उठाया और विकास अधिकारी वहां के नेता थे, जो कांग्रेसी सरकार के साथ थे, उन्होंने वह पैसा उठा लिया। कई लोगों ने शिकायत की, बांसवाड़ा के कलेक्टर ने जांच भी की। 3,500 की मोटर लगानी थी उसके बजाय कीमत के पांच हजार रुपये लगाये गये। थोड़े दिनों के बाद वहां से मोटरें हटा ली गईं। काश्तकारों पर ब्याज अभी भी चढ़ रहा है। इसके बारे में सरकार ने कार्यवाही नहीं की उसकी जांच की जानी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे इलाके में आवागमन के साधन नहीं हैं, सड़कें नहीं बनाई गई हैं उसके कारण वहां पर गाड़ियों के आने-जाने में दिक्कत होती है। सभापति महोदया, माननीय मुख्य मन्त्री जी को मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में जो सड़कें बनी हुई हैं और जो फेमिन में बन रही हैं उनको अगस्त तक चालू रखा जाय ताकि लोगों को सहारा मिल सके। वह एरिया ऐसा है कि वहां कोई धन्धा है नहीं सिर्फ खेती पर ही लोग आधारित हैं। जब तक नई फसल नहीं कटेगी तब तक लोगों को राहत नहीं मिल सकती। मैं निवेदन करूंगा कि जब तक नई फसल कट कर तैयार नहीं हो जावे तब तक वहां पर रिलीफ का काम चालू रखा जाय।

(श्री फतेहसिंह)

रिलीफ का काम चालू नहीं रखें तो डिपार्टमेन्ट का काम चालू रखें ताकि गरीबों, को, आदिवासियों को मजदूरी मिल सके और गरीब लोग जिन्दा रह सकें। बहुत सारे लोग तो गुजरात में ही हैं। उन्होंने इस बार खेती भी नहीं की है। हालत यह है कि कई जगह तीन, चार खातेदार मिल कर एक ही हल तैयार करते हैं और बारी बारी से खेती करते हैं। हालत बड़ी खराब है। बजट प्रावधान में हमेशा यह बताया जाता है कि अमुक-अमुक जगहों पर अमुक-अमुक काक किये जायेंगे लेकिन पिछड़ी बस्ती, गरीबों के इलाके के लिये ऐसा कोई जिक्र नहीं कि उनकी गरीबी दूर की जायगी। मैं यही निवेदन करूंगा कि पिछड़े इलाके का आप सर्वे करावें। गरीबी हम किस दायरे में, किस सीमा में और किस आधार पर दूर कर सकते हैं इसका सर्वे करने के बाद ही कदम उठायें और अधिक से अधिक धन उस इलाके में खर्च करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के साथ-भेदभाव किया तो हो सकता है हमारे क्षेत्र के लोग, आदिवासी मिलकर एक आदिवासी सूबा बनाने की मांग कर सकते हैं। उस क्षेत्र की जनता भी यह चाहती है कि उनके साथ सरकार ने भेद-भाव किया तो हमारा वह इलाका बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ एक सूबे की मांग को लेकर अड़ेगा। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। सरकार यह नहीं सोचे कि वह आदिवासी इलाका है, आदिवासी लोग लड़ने में कमजोर हैं, क्या करेंगे खड्डे में पड़े हैं तो पड़े हैं। गरीब आदमी भूख से मर रहा है, परेशान है, उसके पेट में आग लगेगी तो वह इस काम को हाथ में ले लेगा। मैं आशा करता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी इस बात पर गौर करेंगे और पिछड़े हुए इलाके के बारे में सोचेंगे, उस इलाके का सर्वे करायेंगे कि वहां पर शिक्षा की कमी क्यों है, कृषि की कमी क्यों है, उत्पादन की कमी क्यों है, आवागमन के साधनों की कमी क्यों है, सड़कें क्यों नहीं बनीं, बांसवाड़ा जिले का स्पेशल सर्वे करायें और उस इलाके के गरीबों के हित में क्या कदम उठाने हैं उसके बारे में सोचें। पिछली बार हरिदेवजी जोशी जब मुख्य मंत्री बने तब हमने कई बार उनके सामने बातें रखी थीं। उनका कहना था कि आप सब कांग्रेस में मिलेंगे तब हम आपके इलाके का काम करेंगे

(व्यवधान)

यह कोई जरूरी नहीं है कि सरकार एक ही पार्टी की रहे। सरकार के सामने विरोधी पक्ष भी होना बहुत जरूरी है। जब जब भी हम अपनी मांगों को लेकर उनके सामने गये तो उन्होंने एक ही बात रखी कि जब तक कांग्रेस में नहीं आओगे तब तक काम नहीं करेंगे। मैं 18 साल तक सरपंच भी रहा विरोध में रहा, इमरजेंसी के टाइम में सभी सरपंचों ने माफी मांग ली लेकिन हम अकेले रहे, हमने कहा हम नहीं मांगेंगे।

श्री अब्दुलरहमान चौधरी : आप जैसे लोगों की कांग्रेस में जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री फतेहसिंह : हमारे घर पर भी आये थे। उन्होने कहा, हमारी पार्टी में

(श्री फतेहसिंह)

आ जाओ। हमने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा, भाई इतना पैसा ले लो पांच, दस, पन्द्रह या पचास हजार ले लो। वह आदिवासी एरिया है, आदिवासी एरिया में लोग पांच रुपये से भी खरीदे जाते हैं। वहां गरीबी रुपयों में खरीदी जाती है। मैं किसी विरोध के रूप में नहीं कह रहा हूं असली बात कह रहा हूं। हमारे इलाके में विकास नहीं हो रहा है इसका कारण यही रहा कि हम विरोधी रहे। इनके सामने केण्डीडेट कुशलगढ़ से लड़ता रहा है। इसी आधार पर उस इलाके में कुछ नहीं किया। मैं अब यह आशा करूंगा कि पहाड़िया साहब, जो पिछड़ी जाति के हैं हमारे बीच के हैं, उसी परिवार के हैं, वे उस इलाके में टूर करेंगे, उस इलाके को देखेंगे और सोचेंगे और उसके लिये कदम उठायेंगे तभी मैं यह समझूंगा कि जो गरीब तबके के व्यक्ति मुख्य मंत्री बने हैं उन्होंने पिछड़े इलाके के लिये कुछ किया। अगर भेदभाव बरता गया तो हो सकता है। जो बात मैंने कही है वही बात सामने आ जायगी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो बातें मैंने सदन के सामने रखी हैं उस पर विचार करें, विचार करने के बाद ऐसे कदम उठायें और ऐसा सोचें कि यह ऐसा इलाका है यह हां पक्ष में है। ऐसी बात पर न जाकर एक ही नजर से, एक ही दिमाग से काम करें तो हम सोचेंगे कि सरकार ने हमारे इलाके के लिये कुछ काम किया। अगर भेदभाव की बात बरती तो वही होगा, वहां के लोग आन्दोलन करेंगे और सरकार को झुका कर काम करायेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आदिवासी लोग कमजोर हैं। भूखे रह कर भी लड़ना जानते हैं और लड़ेंगे। मैं समझता हूं। कि हाथ जोड़ कर किसी काम को कराना मनुष्य का कर्त्तव्य नहीं है। लड़ कर, ईमानदारी के साथ कोई काम होता है तो वही काम माना जाता है। लेकिन माफी मांग कर, जी हजूरी करके कोई काम लिया जाता है तो वह उनकी कमजोरी और कायरता है। वैसे तो कुत्ता भी किसी के घर जाकर रोटी का टुकड़ा खा लेता है। मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो समस्यायें मैंने बताई हैं, शिक्षा के बारे में, दवाइयों के बारे में, आवागमन की कमी के बारे में, सिंचाई के बारे में, विद्युत के बारे में उनकी ओर ध्यान देंगे।

पुलिस के अधिकारियों की तो मनमानी हो रही है। उनको तो सरकार ने छूट दे रखी है कि वह अपनी मनमर्जी से काम करें, रिश्वत लेते हैं, मारपीट करते हैं, गलत राजनैतिक तरीके से किसी को फंसाते भी हैं वह तो होता ही है। जो गवाह काम करेगा, उसको सजा मिलेगी, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो गलत तरीके से या राजनीतिक दबाव के कारण ऐसी बात होती है तो उसमें गरीबों के हित में दुःख होता है यह गरीबों के लिए बहुत बड़ी कायरता की बात है, मजबूरी की बात है। उस इलाके में देखने जायें। मिनिस्टर साहब भी वहां जायें और देखें कि लोगों की हालत कैसी है। लेकिन वह तो वहीं जायेंगे, कुशलगढ़ जायेंगे, और जगह जायेंगे जहां सजावट के साथ उनका स्वागत हो जावेगा गांवड़ों तक तो नहीं जायेंगे। मैं यह सोच रहा था कि कोई भी मुख्य मंत्री या मिनिस्टर टूर बनायें, पैदल पांच किलोमीटर

(श्री फतेहसिंह)

दस किलोमीटर जाकर गरीबों की झोंपड़ी की जांच करें, वहां जाकर देखने का प्रोग्राम रखें तो मैं समझता हूं कि गरीबों के हित में काम सरकार करेगी। लेकिन डामर रोड पर जा कर वे फंक्शन में भाषण देकर के, वहां के नेताओं की राय लेकर के कोई काम करेंगे तो उससे काम नहीं होगा।

मैं ज्यादा आपके सामने ऐसी कोई बात नहीं रखूंगा मैंने बहुत सारी बात हमारे इलाके की बता दी हैं। फिलहाल हमारे इलाके की जो समस्या है वह मजदूरी की है। उनकी मजदूरी बन्द हो जायेगी तो हमारे गरीब लोग, आदिवासी लोग, खेतीहर मजदूरों के लिए परेशानी होगी। फिलहाल जो मजदूरी चल रही है उसमें पेमेन्ट के अन्दर बहुत देरी हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा कलेक्टर के सामने समस्या है। हम भी कलेक्टर साहब से मिले थे। उन्होंने कहा था कि पेमेन्ट हम करने को तैयार हैं लेकिन हमारे पास माल नहीं आ रहा है। अतः मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि भूखे लोगों से काम लिया गया और 2-2 महीने का पेमेन्ट नहीं हो रहा है उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि आप वहां पर जल्दी से जल्दी माल भेज कर के गरीबों की गरीबी को दूर करें। उनके पेट की भूख को बुझायें। लेकिन जो आपने मजदूरी करवा ली और बाद में पेमेन्ट दो महीने तक करेंगे तो वह बेकार ही इधर-उधर भटकेंगे या गुजरात में जायेंगे और पेमेन्ट रह जायगा। पेमेन्ट कितना होता है, यह भी मैं आपके सामने रख दूं। पेमेन्ट रोजाना एक किलो या आधा किलो होता है। हमारे मजदूर वर्ग मजदूरी लग करके करते हैं उसके मेजरमेन्ट में क्या पता ओवरसियर या इन्जिनियर गलती करते हों। अक्सर हमने यह भी देखा है कि एक-एक रुपया या दो दो रुपया वहां के मिस्त्री को दे दिया जाय तो उस पार्टी का मेजरमेन्ट ठीक देते हैं और जो लोग नहीं देते हैं उनका मेजरमेन्ट ठीक नहीं भेजते हैं। यह सारा कौन करवा रहा है? वहां के इनेगिने कांग्रेसी नेता हैं वही करवा रहे हैं। यह साफ बात है। इस सरकार को देखना होगा और उस पर कन्ट्रोल करना होगा कि गरीबों के साथ इतना अन्याय क्यों? तो मैं आपसे, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पेमेन्ट वाले मामले में आप भेदभाव न बरतें और बांसवाड़ा कलेक्टर के पास में आप ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी माल भेजें ताकि समय पर गरीबों को पेमेन्ट हो सके। गरीब इधर-उधर भटकें नहीं। नहीं तो हालत बड़ी खराब होगी, लोग संघर्ष करेंगे, आन्दोलन करेंगे और हालत ऐसी खराब होगी तो सरकार को सम्भालने में मजबूरी आयेगी।

वैसे रोडवेज का मामला है। बांसवाड़ा-कुशलगढ़ रोडवेज चलती है, वह बन्द है। उसके बारे में लोगों ने कलेक्टर को नोटिस दे रखा है। मैंने भी मुख्य मंत्री को पहले नोटिस दिया था लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। लोग पेशी में आते हैं वहां एस. डी. एम. कोर्ट है, मुंसिफ कोर्ट है, लोग पेशी में आते हैं। गाड़ी के अभाव में उन पर वारन्ट निकालते हैं। बाद में गिरफ्तारियां होती हैं। कई तरह की परेशानी होती है। मैं

(श्री फतेहसिंह)

सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा कुशलगढ़ जाने वाली जो बसें हैं, जो रुकी हुई हैं उनको आप जल्दी से जल्दी चालू करवाने की व्यवस्था करें।

जो भी बजट यहां पेश हुआ है वह आदिवासियों के हित में, गरीबों के हित में नहीं है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री कमला भाई।

श्री कमला भाई (लसाड़िया): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, और माननीय सदस्यों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा निवेदन है कि जो आज रीति और नीति की बात चल रही है इसका मतलब क्या है? देश सन् 1947 में आजाद हुआ। 1947 के पहले जो सवर्ण जाति के समाज के लोग थे वे लोग गरीब तबके के लोगों को दबा के रखते थे। जब देश सन् 1947 के बाद स्वतन्त्र हुआ, उसके बाद इन गरीब तबके के लोगों को अधिकार मिला। सन् 72 या 73, 76 या 77 में हमारी माननीया प्रधान मन्त्री इन्दिरा गान्धी ने जो 20 सूत्री कार्य-क्रम या 25 सूत्री कार्य-क्रम लागू किया वह हमारे गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद था। मगर हमारे गरीब तबके के लोगों का जो विकास किया था वह 77 या 78 या 79 इन तीन वर्षों के अन्दर कुछ लोगों ने हम लोगों को नीचे गिरा दिया। पूंजीपतियों, राजा-महाराजाओं का यह कहना था कि हम गरीब तबके को ऊंचा उठायेंगे। मगर जब जनता पार्टी जीत कर विधान सभा में आई, आपके ऊपर जनता का पूरा विश्वास होता तो आप पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह निवाह सकते थे। मैं आज देखता हूं कि जो हमारे कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। मगर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 1977 से 1980 तक आपकी सरकार रही, आपको 77 में मौका मिला तो भी 3 साल में किसी पंचवर्षीय योजना को हाथ में नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि उदयपुर जिले के अन्दर लसाड़िया निर्वाचन क्षेत्र की गरीब जनता ने मुझे चुन कर भेजा है। जहां सन् 1975 व 1976 के अन्दर मैं 1968 से पंचायत का सरपंच रहा हुआ हूं, मैंने वन विभाग से लड़कर हमारे क्षेत्र के भूमिहीन आदिवासी भाइयों को वन विभाग की जमीन को राजस्व में ट्रांसफर करवा कर अलाटमेंट करवाया था। सन् 1977 में आपके सत्ता में आने पर उन गरीबों को उस भूमि से वन विभाग द्वारा बेदखल कराया गया। मुन्सिफ कोर्ट सलूम्बर में उनके खिलाफ दावे दाखिल कराये गए। तो यह कहां तक सेवा आपकी वाजिब है?

दूसरा प्रश्न यह है कि गरीब आदिवासियों की पुरानी लेन-देन थी, पूंजीपति लोग उन पर हावी हो गए जो लेने गए और वे खड़े हो गए तो उनके खिलाफ दावे दायर किए जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मगर ऐसा क्यों? आप कहते हैं कि हम गरीब तबके की सेवा करते हैं। मैं मानता हूं कि आपने गरीबों की सेवा की। सन् 1972 में कांग्रेस सरकार ने गरीबों से जो लेवी ली थी उस लेवी के लिए मुझे यही कहना है कि आपने जो कार्य चलाया वह सारी देन कांग्रेस सरकार की थी? आपने कौनसी सम्पत्ति एकत्रित करके अपने देश में

(श्री कमला भाई)
विकास का काम किया विकास किया हो तो हमको बतायें।

माननीय मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि मैं जिस गरीब क्षेत्र से चुन कर आया हूं वहां शिक्षा, सड़क, यातायात, पेयजल, बिजली और चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। मैं आपके प्रति सम्पूर्ण विश्वास करता हूं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में शीघ्राति-शीघ्र यह कार्य प्रारम्भ करने की कृपा करें। मैं आप सब लोगों के समक्ष कोई गलत शब्द बोला हूं तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं।

श्री सभापति: समय सिर्फ 7 मिनट और रह गए हैं, यदि कोई दूसरे माननीय सदस्य बोलेंगे तो उनका भाषण पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, महर्षियों ने राज की कल्पना करते हुए यह निर्णय लिया था:

"सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चि दु:ख भाग्भवते"

इतनी अच्छी कल्पना राज्य की, की थी लेकिन दुर्भाग्य है आज जो राज्य है इस राज्य की कल्पना मैं क्या करूं ? मुझे बड़ी आशायें थीं, अपेक्षायें थीं, भूतपूर्व वित्त राज्य मंत्री राजस्थान की बागडोर संभालने आए हैं, वह ऐसा बजट लेकर आयेंगे कि हम सब विरोधी दल के लोग उस बजट का हार्दिक स्वागत करेंगे लेकिन दुर्भाग्य है कि बजट में कोई नई बात नजर नहीं आई। बजट में घाटे के अलावा कहीं तो धन्यवाद देने की बात प्रतीत हो ? इस बजट को किसका बजट कहा जाए। पिछली बार हमने दो बार पेश किये, लोगों ने कहा यह गरीबों का बजट है। कांग्रेस के लोगों ने भी, परसरामैं मदेरणा ने भी ट्रेजरी बैंचेज से कहा कि पहली बार ऐसा बजट दिया जिसमें नई चीजें आई हैं। लेकिन इस बजट को क्या कहें ? मुख्य मंत्री ने जो बजट बनाया, अधूरे मन से अधूरे साल का अधूरा बजट पेश किया है इस बजट के लिये धन्यवाद के पात्र के रूप में, मैं उनको धन्यवाद दूं तो मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। क्या यह ग्रामोन्मुखी बजट है ? व्यापारियों को खुश करने के लिए, चुंगी समाप्ति के आधार पर लोगों को खुश करने के लिए बजट लाया गया है तो व्यापारियों ने क्या इसका स्वागत किया ? नहीं। आज अखबार पढ़ने के बाद मैं कहता हूं कि व्यापारी नाखुश हैं। राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त दी है, पर हर कर्मचारी ने इस बजट की आलोचना करते हुए सरकार से कहा है कि एक तरफ महंगाई के केवल 8 रुपये दिए हैं दूसरी तरफ जो 8 रुपये की किश्त दी है उसका 50 प्रतिशत प्राविडेंट फन्ड के रूप में काटने की बात कही है। इस बजट को व्यापारियों ने पसंद नहीं किया, कर्मचारियों ने पसंद नहीं किया, ऐसी स्थिति में यह बजट न ग्रामोन्मुखी है न व्यवसायोन्मुखी है, न शहरों के लिए यह है, यह बोगस बजट है। मैं इस बजट को प्रगतिशीलता का बजट नहीं मानता।

सभापति महोदय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए राज होता है लेकिन यह बजट न तो बहुजन सुखाय है न बहुजन हिताय है, दोनों बातें प्रकट नहीं होती। बजट बनाते समय जरूर मुख्य मंत्री चिन्ता-

(130)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

ग्रस्त थे। इस बजट में अनावश्यक रूप से श्री संजय गांधी का नाम जोड़ा है। आपने कहा है कि वह इस राज्य को गंभीर परिस्थितियों में छोड़ कर गए हैं....

(व्यवधान)

यह बजट बनाते समय ऐसी कौनसी परिस्थितियां आ गई थीं? मैं समझता हूं, हो सकता था संजय गांधी ..

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपके बोलने के समय व्यवधान नहीं करता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि स्वर्गीय संजय गांधी ने हमारे राज्य के मुख्य मंत्री को विश्वास दिला दिया हो कि आप बजट बनाने जा रहे हैं उसमें 85 करोड़ 5 लाख का जो घाटा है, केन्द्रीय सरकार से कोई न कोई मदद मिलेगी। गंभीर स्थिति में संजय गांधी हमारे श्री पहाड़ियां को छोड़ गए हैं उससे प्रतीत होता है, आभास होता है कि संजय गांधी ने जो वायदा किया था कि निश्चित रूप से मैं कोई न कोई मदद दूंगा, इन्दिरा गांधी के पास जाने के बाद, जो समाचार पत्रों में आया है, शायद इन्दिराजी ने ना कर दी है इसलिए मुख्य मंत्री को बजट में बात कहनी पड़ी कि संजय गांधी हमको गंभीर परिस्थितियों में छोड़ कर गए हैं। सभापति महोदय, संजय गांधी की इच्छानुसार ...

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल...

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझे कल बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री सभापति : 31 जुलाई, 1980 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.पू. 5.22 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 31 जुलाई, 1980 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

शास्त्री सदन अनुसूचित जाति छात्रावास सांचौर में आवासीय सुविधा

197. श्री कनकराज मेहता (सांचौर) क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि शास्त्री सदन अनुसूचित जाति छात्रावास सांचौर में आवासीय सुविधा बढ़ाये जाने हेतु गत सत्र में विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी थी ? यदि हां, तो कितनी और नहीं तो क्यों, और अब कब तक सुविधा बढ़ा दी जायेगी ?

उत्तर

जी नहीं। शास्त्री सदन छात्रावास सांचौर एक स्वयं सेवी संस्था द्वारा चलाया जाता है जिसमें आवासीय सुविधा बढ़ाने का उत्तरदायित्व संस्था का ही होता है।

नवलगढ़ में ग्रिड स्टेशन की स्थापना

198. श्री भंवरसिंह (नवलगढ़):—क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नवलगढ़ में एक लाख बत्तीस हजार के. वी. ग्रिड स्टेशन बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई थी ? यदि हां, तो किस वर्ष में ?

(2) यह ग्रिड स्टेशन कौन से स्थान पर कब तक बन कर पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) स्वीकृत हुये बिना, निर्माण कार्य पूरा होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

जोधपुर व बिलाड़ा तहसीलों का भू-जल सर्वेक्षण

199. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी), **श्री रामनारायण डूंडी** (बिलाड़ा)

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुर):—क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले में जोधपुर व बिलाड़ा तहसीलों का भू जल सर्वेक्षण किस वर्ष हुआ ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह सही है कि कई वर्षों पूर्व जो सर्वेक्षण किया गया उसके बाद कई प्राकृतिक बदलाव हुये हैं ? यदि हां, तो पुनः सर्वेक्षण कब कराने का विचार है ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले की बिलाड़ा एवं जोधपुर तहसीलों का भू-जल सर्वेक्षण क्रमशः 1971-72 एवं 1973-74 में भू-जल विभाग द्वारा किया गया। सर्वे रिपोर्ट

(132)

(भूजल मंत्री)
की प्रतिलिपि रेसट्रिक्टेड डाकूमेन्टस होने के कारण सदन में प्रस्तुत नहीं की जा सकती ।

(2) इन क्षेत्रों में भू-जल विभाग द्वारा सर्वेक्षण के पश्चात् की-वेल आंकड़े विगत वर्षों से एकत्रित किये जा रहे हैं । जिसके अध्ययन के पश्चात् पूर्व में किये गये सर्वे के आंकड़ों में आवश्यक संशोधन किया जाता है ।

बाड़मेर जिले में पक्की सड़कों के निर्माण की योजना

200. श्री धाराराम (सिवाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार की बाड़मेर जिले में पक्की सड़कों के निर्माण की कोई व्यापक योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या तहसील सिवाना में कल्याणपुर से सिवाना वाया समदड़ी करमावास डामर सड़क स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत है तथा यह कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में पक्की सड़कों के निर्माण की कोई व्यापक योजना राज्य सरकार के पास नहीं है ।

(2) सिवाना तहसील में कल्याणपुर से सिवाना वाया समदड़ी सड़क अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1979-80 में 70 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत की गई थीं । करमावास समदड़ी से कुछ दूरी पर है । अकाल की अवधि में सड़क पूरी होना संभव नहीं है ।

शाहपुरा (भीलवाड़ा) में नये अस्पताल भवन का निर्माण

201. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में नये अस्पताल भवन निर्माण की योजना कब प्रारंभ की गई, अब तक कितनी राशि व्यय हुई है और कब तक यह भवन पूरा हो जायेगा ।

(2) क्या उसको पूरा करने के लिये चालू वर्ष में राशि का प्रावधान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या पुराना अस्पताल को, निर्माण की समाप्ति पर, इस नये भवन में स्थानान्तरित किये जाने का सरकार का विचार है?

उत्तर

(1) निर्माण 1976 में प्रारम्भ हुआ । व्यय हुई राशि की जानकारी विभाग को नहीं है । जन सहयोग प्राप्त होने पर ही निर्माण पूरा हो सकेगा ।

(2) जी नहीं । निर्माण का जिम्मा राज्य सरकार का नहीं है । जिला विकास समिति निर्माण करा रही है ।

(3) जी हां ।

वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर में नियुक्त कनिष्ठ लिपिक

202. **श्री नरपत राम बरबड़** (सूरसागर) : क्या वाणिज्य कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उपायुक्त वाणिज्य कर विभाग, जोधपुर ने वर्ष 1978 में कुछ कनिष्ठ लिपिकों का चयन किया था जिसमें एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री लालचन्द चौहान का भी चयन किया गया था ? अगर हां, तो क्या जिस दिन उसका चयन किया गया था उसकी उम्र निर्धारित आयु सीमा से अधिक थी ? यदि नहीं, तो उसे नियुक्ति क्यों नहीं दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि श्री लालचन्द चौहान की नियुक्ति आदेश उसकी आयु सीमा से अधिक होने के पश्चात् तथा चयन होने के बहुत दिन बाद दिये गये थे ?

(3) क्या यह सही है कि श्री लालचन्द चौहान ने राज्य सरकार के समक्ष नियुक्ति आदेश देरी से देने के कारण आयु सीमा में छूट देने बाबत प्रार्थना-पत्र दिया था, जिसे 22 जून, 79 को बिना कारण खारिज कर दिया ?

(4) क्या सरकार इस प्रकार से विभागीय लापरवाही के कारण हुई देरी से जो नुकसान श्री लालचन्द चौहान को हुआ उस पर पुनर्विचार कर उसके लिये आयु सीमा में छूट देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री लालचन्द चौहान की आयु निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने के कारण नियुक्त नहीं किया जा सका ।

(2) जी नहीं, नियुक्ति आदेश जारी नहीं किये गये ।

(3) आयु सीमा में और अधिक छूट देना सम्भव नहीं था अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया था ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

सरेरी (भीलवाड़ा) बांध का विकास

203. **श्री देवेन्द्रसिंह** (बनेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या भीलवाड़ा जिले के सरेरी बांध के विकास व आधुनिकीकरण की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है और कब तक इस पर कार्य चालू हो जायेगा ?

उत्तर

जी हां । छठी पंचवर्षीय योजना में इसका प्रस्ताव है बजट प्रावधान पर कार्य निर्भर करता है ।

निम्बाहेड़ा क्षेत्र में कृषि मण्डी के अधीन निर्माणाधीन सड़कें

204. **श्री भूपालसिंह** (निम्बाहेड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

निम्बाहेड़ा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी द्वारा बनाई जाने वाली कितनी और कहां से कहां तक सड़कें दो वर्षों में स्वीकृत की

(श्रीभूपाल सिंह)
गई ? यदि हां, तो इसमें से कितनी बनवाई तथा शेष कब तक बन जायेंगी ?

उत्तर

निम्बाहेड़ा क्षेत्र में गत दो वर्षों में बोर्ड द्वारा किसी सम्पर्क सड़क की स्वीकृति नहीं दी गई, चूंकि निम्बाहेड़ा क्षेत्र में राजस्थान राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा गत दो वर्षों में किन्ही भी सड़कों की स्वीकृति नहीं दी गई। अतः किन्ही सड़कों के बनने अथवा बनने से शेष रहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम ईसरदा शिवाड़ वाया रेल्वे स्टेशन ईसरदा सड़क का निर्माण

205. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम ईसरदा शिवाड़ वाया रेल्वे स्टेशन ईसरदा की सड़क का निर्माण कौन से सन् में किया गया ? क्या इस सड़क का निर्माण राज्य सरकार द्वारा करवाया गया था जन सहयोग से किया गया था ?

(2) इस सड़क पर अब तक रख रखाव के लिए राज्य सरकार ने कब कब और कितनी कितनी राशि खर्च की ?

(3) इस सड़क पर डामर बिछाने हेतु किसी ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग में कोई धन राशि जमा कराई गई है या नहीं ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

(4) इस सड़क पर अभी तक डामर क्यों नहीं बिछाया गया ? अब सरकार इस सड़क पर डामर बिछाने का इरादा रखती है या नहीं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उक्त सड़क का निर्माण कार्य सन् 1972-73 व 1973-74 में राज्य सरकार के क्रेश प्रोग्राम के तहत कराया गया।

(2) रख रखाव के लिये कोई राशि खर्च नहीं की है।

(3) ग्राम पंचायत शिवाड़ द्वारा विकास विभाग के माध्यम से 23,000/- की राशि सन् 1974 में जमा कराई थी।

(4) डामर कार्य की स्वीकृति नहीं होने के कारण नहीं किया है। इस सड़क पर डामर के कार्य करने की छठी पंचवर्षीय योजना में विचाराधीन है।

माही बजाज सागर बांध के निर्माण से प्रभावित ग्रामवासियों की सुरक्षा

206. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष माही बजाज सागर बांध के निर्माण से 54 गांव प्रभावित होंगे ?

(2) इन गांवों के निवासियों की सुरक्षा के लिए सरकार के क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। 34 गांव पूर्णरूप से तथा 20 गांव आंशिक रूप से प्रभावित होंगे।

(सिंचाई मंत्री)

(2) वैसे तो समस्त विस्थापितों को डूब में जाने वाली उनकी सम्पत्ति का मुआवजा दिया जा चुका है। और कृषकों को भूमि दी जा चुकी है और उन्हें डूब में जाने वाले गांव खाली कर नये स्थान पर चले जाना चाहिये पर फिर भी ये लोग पुराने स्थानों पर ही रह रहे हैं। ऐसी दशा में जिला प्रशासन ने 7 ऐसे स्थानों का निर्धारण किया है जो सुरक्षित हैं और बाढ़ आने पर वहां के निवासी वहां जाकर रह सकते हैं। इनको यहां आटा, प्याज व नमक भी वितरित किया जायेगा। सार्वजनिक ऐलान द्वारा पर्चों द्वारा भी इन्हें स्थान खाली करने हेतु निवेदन किया गया है। अधिकारी/कर्मचारी भी व्यक्तिगत सम्पर्क कर खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ने स्थान खाली कर अन्यत्र बसेरा कर लिया है।

अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पदों पर हुई पदोन्नतियां

207 **श्री भरतलाल** (गंगापुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में वर्ष 1978-1979 व 1980 में कितने सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को, अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया और उनमें से दिनांक 16 फरवरी 1975 के आदेशानुसार कितने अनुसूचित जाति व जन जाति के सहायक अभियन्ताओं को पदोन्नत किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

केलेन्डर वर्ष 1978, 1979 व 1980 में क्रमश 6, 18 व 3 सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया (सूची संलग्न है)।

इनमें से कोई अनुसूचित जाति व जन-जाति के सहायक अभियन्ता सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि इन श्रेणियों में आने वाले कोई भी सहायक अभियन्ता पात्रता के क्षेत्र (जोन ऑफ कन्सीडरेशन) में नहीं आते हैं।

सत्र 1978-79 व 1980 में निम्न सहायक अभियन्ता (सिविल) को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया।

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति दिनांक
1	2	3
1.	श्री देवीसिंह	27-2-78
2.	श्री एस. एस. पामेचा	23-2-78
3.	श्री जे. एस. लोढ़ा	23-2-78
4.	श्री ए. यू. थावानी	23-2-78
5.	श्री आर. जी. माथुर	15-5-78

1	2	3
6.	श्री आर. एल. देपुरा	10-5-78
7.	श्री आर. के. सरदाना	8-5-79
8.	श्री डी. सी. माथुर	4-5-79
9.	श्री यू. आर. सोनी	5-5-79
10.	श्री पी. सी. जैन	3-5-79
11.	श्री ए. के. सेन गुप्ता	5-5-79
12.	श्री आर. पी. शर्मा	5-5-79
13.	श्री पी. के. ठाकुर	2-5-79
14.	श्री बी. डी. गोस्वामी	8-11-79
15.	श्री जी. डी. सिंह	21-7-79
16.	श्री एस. के. वैश्य	26-7-79
17.	श्री वेद प्रकाश	24-7-79
18.	श्री एल. आर. विधि	24-7-79
19.	श्री पी. आर. वोहरा	25-7-79
20.	श्री वेद प्रकाश भाटिया	23-7-79
21.	श्री एस. एल. माथुर	24-7-79
22.	श्री के. सी. संचेती	23-7-79
23.	श्री जे. एस. अहलुवालिया	21-7-79
24.	श्री टी. सी. गुप्ता	25-7-79
25.	श्री एम. के. दीपक	3-3-80
26.	श्री अगम माथुर	1-3-80
27.	श्री जे. सी. बडेरिया	17-4-80 (परफोर्मा पदोन्नति)

नदबई, डहरामोड़ मार्ग के समीप अवस्थित काजवे

208. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नदबई-डहरामोड़ के बीच डहरा-मोड़ के पास बनी तीनों काजवे पर पिछले 3 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या कारण है कि यह काजवे प्रतिवर्ष बनाई जाती हैं और प्रतिवर्ष मान-सून में टूट जाती है ?

(3) क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जायगी कि यह काजवे प्रतिवर्ष नहीं टूटे ?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों में इन काजवे पर 77,600/- रुपये की धनराशि खर्च हुई।

(2) काजवे प्रतिवर्ष नहीं बनाई जाती है और न ही प्रतिवर्ष मानसून में टूटती है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

तहसील दीगोद के ग्रामवासियों को पीने योग्य जल का प्रदाय

209. श्री मालाराम (खेतड़ी), **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले की तहसील दीगोद के अधिकांश गांवों में पानी की खराबी के कारण बाला (नारू) की बीमारी फैली हुई है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में ?

(2) क्या भविष्य में उन गांवों के लिए पेय जल की योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की दीगोद तहसील में पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार 18 गांवों में बाला (नारू) की बीमारी की शिकायतें हैं। इन गांवों के नाम सूचीनुसार है।

(2) जी हां। उपरोक्त गांवों में से तीन गांव (1) बिसलाई (2) सारोला एवं (3) हनोतिया में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत वर्ष, 1980-81 में हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल व्यवस्था का प्रावधान है। शेष गांवों की अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सेनीटेशन दशक के अन्तर्गत 1981-1990 के मध्य पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

गांवों की सूची जहां बाला (नारू) की शिकायत है

(1) बगावदा
(2) सनीजा बावड़ी
(3) येरला
(4) बीसमई
(5) बेवा
(6) डूंगरज्या
(7) उदपुरा
(8) कोडसवां
(9) शीली
(10) फतेहपुर

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री)

(11) उम्मेदपुरा
(12) दरबीजो
(13) पीलाई खुर्द
(14) सारोला
(15) हनोतिया
(16) बरगु
(17) चोमाविपु
(18) डंगावद

गुढ़ा नवलगढ़ सड़क निर्माण

210. श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह (गुढ़ा-मालानी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं में गुढ़ा से नवलगढ़ तक सरकार द्वारा सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ?

(2) क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था ? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि व्यय हुई ?

उत्तर

(1) गुढ़ा-नवलगढ़ मार्ग में केवल गुढ़ा से सिगनोर तक सड़क निर्माण की स्वीकृतियां नीचे लिखे अनुसार थीं :—

नाम	स्वीकृति	दिनांक
गुढ़ा ओड़की	2.00 लाख स्वीकृत हुई	5-6-70 को स्वीकृत
ओड़की सिगनोर	3.29 लाख स्वीकृत हुई	7-1-75 को स्वीकृत
सिगनोर नवलगढ़	कोई स्वीकृति नहीं है	कोई स्वीकृति नहीं हुई'

(2) गुढ़ा से ओड़की सड़क का निर्माण कार्य 1970 में और ओड़की से सिगनोर सड़क का निर्माण कार्य 1975 में किया गया था। जिस पर कुल करीब 4.42 लाख रुपया खर्च हुए हैं।

पंचायत समिति रानीवाड़ा तथा जसवंतपुरा में उप-तहसीलें कायम करना

211. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में पंचायत समिति, रानीवाड़ा तथा पंचायत समिति, जसवंतपुरा में उप तहसील बनाने का भूतपूर्व सरकार ने निर्णय लिया था ?

(2) यदि हां, तो कब तक दोनों पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर उप-तहसील बनाने के आदेश जारी हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं, पंचायत समिति, रानीवाड़ा व पंचायत समिति, जसवंतपुरा में उप तहसील बनाने का भूतपूर्व सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया था।

(2) जब पंचायत समिति, रानीवाड़ा व पंचायत समिति, जसवंतपुरा में उप तहसील बनाने का निर्णय ही नहीं लिया गया तो आदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

खारची तहसील एवं मगर तालाब राजस्व वृत्त के अन्तर्गत निर्माणाधीन सड़कें

212. श्री भेरू सिंह गुर्जर (खारची): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली जिले की खारची तहसील एवं मगरतालाब राजस्व वृत्त के तहत कितनी पक्की सड़कें स्वीकृत हैं और उन पर कितना व्यय होगा ?

(2) क्या ये सड़कें उक्त क्षेत्र के सभी गांवों में आवागमन के लिये पर्याप्त हैं ?

उत्तर

(1) पाली जिले की खारची तहसील में पांच पक्की सड़कें स्वीकृत हैं जिनकी स्वीकृत राशि 91.44 लाख रुपये है। उसमें से 63.85 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं व अब 22.69 लाख रुपये व्यय होंगे। मगरतालाब राजस्व वृत के तहत एक पक्की सड़क स्वीकृत है। जिसकी स्वीकृत राशि 15.00 लाख रुपये है जिसके अन्तर्गत 6.96 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं व अब 9.03 लाख रुपये व्यय होंगे।

(2) जी नहीं।

शासन सचिवालय में कार्यरत कमिश्नर्स

213. श्री सूर्यकुमार (नैनवा): क्या कार्मिक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शासन सचिवालय, जयपुर में सन् 1972 से 1976 के बीच, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के कुल कितने आयुक्त (कमीश्नर्स) कार्यरत थे ?

(2) सन् 1977 से 1979 के बीच कुल कितने आई. ए. एस. अधिकारियों को सचिव व विशिष्ट सचिवों से आयुक्त के पदों पर पदोन्नत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जायं।

(3) क्या आयुक्त के पद समाप्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब से ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस अवधि में 12 आयुक्त कार्यरत थे।

(2) आई. ए. एस. अधिकारियों की पदोन्नति पद विशेष पर नहीं की जाती है, बल्कि उच्च वेतन शृंखला में की जाती है। इस अवधि में सचिव विशिष्ट सचिवों के पदों पर कार्यरत अधिकारियों में केवल 4 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की सुपर टाइम स्केल में पदोन्नत किया जाकर आयुक्त एवम् शासन सचिवों के पद पर पदस्थापित किया गया। ऐसे अधिकारियों के नाम निम्न प्रकार हैं:—

1)	सतीश कुमार	आयुक्त एवम् शासन सचिव, अन्त्योदय एवम् विशिष्ट योजनायें संगठन।
2)	श्री डी. आर. मेहता	आयुक्त एवम् शासन सचिव, राजकीय उपक्रम उद्योग एवम् खनिज विभाग।

(कार्मिक मंत्री)

(3) श्री एल. एन. लढ्ढा — कृषि उत्पादन आयुक्त एवम् शासन सचिव।

(4) श्री आर.एस. कुम्मट — कृषि उत्पादन आयुक्त एवम् शासन सचिव।

(3) जी नहीं। आयुक्त एवम् शासन सचिवों के पद समाप्त नहीं किये गये हैं परन्तु उनका पद नाम भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 नवम्बर, 1979 द्वारा शासन सचिव ही रखा गया है।

दानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था

214. श्री बहादुरसिंह (दानपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दानपुर क्षेत्र के कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सही है कि आदिवासी क्षेत्रों में प्रान्त के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम राशि खर्च की जाती रही है? यदि हां तो क्यों ?

(3) आगामी वर्ष में दानपुर क्षेत्र के कितने गांवों में पेयजल व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) इस क्षेत्र के 97 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था है।

(2) जी नहीं। आदिवासी क्षेत्रों में धनराशि का आवंटन दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा किया जाता है।

(3) आगामी वर्ष में लगभग 45 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था करने का लक्ष्य है।

थाना सरमथुरा क्षेत्र के ग्राम सुरारीकलां में हुई चोरी

215. श्री शिवसिंह (बाड़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गत वर्ष धौलपुर उप जिला के थाना सरमथुरा के ग्राम सुरारीकलां की विधवा भौरी बाई के यहां 90 हजार की चोरी हुई थी ? यदि हां, तो पुलिस ने आज तक इसमें क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

जी हां, इस मामले में पुलिस थाना सरमथुरा में अभियोग दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है।

मांगरोल—गणेशगंज सड़क का निर्माण कार्य

216. श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल-गणेशगंज सड़क का निर्माण पिछले वर्ष से चल रहा है ? यह निर्माण कार्य पूर्ण कब तक हो जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के साथ मालवेकारी नामक गांव में सड़क के दोनों ओर नालियों का कार्य कराया जाना था ? क्या उन नालियों का

(श्री हीरालाल आर्य)
कार्य पूर्ण हो गया है ? नहीं तो, कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

(3) क्या सरकार इस अधूरे कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा गांव में पानी भर जाने से हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) मांगरोल - गणेशगंज सड़क निर्माण कार्य गत तीन वर्षों से चल रहा है। जून 1980 में सड़क निर्माण पूर्ण हो चुका है।

(2) जी हां, नालियों का कार्य प्रगति में है। एवं मार्च 1981 तक पूर्ण हो जायेगा।

(3) जी नहीं, सीमेन्ट के अभाव में नाली निर्माण का पूरी लम्बाई का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। गांव में क्षति तेज वर्षा के कारण हुई थी न की पानी भरने के कारण।

(152)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 184 का आदेश)

राजस्थान सरकार

श्रम तथा नियोजन विभाग

क्रमांक प. 1 (1) (237)/श्र. नि./80 जयपुर, दिनांक........19

अधिसूचना

चूंकि व्यवस्थापक, मै. मेवाड़ टैक्सटाईल मिल्स लि., भीलवाड़ा एवं अध्यक्ष सूती मिल मजदूर यूनियन, भीलवाड़ा के मध्य निम्न निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गया है;

चूंकि समझौता अधिकारी, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट की है कि कोई समझौता नहीं हो सका।

चूंकि उक्त समझौता अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार सन्तुष्ट है कि मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण को प्रेषित किये जाने योग्य है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (अधिनियम 14, सन् 1947) की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त विवाद को अधिनिर्णयार्थ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम 14, सन् 1947) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा यथाविधि गठित औद्योगिक न्यायाधिकरण, उदयपुर को प्रेषित करती है।

विवाद

"क्या मेवाड़ टैक्सटाईल मिल लि., भीलवाड़ा के फोल्डिंग खाते के श्रमिकों (जिनका प्रतिनिधित्व सूती मिल मजदूर यूनियन, भीलवाड़ा द्वारा किया गया है) की निम्न मांगे उचित एवं वैध हैं ? यदि हां तो श्रमिक किस राहत के अधिकारी हैं।"

1. फोल्डिंग खाते की स्ट्रेन्थ जो 31-3-80 के पूर्व थी उसी के अनुसार श्रमिकों को रखा जावे।

2. जिन ट्रेड अप्रेन्टिसशिप को 31-12-79 तक कार्य करते हुए 240 दिन हो गये हैं उन्हें 1-1-80 से बदली डायरी दिलाई जावे तथा दिनांक 1-1-80 से उसी के अनुसार वेतन का भुगतान कराया जावे।

3. फोल्डिग खाते के 4 और श्रमिकों को उनकी वरिष्टता के अनुसार स्थाई किया जावे।

राज्यपाल के आदेश से,
लक्ष्मीचंद गुप्ता
उप शासन सचिव,

क्रमांक प. 1 (1) (237)/श्र. नि./80 जयपुर, दिनांक 19

प्रतिलिपि:—

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशनार्थ।

(2) जज, औद्योगिक न्यायाधिकरण उदयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(3) प्रादेशिक/उप श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा को उनके पत्र संख्या 1471 दिनांक 6-5-80 के प्रसंग में सूचनार्थ।

(4) व्यवस्थापक, मं. मेवाड़ टेक्सटाईल मिल्स लि., भीलवाड़ा।

(5) अध्यक्ष, सूती मिल मजदूर यूनियन, भीलवाड़ा।

(6) विवाद शाखा।

उप-शासन सचिव

(144)

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न सं. 167 की सूची)

सूची

गांव		दूध की मात्रा (लीटर)
1.	नयादेरा	40
2.	सावन्तिया	17
3.	भीमसरा	28
4.	मेड	31
5.	अलाय	3
6.	सेफरण	19
7.	जासरियां	21
8.	नीम की ढाणी	25

उपरोक्त दूध चिलिंग प्लांट मेड़ता सिटी ले जाया जा रहा है।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 175 की सूची)

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से अब तक जयपुर जिले में क्रियान्वित की गई लघु सिंचाई परियोजनायें

क्र. सं.	नाम परियोजनायें	जिला	तहसील	खर्च (लाखों में)
1.	झिलमिली बन्ध एवं नहर	जयपुर	दौसा	0.23
2.	माधोसागर कैलाश	,,	सिकराय	0.24
3.	रानीसागर लेयाडिया	,,	फागी	0.14
4.	किशनपुरा	,,	,,	0.05
5.	केरिया सागर	,,	,,	0.04
6.	बाऊ की सागर	,,	आमेर	0.21
7.	विजय सागर	,,	बसवा	0.28
8.	छापरवाड़ा	,,	दूदू	1.31
9.	चीतोली	,,	बैराठ	7.40
10.	बुचारा बांध	,,	कोटपूतली	0.28
11.	झिलमिली कैनाल	,,	दौसा	0.51
12.	कालाखो कैनाल	,,	,,	0.94
13.	कालाखो	,,	,,	0.59
14.	टंकू	,,	वैराठ	3.38
15.	श्यामपुरा	,,	चाकसू	1.58
16.	पांचू डोला	,,	कोटपूतली	15.94
17.	चन्दराना	,,	दौसा	25.00
18.	महेशरा	,,	,,	8.23
				66.35

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 177 की सूचना)

जिला सीकर में दिनांक 12 फरवरी, 80 से 30 जून 80 तक घटित अपराधों के बारे में विधान सभा प्रश्न संख्या 154/मु. म. द्वारा श्री घनश्याम तिवाड़ी के संदर्भ में तालिका: –

क्र. सं.	अपराध	पंजीकृत अपराधों की संख्या	गिरफ्तार शुदा मुलजिमान की संख्या	चालान किये गये मुकदमात की संख्या	अन्वेषणाधीन मुकदमात की संख्या	चोरी गये माल की कीमत	बरामद माल की कीमत	प्रतिशत
1.	हत्या	18	12	4	4	—	—	—
2.	डकैती	—	—	—	—	—	—	—
3.	आत्महत्या	16	—	—	—	—	—	—
4.	राहजनी	10	6	3	3	7000/-	7000/-	100%
5.	बलात्कार	3	2	2	1	—	—	—
6.	चोरी	—	—	—	—	550458/-	231316/-	42%

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 178 की सूची)

माही बजाज सागर बांध की डूब से वर्ष 1980 के मानसून में प्रभावित होने वाले ग्रामों की सूची

परिशिष्ट (क).

क.सं.	नाम ग्राम	आबादी	कृषि भूमि (बीघों में)	विद्यालय	औषधालय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	रामगढ़	270	105-05	—	—	पूर्ण रूप से प्रभावित
2.	पाड़ा	201	486-08	—	—	
3.	बोरखेड़ा(बांगा)	574	1211-12	—	—	
4.	आमलीखेड़ा	447	579-17	—	—	
5.	काकनसेजा	528	1042-05	—	—	
6.	बावालोटा	1024	2576-03	1	—	
7.	भीमगढ़	307	565-11	—	—	
8.	वागड़ा	332	731-08	—	—	
9.	खेड़ली	235	307-13	—	—	
10.	खालवा	344	748-02	—	—	
11.	खूंतावारी	336	1040-10	—	—	
12.	बीन	102	259-16	—	—	
13.	कटियोर	53	683-17	—	—	
14.	मातातुला	623	1728-04	1	—	
15.	सियारी	213	327-10	—	—	
16.	खरखोटी	373	845-12	—	—	
17.	कूंपडा	422	746-06	1	—	
18.	अखेपुर	168	351-16	—	—	
19.	आलापृथ्वीगढ़	397	805-03	—	—	
20.	कुण्डलाकलां	705	824-05	2	—	
21.	बोरतलाव	35	45-07	—	—	
22.	लोखाजागीर	426	754-13	—	—	
23.	कुण्डलाखुर्द	406	731-13	—	—	
24.	सेमलिया	471	1224-01	1	—	
25.	पांवलवासा	934	1459-07	1	—	
26.	महुडीपाडा	96	428-13	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
27.	जीवा का पाड़ा	106	356-06	—	—	
28.	छोटीमाला	295	394-07	—	—	
29.	खानपुरा	320	249-07	—	—	
30.	मांडली	315	558-18	—	—	
31.	रोहनिया	524	911-00	1	—	
32.	कोडा	832	1954-14	1	....	
33.	चिताब	106	493-06	—	—	
34.	मारा	205	529-13	—	—	
	योग:–	12,725	26,132-15	9	—	

परिशिष्ट (ख)

क्र.सं.	नाम ग्राम	आबादी	कृषि भूमि (बीघों में)	विद्यालय	औषधालय	विशेष विवरण
1.	लोथामारियाब	426	590-03	—	—	आंशिक रूप से प्रभावित
2.	बिलड़िया	518	583-04	—	—	
3.	सुन्दरीपाड़ा	96	609-19	—	—	
4.	बडीमाला	496	731-10	—	—	
5.	वांक	115	514-04	—	—	
6.	बिलाखो	254	380-16	—	—	
7.	कोटड़ा	2204	3002-04	—	—	
8.	ठीकरीया	369	579-16	—	—	
9	खजूरी	293	843-05	1	—	
10.	बरोड़ा (कुण्डला)	832	211-08	—	—	
11.	लालूपाड़ा	86	374-04	—	—	
12.	घोरिया	37	115-17	—	—	
13.	जजु जनपुरा	263	574-14	—	—	
14.	बगलिया	246	320-16	—	—	
15.	रावपुर	254	466-13	—	—	
16.	बोरखेड़ा (बाल्दू)	331	542-09	—	—	
17.	खातू	4515	1482-17	3	1	
18.	कुमरखेडी	320	972-19	—	—	
19.	नाथपुरा	283	938-14	—	—	
20	पछोर	164	374-09	—	—	
	योग:–	12,103	14,210-01	4	1	

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 180 का आदेश)

AGREEMENT FOR THE SUPPLY OF CANAL WATER AT KOTA

THIS AGREEMENT made this 26th day of June, 1962, between the Governor of the State of Rajasthan (herein-after referred to as 'Government') of the one part and the Delhi Cloth & General Mills Company Limited, Delhi registered under the India Company Act, 1882 and having its registered office at Bara Hindu Rao, Delhi their heir and success in office (hereafter referred to as the consumer) of the other part.

WHEREAS the consumer has applied to the Government for the supply of water from Raipura Talao in Kota for their industrial requirements and the Government has agreed to supply the same to the term and conditions hereinafter appearing:—

Now therefore, this agreement witness as follow:—

1. The Government shall supply and the consumer shall take water from Raipura Talao. That the consumer shall after prior permission in writting of the Superintending Engineer, Canal Circle, Chambel, Kota be permitted to install pumping station and other anxillarila on the canal at Raipura Talao at the consumer cost.

2. That the consumer shall pay for the water taken at the rate of 00.25 n. p. (Twenty five naya paise) per thousand cft. of water:

3. Provided that the said rates shall be liable to be revised by the Govt. after the end of every 5 years the first five years period being rekonable from the date of starting of consumer's caustic soda plant and the variation in the

rate shall not be in excess of 25% of the rate which is being charged at the time of such variation. The decision by the Govt. on such a revision shall be taken at the general rates applicable to other industries in Kota.

4. The consumer shall install within a year of signing of this agreement a meter for measuring quantity of water drawn from the Talao. Till the meter as aforesaid is not installed, the water measurement shall be done by V-Noch System or by any other system as may be determined by the Chief Engineer, Irrigation, Government of Rajasthan in consultation with the consumer. Failure to install the said meter within the aforesaid period of one year will entitle the Government to charge for water at the maximum capacity of pumping sets connected to the water pumping system.

5. The supply of water shall ordinarly be perannial : provided that when the canal is closed for repairs or is closed for reasons which in the opinion of the Government warrant such a closure, no water shall be supplied.

Provided that the Consumer will be allowed to continue to draw water from the Raipura Talao as long as water is available in the said Talao. :

Provided further that two 'week's previous notice will be given to the consumer before such a closure.

6. The consumer shall pay the bills on monthly basis or as mutually agreed upon and in case of default in making the payment, the Government will have the right to cut all the supplies if the bills are not paid within 30 days of the presentation thereof. Without prejudice as aforesaid, interest at the rate of 6%per annum shall be paid by the consumer and further the money as payable shall be recoverable under the Rajasthan Public Demands Recovery Act, 1952.

7. This agreement shall remain in force for a period of 20 years subject to renewal for such further period and on conditions as may be mutually agreed upon by the contracting parties.

8. Subject to the provisions of this agreement, if any dispute or difference arises between the consumer and the Government as regards the interpretation of this agreement except a dispute regarding recovery of discharges for the water supplied, such dispute or difference shall be referred to the arbitration of two arbitrators one to be appointed by each of the parties hereto and an Umpire to be appointed by the arbitrations before entering upon the reference. The decision or award to the said arbitrators of Umpire shall be final and binding on the parties hereto and the provisions of the Indian Arbitration Act, 1960 or any statutory modifications thereof for the time being in force shall apply to such reference. Upon every such reference the cost of and incidental to the reference and award respectively shall be in the discreation of the arbitrator who may determine the amount thereof as between the parties and shall direct by whom and to whom and in what manner the name shall be borne and paid.

IN WITNESS WHEREOF the parties have signed this deed hereunder on the dates respectively mentioned against their signature.

Sd/—
Signed on behalf of the Delhi Cloth & General Mill Co., Ltd.. Delhi.

In the presence of:—
1. Daulat Singh 26/6/62
2.

Sd/—
For & on behalf of the Government of Rajasthan.

Assistant Secretary Irrigation Govt. of Rajasthan, Jaipur.

Additional Chief Secretary to the Government of Raj. Jaipur.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

IRRIGATION DEPARTMENT

No. F 13 (4) Irrg./79 Jaipur, May 4, 1979

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Clauses (d) and (of sub-section (1) of section 60 read with section 16 of the Rajasthan Irrigation and Drainage Act, 1954 (Act No XXI, of 1954) and in Supercession of this department notification issued vide this department of even number dated 5th March, 79 the state Government further makes the following amendment in Schedule II of the Rajasthan Irrigation and Drainage Rules 1955 namely:—

AMENDMENT

In the said schedule: - para 7 of the existing schedule shall be substituted by the following namely: —"7. Lift or seepage Irrigation:—Where irrigation is by lift or seepage, half the rates provided in this schedule shall to charge. If the lift is done by the Government the charges will be Rs. 9/-per acre for each watering taken, subject to minimum of Rs. 12/-per acre."

2. In the said Schedule at serial Nos. 1 to 25 the existing rates for (a) Gang Canal, Bhakhra, Ghagger and Rajasthan Canal (Irrigation under perennial channels) (d) Chambal Canal area and all works constructed/improved after 1st Jan, 1952, all works in the area former states of Banswara, Dungarpur and Pratapgarh pre-1952 Irrigation works except irrigation and pre 1952 Irrigation works irrundation irri-

gation (Column 3, 4 & 5) said in respect of following Crops shall be substituted as under namely:—

S. No. Name of Crop	(a) Gang Canal, Bhankara, Gharggar and Rajasthan Canal (Irrg. under personal Channels.) (b) Ghambal Canal argued all works constructed improved after 1st Jan., 1952 and all works in the area of former states of Banswara, Dungarpur.	Pro 1952 Irrg. work	Pro 19 Irrg. work.
1 2	3	4	5
Sugarcane	46.00	40.00	17.00
Rice	32.00	18.00	8.00
Cotton	29.00	23.00	14.00
Maize	14.00	8.00	6.00
Bajra	14.00	8.00	6.00
Jawar	14.00	8.00	10.00
Pulses	17.00	14.00	10.00
Garden(T.Yr)	58.00	39.00	18.00
Guwar	17.00	14.00	8.00
Sinmahemp Grass	14.00	14.00	10.00
Vegetables	23.00	[illegible]	9.00
Other Kharif Crop	18.00	14.00	10.00
Wheat	24.00	17.00	10.00
Barley	17.00	12.00	8.00
Goodhi Bejar	23.00	17.00	12.00
Gram Watering	16.00	14.00	14.00
Palowa	7.00	5.00	—
Pooser	14.00	14.00	8.00

1	2	3	4	5
	Oil Seeds	18.00	14.00	10.00
	Mater Muds	29.00	20.00	10.00
	Indigo other dyes	29.00	14.02	10.00
	Tobacco	29.00	17.00	10.00
	Lucerne & Poppy	29.00	17.03	9.00
	Zeera	29.00	15.00	9.00
	Other Crops of Rabi	21.00	14.00	10.00

This amendment shall come into force with immediate effect.

Sd/-
Bhim Singh
Commissioner & Secretary to
Government.

No. X. X./22/79/7312-7315 Dated 16-5-79

Copy forwarded to the Executive Engineer, Right Canal Div-I, Chambal Project, Kota for information & necessary action. Demand notice of irrigation be served on the basis of above rates. Spare copies are also sent for transmission upto Patwaries.

Sd/-
Superintending Engineer,
Canal Circle., C.A.D, Kota.

Encl : 80 Copies.

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 181 की सूची)

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	विवरण
1	2	3
1.	रतिरामपुरा	स्वीकृत
2.	अनुपुरा उर्फ नौपुरा	,,
3.	भापुरा	,,
4.	रामपुरा उर्फ कंवरपुरा	,,
5.	राजपुरा उर्फ मथुरावाला	,,
6.	अजराजपुरा	,,
7.	नानगपुरा उर्फ हेमा की-नांगल	,,
8.	लक्ष्मीनारायणपुरा	,,
9.	नरवारिया	,,
10.	ननजीपुरा	,,
11.	बढ़ रामजीनीपुरा	,,
12.	खेड़ा जगन्नाथपुरा	,,
13.	रामपुरावास गोनेर	,,
14.	चक शिवदासपुरा नं. 1	,,
15.	पाचुरा	,,
16.	बड़ा मकशुधनपुरा	,,
17.	भवानीपुरा उर्फ चतुरभुजपुरा	,,
18.	सन्तोषपुरा	,,
19.	चक शिवदासपुरा नं. 2	,,
20.	देवकीनन्दन पुरा	,,
21.	माधोसिंहपुरा	,,
22.	धोलेरा	,,
23.	पीपल वाई की बाढ़	,,
24.	बालूपुरा	,,
25.	भुगरिया	,,
26.	अचलपुरा	स्वीकृत
27.	सीतापुरा	,,
28.	नरपतिपुरा उर्फ हरिपुरा	,,
29.	चक थुनी	,,
30.	रामकिशनपुरा उर्फ थुनी नांगलदास	,,
31.	मुंडाहड़ी	,,
32.	उगारियावास	,,
33.	बिलासपुरा	,,
34.	खागलपुरा	,,
35.	भवानीपुरा उर्फ चतुरबाग	,,
36.	नांगलपुरान	,,
37.	थूनी जयलालपुरा	,,
38.	गोपीरामपुरा	,,
39.	सालगरामपुरा	,,
40.	डेहर	,,
41.	दादनपुर डूंगरी	,,
42.	जुझारपुरा	,,
43.	बिहारीपुरा	,,
44.	वीर सूरतरामपुरा	,,
45.	रामपुरा बुजुर्ग	,,
46.	कल्याणपुरा	,,
47.	खरेड़ा खुर्द	,,
48.	दुगपालपुरा	,,
49.	आजमनगर	,,
50.	चौसला	,,
51.	नरहरपुरा	,,
52.	उदयपुरा	,,
53.	चक वाटका	,,
54.	उमारिया वास	,,

(158)

1	2	3
55.	बाजहोली	स्वीकृत
56.	सवाई-जयसिंहपुरा	,,
57.	गोगरा वास	,,
58.	चक लक्ष्मीपुरा नं. 1	,,
59.	चक लक्ष्मीपुरा नं. 2	,,
60.	रानी वाला	,,
61.	हरि किशनपुरा	,,
62.	दादनपुरा	,,
63.	सीतापुरा उर्फ संजारिया	
64.	श्योसिंहपुरा	
65.	भुंड	
66.	भांखरोटा खुर्द	,,
67.	रामदत्तपुरा	,,
68.	हरिहरपुरा	
69.	साखावास	
70.	जयजसपुरा	
71.	चिरोटा	
72.	पालरी पारसा	
73.	नृसिंहपुर दादिया	
74.	श्री रामवास भांखरोटा	
75.	अलमपुरावास भांखरोटा	
76.	प्रेमपुरा	
77.	दौलतपुरा	
78.	श्री किशनपुरा	
79.	जयसिंहपुरा उर्फ रूपवास	
80.	जगन्नाथपुरा	
81.	भैरू करोल	
82.	चक गोविन्दपुरा	
83.	बाढ़-चिला	
84.	शीसियावास	
85.	मुरलीपुरा	
86.	जीरोता	
87.	सवाईजयसिंहपुरा उर्फ वास जिरोता	
88.	बिमलपुरा	
89.	सालगरामपुरा	
90.	चक सालिगराम उर्फ देहला	
91.	जयचन्द पुरा	
92.	श्री जय नन्द पुरा	
93.	बाढ़ हरिहरपुरा	
94.	बाढ़ अजयराजपुरा	
95.	देवीसिंहपुरा	
96.	गिरधारीपुरा नं. 6	
97.	वतरपुरा	
98.	चक नं. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14	
99.	शेर वाली चक नं. 1 गिरधारीपुरा	

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 191 की सूची)

(अपराधवार सूची)

क. सं.	अपराध	अपराधों की संख्या 1-1-79 से 31-1-80 तक
1.	डकैती	1
2.	लूट	9
3.	कत्ल	11
4.	नकबजनी	148
5.	चोरी	189
6.	बलवा	74
7.	अन्य अपराध ता. हि	439
	योग...	871

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 196 की सूची)

छठी पंचवर्षीय योजना में निर्माण हेतु प्रस्तावित 132 के. वी. ग्रिड सब-स्टेशनों की सूची

1. प्रतापगढ़
2. पदमपुरा
3. धौलपुर
4. मोड़क
5. झालावाड़
6. चित्तौड़गढ़
7. किशनगढ़ (अजमेर)
8. गावली
9. रेलमगरा
10. रेनवाल
11. बारां
12. नागौर
13. सोजत
14. शिवदासपुरा (सांगानेर)
15. राजगढ़ (अलवर)
16. बाड़मेर
17. नीमकाथाना
18. नगर
19. श्रीमाधोपुर
20. सुमेरपुर
21. मेन्द्रसा
22. बनेठा
23. टोंक
24. उदयपुरवाटी
25. नदवई
26. लक्ष्मणगढ़
27. बैर
28. गंगापुर सिटी
29. भिवाड़ी
30. पुरानाघाट
31. सुजानगढ़
32. गंगानगर
33. चूरू
34. भादरा
35. चिड़ावा
36. दांतारामगढ़
37. शाहपुरा (जयपुर)
38. बहरोड़
39. डीग
40. बगरू
41. भोपालगढ़
42. शाहपुरा (भीलवाड़ा)
43. देवली
44. रश्मि
45. भवानी मण्डी
46. पिडवारा
47. गोविन्दगढ़
48. सामोद
49. दूदू
50. मालपुरा
51. छीपाबड़ौद
52. नवलगढ़
53. आबूरोड़